पंचदश माला, खंड 29, अंक 2

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2012
2 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

23 नवम्बर 2012

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 14 Oct 2011

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

प्रमोद कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बख्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, नौवां सत्र 2012/1934 (शक)]

अंक 2, शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2012/2 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
मंत्रियों का परिचय	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	3-128
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 300, 302 से 460	129-745
सभा पटल पर रखे गए पत्र	745-746
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	747
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
39वां प्रतिवेदन	747-748
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 60वां प्रतिवेदन	748
(दो) साक्ष्य	748
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	749-750
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	751-752
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	752-762
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	763-764
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	763-766

*सभा की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अतः, इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित माना गया।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2012/2 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीन प्रधानमंत्री।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से आपका और आपके माध्यम से इस सम्मानीय सभा का मेरे साथियों, जिन्हें हाल ही में प्रोन्नति दी गई है अथवा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, से परिचय करवाना चाहता हूं:

केंद्रीय मंत्री

1.	श्री के. रहमान खान	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
2.	श्री दिनशा पटेल	खान मंत्री
3.	श्री अजय माकन	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
4.	श्री एम.एम. पल्लम राजू	मानव संसाधन विकास मंत्री
5.	श्री अश्विनी कुमार	विधि और न्याय मंत्री
6.	श्री हरीश रावत	जल संसाधन मंत्री
7.	श्रीमती चंद्रेश कुमारी	संस्कृति मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

8.	श्री मनीष तिवारी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
9.	डॉ. के. चिरंजीवी	पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्य मंत्री

10.	डॉ. शशी थरूर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
11.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
12.	श्री तारिक अनवर	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
13.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
14.	श्रीमती रानी नरह	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
15.	श्री अधीर चौधरी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
16.	श्री अबू हशीम खां चौधरी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
17.	श्री सर्वे सत्यनारायण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
18.	श्री निनोंग ईरींग	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
19.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
20.	श्री पी. बलराम नायक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
21.	डॉ. (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
22.	श्री लालचन्द कटारिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : आप 184 को भी इंट्रोड्यूज कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 21 – श्री अशोक कुमार रावत।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री रमेश राठौड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं कुछ बोलने वाली हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी हां, मैं आपको अनुमति दूंगी।

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको बोलने की अनुमति प्रदान करूंगी। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गैस की खोज और उत्पादन

21. श्री अशोक कुमार रावत :
श्री के. डी. देशमुख :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उन कंपनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृष्णा गोदावरी (के.जी.) बेसिन सहित देश में गैस की खोज और उत्पादन संबंधी संविदाओं के निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया है;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसी अवधि के दौरान संविदा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी शास्ति लगाई गई है; और

(ग) केजी डी-6 बेसिन से उत्पादन में कमी आने और कुल गैस भंडारों के अनुमानों में परिवर्तन के क्या कारण हैं और उसके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) सरकार ने देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन हेतु उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए अभी तक 29 खोजे गए क्षेत्र और 282 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए हैं। प्रदान किए गए क्षेत्रों/ब्लॉकों के प्रचालक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पीएससी व्यवस्था के तहत संविदाकारों द्वारा अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलाप करते समय संबंधित संविदाओं के प्रावधानों का अनुपालन **करना**

अपेक्षित है। यदि संविदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संविदा में निर्धारित शर्तों और सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

कुछ क्षेत्रों/ब्लॉकों में देखा गया है कि पीएससी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में सरकार ने उपयुक्त कार्रवाई की है। प्रमुख विपथनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। अन्य संविदाकारों के संबंध में कोई बड़ा उल्लंघन नहीं देखा गया है।

(ग) चालू वर्ष (2012-13 में अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (केजी-डी6) में औसत गैस उत्पादन इस ब्लॉक में उत्पादन कर रहे डी1, डी3 और एमए क्षेत्रों की क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपीज) में अनुमोदित 86.73 एमएमएससीएमडी की तुलना में लगभग 29.81 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) था। केजी डी6 से गैस के उत्पादन में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई है:

i. डी1 और डी3 क्षेत्रों में कुल 18 गैस उत्पादक कूपों में से 6 कूपों में कूप छिद्रों में पानी भर जाने/मिट्टी भर जाने के कारण गैस उत्पादन बंद हो गया है।

ii. एमए क्षेत्र में 6 तेल/गैस उत्पादक कूपों में से 2 तेल/गैस उत्पादक कूपों में कूप छिद्रों में पानी भर जाने/मिट्टी भर जाने के कारण तेल/गैस का प्रवाह बंद हो गया है।

iii. संविदाकार द्वारा प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक विकास योजना (एआईडीपी) के अनुशेष के अनुसार डी-1 और डी-3 क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में गैस उत्पादक कूपों का वेधन नहीं करना।

इसके अलावा, संविदाकार ने एआईडीपी और डी3 क्षेत्रों की तुलना में गैस के कम उत्पादन के निम्नलिखित कारण बताए हैं :

i. मुख्य चैनल क्षेत्र में मौजूदा कूपों पर आधारित रिजर्वायर के व्यवहार और साथ ही डी1 तथा डी3 क्षेत्रों के ओवर बैंक क्षेत्रों में रिजर्वायर की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए डी1 और डी3 क्षेत्रों में अतिरिक्त कूपों से उत्पादन-दर अथवा निकासी को बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी।

ii. पूर्वानुमान की तुलना में रिजर्वायर के व्यवहार और विशेषताओं में काफी अंतर देखा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन दरें प्राप्त करने में रिजर्वायर संबंधी अड़चनें हैं।

iii. दबाव में कमी मूलतः की गई परिकल्पना से कई गुना अधिक है।

iv. कुछ कूपों में समय से पूर्व जल उत्पादन का प्रारंभिक रिजर्वायर उद्दीपकों में पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था हालांकि समग्र क्षेत्र जल उत्पादन कम है।

v. भौगोलिक जटिलताओं के आधार पर संविदाकार की उपयुक्त वेधन स्थलों को तय करने में असमर्थता।

तत्पश्चात संविदाकार ने एआईडीपी में अनुमोदित 10.03 टीसीएफ की तुलना में 3.10 ट्रिलियन घन फीट (टीसीएफ) के निकायी योग्य गैस भंडारों के संशोधित अनुमान सहित डी1 और डी3 क्षेत्रों की संशोधित क्षेत्र विकास योजना (आरएफडीपी) दिनांक 28.02.2012 को प्रस्तुत कर दी है। भंडारों के कमीपरक संशोधन के लिए संविदाकार से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

केजी-डीडब्लयूएन-98/3 (केजी-डी6) ब्लाक से गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. संविदाकार के इस ब्लाक डी-1, डी-3 और एमए क्षेत्रों में और अधिक उत्पादक कूपों का वेधन करने, उनका कार्य पूरा करने और संबद्ध करने तथा रुग्ण कूपों का पुनरुद्धार करने को कहा गया है।

ii. संविदाकार के डी1 और डी3 क्षेत्रों से गैस की प्राप्ति बढ़ाने के लिए अभितट टर्मिनल पर कंप्रेशर स्थापित करने के प्रस्ताव को संविदाकार के सीएजी की लेखा परीक्षा पर सहमत होने की शर्त पर प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

iii. एमए क्षेत्र की संशोधित क्षेत्र विकास योजना (आरएडीपी) को संविदाकार के सीएजी की लेखा परीक्षा पर सहमत होने की शर्त पर एमसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

iv. अन्य 4 गैस खोजों (डी-2, 6, 19 और 22) की इष्टतम क्षेत्र विकास योजना (ओएफडीपी) को एमसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

v. गैस खोज डी-34 की वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) को भी एमसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण-I

पीएससी व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए क्षेत्रों/ब्लॉकों तथा प्रचालक

क्रम सं.	प्रचालक	अन्वेषण ब्लॉक (पूर्व-एनईएलपी तथा एनईएलपी)	खोजे गए क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम				
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	115	0	115
2	ऑयल इंडियन लिमिटेड	19	0	19
3	भारत पेट्रो रिर्सोसिज लिमिटेड	1	0	1
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	0	2
5	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	1	10
6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	0	2
7	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन	1	0	1
	उप योग सा.क्षेत्र.उ.	149	1	150
निजी कंपनियां				
8	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	44	0	44
9	अदानी वेलस्पन एक्सपलोरेशन लिमिटेड	1	0	1
10	एस्सार एनर्जी	2	0	2
11	एस्सार एक्सपलोरेशन एण्ड प्रोडेक्शन लिमिटेड	1	0	1
12	एस्सार ऑयल लिमिटेड	4	0	4
13	एस्वीजी स्टील (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड	3	0	3
14	फोकस एनर्जी लिमिटेड	5	0	5
15	हरीश चन्द्र (इंडिया) लिमिटेड	2	0	2
16	हिन्दुस्तान ऑयल एक्सपलोरेशन कंपनी लिमिटेड	5	3	8
17	जय पॉलिकैम (इंडिया) लिमिटेड	1	0	1

1	2	3	4	5
18	जुबिलिएंट ऑयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड	6	0	6
19	मरकाटोर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	2	0	2
20	ओमकार नेचुरल रिर्सोसिज प्राइवेट लिमिटेड	2	0	2
21	पैन इंडिया कंस्लटेंटस	1	0	1
22	प्रतिभा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	1	0	1
23	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	2	0	2
24	क्वेस्ट पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	1	0	1
25	संकल्प ऑयल एण्ड नेचुरल रिर्सोसिज लिमिटेड	1	0	1
26	वसुंधरा रिर्सोसिज लिमिटेड	1	0	1
27	हाइड्रोकार्बन रिर्सोस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	0	1	1
28	इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड	0	2	2
29	सेलन एक्स. टेक. लिमिटेड	0	5	5
30	जियो एन्प्रो	0	1	1
	उप-योग निजी	85	12	97
विदेशी कंपनियां				
31	बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल इंक	1	0	1
32	बीएचपी बिलिटेन पेट्रोलियम इंटरनेशनल एक्सपलोरेशन पीटीवाई, लिमिटेड, आस्ट्रेलिया	10	0	10
33	बीवी एक्सलोरेशन (अल्फा), यूके	1	0	1
34	ब्रिटीश वगैस एक्सपलोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) लिमिटेड, यूके	2	3	5
35	कैर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई लिमिटेड	9	1	10
36	कैनोरो रिर्सोसिज लिमिटेड•	1	1	2
37	दीप एनर्जी एलआईसी, यूएसए	4	0	4
38	ईएनआई (इंडिया) लिमिटेड, इटली	2	0	2
39	**जियो-ग्लोबल (बारबाडोस) इंक.**	2	0	2

1	2	3	4	5
40	जियो-पेट्रोल इंटरनेशनल इंक, फ्रांस	1	0	1
41	हार्डी एक्सपलोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक	3	0	3
42	नाफ्तोगाज, रूस	3	0	3
43	नाइको रिर्सोसिज लिमिटेड	2	2	4
44	ओएओ गाजप्रोम, रूस	1	0	1
45	ओकलैंड आफशोर होलिडंग लिमिटेड	2	0	2
46	पेट्रोगैस, ओमान	1	0	1
47	प्राइमन ऑयल नार्थ ईस्ट इंडिया	1	0	1
48	संतोस इंटरनेशनल आपरेशन पीटीवाई, लिमिटेड, आस्ट्रेलिया	2	0	2
49	ऑयलेक्स-एनएल होल्डिंगस लिमिटेड	0	2	2
50	ऑयलेकक्स-एनएल	0	1	1
51	जोशी टेक इंक	0	2	2
52	हीरामैक लिमिटेड, भामास	0	4	4
	उप-योग विदेशी	48	16	64
	समग्र योग	282	29	311

•भारत सरकार द्वारा समाप्त संविदा

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान उत्पादन हिस्सेदारी संविदा का गैर-अनुपालन

क्रम सं.	प्रचालक	पीएससी प्रावधानों की किस प्रकार की गैर-अनुपालना	वर्ष	ब्लॉकों की संख्या	की गई कार्रवाई	वसूली गई राशि (अमरीकी डॉलर एमएम)
1	2	3	4	5	6	7
1	आरआईएल	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा किए बिना ब्लॉक का परित्याग (एमडब्ल्यूपी)	2010-11	2	समाप्त न हुए कार्यक्रम के लिए लागत वसूली गई।	
			2011-12	1		
			2012-13	11		**58.98**

1	2	3	4	5	6	7
		चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं	2011-12	1	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	3.60
		किया गया	2012-13	6		16.83
		पीएससी समय सीमा के अनुसार वाणिज्यिकता की घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई	2010-11	2	ब्लॉकों का परित्याग	
		खोज अधिसूचना की घोषणा	2010-11	1	खोज स्वीकृत नहीं	
		अनुमोदित एआईडीपी की गैर-अनुपालन	2012-13	1	भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 तक 1.005 बिलियन अमरीकी डालर तक उत्पादन सुविधाओं की लागत की अनुपातिक अनुमति न मिलने के लिए सूचना जारी की गई	
		वाणिज्यकता की घोषणा करने के बाद मूल्यांकन कूप का वेधन	2010-11	1	लागत वसूली की अनुमति नहीं	
		एमसी समीक्षा मूल्यांकन क्षेत्र से बाहर मूल्यांकन कूप का वेधन	2010-11	1	लागत वसूली की अनुमति नहीं	
		संविदागत क्षेत्र का परित्याग न करना	2011-12	1	संविदाकार को लेखा परीक्षा अपवादों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।	
2	ओएनजीसी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा किए बिना ब्लॉक का परित्याग	2010-11	2	समाप्त न हुए कार्य कार्यक्रम की लागत वसूली	13.63
		चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं किया गया	2011-12	4	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	25.67
3	ओआईएल	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा किए बिना ब्लॉक का	2009-10	2	समाप्त न हुए कार्य कार्यक्रम की लागत वसूली	0.59
		परित्याग	2011-12	1		5.49
		चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं किया गया	2009-10	1	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	0.01

1	2	3	4	5	6	7
4	जियोपेट्रोल	एमडब्ल्यूपी पूरा किए बिना ब्लॉक का परित्याग	2010-11	1	समाप्त न हुए कार्य कार्यक्रम की लागत वसूली	4.73
5	फोकस	चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं किया गया	2010-11	1	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	0.05
6	जीजीआर	चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं किया गया	2010-11	1	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	0.03
7	ज्यूबलींट	चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं किया गया	2009-10	1	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	1.49
8	नफ्तोगाज	संविदा के निष्पादन में सरकार को झूठे विवरण की प्रस्तुति	2012-13	3	पेट्रो और प्राकृ. गै.मं. द्वारा 11.10.2012 को संविदा समाप्ति की सूचना जारी की गई।	
9	पेट्रोगाज	चरण अवधि के अंदर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं किया गया	2011-12	1	परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली	0.33
10	एचओईसी	जिंदल पेट्रोलियम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम भागीदार, ने पीएससी पर हस्ताक्षर करने के बाद वित्तीय और निष्पादन गारंटी (एफपीजी) तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की थी।	2011-12	1	पेट्रो और प्राकृ. गै.मं. द्वारा 14.07.2011 को जेपीएल को समाप्ति की सूचना जारी की।	
11	कैनोरे रिसोंसिज लिमिटेड (सीआरएल)	सरकार की पूर्व सहमति के बिना सीआरएल द्वारा अमुरी क्षेत्र में 52.9% के अपने हिस्से को एमएएसएस को अंतरित करते हुए सामग्री उल्लंघन	2010-11	1	पेट्रो और प्राकृ. गै.मं. ने पीएससी के अनुच्छेद 29 व 31 के अनुसार 29 अगस्त, 2010 को सीआरएल के संबंध में संविदा को समाप्त कर दिया। भारत सरकार के पास 60% पीआई है।	
12	हार्डी	एमसी अनुमोदन के बिना नामांकन आधार पर पीवाई-3 क्षेत्र में उत्पादन सुविधाओं को लगातार लाभ उठाना	2011-12	1	24.04.2011 से आगे कोई समय विस्तार नहीं दिया गया।	

1	2	3	4	5	6	7
		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष में खपत न की गई सामग्री व उपकरण के संबंध में पीवाई-3 क्षेत्र में गलत लागत वसूली	2012-13	1	सीएजी की टिप्पणी का अनुपालन किया गया था और प्रचालक से पीएससी की परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 3.1.8 (i) के अनुसार 4,958,259 अमरीकी डालर के आदेश की गलत वसूली के मद्देनजर ब्याज सहित 1,983,303 अमरीकी डालर के कम अदा किए गए पेट्रोलियम लाभ का भुगतान करने के लिए कहा गया था।	
13	जियोएम्प्रो	संविदाकार ने खारसंग क्षेत्र में सीआरएल राशि से 13.37 मिलियन अमरीकी डालर की अधिक वसूली की।	2009-10 (से आगे)	1	संविदाकार को अधिक वसूली राशि को लौटाने की हिदायत दी गई।	
14	नाइको	हजीरा क्षेत्र में 36" पाइपलाइन में मध्यस्थता निर्णय के आधार पर 18.71 अमरीकी डालर एमएम के लाभ पेट्रोलियम का कम भुगतान	2010-11	1	भारत सरकार द्वारा दायर अपील के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को रद्द कर दिया।	
15	ओएनजीसी, बीजीईपीआईएल तथा आरआईएल	संविदाकार ने मध्य और दक्षिण ताप्ति क्षेत्र में 545 मिलियन अमरीकी डालर की सीआरएल राशि से अधिक की लागत वसूली प्राप्त की।	2011-12	1	यह मुद्दा मध्यस्थाधीन है।	

करेंसी नोटों की छपाई में आत्म-निर्भरता

***22. श्री हंसराज गं. अहीर :**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश करेंसी नोटों की छपाई में अभी तक **पूर्णतः** आत्मनिर्भर नहीं बना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सीमा-पार से देश में जाली नोटों के आने को ध्यान में रखते हुए करेंसी नोटों की छपाई में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार को करेंसी नोटों की छपाई में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय **किए** गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) देश करेंसी की छपाई में आत्मनिर्भर बन गया है। कुल जरूरत के विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों के लगभग 17,600 मिलियन नगों की छपाई देश में ही चार प्रेसों में होती है। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) से संबंबिधत प्रेस मैसूर और साल्बोनी में तथा भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) से संबंधित प्रेस देवास और नासिक में स्थित हैं।

(ग) से (ङ) सीमा पार से नकली करेंसी का आना एक पृथक मुद्दा है और देश में करेंसी की छपाई से इसका कोई संबंध नहीं है। देश में नकली करेंसी का निश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, जाली भारतीय करेंसी नोटों की समस्या से निपटने के लिए, केन्द्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधित घृणित गतिविधि को रोका जा सके। विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा के लिए, गृह मंत्रालय ने नकली भारतीय करेंसी नोट समन्वय केन्द्र (एफसीओआरडी) स्थापित किया है।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

*23. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्री खगेन दास :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन/उपयोग हेतु नीति/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के पहले चरण में राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के पहले चरण के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं और स्थापित किए गए ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 1 मेगावाट और 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में स्थानीय स्तर पर/ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और किफायती सौर ऊर्जा उत्पादन उद्यमों के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसे देश में विद्युत उत्पादन के साथ-साथ प्रत्यक्ष तापीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के दोहन/उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2010 में आरंभ किया गया। मार्च, 2022 में समाप्त हो रहे मिशन के विभिन्न चरणों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु निर्धारित किए गए संस्थापना संबंधी लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

अनुप्रयोग खंड	लक्ष्य*		
	चरण-1 (2010—13)	चरण-2 (2013—17)	चरण-3 (2017—22)
ग्रिड सौर विद्युत	1100 मेगावाट	4000 मेगावाट-10,000 मेगावाट	20,000 मेगावाट
ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग (सौर रोशनी प्रणालियों सहित)	200 मेगावाट	1000 मेगावाट	2000 मेगावाट
सौर तापीय संग्राहक (एसडब्ल्यूएचएस, सौर कुकिंग/कूलिंग, औद्योगिक प्रक्रिया ताप अनुप्रयोग आदि) —क्षेत्र वर्धन	7 मिलियन वर्गमीटर	15 मिलियन वर्गमीटर	20 मिलियन वर्गमीटर

***प्रत्येक चरण की समाप्ति पर संचयी क्षमता।**

जेएनएनएसएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। ऑफ-ग्रिड खंड के अंतर्गत दिनांक 31.10.2012 तक की उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में तथा राज्य सरकार की पहलों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों सहित ग्रिड-संबद्ध क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सौर तापीय संग्राहकों के क्षेत्र में दिनांक 31.10.2012 तक देश में 5.95 मिलियन वर्गमीटर संचयी संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की गई है।

मिशन के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थकारी नीतिगत एवं विनियामक माहौल का सृजन किया गया है। इसमें सौर विशिष्ट आरपीओ [चरण-1 (2013) में 0.25% से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक 3% करना] के लिए राष्ट्रीय श्युल्क-दर नीति में संशोधन, आरईसी कार्यतंत्र, राज्य विशिष्ट सौर नीतियों को प्रोत्साहन देना तथा विनियामकों द्वारा राज्यवार आरपीओ आदेश शामिल हैं। रियायती/शून्य उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, अधिमान्य शुल्क-दर और उत्पादन आधारित प्रोत्साहनों के रूप में राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाना है। इस संबंध में अब तक 5 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना/सहायता की गई है। विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योगों में एक अनुसंधान और विकास नीति भी विद्यमान है। वर्तमान में प्रकाशवोल्टीय क्षेत्र में 18 और सौर तापीय क्षेत्र में 17 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के अंतर्गत भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए तथा संस्थापित ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1 मेगावाट तथा 2 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्रों को जेएनएनएसएम के मार्च, 2013 में समाप्त हो रहे प्रथम चरण के रूफटॉफ पीवी एवं लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आरपीएसएसजीपी) के अंतर्गत पहले ही शामिल किया गया है। मिशन के अगले चरण के लिए दिशा-निर्देशों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पहले से ही देश में स्थानीय स्तर पर/ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में 100 किलोवाट पीक तक के ऑफ-ग्रिड एसपीवी विद्युत संयंत्रों के लिए 81 रु./वाट पीक तक सीमित करते हुए 30% पूंजीगत सब्सिडी और/अथवा 5% ब्याज दर पर आसान ऋण दिया जा रहा है। देश में विद्युत की अपूरित सामुदायिक मांग अथवा अविद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए माइक्रो ग्रिड प्रणाली/स्थानीय वितरण नेटवर्क में बैटरी भंडारण सहित स्टैंड-एलोन ग्रामीण एसपीवी विद्युत संयंत्रों को प्रति स्थान 250 किलोवाट पीक की अधिकतम क्षमता के लिए 150 रु./वाट पीक की दर से पूंजीगत सब्सिडी और 5% ब्याज दर पर आसान ऋण भी प्रदान किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.10.2012 तक) के दौरान एसपीवी प्रणालियों की राज्यवार संस्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां				विद्युत संयंत्र
		लालटेन	घरेलू रोशनी संख्या	सड़क रोशनी	पंप	स्टैंड-एलोन (किवापी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	63	32	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	5561	5611	2410	0	568.295

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	496	7452	0	3	0
4.	असम	0	0	0	0	801
5.	बिहार	0	3400	0	0	775.6
6.	चंडीगढ़	0	0	669	0	0
7.	छत्तीसगढ़	119	43	153	74	6190.4
8.	दिल्ली	54	0	0	1	2
9.	गोवा	66	31	244	0	0
10.	गुजरात	0	0	0	0	274.1
11.	हरियाणा	22207	24628	12140	0	254.85
12.	हिमाचल प्रदेश	939	5738	5064	0	600
13.	जम्मू और कश्मीर	15150	19050	210	0	133.25
14.	झारखंड	7000	2998	0	0	480.9
15.	कर्नाटक	0	16311	0	0	225
16.	केरल	13186	25	645	0	13
17.	लक्षद्वीप	5289	0	1725	0	15
18.	मध्य प्रदेश	0	733	3144	0	1060.6
19.	महाराष्ट्र	0	1470	2949	11	907.26
20.	मणिपुर	0	365	438	0	188
21.	मेघालय	0	0	0	0	0
22.	मिजोरम	3777	3756	0	0	132
23.	नागालैंड	449	325	0	0	374
24.	ओडिशा	0	0	15	0	10
25.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
26.	पंजाब	0	0	1017	0	160
27.	राजस्थान	0	57097	220	1418	3987.2
28.	सिक्किम	19550	5653	277	0	18.3
29.	तमिलनाडु	0	6309	465	0	570.27
30.	त्रिपुरा	21922	6657	0	0	10.43
31.	उत्तर प्रदेश	9200	104476	53501	4	3223.76
32.	उत्तराखंड	0	0	895	0	100
33.	पश्चिम बंगाल	0	26743	6475	0	154
34.	अन्य	0	0	0	0	2830
	कुल	124965	298934	92688	1511	24059.215
	समतुल्य वाट	1249650	11060558	6858912	2417600	24059215
					कुल (डब्ल्यू)	45645935
						45.65 मेगावाट

विवरण-II

दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में लगाई गई संचयी ग्रिड सौर विद्युत

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लगाई गई क्षमता (मेगावाट)*
1	2
आंध्र प्रदेश	21.75
अरुणाचल प्रदेश	0.025
असम	–
बिहार	–
छत्तीसगढ़	4
गोवा	–
गुजरात	690
हरियाणा	7.8
हिमाचल प्रदेश	–
जम्मू और कश्मीर	–
झारखंड	16
कर्नाटक	14
केरल	0.025

1	2
मध्य प्रदेश	7.35
महाराष्ट्र	20
मणिपुर	-
मेघालय	-
मिजोरम	-
नागालैंड	-
ओडिशा	13
पंजाब	9.325
राजस्थान	201.15
सिक्किम	-
तमिलनाडु	17.05
त्रिपुरा	-
उत्तर प्रदेश	12.375
उत्तराखंड	5.05
पश्चिम बंगाल	2.05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1
चंडीगढ़	-
दादरा और नगर हवेली	-
दमन और दीव	-
दिल्ली	2.526
लक्षद्वीप	0.75
पुदुचेरी	0.025
अन्य	0.81
कुल	1045.161

*मिशन के आरंभ होने से पहले संस्थापित की गई लगभग 11 मेगावाट क्षमता शामिल है।

विवरण-III

दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार जेएनएनएसएम के अंतर्गत आवंटित की गई तथा लगाई गई राज्यवार ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं (भारत सरकार की स्कीम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आबंटित की गई परियोजनाएं		दिनाक 31.10.2012 के अनुसार कमीशन की गई परियोजनाएं	
		संख्या	मेगावाट	संख्या	मेगावाट
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16	95.5	12	19.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	2	4	2	4
6.	गोवा	–	–	–	–
7.	गुजरात	1	20	–	–
8.	हरियाणा	9	8.8	8	7.8
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
11.	झारखंड	8	16	8	16
12.	कर्नाटक	1	5	1	5
13.	केरल	–	–	–	.
14.	मध्य प्रदेश	3	5.25	3	5.25
15.	महाराष्ट्र	9	46	6	16
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–
20.	ओडिशा	9	13	9	13
21.	पंजाब	9	15.5	6	8
22.	राजस्थान	72	873	40	149.5
23.	सिक्किम	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	9	22	7	11
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तर प्रदेश	6	13	5	12
27.	उत्तराखंड	3	5	3	5
28.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	-	-	-	-
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
32.	दमन और दीव	-	-	-	-
33.	दिल्ली	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
35.	पुदुचेरी	-	-		
	कुल	157	1142.05	110	272.3

[हिन्दी]

टाइप-2 मधुमेह के लिए दवाइयां

*24. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टाइप-2 मधुमेह, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में, के बढ़ते हुए मामलों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कतिपय रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि टाइप-2 मधुमेह के उपचार के लिए उपयोग में लाई जा रही दवाइयों से दिल का दौरा और पक्षाघात होने का खतरा बना रहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा टाइप-2 मधुमेह के उपचार हेतु दवाइयों की प्रभाविता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का अनुमान है कि भारत में 20 वर्ष तथा उससे अधिक की उम्र वाले वर्ष 2009 में 51 मिलियन के मुकाबले वर्ष 2011 में

61.3 मिलियन व्यक्तियों को मधुमेह था। टाइप 2 मधुमेह मुख्यतया 20 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र वाले वयस्कों को प्रभावित करता है। मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्षवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार ने व्यवहार तथा जीवन शैली में परिवर्तनों के लिए जागरूकता सृजन, जोखिम कारकों के उच्च स्तरों वाले व्यक्तियों का शीघ्र निदान तथा समुचित उपचार के लिए उच्चतर सुविधा केन्द्रों में उनके रेफरल पर बल देते हुए 21 राज्यों के 100 जिलों में वर्ष 2010 में कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, निदान तथा उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) टाइप2 डायबिटीज मेलिटस के उपचार के लिए निर्देशित औषध 'रोजिग्लिटाजोन' के हृदयवाहिका घटनाओं के उच्चतर जोखिम अर्थात अवरूद्ध हृदयपात तथा मायोकार्डियल इनफार्कशन (दिल का दौरा) से जुड़े रहने की सूचना मिली थी। इस औषध को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 12 नवम्बर, 2010 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 910 (अ) के तहत देश में विनिर्माण एवं बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

(ङ) टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए दवाओं सहित अनुमोदित दवाओं की गुणवत्ता को निरीक्षण, लाइसेंसिंग तथा यादृच्छिक प्रतिचयन तथा जांच के जरिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा उसके तहत बने नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। यदि किसी औषध से मनुष्यों को स्वास्थ्य जोखिम होने की संभावना हो या उस औषध में दावा किया गया या दावा के लिए अभिप्रेत चिकित्सीय मूल्य नहीं हो या इसमें वैसे अवयव हों जिनका कोई चिकित्सीय औचित्य न हो तो केन्द्र सरकार औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 क के तहत जनहित में ऐसी औषध के विनिर्माण, बिक्री या वितरण को विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध कर सकती है।

[अनुवाद]

राजसहायता प्राप्त रसोई गैस सिलिंडरों पर लगाई गई सीमा

***25. श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं को दिए जा रहे रसोई गैस सिलिंडरों पर लगाई गई प्रतिवर्ष की सीमा की समीक्षा करने और निर्धन लोगों के लिए गैर-राजसहायता प्राप्त सिलिंडरों का मूल्य कम करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस सिलिंडरों पर प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है और इनके मूल्यों में वृद्धि करने तथा रसोई गैस सिलिंडरों पर राजसहायता कम करने का औचित्य क्या है;

(घ) सरकार द्वारा रसोई गैस में लाभ की गणना करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है और क्या सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को खुले बाजार के अनुरूप रसाई गैस की दर निर्धारित करने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के मूल्यों तथा भारत में इसके उपभोक्ता खुदरा मूल्य के बीच कितना अन्तर है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) वार्षिक सीमा को संशोधित करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। राजनैतिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) के निर्णय के अनुसार प्रति वर्ष 6 सिलेंडरों की सीमा से अधिक सिलेंडर मासिक आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अधिसूचित की जाने वाली बाजार दर उपलब्ध होंगे।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा एलपीजी सिलिंडरों पर उपलब्ध करवाई गई राजसहायता के ब्यौरे **निम्नानुसार हैं:**

राज सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाई गई प्रति इकाई और कुल राजसहायता

वर्ष	प्रति इकाई राजसहायता (रुपए/सिलिंडर)	कुल राजसहायता धनराशि (करोड़ रुपए)		
		सरकारी बजट से	सरकार/तेल कंपनियों द्वारा	उपभोक्ताओं को कुल राजसहायता
2009-10	200.71	1814	14257	16071
2010-11	272.52	1974	21772	23746
2011-12	342.88	2137	29997	32134
2012-13 की पहली छमाही*	405.67	1078	18544	19622

*वर्ष 2012-13 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर) के लिए अनंतिम आंकड़े।

आम आदमी को अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार अन्य के साथ घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य को लगातार आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती है जिसके परिणामस्वरूप ओएमसीज को अल्प-वसूलियां होती है। वर्तमान में ओएमसीज को राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के प्रति 14.2 कि.ग्रा. के सिलिंडर पर 478.50 रुपए की अल्प-वसूली हो रही है (1.11.2012 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य पर आधारित)। इसके अलावा, सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू सिलेंडर पर 22.58 रु./सिलेंडर की राजकोषीय राजसहायता उपलब्ध करवाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान ओएमसीज को डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर 1,38,541 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली हुई है। ओएमसीज को न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपितु भावी विकास हेतु पूंजीगत व्यय, आधुनिकीकरण और परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए भी प्रतिपूर्ति किए जाने की जरूरत है।

सरकार ने दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को प्रत्येक उपभोक्ता को राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को 6 सिलिंडर (14.2 कि.ग्रा. के) प्रति वर्ष तक सीमित करने का निर्णय लिया। तथापि, राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के आधार मूल्य को संशोधित नहीं किया गया था। दिनांक 5/6 अक्तूबर, 2012 से 11.50 रुपए प्रति सिलिंडर की मूल्य वृद्धि वितरक के कमीशन में संशोधन के कारण की गई थी।

(घ) और (ङ) सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के मूल्य को केवल आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती है। तेल विपणन कंपनियां प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप एलपीजी के अन्य श्रेणियों के मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का मूल्य वर्ष 2006 में डॉ. रंगराजन समिति द्वारा यथा संस्तुत आयात समता मूल्य पर आधारित है। दिनांक 01 नवंबर, 2012 को रिफाइनरी द्वारा मूल्य के अनुसार दिल्ली में राज्यसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का खुदरा मूल्य 410.50 रु. प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर है। जैसा ओएमसीज ने बताया है 14.2 कि. ग्रा. गैर राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वर्तमान मूल्य दिल्ली में 895.50 रु. है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बेंचमार्क माना गया अरब खाड़ी में फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य 738 रु. प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर हैं अरब खाड़ी में एफओबी मूल्य और दिल्ली में प्रति 14.2 कि.ग्रा. के गैर राजसहायता प्राप्त सिलेंडर के मूल्य में अंतर अरब खाड़ी से भारतीय पत्तनों तक महासागरीय भाड़ा, आयात से संबंधित प्रभारों, अंतर्देशीय भाड़ा, विपणन लागत और मार्जिन, सिलेंडर भरण प्रभारों और वितरक कमीशन के कारण है।

[हिन्दी]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली

***26. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः**

श्री रतन सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कंपनियों/व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का कोई प्रावधान है जिनसे 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां वसूली की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, बैंक-वार कितनी संपत्तियां जब्त की गईं और कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) क्या कुछ कंपनियों से जिन पर ऋण की राशि बकाया है, की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए न तो उनकी संपत्ति जब्त की गई है और न ही उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऋण वसूली नीति को सुव्यवस्थित बनाने और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए नवीनतम पद्धतियां विकसित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) की धारा 13 की उपधारा 4 में उधारकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का प्रावधान है। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियम, 1993 की धारा 25 में प्रतिवादी की चल या अचल संपत्ति को जब्त करने या बेचने का प्रावधान है।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न माध्यमों के जरिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के बदले की गई वसूली का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वसूली के सभी मामलों में संपत्ति को कब्जे में लेने या उसे जब्त करने की कार्रवाई नहीं की गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि एनपीए वित्तीय रूप से अर्थक्षम है तथा उसकी अदायगी की संभावना है तो खाते को पुनर्संरचित किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा अर्थक्षमता का निर्धारण अलग-अलग मामले में स्वीकार्य अर्थक्षमता मानदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कदमों तथा अन्य कार्रवाइयों के पश्चात यदि बैंक महसूस करता है कि अदायगी संभव नहीं है, तब बैंक की वसूली नीति के अनुसार कब्जे में लेने सहित वसूली हेतु कदम उठाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) नई अनुप्रयोज्य आस्तियों के सृजन को रोकने तथा सभी श्रेणियों में मौजूदा तथा पुराने एनपीए को कम करने के लिए अधिक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने के लिए ऋण आकलन तथा ऋण पश्चात मानीटरिंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर सलाह दी जाती है।

बैंकों के पास एक ऋण जोखिम कार्य नीति होना अपेक्षित है। इसके अलावा, उन्हें ऋण की समीक्षा करनी चाहिए जिससे आरंभिक चेतावनी संकेत मिले तथा खाते के एनपीए में परिवर्तित होने से पूर्व सुधारात्मक उपाय का सुझाव प्राप्त हो। बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे एनपीए की निगरानी करें और वसूली/अन्य माध्यमों के जरिए इसे कम करें। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों में एनपीए के स्तरों की लगातार निगरानी करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठकों में सरकार ने एनपीए की वसूली के लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ई-नीलामी, सीआईबीआईएल के जरिए ऋण सूचना का आदान-प्रदान करने, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) को प्रोत्साहन आधार पर क्षति वाली आस्तियां सौंपने, वसूली के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, हानि वाली आस्तियों की वसूली के लिए विशेष अभियान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक लक्ष्यों पर आधारित अभिप्राय विवरण में एनपीए की वसूली को महत्व देने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनपीए में की गई कमी

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	31.03.2010					31.03.2011					31.03.2012				
	कुल सकल एनपीए	समझौते/बट्टे खाते में डालने के कारण कुल कमी	उन्नयन के कारण कुल कमी	वास्तविक वसूली के कारण कुल कमी	एनपीए में कुल कमी	कुल सकल एनपीए	समझौते/बट्टे खाते में डालने के कारण कुल कमी	उन्नयन के कारण कुल कमी	वास्तविक वसूली के कारण कुल कमी	एनपीए में कुल कमी	कुल सकल एनपीए	समझौते/बट्टे खाते में डालने के कारण कुल कमी	उन्नयन के कारण कुल कमी	वास्तविक वसूली के कारण कुल कमी	एनपीए में कुल कमी
राष्ट्रीयकृत बैंक	36394.70	8640.29	3904.22	7306.50	19851.01	44271.63	12002.68	5746.78	9888.37	27637.84	69048.06	14234.01	8313.87	11151.25	33699.12
एसबीआई समूह	23529.15	2325.47	4934.34	2823.39	10083.19	30392.79	5248.31	5334.30	4776.39	15359.00	48214.14	1751.68	8856.44	5692.03	16300.15
सरकारी क्षेत्र के बैंक	59923.85	10965.76	8838.56	10129.89	29934.20	74664.42	17250.99	11081.08	14664.76	42996.84	117262.47	15985.69	17170.31	16843.28	49999.27
पुराने निजी बैंक	3622.38	945.01	538.22	800.69	2283.90	3695.30	654.50	347.47	1027.91	2029.84	4199.87	672.21	353.57	1216.30	2242.07
नए निजी बैंक	13985.44	6711.80	743.36	1255.32	8710.48	14495.01	2336.09	1151.98	2225.44	5713.51	14297.38	3069.14	1785.33	2243.57	7098.03
विदेशी बैंक	7126.26	6237.99	503.57	2118.87	8860.44	5061.45	3082.53	1040.31	1469.30	5592.11	6288.43	1645.75	546.56	1070.90	3263.20
कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	84657.93	24860.56	10623.71	14304.77	49789.02	97916.18	23324.11	13620.84	19387.41	56332.30	142048.15	21372.79	19855.77	21374.05	62602.57

स्रोत: ओएसएमओएस आंकड़ा आधार (ग्लोबल संचालन), 24 अगस्त, 2012 तक

[अनुवाद]

कन्या भ्रूण हत्या

***27. डॉ. रत्ना डे :**
श्री जगदीश ठाकोर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में बालिका अनुपात (0-6 वर्ष) घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार ने समाज में लिंग निर्धारण की प्रवृत्ति जारी रहने के कारण कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोकने की तत्काल आवश्यकता का अभिज्ञान लिया है;

(घ) यदि हां, तो घट रहे बालिका अनुपात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश के विशेषकर पिछड़े राज्यों में प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के विरुद्ध युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 2011 की जनगणना (अनंतिम) के अनुसार समग्र लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में 940 तक हो गया है। तथापि, बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) वर्ष 2001 में 927 से कम होकर वर्ष 2011 में 914 रह गया है।

(ख) देश में जनगणना हर 10 वर्ष में न की हर वर्ष की जाती है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) क्रमश संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक बहु-कोणीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना और विधायी उपाय तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। कुछेक उपाय इस प्रकार हैं:–

- गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन के वर्जन और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के विनियमन के लिए सरकार ने एक व्यापक विधान 1994 में गर्भधारण पूर्व व प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम अधिनियमित किया है। इसे वर्ष 2003 में आगे संशोधित किया गया।

- सरकार ने उक्त अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन को तेज और अपंजीकृत मशीनों को सील व जब्त करने और पंजीकृत क्लीनिकों के विरुद्ध दंड देने की व्यवस्था को कवर करने वाले विभिन्न नियमों को संशोधित किया है। केवल पंजीकृत परिसरों के भीतर ही वहनीय अल्ट्रासाउंड उपकरण के प्रयोग के विनियमन को अधिसूचित किया गया है। एक जिले के भीतर ही अधिक से अधिक दो अल्ट्रासाउंड मशीनों पर अल्ट्रासोनोग्राफी का संचालन करने के लिए चिकित्सकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजीकरण शुल्क बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों, स्थान, पते अथवा उपकरणों में परिवर्तन की अग्रिम सूचना देने की व्यवस्था करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।

- माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा अवैध लिंग निर्धारण के प्रयोग को रोकने के लिए समय पर उपाय करने का अनुरोध किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर बाल लिंग अनुपात में घटते हुए रूझान को पलटने वैयक्तिक नेतृत्व प्रदान करने और शिक्षा व अधिकारिता पर ध्यान केन्द्रित करने के जरिए बालिका की उपेक्षा को समाप्त करने हेतु ध्यान देने के लिए जोर दिया है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास तेज किए हैं।

- प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) का पुनर्गठन किया गया है और इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

- राष्ट्रीय निरीक्षण व मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है और अल्ट्रासाउंड निदान सुविधाओं के निरीक्षणों को तेज किया गया है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में निरीक्षण किए गए हैं।

- क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया है। राज्य समुचित प्राधिकारियों और प्रसव-पूर्वनिदान तकनीक नोडल अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों व सरकारी अभियोजकों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

- सरकार राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

- राज्यों को कारणों का पता लगाने, समुचित आचरण परिवर्तन सम्प्रेषण अभियानों को नियोजित करने तथा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के उपबंधों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों/खंडों/गांवों पर ध्यान केन्द्रित करने का परामर्श दिया गया है।

- विषम बाल लिंग अनुपात और बालिका से भेदभाव करने के विरुद्ध अभियान चलाने में धार्मिक नेताओं, समाज में प्रभावशाली महिला इत्यादि को शामिल किया जा रहा है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ग्रामीण व शहरी लिंग अनुपात

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	933	946	900	940	947	926
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	846	861	815	878	871	891
2.	आंध्र प्रदेश	978	983	965	992	995	984
3.	अरुणाचल प्रदेश	893	914	819	920	929	889
4.	असम	935	944	872	954	956	937
5.	बिहार	919	926	868	916	919	891
6.	चंडीगढ़	777	621	796	818	691	821
7.	छत्तीसगढ़	989	1004	932	991	1002	956

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	दादरा और नगर हवेली	812	852	691	775	863	684
9.	दमन और दीव	710	586	984	618	867	550
10.	गोवा	961	988	934	968	997	951
11.	गुजरात	920	945	880	918	947	880
12.	हरियाणा	861	866	847	877	880	871
13.	हिमाचल प्रदेश	968	989	795	974	988	853
14.	जम्मू और कश्मीर	892	917	819	883	899	840
15.	झारखंड	941	962	870	947	960	908
16.	कर्नाटक	965	977	942	968	975	957
17.	केरल	1058	1059	1058	1084	1077	1091
18.	लक्षद्वीप	948	959	935	946	954	944
19.	मध्य प्रदेश	919	927	898	930	936	916
20.	महाराष्ट्र	922	960	873	925	948	899
21.	मणिपुर	974	963	1009	987	966	1038
22.	मेघालय	972	969	982	986	983	997
23.	मिजोरम	935	923	948	975	950	1000
24.	नागालैंड	900	916	829	931	942	905
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	821	810	822	866	847	867
26.	ओडिशा	972	987	895	978	988	934
27.	पुदुचेरी	1001	990	1007	1038	1029	1043
28.	पंजाब	876	890	849	893	906	872
29.	राजस्थान	921	930	890	926	932	911
30.	सिक्किम	875	880	830	889	883	908

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	तमिलनाडु	987	992	982	995	993	998
32.	त्रिपुरा	948	946	959	961	956	976
33.	उत्तर प्रदेश	898	904	876	908	914	888
34.	उत्तराखंड	962	1007	845	963	1000	883
35.	पश्चिम बंगाल	934	950	893	947	950	939

भारत की जनगणना-2011 (अनंतिम)।

विवरण-II

बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष)

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	927	934	906	914	919	902
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	957	966	936	966	975	947
2.	आंध्र प्रदेश	961	963	955	943	942	946
3.	अरुणाचल प्रदेश	964	960	980	960	964	944
4.	असम	965	967	943	957	957	955
5.	बिहार	942	944	924	933	935	906
6.	चंडीगढ़	845	847	845	867	862	867
7.	छत्तीसगढ़	975	982	938	964	972	932
8.	दादरा और नगर हवेली	979	1003	888	924	961	878
9.	दमन और दीव	926	916	943	909	925	903
10.	दिल्ली	868	850	870	866	809	868

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	गोवा	938	952	924	920	924	917
12.	गुजरात	883	906	837	886	906	852
13.	हरियाणा	819	823	808	830	831	829
14.	हिमाचल प्रदेश	896	900	844	906	909	878
15.	जम्मू और कश्मीर	941	957	873	859	860	854
16.	झारखंड	965	973	930	943	952	904
17.	कर्नाटक	946	949	940	943	945	941
18.	केरल	960	961	958	959	960	958
19.	लक्षद्वीप	959	999	900	908	888	915
20.	मध्य प्रदेश	932	939	907	912	917	895
21.	महाराष्ट्र	913	916	908	883	880	888
22.	मणिपुर	957	956	961	934	929	945
23.	मेघालय	973	973	969	970	972	957
24.	मिजोरम	964	965	963	971	966	978
25.	नागालैंड	964	969	939	944	932	979
26.	ओडिशा	953	955	933	934	939	909
27.	पुदुचेरी	967	967	967	965	957	969
28.	पंजाब	798	799	796	846	843	851
29.	राजस्थान	909	914	887	883	886	869
30.	सिक्किम	963	966	922	944	952	917
31.	तमिलनाडु	942	933	955	946	937	957
32.	त्रिपुरा	966	968	948	953	955	945
33.	उत्तर प्रदेश	916	921	890	899	904	879

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	उत्तराखंड	908	918	872	886	894	864
35.	पश्चिम बंगाल	960	963	948	950	952	943

स्रोतः भारत की जगणना-2011।

[हिन्दी]

घटती हुई विकास दर

28. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घटती हुई विकास दर के लिए कौन-कौन से घटक जिम्मेदार हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और सतत विकास दर सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यनीति अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या प्राथमिकता निर्धारित की गई है तथा उसका आधार क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 2011-12 में अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में कमी, मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट होने तथा कृषि क्षेत्र में दर्ज अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण हुई है। संवद्धि दर में इस गिरावट के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों कारक उत्तरदायी हैं। वैश्विक कारकों में विशेष रूप से, यूरो क्षेत्रों में आर्थिक संकट और यूरोप में व्याप्त प्रायः मंदी के हालात; अनेक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी संवद्धि आदि शामिल हैं। घरेलू कारकों में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने के परिणामस्वरूप, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, निवेश तथा संवृद्धि में गिरावट आई है।

(ख) और (ग) भारत में आर्थिक नीतियों का मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति कम करके उच्च विकास हासिल करना रहा है। चल रही आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहते हुए, मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य नीतियों का सही ढंग से उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी मौद्रिक नीतियों को अपनाने से उच्च स्फीतिकारी दबाव आ गए थे। इसने नीतिगत दरों में मार्च, 2010 और अक्तूबर, 2011 के बीच 375 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की। महंगाई कुछ कम होने से, मौद्रिक नीति अवस्थिति में कुछ राहत रही है। यह, नकद प्रारक्षित अनुपात में अक्तूबर, 2011 में 6.0 प्रतिशत से चरणबद्ध रूप से कम करके अक्तूबर, 2012 में 4.25 प्रतिशत करने, सांविधिक नकदी अनुपात में मई, 2012 में 24 प्रतिशत से कम करके अगस्त, 2012 में 23 प्रतिशत करने और अप्रैल, 2012 में रेपो दर में 50 आधार बिन्दुओं की कमी करने से प्रतिबिंबित होता है। जैसे ही महंगाई और कम होगी, मौद्रिक नीति के लिए विकास के जोखिमों को कम करने के उपाय करने का अवसर होगा। अर्थव्यवस्था के विकास की बहाली के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - विनिर्माण क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु बेहतर पहुंच, विद्युत, पेट्रोलियम एवं गैस, सड़क, कोयला के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर की अस्थिरता में कमी लाना आदि और खाद्य मुद्रास्फीति कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग करना है। उच्च विकास प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देना और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करना, वित्तीय क्षेत्र के अधिक विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरूआत आदि। राजकोषीय समेकन को सुसाध्य बनाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में रेखांकित किए गए उपायों में शामिल हैं - डीजल पर सब्सिडी कम करना, कतिपय सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों में विनिवेश की घोषणा, निवेश के माहौल (मल्टी-ब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण में एफडीआई का उदारीकरण) को मजबूत बनाने के उपाय। इन से बाजार में फिर से विश्वास बनाने तथा विकास गति के बहाल होने की आशा है।

[अनुवाद]

एक से अधिक रसोई गैस कनेक्शन

***29. श्री मानिक टैगोर :**

श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) सरकार द्वारा एक से अधिक रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने परिवारों और शहरों को पीएनजी उपलब्ध कराई गई है और पीएनजी प्रयोक्ताओं द्वारा कितने एलपीजी कनेक्शन वापिस किए गये हैं;

(ख) चल रहे 'अपने ग्राहक को जानो' अभियान के दौरान एक से अधिक कितने एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गये हैं और 'अपने ग्राहक को जानो' अभियान के दौरान विभिन्न पक्षों से किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) संयुक्त परिवार में रह रहे परन्तु अलग रसोई का इस्तेमाल कर रहे अलग-अलग नामों से एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखने हेतु उपभोक्ताओं के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने साफ्टवेयर विश्लेषण के जरिए उन संदिग्ध ग्राहकों की सूची तैयार की है जिनके पास एक से अधिक कनैक्शन हैं। इन ग्राहकों को अपनी प्रामणिकता सिद्धकरने के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) फार्म प्रस्तुत करने को कहा गया है।

इसके अलावा नए कनैक्शन के पंजीकरण के समय एक से अधिक कनैक्शनों को रोकने कें लए भावी ग्रहकों को अपना केवाईसी फार्म उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है। प्राप्त हो रहे ऐसे केवाईसी में नाम एवं पतों को डी-डुप्लीकेट किया जाता है और उसके बाद जो ग्राहक संदिग्ध सूची में नहीं होते हैं उन्हें राजसहायता प्राप्त दर पर नया कनैक्शन दिया जाता है।

एक से अधिक कनैक्शनों को स्वयं ही अभ्यर्पित करने का बढ़ावा देन के लिए "एक परिवार एक कनैक्शन" के बारे में ग्राहकों को सूचित करते हुए पूरे देश में अग्रणी समाचार-पत्रों में बार-बार विज्ञापन दिए जाते हैं।

दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में उपलब्ध करवाए गए पीएनजी कनेक्शनों की कुल संख्या 20,83,886 है और बंद किए गए एलपीजी कनेक्शनों की कुल संख्या 10,84,996 है और इनमें से 2,41,555 कनेक्शन अभ्यर्पित किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों और शहरों में पीएनजी कनेक्शनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ओएमसीज ने राहसतायहा प्राप्त घरेलू एलपीजी के विपथन को रोकने के एक प्रयास के तौर पर चल रहे केवाईसी अभियान के दौरान 55,41,887, एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए हैं।

केवाईसी अभियान के दौरान कोई सिद्ध शिकायतों प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, उपभ्ओोक्ताओं के सामने कुछ प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं। जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाता है। वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापनों आदि के जरिए आम जनता को विभिन्न प्रावधानों के बारे में सूचित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जहां तक एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रावधान का संबंध है, एक आवास इकाई में साथ-साथ रहे रहे पति, पत्नी अविवाहित बच्चों और आश्रित मातापिता को शामिल करतें हुए और एक ही रसोई वाले परिवार को परिवार के किसी वयस्क सदस्य के नाम पर ही कनैशन जारी किया जाएगा। ग्राहक के अनुरोध पर एक ही पते पर अलग अलग नामों पर और उसी नाम और उसी पतें पर एक से अधिक एलपीजी कनैक्शनों को गैर घरेलू छूट प्रदत्त श्रेणी पर (एनडीईसी) दरों पर 14.2 कि.ग्रा. कनेक्शन में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	उन शहरों के नाम जिन्हें पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार घरेलू पीएनजी कनैक्शनों की संख्या	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार घरेलू पीएनजी कनैक्शनों की संख्या	दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार घरेलू पीएनजी कनैक्शनों की संख्या	दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार उन पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या जिनके एलपीजी कनेक्शनों को बंद कर दिया गया है	दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार बंद कनेक्शनों के उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने अपने कनेक्शनों अभ्यर्पित कर दिए गए हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	सोनीपत	49	2065	3960	1148	337
		फरीदाबाद	571	1575	2521		
		गुडगांव	1065	2021	2262		
2.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	0	0	1038	100	0
		हैदराबाद	0	35	461		
		विजयवाड़ा	0	0	20		
3.	असम	तिनसुकिया, डिबरूगढ़, सिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट	21785	22585	22874	534	1
4.	गुजरात	गांधीनगर, मेहसाना, साबंरकांटा	46128	61411	66067	362840	61182
		गांधीनगर, नाडियाड, हलोल, हजीरा राजकोट, सम्बवात, पालोज, वालसाड नवसारी, सुरेन्द्रनगर	177875	290991	380511		
		अहमदाबाद	107970	146402	167191		
		बड़ोदरा	74471	74966	77131		
		सूरत	246130	273003	290034		
		भरूच	62909	67722	71329		
		आणंद	12182	14470	16015		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मध्य प्रदेश	देवास	4	137	220	81	3
		उज्जैन सहित इन्दौर	0	500	650		
6.	महाराष्ट्र	पिम्परी, छिंछ्वाड़ सहित पुणे शहर तथा हिन्जेवाड़ी, चक्कन तथा तालेगांव के निकटस्थ क्षेत्र	1653	2384	4521	521216	124181
		मुम्बई और ग्रेटर मुम्बई	406006	435833	459845		
		थाणे शहर और मीरा भयान्द्र, नवीं मुंबई, थाणे शहर, अम्बेरनाथ, भिवांडी, कल्याण, डोम्बी वाली, बदलापुर, उल्हासनगर, पणवेल, खारघर तथा तलेजा सहित निकटवर्ती क्षेत्र	102681	122579	140106		
7.	दिल्ली	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	224543	278232	295908	171782	44451
8.	राजस्थान	कोटा	0	93	165	56	0
9.	त्रिपुरा	अगरतला	8472	9748	10313	1359	97
10.	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा)	9320	18523	22269	25880	11303
		गाजियाबाद	11061	36089	42845		
		मेरठ	0	427	1153		
		मथुरा	120	120	620		
		आगरा	0	700	1053		
		कानपुर	500	1044	1644		
		बरेली	120	334	508		
		लखनऊ	1	204	378		
		मुरादाबाद	0	19	274		
		कुल	1515616	1864212	2083886	1084996	241555

एविऐशन टरबाइन फ्यूल की बकाया देय राशि की वसूली

*30. श्री शिवकुमार उदासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां विभिन्न विमान कंपनियों से एविऐशन टरबाइन फ्यूल के भुगतान की बकाया देय राशि वसूल कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विमान कंपनियों की ओर तेल विपणन कंपनियों की बकाया देय राशि का विमान कंपनी-वार और तेल विपणन कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न विमान कंपनियों से इन बकाया देय राशियों की समयबद्ध तरीके से वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अपनी बकाया राशियों को आंशिक रूप से वसूल अथवा सुरक्षित कर सकी हैं। बकाया राशियों की दिनांक 31.12.2011 की स्थिति की तुलना में दिनांक 15.11.2012 को वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

ओएमसी का नाम	एयरलाइन्स का नाम	ब्याज सहित कुल बकाया धनराशि		ब्याज सहित अधिक समय से बकाया धनराशि		सुरक्षा	
		31.12.11 की स्थिति के अनुसार	15.11.12 की स्थिति के अनुसार	31.12.11 की स्थिति के अनुसार	15.11.12 की स्थिति के अनुसार	31.12.11 की स्थिति के अनुसार	15.11.12 की स्थिति के अनुसार
आईओसीएल	एयर इंडिया	3150.89	2393.79	2080.84	1698.79	शून्य	शून्य
	जेट ऐयरवेज	740.42	958.46	14.63	35.46	725.00	923.00
	गो एयरलाइन्स	47.41	99.56	शून्य	शून्य	57.00	115.00
	स्पाइस जेट	88.16	91.03	शून्य	शून्य	95.00	95.00
बीपीसीएल	एयर इंडिया	803.36	636.04	506.70	368.00	शून्य	शून्य
	जेट ऐयरवेज	197.88	111.00	59.53	30.84	160.00	160.00
	गो एयरलाइन्स	1.41	1.41	1.41	1.41	शून्य	शून्य
एचपीसीएल	एयर इंडिया	742.73	1034.94	417.61	504.94	शून्य	शून्य
	किंगफिशर एयरलाइन्स	515.57	79.74	207.03	14.38	434.00 (जमा 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नैगम गारंटी)	15.01 (जमा 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नैगम गारंटी)
	*पारामाउंट एयरवेज	19.28	19.28	19.28	19.28	शून्य	शून्य

*मामला न्यायाधीन है।

(घ) एयरलाइन्स द्वारा अपनी देयताओं का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ओएमसीज बकाया राशियों की वसूली के लिए उनके और एयरलाइन्स के बीच पारस्परिक सहमति से तय वाणिज्यिक शर्तों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई करती हैं और अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें ''नकद दो और लो'' की श्रेणी में शामिल करती हैं, अधिक समय तक बकाया भुगतानों पर ब्याज की वसूली करती है, बैंक गारंटी को भुनाती है, बकाया राशियों के लिए पोस्ट डेटिड चैक मांगती हैं और चूककर्ता एयरलाइन्स के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई करती हैं।

डॉक्टरों का व्यावसायिक आचरण

*31. **श्री सुरेश कलमाडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में डॉक्टरों के व्यावसायिक आचरण को विनियमित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने मौजूदा विनियमों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों, औषधि व्यापारियों और विनिर्माताओं के बीच कथित सांठगांठ की ओर ध्यान दिया है, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले गरीब/निम्न मध्यम वर्ग के रोगियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डॉक्टरों के व्यावसायिक दुराचरण के कितने मामलों की जानकारी मिली है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में औषधियों और शल्य चिकित्सा मदों की बिक्री में पाये गए अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए रोगियों को मुफ्त/सस्ते मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई बेहतर तंत्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) डाक्टरों का व्यावसायिक आचरण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीतिशास्त्र) विनियम, 2002 के अंतर्गत आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान नीतिशास्त्र संहिता के उल्लंघन के लिए डाक्टरों के खिलाफ एमसीआई में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12
1.	प्राप्त कुल शिकायतें/अपील	769	824	702
2.	राज्य आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य सरकार को रेफर किए गए	254	468	343
3.	निपटाई गई शिकायतों में पंजीकरण अस्थाई रूप से खत्म किया गया।	16	10	3
4.	निपटाई गई शिकायतों में चेतावनी दी गई	6	4	1
5.	विचाराधीन	शून्य	6	7

एमसीआई ने फार्मास्युटिकल उद्योग के साथ डाक्टरों की सांठ-गांठ के दंड के लिए वर्ष 2009 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीतिशास्त्र) विनियम संशोधित किया और डाक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग से अपने नाम अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से उपहार, यात्रा संबंधी सुविधाएं, आतिथ्य सत्कार और वित्तीय अनुदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया। यह आशोधित संहिता डाक्टरों और उनके परिवार के सदस्यों को उद्योग से रेल अथवा हवाई यात्रा संबंधी सुविधाएं, क्रूज टिकट और संदत्त अथवा किसी भी प्रकार का आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अतिरिक्त आशोधित संहिता के खंड 6.8.1 (एच) के अंतर्गत यह निर्धारित है कि ''कोई चिकित्सक उद्योग की किसी भी औषध अथवा उत्पाद का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं करेगा।

ऐसे उत्पादों की प्रभावोत्पादकता पर अथवा अन्यथा आयोजित किसी भी अध्ययन को उपयुक्त वैज्ञानिक निकायों को और/अथवा के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा या उचित तरीके से उपयुक्त वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित किया जाएगा।''

(घ) और (ङ) अस्पतालों की फार्मुलरी में विद्यमान दवाइयां रोगियों को निःशुल्क दी जाती है। फार्मास्युटिकल विभाग के सभी, विशेषकर गरीबों तथा उपेक्षित लोगों के लिए वहनीय मूल्यों पर उच्चकोटि की दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में ''जन औषधि'' अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निःशुल्क अनिवार्य जेनेरिक दवाईयों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है।

नैदानिक परीक्षण

***32. श्री आर. थामराईसेलवन :**

श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मनुष्यों पर नई औषधियों/टीकों का नैदानिक परीक्षण करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा कितने आवेदन मंजूर किए गये हैं;

(ख) नैदानिक अनुसंधान और संवाएं प्रदान कर रहे कितने प्रायोजिक/नैदानिक अनुसंधान संगठन कार्यरत हैं तथा उन्हें विनियमित करने हेतु क्या प्रावधान किए गये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नैदानिक परीक्षण स्थलों तथा प्रायोजकों/नैदानिक अनुसंधान संगठनों के किए गए निरीक्षणों की संख्या क्या है और अच्छे नैदानिक व्यवहारों का अनुपालन न करने के कितने मामले पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कंपनी-वार कितने व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया, नैदानिक परीक्षण से संबंधित शारीरिक क्षति या मौत के कितने मामले हुए तथा कितने मामलों में वित्तीय मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) नैदानिक परीक्षणों हेतु स्वीकृति और निगरानी संबंधी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा जिन व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाता है, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक में और चालू वर्ष के दौरान मानवों पर नई औषधों/वैक्सीनों का नैदानिक परीक्षण करने के लिए प्राप्त हुए तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा अनुमोदित आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	नई औषधें/वैक्सीनें	
	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमति प्रदत्त नैदानिक परीक्षण की संख्या
2009	492	488
2010	546	529
2011	306	283
2012 (अक्तूबर तक)	390	244

(ख) नैदानिक अनुसंधान संगठन के पंजीकरण की अपेक्षा नहीं होती है। तथापि, सभी नैदानिक परीक्षणों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान (आईसीएमआर) की भारतीय नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री (सीटीआरआई) में www.ctri.in पर पंजीकृत होना अपेक्षित है। दिनांक 15.6.2009 से इस रजिस्ट्री में नैदानिक परीक्षणों का पंजीकरण अनिवार्य बना दिया गया है। सीटीआरआई डाटाबेस के अनुसार 79 फार्मास्युटिकल्स कंपनियों, 47 बहु-राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपनियों और 71 नैदानिक अनुसंधान संगठनों को पंजीकृत किया गया है। नए औषधों के नैदानिक परीक्षण औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होते हैं और नैदानिक परीक्षण करने संबंधी अपेक्षाएं और दिशानिर्देश अनुसूची वाई में विनिर्दिष्ट है। अनुसूची वाई में यह अधिदेश भी है कि नैदानिक परीक्षण केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी उत्तम नैदानिक परिपाटियों (जीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। अनुसूची वाई/जीसीपी दिशानिर्देश नैदानिक परीक्षणों में प्रायोजकों/नैदानिक अनुसंधान संगठनों के उत्तरदायित्व विनिर्दिष्ट करते हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नैदानिक परीक्षणों में तथाकथित अनियमितताओं के मामलों में किए गए निरीक्षण/जांच नौ है। इन मामलों तथा तत्संबंधी की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त नैदानिक परीक्षण स्थलों/कंपनी के 14 नेमी निरीक्षण किए गए जिनमें से अब तक 3 मामलों में संबद्ध कंपनियों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।

(घ) सीटीआरआई, आईसीएमआर से प्राप्त डाटा के अनुसार विगत तीन वर्षों और नवम्बर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान नैदानिक परीक्षणों में परीक्षणाधीन व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 99417, 116033, 70352 और 66673 थी। नैदानिक परीक्षणों के दौरान विविध कालों की वजह से ऐसे गंभीर प्रतिकूल घटनाएं (एसएई) हो सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप मौत हो सकती है। ये मौतें जीवन घातक बीमारियों जैसे कैंसर, हृदवाहिका स्थितियों यथा अवरुद्ध हृदय पात/आघात, और अन्य गंभीर बीमारियों की वजह से हो सकती हैं। ये मौतें असाध्य रूप से बीमार तथा मरणासन्न रोगियों को दी गई औषधों के प्रतिकूल प्रभावों की वजह से भी हो सकती हैं। ऐसी मौतों की किसी कारणात्मक संबंध निर्धारित करने हेतु जांच की जाती है। उपलब्ध डाटा के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित नैदानिक परीक्षणों में मौतों की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या वर्ष 2009, 2010, 2011 और 8 जून तक वर्ष 2012 में क्रमश: 637, 668, 438 और 211 थी। तथापि नैदानिक परीक्षणों के कारण होने वाली मौतों की एसएईज वर्ष 2009, 2010 और 2011 में क्रमश: 16, 22 और 16 थी। नैदानिक परीक्षण से संबंधित मौतों के वर्ष 2010 में 21 मामलों तथा वर्ष 2011 में सभी मामलों में मुआवजा दिया गया है। वर्ष 2010 के एक मामले में मुआवजा बिना दिए रह गया क्योंकि अन्वेषक और उसके दल द्वारा उनके भरसक प्रयत्नों के बावजूद विधिक उत्तराधिकारी का पता नहीं लगाया जा सका। वर्ष 2010 और 2011 में प्रदत्त मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ङ) निम्नलिखित ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं, मॉनीटरिंग तंत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैदानिक परीक्षणाधीन व्यक्तियों सुरक्षा, अधिकार और कल्याण की संरक्षा की जा सके;

(1) नैदानिक परीक्षणों और नई औषधों के अनुमोदन से संबंधित मामलों में सीडीएससीओ को सलाह देने के लिए पूरे देश के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों, संस्थाओं से विख्यात विशेषज्ञों से युक्त 12 नई औषध सलाहकारी समितियों (एनडीएसी) का गठन किया गया है।

(2) अन्वेषणात्मक नई औषधों (आईएनई) की प्रयोज्यताएं, अर्थात ऐसे नए औषध पदार्थ, जिनका मानवों में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, उनका मूल्यांकन आईएनडी समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जिसके अध्यक्ष महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हैं।

(3) 15.6.2009 से आईसीएमआर रजिस्ट्री में www.ctri.in पर नैदानिक परीक्षण के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है।

(4) नैदानिक परीक्षण करने के लिए प्रत्येक अनुमोदन/अनुमति में अब यह शर्त शामिल होती है कि अध्ययन संबंधी क्षति अथवा मृत्यु होने की दशा में प्रार्थी को क्षति अथवा मृत्यु के लिए संपूर्ण चिकित्सा परिचर्या तथा मुआवजा प्रदान किया जाएगा और इस आशय के वक्तव्य को संसूचित सहमति पत्र में शामिल किया जाएगा।

(5) नैदानिक परीक्षण स्थलों तथा प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठनों (ओआरओ) का निरीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और इन्हें सीडीएससीओ की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

(6) निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए प्रारूप नियम अधिसूचित किए गए हैं:—

(i) परीक्षण संबंधी क्षति अथवा मृत्यु होने पर परीक्षणाधीन व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार और वित्तीय मुआवजा;

(ii) वित्तीय मुआवजे के भुगतान के लिए प्रक्रिया;

(iii) आचार समिति (ईसी), प्रायोजक और अन्वेषक के उत्तरदायित्वों में वृद्धि करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण संबंधी क्षति अथवा मृत्यु होने वाले परीक्षणाधीन व्यक्तियों को वित्तीय मुआवजा और चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाए और ऐसी सूचना औषध महानियंत्रक (भारत) [डीसीजी(आई)] को प्रदान की जाए।

(iv) परीक्षणाधीन व्यक्ति के पता, व्यवसाय, वार्षिक आय का ब्यौरा शामिल करने के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों की संसूचित सहमति लेने के लिए प्रपत्र का संशोधन ताकि परीक्षणाधीन व्यक्तियों के बारे में सामाजिक-आर्थिक हैसियत संबंधी सूचना हो।

(7) सीडीएससीओ द्वारा नैदानिक परीक्षणों की जांचों के लिए प्राधिकरण होने तथा अनुपालन के मामले में अन्वेषक/प्रायोजक/सीआरओ पर भविष्य में नैदानिक परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई करने से संबंधी नियम शामिल करने हेतु प्रारूप नियम अधिसूचित किए गए हैं।

(8) नियम और अनुसूची वाई-1 को शामिल करने के लिए प्रारूप नियम अधिसूचित किए गए हैं जिनमें आचार समिति के पंजीकरण के लिए अपेक्षाएं और दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

विवरण-I

नैदानिक परीक्षणों में तथाकथित अनियमिताओं में निरीक्षण अन्वेषण संबंधी मामले तथा वर्ष 2010, 2011 और 2012 (आज तक की स्थिति तक) के दौरान इन मामलों में की गई कार्रवाई।

क्र.सं.	वर्ष	फर्म का नाम	साइट/राज्य का नाम	औषध	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	2010	क्विंटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लि. बेंगलुरु	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेन्ट्रल, भोपाल, मध्य प्रदेश	टेलावांसिन बनाम वेंकोमाइसिन	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्राधिकारियों के दल ने 10 से 12 अगस्त के दौरान भोपाल मेमोरियल हस्पताल एंड रिसर्च केन्द्र (बीएमएचआरसी) पर आयोजित एक नैदानिक परीक्षण का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के निष्कर्ष ने कुछ कमियां दर्शाई जैसे भाग लेने के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान नहीं करना, विहित समय सीमा के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना नहीं देना इत्यादि, जिसके लिए मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विंटाइल्स लि. बेंगलुरु को दिनांक 28.09.2010 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विंटाइल्स लिमि. ने औषध महानियंत्रक (आई) [डीसीजी (आई)] के कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। डीसीजी (आई) कार्यालय ने दिनांक 23.12.2010 को मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विंटाइल्स लिमिटेड को चेतावनी पत्र जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कमियां/विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो।

1	2	3	4	5	6
2.	2010	पाथ (आईसीएमआरके सहयोग से) ए-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, यू एसओ रोड, नई दिल्ली-110067 भारत	1 खम्मम जिला, आन्ध्र प्रदेश 2 वडोदरा जिला, गुजरात	ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन (एचपीवी वैक्सीन)	यह एक चरण-IV पोस्ट लाइसेंसुर नैदानिक परीक्षण था। इस परीक्षण की शुरूआत पाथ (प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नॉलजी इन हैल्थ), एक एनजीओ द्वारा की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात की राज्य सरकारें सहयोगात्मक साझेदार थीं। 14091 लड़कियों को आन्ध्र प्रदेश में वैक्सीन लगाया गया जबकि गुजरात में 10686 लड़कियों को वैक्सीन लगाया गया। मीडिया ने परीक्षण के दौरान 7 लड़कियों की मौत की खबर दी। इस परीक्षण को आईसीएमआर द्वारा 7 अप्रैल, 2010 को निरस्त कर दिया गया। "भारत में पाथ द्वारा ह्यूमन पेजिलोमा वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करके अध्ययन के करने में तथाकथित अनियमितताओं" की जांच हेतु नियुक्त समिति ने परीक्षण आयोजित करने में संसूचित सहमति लेने, आचार समिति के अनुमोदन, गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना देने तथा मॉनीटरिंग इत्यादि में कतिपय विसंगतियों की सूचना दी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर मैसर्स पाथ को 3.7.2012 को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्हें नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी विसंगतियों/उल्लंघन की पुनरावृत्ति न हो और उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई का अनुपालन करने के लिए भी निदेश दिए गए ताकि प्रगतिरत और भविष्य में शुरू किए जाने

1	2	3	4	5	6
					हेतु प्रस्तुति अनुसंधानात्मक अध्ययनों में अनुसूची वाई और जीसीपी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
3.	2010	मैसर्स मेरिल लाइफ साइंसिज लि. वापी, गुजरात	मैसर्स एस्कार्ड हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ओखला रोड, नई दिल्ली,	बायोमिमसिरोलीमस इलुटिंग कोटोनरी स्टेंट विस्टम	यह परीक्षण चिकित्सीय युक्ति के नैदानिक परीक्षण से संबंधित है, जिसे डीसीजी(आई) द्वारा भारत में पहले ही विनिर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। इस जांच ने दर्शाया इस साइट पर औषध और प्रसाधन सामग्री की अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण किया गया था सिवाय डीसीजी (आई) के कार्यालय से अनुमति के प्रायोजकों को भविष्य में डीसीजी (आई) के अनुमोदन के बगैर कोई भी परीक्षण शुरू नहीं करने की चेतावनी दी गई है।
4.	2011	क्विंटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लि. बेंगलुरु	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेन्ट्रल, भोपाल, मध्य प्रदेश	टाइगोसाइक्लीन को डीसीजी (आई)	मैसर्स क्विंटाइल्स रिसर्च (आई) प्रा.लि. बेंगलुरु को डीसीजी (आई) कार्यालय द्वारा दिनांक 21.4.2006 को प्रदान की गई अनुमति के आधार पर ''जटिलइंट्रा-जठर संक्रमणों से ग्रस्त अस्पताल में भर्ती परीक्षणाधीन व्यक्तियों के उपचारार्थ टाइगोसाइक्लीन बनाम सीफ्ट्रीयाक्सोन सोडियम प्लस मेट्रोनीडाजोल का एक बहुकेन्द्रिक, विवृत लेबल, यादृच्छकृत, तुलनात्मक अध्ययन'' शीर्षक नामक नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की गई। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल की आचार समिति का अनुमोदन अन्वेषक को 06.04.2006 को प्राप्त हुआ।

1	2	3	4	5	6
					बीएमएचआरसी में नैदानिक परीक्षणों के संचालन में सूचित तथाकथित अनियमितताओं के मद्देनजर, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अधिकारियों के एक दल ने 28 फरवरी से 2 मार्च 2011 के दौरान उक्त केन्द्र में इस परीक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के निष्कर्षों से कुछ कमियां प्रदर्शित हुई जैसे कि भागीदारी के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों को मुआवजा की गैर-अदायगी, निर्धारित समय सीमाओं के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की सूचना न देना इत्यादि जिसके लिए प्रधान अन्वेषक तथा कंपनी को दिनांक 08.12.2011 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड ने 26.12.2011 को डीसीजी (आई) के कार्यालय को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद, डीसीजी (आई) के कार्यालय ने नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए 20.03.2012 को प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड को चेतावनी पत्र जारी किए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी कमियां विसंगतियां भविष्य में दोहराई न जाए।
5.	2011	मैसर्स आर्गनॉन इंडिया	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेन्ट्रल, भोपाल,	फॉंडापेरिनक्स	मैसर्स आर्गनॉन इंडिया को एस.टी सेंगमेंट एलिवेशन एक्युट मायोकार्डियल इंफार्शन (लो मालीक्युलर वेट हिपेरिन) वाले बहुत से रोगियों में क) फोंडापैटिनक्स सोडियम बनाम कंट्रोल थिरेपी तथा ख) ग्लुकोज इंसुलिन पोर्टेशियम इंफ्युजन बनाम

1	2	3	4	5	6
					कंट्रोल की प्रभावकारिता तथा सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाला एक अन्तरराष्ट्रीय यादृच्छिक अध्ययन ''नामक नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति डीसीजी 09.07.2007 को दी गई। अनुमति बाद में मैसर्स सैनोफी-सिंथेलैबो (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई को अंतरित कर दी गई। निरीक्षण 03.03.2011 से 04.03.2011 तक किया गया। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के दल ने 3 एवं 4 मार्च, 2011 के दौरान उक्त केन्द्र में इस परीक्षण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण से निष्कर्षों से कुछ कमियां प्रदर्शित हुई जैसे कि भागीदारी के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों को मुआवजा की गैर-अदायगी, निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की सूचना न देना इत्यादि जिसके लिए प्रधान अन्वेषक तथा कंपनी को दिनांक 08.12.2011 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स सैनोफी-सिंथेलैबो (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई ने 13.01.2012 को डीसीजी (आई) के कार्यालय को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद, डीसीजी (आई) के कार्यालय ने नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान होने के लिए दिनांक 20.03.2012 को प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स सैनोफी-सिंथेलैबो (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई को चेतावनी पत्र जारी किए ताकि यह सुनिश्चित

1	2	3	4	5	6
					हो सके कि ऐसी कमियां/विसंगतियां भविष्य में दुहराई न जाए।
6.	2011	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड, (यूनिट नं. 1) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम तथा छठा तल, म.न. 1-121/1 साई.नं. 66 (भाग) एवं 67 (पार्ट) मियापुर, हैदराबाद-500050 एवं (यूनिट सं. 2) प्लॉट नं. 33 से 35, मीरा अस्पताल प्रथमतल, अलुरी सीतारामराजु कॉलोनी, जेपीएन कॉलोनी के सामने मियापुर, हैदराबाद	कैंसररोधी औषधों (एक्सेमिस्टेन 25 एमसी टैब्लेट) के जैव-उपलब्धता एवं जैव-समतुल्यता अध्ययन	मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च, हैदराबाद द्वारा समुचित सूचित सहमति के बगैर गरीब लोगों पर कैंसर-रोधी औषध का नैदानिक परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। जांच से प्रकट हुआ कि फर्म ने पहले से ही अनुमोदित कैंसर रोधी औषध पर जैव-समतुल्यता अध्ययन किया और आचार समिति की सूचित सहमति प्रक्रिया तथा समीक्षा और निर्णय के संबंध में कुछ अनियमितताएं थी। जैव-समतुल्यता तथा जैव-उपलब्धता करने के लिए फर्म को प्रदत्त अनुमति 22.06.2011 को लंबित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप, 04.07.2011 को फर्म ने आचार समिति की व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं, सूचित सहमति प्रक्रिया तथा समीक्षा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित उनके द्वारा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया। आगे की जांचों तथा सत्यापनों के आधार पर मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च, हैदराबाद को श्रव्य-दृश्य साधनों तथा आचार समिति एवं अन्वेषकों के काम-काज के जरिए सचित सहमति प्रक्रिया के प्रलेखन सहित सूचित सहमति प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन जैव-समतुल्यता अध्ययन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

1	2	3	4	5	6
7.	2011	डॉ. अनिल भरानी तथा डॉ. आशीष पटेल	महाराजा यशवंत राव अस्पताल एवं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर 432001, मध्य प्रदेश	पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (पीएएच) में तडालाफिल	महाराजा यशवंत राव अस्पताल एवं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर में नैदानिक परीक्षण के मानकों के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में खबर आई थी। समाचार में नैदानिक परीक्षण में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (पीएएच) में टडालफिल दवा के इस्तेमाल में एक विशिष्ट मुद्दे का उद्धरण दिया गया। डीसीजी(आई) के कार्यालय ने सीडीएससीओ पश्चिमी जोन दिनांक 12.07.2011 के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच करने का निर्देश दिया। तदनुसार इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध एमवाई अस्पताल में किए गए नैदानिक परीक्षणों के संबंध में 10.08.2011 को सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) के कार्यालय तथा राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जांच-पड़ताल की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉ. अनिल भरानी तथा डॉ. आशीष पटेल द्वारा डीसीजी(आई) की अनुमति के बगैर समूह-1 पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले रोगियों में टडालफिल के साथ परीक्षण किया गया। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (पीएएच) में टडालफिल के साथ अध्ययन 18.09.2005 को शुरू किया गया जब देश में उक्त निर्देश के लिए औषध अनुमोदित नहीं थी। तथापि, अन्य निर्देश के लिए दवा को देश में 10.06.2003 को अनुमोदित किया गया – पुरुष उत्थानक्षम दुष्क्रिया। उपर्युक्त के मद्देनजर सीडीएससीओ ने दिनांक 2.11.2011 के अपने पत्र

1	2	3	4	5	6
					के तहत नैदानिक परीक्षण को तत्काल ही रोक दिया तथा डॉ. अनिल भरानी तथा आशीष पटेल को छह माह की अवधि के लिए कोई नैदानिक परीक्षण करने से वंचित कर दिया।
8.	2011	मैसर्स कैडिला हैल्थ केयर लिमिटेड, अहमदाबाद, मैसर्स एम्क्योर फार्मास्युटिकल्स पुणे: मैसर्स इटास फार्मास्युटिकल्स अहमदाबाद	एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, मनचिकित्सा विकास, मध्य प्रदेश	पैराक्सेटिन एचसीएल कंट्रोल्ड रिलीज के नियत खुराक सम्मिश्रण वाले कैप्सूल तथा क्लोनाजेपॉम, डैपोक्सिटिन, डोक्सेपिन	22 से 25 दिसंबर, 2011 के दौरान मानसिक रूप से बीमार रोगियों में इंदौर में नैदानिक परीक्षणों के संचालन में अनियमितताओं की रिपोर्टों की जांच करने के लिए सीडीएससीओ द्वारा विशेषज्ञ के साथ निरीक्षण किया गया। जांच दल ने कुछ विसंगतियां देखी जैसे कि मूल सूचित सहमति प्रपत्र/रोगी अभिलेख प्रपत्र, अनुसूची वाई तथा उत्तम नैदानिक पद्धतियों (जीसीपी) संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में मूल स्त्रोत दस्तावेज करने में अनियमितताएं। सीडीएससीओ (मुख्यालय) ने फर्मों मैसर्स एमक्योर, मैसर्स इंटास तथा मैसर्स कैडिला तथा अन्वेषकों-डॉ. अभय पालीवाल, डॉ. उज्जवल सरदेसाई, डॉ, रामगुलाम राजदान तथा डॉ. पाली रस्तोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जिनमें उनसे कारण बताने तथा निरीक्षण दल द्वारा की गई अभ्युक्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। परिणामस्वरूप, फर्मों-मैसर्स कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड, अहमदाबाद, मैसर्स इमक्योर फार्मास्युटिकल, पुणे तथा मैसर्स इंटासफार्मास्युटिकल्य, अहमदाबाद

1	2	3	4	5	6
					एवं अन्वेषणों- डॉ. अभय पालीवाल, डॉ. उज्जवल सरदेसाई, डॉ. रामगुलाम राजदान तथा डॉ. पालीरस्तोगी ने कारण बताओ नोटिसों के उत्तर में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। निरीक्षणों के निष्कर्षों तथा फर्म एवं अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करने पर ऐसा देखा गया है कि नैदानिक परीक्षणों के संचालन में ऊपर यथाउल्लिखित कुछ अनियमितताएं रहीं है जो भारत में नैदानिक अनुसंधान के लिए उत्तम नैदानिक पद्धतियों (जीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, उक्त फर्मों तथा अन्वेषकों को नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए गए है ताकि जीसीपी दिशानिर्देशों तथा प्रयोज्य विनियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
9.	2012	डॉ. हेमंत जैन	चाचा नेहरु अस्पताल इंदौर	बच्चों पर नैदानिक परीक्षण	वर्ष 2006 से 2010 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में चाचा नेहरु अस्पताल में 1883 बच्चों पर डॉ. हेमंत जैन द्वारा किए गए नैदानिक परीक्षणों में तथाकथित अनियमितताओं की रिपोर्टों के मद्देनजर, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली तथा अन्य प्रयोज्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सत्यापित करने के लिए उपर्युक्त स्थल पर डॉ. हेमंत जैन द्वारा किए गए नैदानिक परीक्षणों का विस्तृत निरीक्षण करने हेतु एक दल गठित किया गया। इस दल ने 15.04.2012 से 20.04.2012 तक निरीक्षण किया।

1	2	3	4	5	6
					निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 26 नैदानिक परीक्षणों में से 23 परीक्षणों में कुछ अनियमितताएं थी। शेष 3 नैदानिक परीक्षणों में कोई अनियमितताएं नहीं थी। सभी 23 परीक्षणों में मुख्य निष्कर्ष ये थे कि एमजीएस मेडिकल कॉलेज तथा एसवाई अस्पताल की आचार समिति की गणपूर्ति जिन्होंने परीक्षण नयाचार की समीक्षा की तथा इन्हें अनुमोदन दिया, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अनुसूची वाई की अपेक्षा के अनुसार नहीं थी क्योंकि आचार समिति की बैठकों में कोई सामान्य व्यक्ति/विधिक विशेषज्ञ मौजूद नहीं था। निरीक्षण में निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्रायोजक/कंपनियों तथा डॉ. हेमंत जैन (अन्वेषक) को दिनांक 07.08.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। इसके अलावा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा एमवाई अस्पताल, इंदौर की आचार समिति के अध्यक्ष को भी निरीक्षण दल द्वारा की गई अभ्युक्तियों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिनांक 07.08.2012 को कहा गया है।

विवरण-II

वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षण संबंधी मौतों के मामलों में प्रदत्त मुआवजे

क्र. सं.	प्रायोजक	मुआवजा
1	2	3
1.	मर्क	रुपए 1.50.000/-
2.	वायथ	रुपए 1.50.00/-
3.	क्वीनटाइल्स	रुपए 20.00.000/-
4.	क्वीनटाइल्स	रुपए 3.00.000/-
5.	लिली	रुपए 1.08.000/-
6.	लिली	रुपए 2.00.000/-
7.	लिली	रुपए 2.00.000/-
8.	बेयर	रुपए 2.50.000/-
9.	बेयर	रुपए 2.50.000/-
10.	बेयर	रुपए 3.50.000/-
11.	बेयर	रुपए 2.50.000/-
12.	बेयर	रुपए 2.50.000/-
13.	एमजेन	रुपए 1.50.000/-
14.	एमजेन	रुपए 1.50.000/-
15.	बिस्टलमायर्स	रुपए 2.50.000/-
16.	सैनोफी	रुपए 1.50.000/-*
17.	सैनोफी	रुपए 1.50.000/-
18.	सैनोफी	रुपए 2.00.000/-
19.	पीपीडी	रुपए 10.00.000/-
20.	फाइजर	रुपए 1.50.000/-
21.	फाइजर	रुपए 2.25.000/-
22.	फाइजर	रुपए 1.50.000/-

*मुआवजा अप्रदत्त रह गया क्योंकि विधिक उत्तराधिकारी के ठिकानों का पता अन्वेषक तथा उसके दल के अधिकतम प्रयासों के बावजूद उनके द्वारा नहीं लगाया जा सका।

विवरण-III

वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षण संबंधी मौतों के मामलों में प्रदत्त मुआवजा

क्र. सं.	प्रायोजक/सीआरओ का नाम	प्रदत्त मुआवजा
1	2	3
1.	एपोथिकैरीज	2.16 लाख
2.	फ्रेसेव्यिस	50.000
3.	फ्रेसेव्यिस	50.000
4.	आइकोन	2.025 लाख
5.	आइकोन	2.7 लाख
6.	आइकोन	1.8 लाख प्रदान किए गए
7.	लम्बडा	2 लाख प्रदान किए गए
8.	फाइजर	1.5 लाख प्रदान किए गए
9.	फाइजर	5 लाख प्रदान किए गए
10.	सनफार्मा	1 लाख
11.	सनफार्मा	3 लाख
12.	सनफार्मा	3 लाख

1	2	3
13.	सनफार्मा	3 लाख
14.	सनफार्मा	3 लाख
15.	सनफार्मा	3 लाख
16.	वीडा	50.000

आगमन पर पर्यटक वीजा योजना

***33. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि. :

(क) क्या 'आगमन पर पर्यटक वीजा योजना' से देश में विदेशी पर्यटकों के आने पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के शुरू होने से पर्यटकों के आने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस समय यह सुविधा किन-किन देशों और विमानपत्तनों पर उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को कुछ और देशों तथा देश के कुछ और विमानपत्तनों पर लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सुविधाजनक उपाय के रूप में जनवरी, 2010 में "आगमन पर पर्यटक वीजा" योजना की शुरूआत की थी। जनवरी-दिसंबर, 2010, जनवरी-दिसंबर, 2011 और जनवरी-अक्तूबर, 2012 की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत, क्रमशः कुल 6549, 12731 और 12273 आगमन पर पर्यटक वीज़ा जारी किए गए।

(ग) वर्तमान में पर्यटन के उद्देश्य से भारत की यात्रा करने वाले ग्यारह देशों अर्थात कम्बोडिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, लक्ज़मबर्ग, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम के नागरिकों के लिए भारत में आगमन पर पर्यटन वीज़ा सुविधा उपलब्ध है।

आगमन पर पर्यटक वीज़ा सुविधा चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) पर्यटन का संवर्धन करने हेतु पांच देशों अर्थात फिनलैंड, जापान, लक्ज़म्बर्ग, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के राष्ट्रिकों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) योजना 01.01.2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा उपयोगी पाया गया। भारत सरकार ने ऊपर उल्लिखित पांच देशों के राष्ट्रिकों के लिए आगमन पर वीजा (टीवीओए) योजना का विस्तार किया। इसके अलावा, 01.01.2011 से कम्बोडिया, लाओस, फिलीपींस, और वियतनाम तथा 28.01.2011 से इंडोनेशिया और म्यांमार के राष्ट्रिकों के लिए टीवीओए योजना का विस्तार किया गया। वर्तमान में, यह योजना 11 देशों के राष्ट्रिकों के लिए उपलब्ध है।

अतः यह देखा जा सकता है कि अन्य देशों और भारत में हवाई अड्डों के लिए आगमन पर पर्यटक वीज़ा का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है, जो कि विभिन्न कारकों पर आधारित है।

तम्बाकू उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं

***34. श्री वैजयंत पांडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में सिगरेट, गुटखा पान मसाला और अन्य तम्बाकू उत्पादों में विभिन्न तत्वों के नियमित परीक्षण हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में तम्बाकू और संबंधित उत्पादों के विभिन्न तत्वों का परीक्षण करने हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए पहचान किए गए स्थानों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) तम्बाकू उत्पादों के संघटकों की जांच करने के लिए विधायी ढांचे का सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण

का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा) में उल्लेख है। कोटपा की धारा 7(5) में निम्नांकित उल्लेख है:—

"कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा जबतक कि उसके द्वारा उत्पादित, आपूर्तिकृत या वितरित सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज के ऊपर या इसके लेवल पर यथा स्थिति प्रत्येक सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों, में निकोटिन और टार के संघटक के साथ-साथ इनकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा न दर्शायी गई हो।"

तथापि, पर्याप्त जांच सुविधाओं के अभाव में उक्त धारा को अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि खाद्य एवं औषध प्रयोगशालाओं में केवल सीमित जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जांच सुविधाओं में सुधार करने के लिए इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू उत्पादों की जांच के लिए क्षमता निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय ने एक सर्वोच्च अनुसंधान संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय बायोलोजिकल संस्थान, नोएडा और 4 क्षेत्रीय जांच प्रयोगशालाओं की पहचान की है जो निम्नलिखित हैं:—

1. क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चंडीगढ़।
2. केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, मुम्बई।
3. केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चेन्नई।
4. खाद्य अनुसंधान और मानक प्रयोगशाला, गाजियाबाद।

[हिन्दी]

खनिजों की रॉयल्टी दरें

*35. **श्री हर्षवर्धन :**
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की मौजूदा दर क्या है और पिछली बार इसमें किस वर्ष में संशोधन किया गया था;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा खनन कंपनियों अथवा खनन पट्टा धारकों से विभिन्न खनिजों हेतु संग्रह की गई रॉयल्टी, 'डेड रेंट' और अन्य करों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इन करों का भुगतान करने में चूक करने वाली पाई गई खनन कंपनियों अथवा खनन पट्टा धारकों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है कि ये कंपनियां अथवा पट्टाधारक सरकार को समय पर अपनी बकाया देय राशि का भुगतान करें;

(घ) क्या खनिजों पर रॉयल्टी और 'डेड रेंट' की दरों की समीक्षा करने हेतु गठित अध्ययन दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अध्ययन दल कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगा?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और बालू भूगर्त भरण को छोड़कर) की रायल्टी की दरें विगत में राजपत्र अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 574 (ई) दिनांक 13.8.2009 के तहत परिशोधित की गई थी। कोयला तथा लिग्नाइट की रायल्टी की दरें कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं.जी.एस. आर. 349 (ई) दिनांक 10 मई, 2012 के तहत परिशोधित की गई थी। बालू भूगर्त भरण की रायल्टी की दरें कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 214 (ई) दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के तहत परिशोधित की गई थी। रॉयल्टी की दरें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख खनिजों के संबंध में संग्रहित की गई रायल्टी का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर अनिवार्य किराया, गौण खनिजों पर रायल्टी तथा खनन एवं खनिजों पर अन्य कर जैसे उपकर, स्टाम्प शुल्क, भूमि कर के संबंध आंकड़ों के संग्रहण को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 25 (1) के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों अथवा किसी भी आवीक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा बकाया भू राजस्व की तरह खनन पट्टा के

संबंध में सरकार को कोई भी किराया, रायल्टी, कर, शुल्क और देय अन्य राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। खनन कंपनियों और खनन पट्टाधारकों जिन्होंने राज्य सरकार को इन करों का भुगतान करने के संबंध में चूक की है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और बालू भूगर्त भरण को छोड़कर) की रायल्टी और अनिवार्य किराया की दरों की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए दिनांक 13.9.2011 को एक अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल की अंतिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

विवरण-I

रायल्टी दरें

श्रेणी सहित खनिज का नाम		रायल्टी की दर (रुपए प्रति टन में या मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में)
1		2
(i) एपेटाइट:		5%
(ii) रॉक फास्फेट		
(क) 25 प्रतिशत से अधिक पी $_2$ओ$_5$		11%
(ख) 25 प्रतिशत तक पी $_2$ओ$_5$		6%
एसबेस्टॉस		
(क) क्राइसोलाइट		880 रु.
(ख) एम्फीबोल		15%
(क) बॉक्साइट और लेटेराइट	एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में प्रयोग हेतु भेजे गए।	उत्पादित अयस्क में अंतरर्विष्ट धातु पर भारित लंदन विनिमय एल्युमिनियम धातु की कीमत का 0.50 प्रतिशत।
(ख) बॉक्साइट और लेटेराइट	एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण और निर्यात के लिए प्रयोग हेतु भेजे गए।	25%
भूरा इल्मेनाइट (ल्यूकोजीन), इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकॉन		2%
कैडमियम		15%
कैलसाइट		15%

1	2
चाइना मृत्तिका कयोलिन (बाल मृत्तिका तथा सफेद सेल और सफेद मृत्तिका सहित)	
(क) कच्चा	8%
(ख) प्रसंस्कृत (धावित समेत)	10%
क्रोमाइट	10%
कोलमबाइट-टेंटालाइट	10%
तांबा	उत्पादित अयस्क में अंतरविंष्ट धातु पर भारित लंदन विनिमय तांबा धातु की कीमत का 4.2 प्रतिशत।
हीरा	11.5%
डोलोमाइट	63 रु.
फेल्सफर	12 प्रतिशत
अग्निसह मिट्टी (प्लास्टिक, पाइप, लिथोमार्जिक और प्राकृतिक पेजोलैनिक मिट्टी समेत)	12%
फेल्सफर (फ्लुराइट भी कहा जाता है)	6.5%
गारनेट	
(क) एब्रेसिव	3%
(ख) जेम	10%
स्वर्ण	
(क) प्राथमिक	उत्पादित स्वर्ण अयस्क में धारित प्राथमिक स्वर्ण धातु का लंदन कीमत का 2 प्रतिशत।
(ख) स्वर्ण-उपोत्पाद	वास्तविक उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर लंदन कीमत का 3.3 प्रतिशत।
ग्रेफाइट	
(क) 40% या अधिक फिक्सड कार्बन सहित	2%
(ख) 40% से कम फिक्सड कार्बन सहित	12%

1	2
जिप्सम	20%
लौह अयस्क : लम्पस, फाइंस और सभी श्रेणी के सांद्र	10%
सीसा	
(क) उत्पादित अयस्क में धारित सीसा धातु	उत्पादित अयस्क में अंतरर्विष्ट सीसा धातु पर भारित लंदन धातु विनिमय सीसा धातु की कीमत का 7 प्रतिशत।
(ख) उत्पादित सांद्र में धारित सीसा धातु	सांद्र में अंतरर्विष्ट सीसा धातु पर भारित लंदन धातु विनिमय सीसा धातु कीमत का 12.7 प्रतिशत।
चूना पत्थर	
(क) एल.डी. ग्रेड (1.5 प्रतिशत से कम सिलिका धारित)	72 रुपए
(ख) अन्य	63 रुपए
लाइम कंकर	63 रुपए
लाइम सेल	63 रुपए
मैग्नेसाइट	3%
मैग्नीज अयस्क	
(क) सभी श्रेणी के अयस्क	4.2%
(ख) सांद्र	1.4%
माइका (क्रूड, वेस्ट और स्क्रैप)	4%
मोनोजाइट	125 रुपए
निकिल	उत्पादित अयस्क में अंतरर्विष्ट धातु पर भारित लंदन विनिमय निकिल धातु की कीमत का 0.12% प्रतिशत।
ओकर	20 रुपए
पायराइट	2%
पाइरफाइलाइट	20%
क्वार्टज	15%

1	2
माणिक्य	10%
सिलिका बालू, संचन बालू और क्वार्टजाइट	8%
भू गर्त रेत भरण	3रु.
सिलेनाइट	10%
सिलिमानाइट	2.5%
चांदी	
(क) उपोत्पाद	वास्तविक रूप से उत्पादित चांदी धातु पर भारित लंदन कीमत का 7%
(ख) प्राथमिक चांदी	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर भारित लंदन कीमत का 5%
स्लेट	45 रु.
टैल्क, स्टीटाइट और सोप स्टोन	18%
टिन	उत्पादित अयस्क में अंतरर्विष्ट टीन धातु पर भारित लंदन धातु विनिमय टीन धातु कीमत का 7.5 प्रतिशत।
टंगस्टन	20 रुपए (अयस्क के प्रति टन डब्ल्यू ओ 3 अंतर्विष्ट प्रतिशत यथा अनुपात आधार पर प्रति इकाई)।
यूरेनियम	20%
वर्मीकुलाइट	3%
वोलास्टोनाइट	12%
जस्ता	
(क) उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु	उत्पादित अयस्क में अंतरर्विष्ट जस्ता धातु पर भारित मूल्यानुसार आधार पर लंदन धातु विनिमय जस्तु धातु कीमत का 8 प्रतिशत।
(ख) उत्पादित सांद्र में अंतर्विष्ट जस्ता धातु	उत्पादित अयस्क में अंतरर्विष्ट जस्ता धातु पर भारित मूल्यानुसार आधार पर लंदन धातु विनियम जस्ता धातु कीमत का 8.4 प्रतिशत।

1	2
अगेट, मृत्तिका (अन्य), चाल्क, कोरंडम, डायस्पोर, ड्युनाइट, फेल्साइट, फ्यूसाइट, क्यानाइट, क्वार्टजाइट, जैस्पर, परलाइट, रॉकसालट, शैल, पायरोजिनाइट आदि अन्य सभी प्रमुख खनिजों सहित।	10%

कोयला हेतु रायल्टी (लिग्नाइट सहित)

(क) पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पादित कोयला

1) कोयले पर रायल्टी :

कोयले पर रायल्टी की दर करों, लेवी और अन्य प्रभारों को छोड़कर इनवाइस में दर्शाए गए अनुसार मूल्यानुसार आधार पर कोयले की कीमत का 14 प्रतिशत होगा।

2) लिग्नाइट पर रायल्टी

लिग्नाइट पर रायल्टी की दर केंद्रीय विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित अनुसार मूल्यानुसार आधार पर लिग्नाइट के अंतरण मूल्य का 6 प्रतिशत होगा और अन्य उपभोक्ताओं को बेचे गए लिग्नाइट के लिए रायल्टी की दर करों, लेवी और अन्य प्रभारों को छोड़कर मूल्यानुसार इनवाइस में दर्शाए गए लिग्नाइट की कीमत का 6 प्रतिशत होगा।

3) कैप्टिव खानों से उत्पन्न कोयले और लिग्नाइट पर रॉयल्टी :

कैप्टिव खानों से उत्पन्न कोयले और लिग्नाइट पर रॉयल्टी की संगणना के लिए उस कैप्टिव खान के समीपवर्ती खानों के लिए कोयला या लिग्नाइट के समान ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) हेतु कोयले और लिग्नाइट के कीमत का तात्पर्य कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियारी लि./नेयवेली लिग्नाइटस कार्पोरेशन की अधिसूचना के अनुसार रन ऑफ माइन (आरओएम) कोयला और लिग्नाइट का बेसिक पिटहेड प्राइस होगा:

बशर्ते कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए गवनमेंट डिस्पेंशन रूट के अधीन आबंटित कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों से उत्पन्न कोयला और लिग्नाइट के लिए संबंधित मूल्यानुसार रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित कीमत पर लागू होगा।

4) सेस लगाने के लिए रॉयल्टी का समायोजन:

पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों के लिए कोयलाधारी भूमियों से संबंधित सेस या अन्य कर लगाने के लिए स्वीकृत रॉयल्टी स्थानीय सेसों या ऐसे करों के लिए समायोजित किया जाएगा ताकि समग्र उत्पन्न राजस्व को सीमित किया जा सके।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित कोयला

समूह	कोयले की गुणवत्ता	कोयले पर रायल्टी रुपए प्रति टन में।
समूह-I	इस्पात श्रेणी-I	7 रु. मात्र प्रति टन।
	इस्पात श्रेणी-II	
	वाशरी-I	
	डाइरेक्ट फीड	

समूह	कोयले की गुणवत्ता	कोयले पर रायल्टी रुपए प्रति टन में।
समूह-II	वाशरी-II	6 रु. और 50 पैसे मात्र प्रति टन।
	वाशरी-III	
	सेमी-कोकिंग श्रेणी-I	
	सेमी-कोकिंग श्रेणी-II	
	6701 और अधिक श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	6401-6700 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	6101-6400 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
समूह-III	वाशरी-IV	
	5801-6100 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	5 रु. और 50 पैसे मात्र प्रति टन।
	5501-5800 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	5201-5500 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
समूह-IV	4901-5200 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	4 रु. और 30 पैसे मात्र प्रति टन।
	4601-4900 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	4301-4600 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
समूह-V	4001-4300 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	2 रु. और 50 पैसे मात्र प्रति टन।

समूह	कोयले की गुणवत्ता	कोयले पर रायल्टी रुपए प्रति टन में।
	3701-4000 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	3401-3700 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	3101-3400 श्रेणी वाले जीसीवी (कैलोरी/कि.ग्रा.) वाले नॉन कोकिंग कोयला	
	जीसीवी =< 3100 वाला नॉन कोकिंग कोयला	

विवरण-II

संग्रहित रायल्टी का ब्यौरा

रायल्टी (करोड़ रु. में)•

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	370.38	381.92	498.31
असम	0.94	0.73	0.81
बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2.44
छत्तीसगढ़	474.39	1196.55	1411.54
गुजरात	192.90	193.89	403.61
गोवा	285.91	959.12	550.37
हिमाचल प्रदेश	47.98	उपलब्ध नहीं	115.07
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1.32
झारखंड	202.33	440.24	437.6
कर्नाटक	430.10	708.44	419.98
केरल	8.81	9.42	5.52

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	351.45	324.55	234.2
महाराष्ट्र	84.85	132.70	325.45
मेघालय	7.26	13.09	18.28
ओडिशा	894.44	1598.05	3954.24
राजस्थान	987.45	1182.23	1151.51
तमिलनाडु	130.56	138.56	166.45
उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.98
उत्तराखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.87
पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.37
कुल	4469.75	7279.49	9698.92

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार *कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर

[अनुवाद]

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

***36. श्री पी. कुमार :**
श्री सी. शिवासामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दवाओं पर सरकारी निवेश बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रस्तावित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय कार्य-विधि और प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) ने अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बारहवीं योजना के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान स्तर 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5 प्रतिशत करने और वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत करने की तथा औषध प्रापण पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर निशुल्क अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच दस्तावेज के अनुसार, बारहवीं योजना के अंत तक कुल स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय योजना आयोग द्वारा विचार किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के अनुमोदन के पश्चात यह योजना क्रियान्वियन योग्य बनती है।

(ग) और (घ) सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने और अनुमोदित योजना की रूपरेखा के भीतर विस्तृत कार्यविधियों और संचालनात्मक दिशानिर्देशों तैयार करने के लिए वचनबद्ध है।

मेडिकल कॉलेज

*37. श्री एम. के. राघवन :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं तथा उनमें स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (पीजी) की कितनी सीटें हैं;

(ख) क्या मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध एमबीबीएस और पीजी सीटें देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने तथा देशभर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने अथवा जिला अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए, अस्वीकृत किए गए और लम्बित प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय देश में 362 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 168 सरकारी क्षेत्र में और 194 निजी क्षेत्र में हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए दाखिला क्षमता 45629 वार्षिक है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 22503 है। एमबीबीएस सीटों और स्नातकोत्तर सीटों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं तथापि, देश में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने भूमि आवश्यकता, बिस्तर क्षमता, बिस्तर ओक्यूपेंसी, अधिकतम दाखिला क्षमता, शिक्षण संकाय की आयु में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र में नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए जिला अस्पतालों की उपयोगिता और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात में वृद्धि आदि के संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमनों को तर्कसंगत बनाया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 के दौरान स्नातक सीटों में 10262 और स्नातकोत्तर सीटों में 7585 की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन की योजना के तहत 72 मेडिकल कॉलेजों को सहायता दी गई है जिनमें लगभग 4000 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि का विचार है। 12वीं योजना में जिला अस्पतालों के उन्नयन द्वारा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की दाखिला क्षमता को बढ़ाने का विचार है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

शैक्षणिक वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
2010-11	37	14
2011-12	86	21
2012-13	77	20
2013-14	109	-

पिछले तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

एमबीबीएस सीटों की दाखिला क्षमता की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	सरकार		निजी		कुल	
		कॉलेजों की संख्या	सीटें	कॉलेजों की संख्या	सीटें	कॉलेजों की संख्या	सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	2050	26	3550	40	5600
2.	असम	5	626	0	0	5	626
3.	बिहार	7	540	4	360	11	900
4.	चंडीगढ़	1	50	0	0	1	50
5.	छत्तीसगढ़	3	300	0	0	3	300
6.	दिल्ली	4	750	2	200	6	950
7.	गोवा	1	150	0	0	1	150
8.	गुजरात	9	1530	13	1700	22	3230
9.	हरियाणा	2	300	4	400	6	700
10.	हिमाचल प्रदेश	2	200	0	0	2	200
11.	जम्मू और कश्मीर	3	250	1	100	4	350
12.	झारखंड	3	250	0	0	3	250
13.	कर्नाटक	11	1350	32	4655	43	6005
14.	केरल	6	1000	17	1850	23	2850
15.	मध्य प्रदेश	6	720	6	900	12	1620
16.	महाराष्ट्र	19	2200	24	2995	43	5195
17.	मणिपुर	2	200	0	0	2	200
18.	मेघालय	1	50	0	0	1	50

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ओडिशा	3	450	4	400	7	850
20.	पुदुचेरी	1	150	7	900	8	1050
21.	पंजाब	3	350	7	795	10	1145
22.	राजस्थान	6	800	4	550	10	1350
23.	सिक्किम	0	0	1	100	1	100
24.	तमिलनाडु	19	2205	23	3350	42	5555
25.	त्रिपुरा	2	200	0	0	2	200
26.	उत्तर प्रदेश	10	1240	15	1800	25	3040
27.	उत्तराखंड	2	200	2	200	4	400
28.	पश्चिम बंगाल	13	1750	2	250	15	2000
29.	एम्स	7	377	0	0	7	377
30.	जेआईपीएमईआर	1	127	0	0	1	127
31.	बीएचयू, वाराणसी	1	59	0	0	1	59
32.	एएमयू, अलीगढ़	1	150	0	0	1	150
	कुल	168	20574	194	25055	362	45629

विवरण-II

देश में राज्यवार स्नातकोत्तर सीटें

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2648
2.	असम	362
3.	बिहार	440
4.	चंडीगढ़	38
5.	छत्तीसगढ़	79
6.	दिल्ली	1111
7.	गोवा	74
8.	गुजरात	1585
9.	हरियाणा	274

1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	146
11.	जम्मू और कश्मीर	363
12.	झारखंड	187
13.	कर्नाटक	3161
14.	केरल	1146
15.	मध्य प्रदेश	629
16.	महाराष्ट्र	2996
17.	मणिपुर	72
18.	मेघालय	8
19.	ओडिशा	434
20.	पुदुचेरी	368
21.	पंजाब	1003
22.	राजस्थान	871
23.	सिक्किम	22
24.	तमिलनाडु	2255
25.	त्रिपुरा	25
26.	उत्तर प्रदेश	1315
27.	उत्तराखंड	123
28.	पश्चिम बंगाल	1115
	कुल	22850

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या						
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	3	10	1	16	3	14
2.	असम	0	1	1	-	1	1	0
3.	बिहार	2	-	3	1	6	1	6
4.	छत्तीसगढ़	2	-	2	-	3	-	8
5.	दिल्ली	1	-	3	-	2	1	1
6.	गुजरात	5	-	6	3	3	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हिमाचल प्रदेश	2	-	-	-	-	-	2
8.	हरियाणा	1	1	4	1	2	1	1
9.	जम्मू और कश्मीर	1	-	1	-	1	-	2
10.	झारखंड	0	-	2	-	1	-	3
11.	कर्नाटक	0	1	6	2	7	2	17
12.	केरल	2	-	5	-	2	-	5
13.	मध्य प्रदेश	0	-	2	1	-	-	2
14.	महाराष्ट्र	1	-	7	-	10	2	7
15.	मणिपुर	0	1	-	-	-	-	0
16.	ओडिशा	0	-	4	-	4	1	2
17.	पुदुचेरी	0	1	-	-	-	-	0
18.	पंजाब	1	-	2	2	-	-	1
19.	राजस्थान	0	-	2	-	1	-	4
20.	तमिलनाडु	11	5	13	3	6	2	6
21.	उत्तर प्रदेश	1	-	8	4	8	2	14
22.	उत्तराखंड	1	-	-	-	1	-	1
23.	पश्चिम बंगाल	2	1	5	3	3	1	5
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	2
25	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1
27.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1
28.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	1
29.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	37	14	86	21	77	20	109

कुल प्राप्त प्रस्ताव (पिछले 3 साल) : 37+86+77+200 =

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव : 14+21+20+55 =

[हिन्दी]

शोम पैनल की रिपोर्ट

*38. श्री उदय सिंह :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने सामान्य परिवर्जन रोधी नियम और भूतलक्षी कर विधि संबंधी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य परिहार-रोधी नियमावली (गार) पर रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2012 को सरकार को प्रस्तुत की गई। अप्रत्यक्ष अंतरण के संबंध में भूतलक्षी संशोधनों पर रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2012 को प्रस्तुत की गई। दोनों रिपोर्टों की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क. सामान्य परिहार-रोधी नियमावली पर सिफारिशें

(i) गार का कार्यान्वयन तीन वर्ष के लिए आस्थगित किया जा सकता है।

(ii) प्रतिभूतियों के अंतरण से अभिलाभ पर कर, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के अधीन है, को समाप्त किया जाए।

(iii) गार के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को शामिल किया जाए जिनका मुख्य प्रयोजन (न कि मुख्य प्रयोजनों में से एक) कर लाभ प्राप्त करना है।

(iv) गार के अनुमोदन पैनल का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए तथा इसमें सरकार से बाहर के सदस्य शामिल होने चाहिए।

(v) गार को लागू करने के लिए करदाता पर वर्ष में कर लाभ की 3 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा निर्धारित की जाए।

(vi) गार के प्रावधान ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पर लागू नहीं होने चाहिए जिन्होंने कर संधि के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है। ये प्रावधान एफआईआई में अनिवासी निवेशकों पर भी लागू नहीं होने चाहिए

ख. अप्रत्यक्ष अंतरण से संबंधित भूतलक्षी संशोधनों पर सिफारिशें

(i) अप्रत्यक्ष अंतरण से संबंधित प्रावधान भावी प्रभाव से लागू होने चाहिए।

(ii) यदि प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाते हैं, तो कर न कटाने के लिए चूककर्ता कर निर्धारिती के रूप में या प्रतिनिधि कर निर्धारिती के रूप में किसी व्यक्ति को समझने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तथा कोई ब्याज, एवं दंड नहीं लगाना चाहिए।

(iii) लंबित विवादों के समझौताकारी समाधान की मशीनरी का प्रावधान किया जाए।

(iv) ये प्रावधान किसी विदेशी कंपनी के शेयरों के अंतरण पर उत्पन्न पूंजी अभिलाभ पर लागू नहीं होने चाहिए, यदि ऐसी कंपनी मान्यता प्राप्त विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है; अपने सहयोगियों के साथ अंतरणकर्ता विदेशी कंपनी में 26 प्रतिशत से कम शेयरों का धारक है; भारत में विदेशी कंपनी की परिसम्पत्तियों का मूल्य उसकी विश्वव्यापी परिसम्पत्तियों के 50 प्रतिशत से कम है; या अंतरण अंतर-समूह व्यवसाय पुर्नगठन से संबंधित है।

(v) ये प्रावधान विदेशी संस्थागत निवेशकों में अनिवासी निवेशकों पर लागू नहीं होने चाहिए।

(ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

पंचायती राज संस्थाएं

***39. श्री सज्जन वर्मा :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के सभी राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कारगर ढंग से कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान यह प्रणाली काम नहीं कर रही है तथा पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हेतु आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का है, तथा उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों की महिलाओं हेतु सीटों को दो अवधियों में एक बार चक्रानुक्रम करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार, वे सभी राज्य, जिनके लिए संविधान का भाग IX लागू होता है, में तीन स्तरों अर्थात् ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायतें गठित की जानी है। हालांकि, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती पंचायतों के गठन के मामले में छूट प्राप्त है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यापक रूप से प्रचालित है एवं इनका गठन संविधान में संदर्भित प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

(ग) पंचायतों का चुनाव कराना संबंधित राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है। वर्ष 2011 में निर्धारित आंध्र प्रदेश की पंचायतों का चौथा आम चुनाव नहीं कराया जा सका क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थानों व पदों का आरक्षण के प्रतिशत के मामले में माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव प्रक्रिया के विषय में चुनौती पेश की गई थी। इस मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सीमित करने हेतु राज्य सरकार से आग्रह किया था जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994 के डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 356 में दिए गए निर्णय के आलोक में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। पुदुचेरी में भी पंचायतों के चुनाव वर्ष 2011 में निर्धारित था, परंतु वहां राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति न हो पाने एवं अन्य कई कारणों से चुनाव नहीं हो पाया। इस मंत्रालय ने राज्य सरकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने एवं चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया है।

(घ) और (ङ) संविधान (एक सौ दसवां संशोधन), विधेयक, 2009, जिसमें पंचायतों के सभी स्तरों में कुल स्थानों, अध्यक्ष के पदों और साथ ही अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण को कम-से-कम एक-तिहाई से बढ़ाकर कम-से-कम आधा करने का प्रस्ताव किया गया है, को संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों को दो अवधियों में एक बार चक्रानुक्रम करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

***40. श्री सुशील कुमार सिंह :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रोत्साहन हेतु निर्धारित शर्तों और प्रोत्साहन के अंतरण की विधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या देश में, विशेषकर बिहार में उक्त योजना के अंतर्गत पहले दो जीवित बच्चों के लिए निर्धारित शर्त के अनुरूप नकद प्रोत्साहन ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकता को पूरा करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में अधिकतम ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त योजना को संशोधित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) स्कीम अक्तूबर, 2010 में शुरू की गई एक सशर्त नकदी अंतरण स्कीम है। यह स्कीम गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आईसीडीएस के मंच के माध्यम से 53 जिलों में प्रायोगिक मोड में क्रियान्वित की जा रही है। लाभार्थियों को उनके बैंक/डाक घर के खातों के माध्यम से 4000 रुपए की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। स्कीम के अंतर्गत निर्धारित शर्तें नीचे तालिका में दी जा रही है:

नकद अंतरण		शर्तें
1500/- रुपए (गर्भधारण की दूसरी तिमाही के अन्त में)	i.	माह के भीतर गर्भ धारण का पंजीकरण
	ii.	आयरण एवं फोलिक एसिड की गोलियों एवं टिटनस के टीके सहित (कम से कम) एक प्रसव पूर्व जांच)
	iii.	परामर्श सत्रों में भाग लेना (कम से कम एक सत्र में)
1500/- रुपए (प्रसव के 3 माह बाद)	i.	बच्चे के जन्म का पंजीकरण
	ii.	प्रतिरक्षण
		– जन्म के समय ओपीवी एवं बीसीजी का टीका
		– 6 सप्ताह होने पर ओपीवी एवं डीपीटी का टीका
		– 10 सप्ताह होने पर ओपीवी एवं डीपीटी का टीका
		विकास मानीटरिंग एवं परामर्श सत्रों में भाग लेना
1000/- रुपए (प्रसव के 6 माह बाद)	i.	6 माह तक केवल स्तन पान कराना और 6 माह पर पूरक आहार की शुरूआत (माता द्वारा स्वयं दिया गया प्रमाण पत्र)
	ii.	प्रतिरक्षण
		– बच्चे को ओपीवी एवं डीपीटी की तीसरी खुराक दी गई हो।
	iii.	विकास मानीटरिंग एवं परामर्श सत्रों में भाग लेना

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हासिल की गई वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आईजीएमएसवाई स्कीम का उद्देश्य व्यावहारिक एवं दृष्टिकोणीय बदलाव के दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ-साथ अल्पकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत बच्चे के जन्म से पहले एवं जन्म के बाद गर्भवती एवं धात्री माताओं को मजदूरी की क्षति-पूर्ति करने के प्रयास किए जाते

हैं। यह स्कीम 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए लागू होती है (सभी सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र एवं राज्य) के कर्मचारियों एवं उनकी पत्नियों पर लागू नहीं)। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी इस स्कीम में शामिल हैं।

(ङ) यह स्कीम देश के 53 जिलों में प्रायोगिक मोड में क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वतंत्र मूल्यांकन के आदेश दिए हैं। इस स्कीम में संशोधन अथवा विस्तार मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करता।

विवरण

आईजीएमएसवाई के अंतर्गत निर्मुक्त एवं उपयोग की गई राज्य-वार राशि

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या	वर्ष 2011-12 में निर्मुक्त राशि	वर्ष 2011-12 में उपयोग की गई राशि	वर्ष 2011-12 में शामिल लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2451.79	570.9	17364
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	41.6	57.4	1270
3.	असम	2	1751.53	11.63	0
4.	बिहार	2	2420.89	605.18	26171
5.	छत्तीसगढ़	2	1069.62	259.75	6295
6.	गोवा	1	170.34	138.28	0
7.	गुजरात	2	689.79	965.37	24169
8.	हरियाणा	1	130.3	135.43	3760
9.	हिमाचल प्रदेश	1	173.24	169.08	3884
10.	जम्मू और कश्मीर	2	378.46	502.6	7873
11.	झारखंड	2	1174.25	251.03	9247
12.	कर्नाटक	2	1884.22	734.3	21780
13.	केरल	1	862.72	1204.32	15280

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	2	1931.14	3030.23	73865
15.	महाराष्ट्र	2	1121.18	540.06	13897
16.	मणिपुर	1	131.88	138.7	2460
17.	मेघालय	1	158.92	92.78	0
18.	मिजोरम	1	84.88	0.52	0
19.	नागालैंड	1	70.26	97.25	—
20.	ओडिशा	2	1258.35	550.1	29325
21.	पंजाब	2	982.3	23.00	690
22.	राजस्थान	2	2300.22	744.9	25067
23.	सिक्किम	1	39.34	36.37	528
24.	तमिलनाडु	2	1150.07	सूचित नहीं	सूचित नहीं
25.	त्रिपुरा	1	213.81	67.61	2642
26.	उत्तर प्रदेश	3	2294.67	476.54	11141
27.	उत्तराखंड	1	297.43	419.87	6766
28.	पश्चिम बंगाल	2	2517.43	सूचित नहीं	सूचित नहीं
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	63.51	62.90	300
30.	चंडीगढ़	1	283.58	29.39	1700
31.	दमन और दीव	1	24.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं
32.	दादरा और नगर हवेली	1	88.30	55.6	1104
33.	दिल्ली	2	1104.53	132.7	3734
34.	लक्षद्वीप	1	50.52	सूचित नहीं	सूचित नहीं
35.	पुदुचेरी	1	18.76	15.40	1404
	कुल	53	29383.87	12118.6	305872

[हिन्दी]

रुग्ण इकाईयों का पुनरुद्धार

231. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी/अर्ध-सरकारी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) जी, हां। एसआईसीए की धारा 18 के अनुसार किसी रुग्ण कंपनी के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास के लिए बीआईएफआर द्वारा निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :-

(i) वित्तीय पुनर्संरचना।

(ii) रुग्ण कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन।

(iii) अन्य कंपनी के साथ समामेलन।

(iv) रुग्ण कंपनी के आंशिक अथवा सम्पूर्ण हिस्से की बिक्री अथवा पट्टे पर देना।

(v) ऐसे अन्य निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय जो उचित समझे जाएं।

यह उल्लेख करना संगत है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की अनुसूची 1 के तहत विनिर्दिष्ट केवल वे 'औद्योगिक उपक्रम' (सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के) बीआईएफआर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। इससे विशेष रूप से निम्न को बाहर रखा गया है :-

(i) अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम;

(ii) छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रम; और

(iii) कंपनियां जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अपने निगमन के उपरांत पांच वर्षों की अवधि पूरी न की हो।

जहां तक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रम का संबंध है, यह नोट किया जा सकता है कि पुनरुत्थान, पुनर्वास अथवा परिसमापन के लिए 1987 से अब तक 94 केन्द्रीय पीएसयू और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 126 पीएसयू ने एसआईसीए 1985 की धारा 15 के अंतर्गत स्वयं को रुग्ण औद्योगिक उपक्रम के रूप में पंजीकृत कराया है।

बीआईएफआर रुग्ण उद्योगों को किसी प्रकार की अनुदान/वित्तीय सहायता के संबंध में कार्रवाई नहीं करता है।

तथापि, सरकारी/अर्ध-सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में किए गए पुनरुत्थान/पुनर्वास उपायों के परिणाम निम्नानुसार हैं :-

(i)	सकारात्मक निवल मूल्य में परिवर्तित कंपनियां	30
(ii)	अब रुग्ण कंपनी के रूप में घोषित नहीं	24
(iii)	संस्वीकृत पुनर्वास योजना	25
(iv)	प्रारूप योजना	2
(v)	विफल और पुनः चालू	1
(vi)	एएआईएफआर द्वारा पुनः प्रेरित	2
(vii)	एएआईएफआर द्वारा रोक	1
(viii)	रुग्ण घोषित/डीआरएस प्रतिक्षित	22
(ix)	रुग्णता का निर्धारण लंबित	1
(x)	उल्लेख न किए गए रूप में समाप्त	45
(xi)	समाप्त	6
(xii)	समाप्त करने का आदेश प्राप्त	61
	कुल	220

औषधियों का विनिर्माण एवं विपणन

232. **श्री कीर्ति आजाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधि का विनिर्माण करने वाली भारतीय और विदेशी कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन औषधि विनिर्माण कंपनियों द्वारा विनिर्मित औषधियों की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या गैर-पंजीकृत कंपनियों द्वारा औषधियों के विनिर्माण और विपणन के कतिपय मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की त्रुटिकर्ता फर्मों के खिलाफ तथा इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा रखी जा रही भारतीय भेषज विनिर्माण एकक की निर्देशिका 2007 के अनुसार, देशभर में 10563 भेषज विनिर्माण एकक विद्यमान हैं। इनमें से फार्मूलेशन विनिर्माण एकक 8174 और बल्क औषधि विनिर्माण एकक 2389 हैं।

(ख) औषधियां द्रव, टेबलेट, कैप्सूल, बल्क औषधि आदि विभिन्न रूपों में बनायी जाती हैं। इन औषधि विनिर्माण कंपनियों द्वारा बनाई गई औषधियों की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत गैर-पंजीकृत कंपनियों द्वारा औषधियों का निर्माण अनुमत नहीं है। विनिर्माण कंपनी के पास औषधि बनाने का वैध लाइसेंस का होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों की समस्या

233. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मादक द्रव्यों की समस्या बढ़ रही है और विभिन्न राज्य विशेषरूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्वापक पदार्थों से प्रभावित हो रहे हैं जो उपभोगकर्त्ताओं तक किसी तरह पहुंच पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) ऐसे कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि देश में या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में मादक पदार्थों का खतरा बढ़ता जा रहा है।

(ग) सामान्य तौर पर इन मादक पदार्थों के खतरे का सामना करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं हैं। एक विधिक उपाय के रूप में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर सख्त दंड लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों की कई एजेंसियों को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन मादक पदार्थों की आपूर्ति को कम करने के लिए इन एजेंसियों ने कई उपाय किये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित, शामिल हैं:—

(i) मादक पदार्थों के ज्ञात रास्तों में गहन निवारक और निषेध करने के उपाय।

(ii) सीमा पर प्रवेश/निकास बिंदुओं पर सख्त निगरानी एवं प्रवर्तन।

(iii) आसूचना प्रणाली को मजबूत बनाना और

(iv) अवैध व्यापार के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग। इन मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना चला रहा है जिसका नाम है 'स्कीम ऑफ एसिस्टेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहोलिज्म एंड सब्स्टैन्स (ड्रग्स) एब्यूज।

इसका उद्देश्य व्यक्ति, परिवार, कार्य स्थल और यहां तक कि संपूर्ण समाज पर इन मादक पदार्थों के बुरे प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना और शिक्षा प्रदान करना है।

अंतर बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली

334. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अंतर बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली (आईएमडीएस) शुरू करने जा रही है/शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार को अभी तक विभिन्न वर्गों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) तत्काल विप्रेषण समाधान के रूप में नवम्बर 2010 के दौरान नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा अंतर बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) आरंभ की गई थी और इस समय भारत में बैंक के ग्राहकों को आईएमपीएस सुविधायुक्त 51 बैंकों में से किसी भी बैंक से धनराशि तत्काल अंतरित करने के लिए अधिकार दिया गया है। यह सुविधा मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम आदि के जरिए उपलब्ध कराई गई है और अब यह पी2पी (व्यक्ति से व्यक्ति को) तथा पी2एम (व्यक्ति से व्यवसायी को) विप्रेषण अंतरण करने में सक्षम है।

जन स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएं

235. **श्री पी.आर. नटराजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निधियों के प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं की अपेक्षाओं के आधार पर अवसंरचना सुविधाओं के विकास सहित अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ कर सकें।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

रोगियों का उपचार

236. **श्री शिवराम गौडा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में रोगी भीड़-भाड़ के कारण चिकित्सा संबंधी उपचार नहीं करा पा रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभागों के काउंटरों पर अपर्याप्त स्टॉफ तैनात है और रोगियों के पंजीकरण का पुराना तरीका चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती। तथापि, दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों जैसे सफदरजंग अस्पताल, डा. आरएमएल अस्पताल और एलएचएमसी और संबद्ध अस्पतालों का जहां तक संबंध है; बहिरंग रोगी विभाग में पंजीयन समय के दौरान पंजीकृत सभी रोगियों को देखा जाता है और किसी भी रोगी के उपचार की भीड़ के कारण मनाही नहीं होती। इन अस्पतालों के बहिरंग विभाग के काउंटर कम्प्यूटरीकृत पंजीयन सुविधाओं और पर्याप्त श्रम शक्ति से लैस होते है।

सीजीएचएस की समीक्षा

237. **श्री सी. राजेन्द्रन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की समीक्षा की गई है और सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में बीमा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कब तक नई नीति का क्रियान्वियन किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्याओं को बेहतर किया जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगयों के लिए विशेषकर गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) से (ङ) मार्च, 2010 में बीमा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। हालांकि बाद में यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग का अनुमोदन लेने के बाद और 12वीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) में इस योजना के शामिल किए जाने के बाद इस प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों हेतु उपचार की दरें

238. **श्रीमती सुशीला सरोज :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के उपचार हेतु पैनलबद्ध विभिन्न अस्पतालों और रोग-निदान केन्द्रों को विभिन्न सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों को स्वीकार करना होता है;

(ख) क्या अस्पतालों एवं रोग-निदान केन्द्रों में आम-आदमी के उपचार हेतु सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि वे सीजीएचएस दरों पर शुल्क प्रभारित कर सकें अथवा वे उससे अधिक दरों से शुल्क प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र हैं;

(ग) देश में सी जी एच एस के लिए निर्धारित दरों की तुलना में देश के अन्य लोगों से अधिक दर वसूलने के लिए अस्पतालों और रोग-निदान केन्द्रों को खुली छूट की अनुमति देने का कारण क्या है; और

(घ) निजी स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित दरों पर आम-आदमी के उपचार के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश विद्यमान हैं अथवा सरकार द्वारा जारी किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध अस्पताल और नैदानिक केन्द्रों को संबंधित उपचार प्रक्रियाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज दरों पर ही प्रभार लेने हैं।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वे अपने-अपने अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में उपचार के लिए ऐसे नियामक तंत्र/दिशा निर्देश बनाएं।

तथापि, देश में स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि के लिए निर्देशी तंत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीयन और विनियमन) अधिनियम, 2010 बनाया है। यह अधिनियम 1.3.2012 से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो गया है। अधिनियम की केंद्रीय नियमावली के अनुसार, पंजीयन और निरंतरता के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों को शर्तों को पूरा करना चाहिए जैसे कि नैदानिक प्रतिष्ठान में प्रत्येक तरह की प्रदत्त सेवा के लिए प्रभारित दरों तथा उपलब्ध सुविधाओं का प्रदर्शन, राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों

के दायरे के भीतर प्रत्येक तरह की प्रक्रिया एवं सेवा के लिए दरों को प्रभारित करना; केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक उपचार दिशा निर्देशों का अनुपालन।

अन्य राज्यों द्वारा इसे अपना लिये जाने के बाद, राज्य सरकारों को अस्पताल तथा नैदानिक केंद्रों के क्रियाकलापों के नियमन में मदद मिलेगी।

खाने योग्य तैयार भोजन

239. **श्रीमती कमला देवी पटले : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई. सी.डी.एस.) के अंतर्गत बच्चों को खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों को उक्त भोजन के बारे में आपत्ति है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए सुझावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ङ) योजना आयोग सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करके बनाए गए महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर आईसीडीएस स्कीम के तहत पोषण और आहारीय मानदंडों में संशोधन किया गया और दिनांक 24.2.2009 के पत्र संख्या 5-9/2005/एनडी/टेक (खण्ड-II) के द्वारा इसका ब्यौरा दिया गया।

संशोधित मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) 0-6 माह के बच्चों को शीघ्र स्तनपान शुरू कराना और केवल स्तनपान कराना,

(ii) सूखा और कच्चा राशन देने के मिश्रित प्रचालन के साथ-साथ सूक्ष्म पोषण से संपुष्टित भोजन और/या ऊर्जा युक्त भोजन के रूप में घर ले जाने वाला राशन 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए अधिक स्वादिष्ट होता है दिया जाना।

(iii) आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता और पकाया हुआ गरम भोजन।

पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिवर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 196/2001 में 22.4.2009 के अपने आदेश में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है कि भारत सरकार के पत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों को अति शीघ्र क्रियान्वित किया जाना है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 24.2.2009 के पत्र में निर्धारित अनुसार अधिमानतः 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सुबह का नाश्ता और पकाया हुआ गरम भोजन प्रदान करने के भी निदेश दिए हैं।

तदनुसार भारत सरकार ने निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया।

[अनुवाद]

निमोनिया और डायरिया के कारण होने वाली मौतें

240. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निमोनिया और डायरिया देश में शिशु मृत्यु के मुख्य कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निमोनिया और डायरिया के कारण होने वाली मौतों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु आबंटित और खर्च की गई राशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) भारत में निमोनिया तथा अतिसार शिशुओं की मृत्यु के महत्वपूर्ण कारण हैं। भारत के महापंजीयक द्वारा भारत में शिशु मौतों के कारणों से संबंधित रिपोर्ट 2001-03 के अनुसार, 22% शिशु मौतें श्वसनी संक्रमणों तथा 10 प्रतिशत अतिसारी रोगों से होती हैं। तथापि, 2012 की रिपोर्ट "काउंटडाउन टू 2015" के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 23 प्रतिशत मौतें निमोनिया तथा 13 प्रतिशत मौतें अतिसार के कारण होती हैं।

निमोनिया तथा अतिसार के कारण हुई मौतों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चों में निमोनिया तथा अतिसार की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) शीघ्र तथा अनन्य रूप से स्तनपान को बढ़ावा देने से अतिसार तथा निमोनिया सहित सामान्य बाल्यकालीन बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए शिशु तथा बाल स्तनपान पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) विटामिन ए संपूरक कार्यक्रम में 5 वर्षों तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है तथा यह रोगप्रतिरक्षा को बढ़ाकर अतिसार तथा निमोनिया से सुरक्षा प्रदान करता है और इसका इस्तेमाल निवारक उपाय के रूप में किया जाता है।

(3) जिंक तथा ओआरएस के इस्तेमाल को बढ़ावा देना बाल उत्तरजीविता के लिए प्राथमिकता वाले कार्यकलापों में से एक है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस) पैकेट तथा जिंक की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं और माताओं को उनको इस्तेमाल करना सिखाया जाता है।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए स्वच्छता तथा स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में तथा समुदायों में अतिसार के कारणों तथा उपचार के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

(5) निमोनिया तथा पेचिश के उपचार के लिए जन स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए एंटिबायोटिक्स उपलब्ध कराए जाते हैं।

(6) देशभर में आईएमएनसीआई (समेकित नवजात एवं बाल्यकालीन बीमारी उपचार) कार्यक्रम के जरिए अतिसार तथा निमोनिया के उपचार में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं तथा सुविधा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(7) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न वैकसीनें प्रदान की जाती हैं तथा ये डीपीटी, मीजल्स तथा बीसीजी हैं जो डिफ्थीरिया, कुकुर खांसी, खसरे तथा क्षयरोग से बचाती हैं। हीमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी (हिब) संक्रमण के लिए वैक्सीन केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में शिशुओं के लिए राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण सूची में प्रथम चरण में शामिल की गई है।

(घ) ग्यारहवीं तथा बारहवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित तथा व्ययित राशि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विभिन्न कार्यकलापों के तहत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित आरसीएच एवं एनआरएचएम फ्लेक्सी-पूल निधियों के अधीन है क्योंकि ये सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिन्न भाग हैं और इन्हें एक स्कीम के रूप में अलग से वित्तपोषित नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

बीओआरएल के निकट फसलों की क्षति

241. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि मध्य प्रदेश में बीना में भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बीओआरएल) के डिस्पैच टर्मिनल की बाहरी सीमा में लगभग 50 एकड़ भूमि में लगाई गई सोयाबीन की फसल वहां पर लगाई गई हाइमास्ट लाइट के कारण बर्बाद हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीओआरएल द्वारा इसके कारण प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बीओआरएल की हाइमास्ट लाइट से भविष्य में फसलों को बचाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) बीना में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बीओआरएल) की रिफाइनरी के आसपास सोयाबीन फसलों की उपज में कमी आने के संबंध में किसानों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। विचार-विमर्श के दौरान किसी प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया गया था और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि बीओआरएल किसानों के भय को कम करने के लिए फसलों के सामने लगी हाई मास्ट लाइटों को बंद कर देगा। तदनुसार, जैसा कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि फसलों के सामने लगी हाई मास्ट लाइटें बंद कर दी जाती हैं।

उज्ज्वला योजना

242. **श्री यशवंत लागुरी :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उज्ज्वला योजना को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उपरोक्त के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्य तथा इससे प्राप्त उपलब्धियों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों तथा योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सरकार, अवैध व्यापार को रोकने और व्यावसायिक लैंगिक शोषण के लिए अवैध व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास तथा पुनर्संघटन हेतु "उज्ज्वला" नामक एक विस्तृत योजना, 04 दिसम्बर, 2007 से क्रियान्वित कर रही है। यह स्कीम उन महिलाओं तथा बच्चों के लिए परिकल्पित की गई है, जो अवैध व्यापार से असुरक्षित है और जो व्यावसायिक लैंगिक शोषण के लिए अवैध व्यापार से पीड़ित हैं।

इस स्कीम के तहत देश में 101 संरक्षक तथा पुनर्वास गृह संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 4650 लाभान्वितों को रखा जा सकता है। इन पुनर्वास गृहों को आश्रय और इन पीड़ित बच्चों के मामलों में लाभान्वितों को खाद्य, वस्त्र, मेडिकल-देखरेख, कानूनी सहायता, शिक्षा जैसी मूल सुविधाएं, यदि पीड़ित लाभान्वित बच्चे हों, तथा पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका विकल्प प्रदान करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आय-सृजन की गतिविधियां आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) उन लाभान्वितों की राज्यवार संख्या जिन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत आश्रय प्रदान किया जा सकता है, संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(घ) उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार क्रियान्वयन एजेंसियों को स्वीकृत की गई निधि तथा अभी तक प्राप्त हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र जिनमें उन क्रियान्वयन एजेंसियों के व्यय दर्शाए गए हैं, जिन्होंने प्रारंभिक निर्मुक्ति के बाद उत्तरवर्ती किस्त निर्मुक्त करने के लिए आवेदन किया है, विवरण-II में संलग्न हैं।

(ङ) और (च) स्कीम के प्रावधान के अनुसार एक एजेंसी को अनुदान जारी रखना, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा भेजी गई संतोषजनक निष्पादन रिपोर्ट पर निर्भर होता है। सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से समय-समय पर निष्पादन रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा इन रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, क्रियान्वयन एजेंसियों को आगे के अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं।

विवरण-I

उज्ज्वला स्कीम के तहत संरक्षक तथा पुनर्वास गृहों के लाभान्वितों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	550
2	असम	575
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	बिहार	25
5	दिल्ली	50
6	कर्नाटक	1100
7	केरल	100
8	महाराष्ट्र	700
9	मणिपुर	100
10	मिजोरम	50
11	मध्य प्रदेश	25
12	राजस्थान	50
13	ओडिशा	650
14	पंजाब	50
15	तमिलनाडु	200
16	उत्तर प्रदेश	250
17	उत्तराखंड	50
18	पश्चिम बंगाल	100
	कुल	4650

विवरण-II

क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत राज्य-वार तथा वर्ष-वार संस्वीकृत तथा उपयोग की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य	2009-10 (रुपये लाखों में)		2010-11 (रुपये लाखों में)		2011-12 (रुपये लाखों में)		2012-13 (रुपये लाखों में) (31.10.12 तक)	
		स्वीकृत	प्रयुक्त	स्वीकृत	प्रयुक्त	स्वीकृत	प्रयुक्त	स्वीकृत	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27.89	7.51	94.16	35.05	42.46	136.00	15.29	-
2.	अरुणाचल प्रदेश@	-	-	-	-	6.32	-	-	-
3.	असम	77.65	4.37	111.26	74.97	176.45	262.27	8.10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार@	–	–	–	–	6.32	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़#	–	–	–	–	–	–	0.85	–
6.	दिल्ली#	–	–	–	–	–	–	9.00	–
7.	झारखंड*	–	–	0.75	–	–	–	–	–
8.	कर्नाटक	250.53	121.07	224.21	122.99	312.41	481.61	41.54	–
9.	केरल	–	–	–	5.87	12.75	–	6.00	–
10.	मध्य प्रदेश*	–	–	1.50	–	7.08	–	–	–
11.	मिज़ोरम	–	–	10.35	–	–	10.35	–	–
12.	मणिपुर	18.70	9.79	27.22	9.22	27.37	74.58	–	–
13.	महाराष्ट्र	30.94	39.65	150.46	89.90	126.85	328.17	75.48	–
14.	नागालैंड	–	–	–	2.55	–	–	–	–
15.	ओडिशा	59.74	22.50	118.66	52.82	142.82	251.58	42.81	–
16.	पंजाब*	–	–	10.35	–	–	–	–	–
17.	राजस्थान	–	–	3.00	0.75	15.76	–	–	–
18.	तमिलनाडु	9.97	–	34.82	32.19	71.27	121.44	10.52	–
19.	उत्तर प्रदेश	15.99	15.98	44.84	26.12	40.85	108.18	17.97	–
20.	उत्तराखंड	–	–	10.51	–	8.36	10.51	–	–
21.	पश्चिम बंगाल	6.08	6.00	26.31	3.70	0.75	–	–	–

*निधियां केवल 2010-11 में निर्मुक्त की गई थीं।

@ निधियां केवल 2011-12 में निर्मुक्त की गई थीं।

निधियां केवल 2012-13 में निर्मुक्त की गई थीं।

स्पष्ट की गई स्थिति संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर तैयार की गई है।

[अनुवाद]

राज्यों से संग्रहित राजस्व

243. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों से केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) क्या इसकी कोई समीक्षा की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कतिपय राज्यों के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) राजस्व संग्रहण की राज्य-वार जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, 11वीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय करों से एकत्रित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कुल संग्रहीत प्रत्यक्ष कर	कुल संग्रहीत अप्रत्यक्ष कर
1	2	3
2007-08	312213	279031
2008-09	333818	269433
2009-10	378063	245367
2010-11	446935	345127
2011-12*	494799	392273

*अनंतिम

(ख) चूंकि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, अत: इस मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को संवितरित किये गये राज्यों के शेयर के संबंध में विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य योजना के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मांग सं. 35 के अंतर्गत योजनाओं के लिए आवंटन योजना आयोग द्वारा संसाधनों की कुल उपलब्धता तथा योजनागत प्राथमिकताओं की सीमाओं के अंदर राज्यों की वार्षिक योजना के समय राज्यों से विचार-विमर्श के बाद किया जाता है। योजना आयोग राज्य योजना आवंटन को अंतिम रूप देते समय संसाधनों के आवंटन में अन्तर्राज्यीय इक्विटी के पहलू को ध्यान में रखता है।

विवरण

11वीं योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए गए केन्द्रीय कर एवं शुल्कों के राज्यों के शेयर

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	11183.64	11801.50	12141.71	15236.74	17751.14
2	अरुणाचल प्रदेश	437.87	462.09	475.40	720.18	838.97

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	4918.21	5189,89	5339.53	7968.61	9283.53
4.	बिहार	16766.29	17692.51	18202.58	23978.38	27935.23
5.	छत्तीसगढ़	4035.00	4257.91	4380.66	5425.19	6320.44
6.	गोवा	393.71	415.44	427.42	584.21	680.59
7.	गुजरात	5426.09	5725.86	5890.92	6679.35	7781.55
8.	हरियाणा	1634.35	1724.62	1774.36	2301.75	2681.55
9.	हिमाचल प्रदेश	793.64	837.40	861.63	1715.35	1998.37
10.	जम्मू और कश्मीर	1775.01	1826,95	1914.76	3066.98	3495.11
11.	झारखंड	5109.83	5392.11	5547.57	6154.35	7169.93
12.	कर्नाटक	6779.23	7153.77	7359.98	9506.31	11075.04
13.	केरल	4051.70	4275.52	4398.78	5141.85	5990.36
14.	मध्य प्रदेश	10202.96	10766.59	11076.98	15638.51	18219.13
15.	महाराष्ट्र	7597.18	8016.89	8247.98	11419.23	13303.61
16.	मणिपुर	550.40	580.81	597.56	990.57	1154.03
17.	मेघालय	564.07	595.23	612.38	896.27	1044.19
18.	मिजोरम	363.35	383.39	394.46	590.78	688.26
19.	नागालैंड	399.77	421.84	434.03	689.46	803.20
20.	ओडिशा	7846.50	8279.96	8518.65	10496.86	12229.09
21.	पंजाब	1974.91	2084.01	2144.10	3050.87	3554.31
22.	राजस्थान	8527.60	8998.72	9258.13	12855.62	14977.04
23.	सिक्किम	345.12	364.20	374.68	524.99	611.65
24.	तमिलनाडु	8065.27	8510.8	8756.19	10913.97	12714.95
25.	त्रिपुरा	650.62	686.52	706.34	1122.36	1307.56

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तर प्रदेश	29287.74	30905.72	31796.67	43219.05	50350.95
27.	उत्तराखंड	1427.70	1506.59	1550.01	2460.07	2866.04
28.	पश्चिम बंगाल	10729.06	11321.78	11648.16	15954.95	18587.81
	कुल	151836.82	160178.71	164831.62	219302.81	255413.63

इथेनाल मिश्रित पेट्रोल

244. **श्री के. सुगुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इथेनाल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसी मांग है कि मिश्रण करना तथा इथेनाल का मूल्य निर्धारण दोनों को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सरकार के दिनांक 16.08.2010 के निर्णय के अनुसार, एथेनोल की उपलब्धता का पता लगाने और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 10% की सीमा तक मिश्रण की प्रतिशतता की सिफारिश करने के लिए अधिकारियों का एक कार्यदल गठित किया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन में, ओएमसीज सरकार द्वारा तय किए गए तदर्थ घोषित एक्स-फैक्ट्री मूल्य पर घरेलू एथेनोल उत्पादों द्वारा उपलब्ध कराया गया एथेनोल, एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए प्राप्त कर रही है। तदनुसार, ईबीपी कार्यक्रम 13 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, ओएमसीज 101.70 करोड़ लीटर मांग की तुलना में 41.22 करोड़ लीटर दएथेनोल के लिए संविदा कर सकीं और वास्तविक प्राप्ति 30.57 करोड़ लीटर हुई थी।

वर्ष 2012-13 के लिए ओएमसीज द्वारा जारी किए गए ईओआई के उत्तर में, उनको समस्त अधिसूचित क्षेत्र की 103.64 करोड़ लीटर की उद्योग की मांग की तुलना में 11 राज्यों के लिए 32.32 करोड़ लीटर एथेनोल की आपूर्ति के लिए 100 वेंडरों से वैद्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावित मात्रा 12 राज्यों में आबंटित की गई है। एक जीओएम गठित किया गया है जो मूल्य निर्धारण और मिश्रण से संबद्ध मुद्दों पर कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

युवकों में चेतना कार्यक्रम

245. **श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक बुराइयों, यथा, कन्या भ्रूणहत्या, झूठे सम्मान के लिए हत्या, इत्यादि को दूर करने हेतु युवकों में चेतना फैलाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार ने कैबिनेट या विधि मंत्रालय के अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ताकि इस संबंध में एक कानून बनाकर इसे बाध्यकारी बनाया जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सामाजिक बुराइयों पर विचार-विमर्श करने तथा समस्या के हल हेतु उनके सुझावों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली तथा देश के अन्य भागों के खाप प्रमुखों तथा पंचायत प्रमुखों के साथ नियमित बैठक करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) भारत सरकार पहले से ही सामाजिक बुराइयों पर अपनी कार्यशालाओं, सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चेतना फैलाने के लिए कार्यक्रम तथा प्रचार अभियानों को कार्यान्वित कर रही है उदाहरणार्थ राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एमएमईडब्ल्यू) अथवा स्वायत्त संस्थाओं द्वारा जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास (निपसिड) इत्यादि।

(ख) और (ग) ऊपर 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के माध्यम से समय समय पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चयनित पंचायती निकायों के साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श करता है और तदनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

महिला तथा बाल विकास योजनाओं में संयुक्त राष्ट्र सहायता

246. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला और बाल विकास योजनाओं हेतु सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु कोई अंशदान दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इससे राज्य-वार वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों के लिए संयुक्त राष्ट्र की भारत में कार्यरत एजेंसियों द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता सीधे नहीं दी जाती है। तथापि, यूनीसेफ भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय मध्य गांगेय मैदानों में महिला सशक्तीकरण एवं आजीविका कार्यक्रम (प्रियदर्शनी) चला रहा है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र की एक वित्तीय संस्था - अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष से ऋण के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता से किया जाता है। प्रियदर्शनी 7 जिलों अर्थात बिहार के मधुबनी एवं सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के अमेठी, श्रावस्ती, रायबरेली, सुलतानपुर एवं बहराइच जिलों में महिलाओं एवं किशोरियों के समग्र सशक्तीकरण का स्व-सहायता समूह आधारित कार्यक्रम है। मंत्रालय नोडल एजेंसी हैं और नाबार्ड प्रमुख कार्यान्वियनकर्ता एजेंसी है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को कोई राशि नहीं दी जाती है।

(ख) से (घ) प्रियदर्शनी कार्यक्रम की कुल लागत 147.28 करोड़ रुपए हैं, जिसमें भारत सरकार का अंश 12.28 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम दिसंबर, 2009 में कारगर घोषित किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान 19 लाख रुपए (2009-10), 108 लाख रुपए (2010-11) एवं 653 लाख रुपए (2011-12) व्यय हुए।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार को बैंक ऋण

247. **श्री राम सुन्दर दास :**
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंक देश में पूंजी बाजार को ऋण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे ऋणों पर यूनियन बैंकों द्वारा बैंक-वार किस दर पर ब्याज लिया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किए गए/ निर्धारित दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 2010, 2011 और 2012 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजी बाजार में कुल अग्रिमों और पूंजी बाजार में कुल निवेश (एक्सपोजर) का विवरण, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उपलब्ध कराया गया है, नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

बैंक समूह	मार्च 2010		मार्च 2011		मार्च 2012	
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	उसमें से पूंजी बाजार को कुल अग्रिम	पूंजी बाजार की तुलना में कुल एक्सपोजर	उसमें से पूंजी बाजार को कुल अग्रिम	पूंजी बाजार की तुलना में कुल एक्सपोजर	उसमें से पूंजी बाजार को कुल अग्रिम
सरकारी क्षेत्र के बैंक	35727	6565	42459	8175	36760	9458
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	23325	12182	41228	29311	37960	24938

स्रोत: नवीनतम अद्यतन किए गए ओएसएमओएस डाटाबेस (21.11.21)

बैंक आधार दर के संदर्भ में ऋणों और अग्रिमों पर अपने वास्तविक उधार दरों का निर्धारण करते हैं। सभी श्रेणियों के ऋणों का आधार दर के संदर्भ में ही मूल्य-निर्धारण किया जाता है जिनकी (आधार दर) घोषणा बैंकों द्वारा अपने संबंधित निदेशक-मंडलों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है। चूंकि आधार दर सभी प्रकार के ऋणों के लिए न्यूनतम दर होगी, बैंकों को आधार दर से नीचे किसी प्रकार का उधार देने की अनुमति नहीं दी जाती है। उधार पर विनियामकीय दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रियायतों द्वारा बनाया गया राजस्व अंतर

248. श्री एम. बी. राजेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट 2012-13 में निगमित क्षेत्र को प्रदान किए गए नए कर/शुल्क में छूट का ब्यौरा क्या है तथा इसका संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) अप्रत्यक्ष कर 'अपने स्वरूप' के अनुसार माल एवं सेवाओं पर लगाये जाते हैं और न कि व्यक्तियों अथवा कंपनियों पर। सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट सामान्यत: माल पर दी जाती है। इसी प्रकार, सेवा कर में छूट सामान्यत: सेवाओं पर दी जाती है। इस प्रकार छूट निगमित क्षेत्र को नहीं दी जाती है। तथापि, जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, वर्ष 2012-13 के बजट में निगमित क्षेत्र को प्रदान की गई कर में नई छूटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संग्रहण पर इसका प्रभाव वर्ष के दौरान राजस्व में 4500 करोड़ रुपए के निवल नुकसान के रूप में होने का अनुमान है।

(ख) संलग्न विवरण में उल्लिखित छूटों के कार्यान्वयन के लिए जहां तक संभव था, नियम एवं दिशा-निर्देश अधिसूचित किये गये हैं।

विवरण

बजट 2012-13 में निगमित क्षेत्र को प्रदान की गई नई छूटों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में धारा 35 ग ग घ अंत:स्थापित की गई थी जिसमें "कारोबार अथवा व्यवसाय में लाभ एवं अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय

की गणना में, निर्धारित किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च (भूमि तथा भवन के अलावा) की 150 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति का प्रावधान करता है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में धारा 35 ग ग ग अंत:स्थापित की गई थी जिसमें "कारोबार अथवा व्यवसाय में लाभ एवं अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना में, निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर कर निर्धारिती द्वारा किये गये खर्च की 150 प्रतिशत की भारित कटौती का प्रावधान करता है।

(iii) अधिनियम की धारा 35(2कख) के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का खर्च नहीं) अथवा आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं पर वहन किए गए खर्च की भारित कटौती का 31.03.2012 के बाद 5 वर्षों के लिए विस्तार।

(iv) धारा 32 (iiक) के अंतर्गत विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कारोबार में लगे निर्धारिती द्वारा अधिग्रहित नई मशीनरी अथवा संयंत्र (प्लांट) पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को अनुमति देना।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क घ के अंतर्गत निवेश से जुड़े प्रोत्साहन को निम्नलिखित तीन नये कारोबार में लगे कॉरपोरेट क्षेत्र सहित अन्य निर्धारितियों के लिए बढ़ाया गया है:

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत अधिसूचित अथवा अनुमोदित अन्तर्देशीय आधार डिपो या आधान माल स्टेशन की स्थापना तथा प्रचालन;

(ख) मधुमक्खी पालन तथा शहद व मोम उत्पादन;

(ग) चीनी भंडारण के लिए माल गोदाम सुविधा की स्थापना तथा प्रचालन।

(vi) आयकर अधिनियम (1961) की धारा 35 क घ के तहत धारा की उप-धारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (i) अथवा उप-खंड (ii) अथवा उप-खंड (v) अथवा उप-खंड (vii) अथवा उप-खंड (viii) में संदर्भित पांच विनिर्दिष्ट कारोबारों के संबंध में पूंजीगत व्यय की कटौती को 100% से बढ़ाकर 150% किया गया है।

(vii) आयकर अधिनियम की धारा 80-I क की उप-धारा (4) के खंड (iv) के तहत विद्युत क्षेत्र में कटौती को एक और वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2013 तक कर दिया गया है।

(viii) नकद अंतरण संव्यवहारों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस.टी.टी) को 20% (0.125 से 0.1%) तक कम कर दिया है।

(ix) किसी भारतीय कंपनी द्वारा 1 जुलाई, 2012 को किसी समय अथवा उसके बाद परन्तु 1 जुलाई, 2015 से पहले भारत से बाहर किसी स्रोत से एक ऋण करार के तहत या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दीर्घावधि अवसंरचना बांडों को जारी करके विदेशी मुद्रा में धन उधार लिए जाने के संबंध में देय ब्याज पर कर की देय को 20% से कम करके 5% तक कर दिया गया है और तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 194 ठ ग के तहत रोके गए कर को 5% प्रतिशत कर दिया गया है।

(x) विनियमों के बाहुल्य से बचने के लिए धारा 10 (23 च ख) में संशोधन करके धारा 10 (23 च ख) के तहत जोखिम पूंजी फंड और जोखिम पूंजी कंपनियों के द्वारा निवेश पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।

(xi) भारतीय कंपनियों को विदेशी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांशों पर कराधान की न्यूनतम दर (15%) को आयकर अधिनियम की धारा 115 ख ख घ में संशोधन करके एक वर्ष और जारी रखा गया है।

(xii) द्विस्तरीय संरचना के मामलों में लाभांश वितरण कर के कर प्रपाती प्रभाव को हटाने के लिए अधिनियम की धारा 115-ण में संशोधन करके बहु-स्तरीय कारपोरेट संरचना पर भी इसे लागू कर दिया गया है।

(xiii) धारा 10 (48) के अंतर्गत उसमें प्रदत्त शर्तों के अधीन विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में व्यक्तियों को कच्चे तेल

की बिक्री के लिए भारतीय मुद्रा में प्राप्त आय पर कर में छूट का प्रावधान किया गया है।

प्राकृतिक गैस का विपणन लाभ

249. **श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र के प्राकृतिक गैस के विपणनकर्ताओं से विपणन लाभ के संबंध में उर्वरक मंत्रालय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा कब तक प्राकृतिक गैस के विपणन लाभ पर निर्णय लेने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। उर्वरक उद्योग को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा प्रभारित किए जा रहे विपणन मार्जिन पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उर्वरक विभाग द्वारा किए गए अनुरोध पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किसी मार्केटर द्वारा प्राकृतिक गैस की बिक्री पर लागू विपणन मार्जिन के मुद्दे को पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के खंड 11(जे) के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को भेजा है। तदनुसार, बोर्ड को, कंपनी द्वारा वहन की गई विपणन लागतों के आधार पर विपणन कंपनी द्वारा अन्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वसूलीयोग्य विपणन मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने का दायित्व प्रदान किया गया है।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने प्राकृतिक गैस पर विपणन मार्जिनों के मुद्दों से प्रभावित कंपनियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उक्त बातचीत के दौरान प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोणों को संकलित किया जा रहा है और मामले में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पीएनजीआरबी ने मामले का निष्कर्ष प्रस्तुत करने और अपना निर्णय देने का प्रस्ताव रखा है।

ओडिशा में डीलर

250. **श्री जयराम पांगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा के केबीके क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पाद वितरकों की अपर्याप्त संख्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओडिशा के कोरापुट तथा रायगढ़ क्षेत्रों में और ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद डीलर नियुक्त करने/एजेंसी स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) ओडिशा के केबीके क्षेत्र में ग्राहकों की पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरी तरह से मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में ओडिशा के केबीके क्षेत्र में ग्रामीण आरओज सहित 148 खुदरा बिक्री केन्द्र और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आजीजीएलवीवाई) सहित 47 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं और ओडिशा के कोरापुट और रायगढ़ सहित केबीके क्षेत्र में ग्रामीण आरओज सहित 157 आरओज और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीएलवीवाई) सहित 41 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तेल परिसंपत्तियों हेतु बोली

251. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम भारतीय तेल निगम, तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड कनाडा तथा अन्य देशों में तेल परिसंपत्तियों हेतु बोली लगा रहे हैं या संयुक्त रूप से बोली लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक बोली की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन उद्यमों, ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल), (ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) के साथ परिसंघ में अनेक देशों में तेल परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त रूप से बोली के लिए मिल कर काम किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी बोलियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं जो सफल रही हैं:

क्र.सं.	भागीदार		देश
1.	रेपसोल	11%	वेजेजुएला कारोबोबो परियोजना - I
	पेट्रोनास	11%	
	ओवीएल	11%	
	आईओसी	3.5%	
	ओआईएल	3.5%	
	कार्पोरेसियन वेनेजुएला डेल पेट्रोलियो (सीवीपी)	60%	

[हिन्दी]

गरीबों की शल्य चिकित्सा

252. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों की शल्य चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सीय आवश्यकताओं हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मापदंड हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित आवेदनों की संख्या कितनी है तथा राज्य-वार एवं अस्पताल-वार कितनी धनराशि संवितरित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) जी हां। स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान (एचएमडीजी) और राष्ट्रीय आरोग्य निधि अर्थात राष्ट्रीय रोग सहायता निधि (एनआईएएफ) के अंतर्गत निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंड इस प्रकार हैं:

(i) निर्धन रोगी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 75,000/-रुपए से कम हो और बड़ी बीमारी से पीड़ित तथा सरकारी अस्पतालों/संस्थाओं में एक बार के उपचार के जरूरतमंद रोगी एचएमडीजी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता की सीमाएं इस प्रकार हैं:- (क) यदि उपचार की अनुमानित लागत 50,000/-रुपए तक हो, तो 20,000/-रुपए; (ख) यदि उपचार की अनुमानित लागत 50,000/-रुपए से अधिक और 1,00,000/-रुपए तक हो, तो 40,000 रुपए तथा (ग) यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,00,000/-रुपए से अधिक हो, तो 50,000/-रुपए।

(ii) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले उन रोगियों जो जीवन को खतरे में डालने वाली किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर रहे हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता उस अस्पताल जिसमें वे उपचार प्राप्त कर रहे हैं, के चिकित्सा अधीक्षक को 'एक बार के अनुदान' के रूप में जारी की जाती है। आवेदक को उपचारी डाक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत भरे हुए तथा उस अस्पताल (सरकारी अस्पताल), जहां पर रोगी उपचार प्राप्त कर रहा है, के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ खंड विकास अधिकारी/तहसीलदार/कलेक्टर/उप-जिलाधीश (एसडीएम) से मूल आय प्रमाण-पत्र लगा होना चाहिए। बी पी एल आवेदकों के मामले में परिवार के सदस्यों का ब्यौरा अर्थात् राशन कार्ड की सत्यापित प्रति लगी होनी चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) के लिए प्रतिमान इस प्रकार हैं :-

(क) गरीबी की रेखा से नीचे और कैंसर से पीड़ित और सरकारी अस्पतालों व 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों किसी में भी उपचार करवा रहे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) संबंधित संस्थानों/अस्पतालों के विवेक पर रखी गई चल निधि के माध्यम से वे कैंसर रोगी को 1,00,000 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अस्पतालों द्वारा इस सीमा से अधिक की वित्तीय सहायता वाले मामलों को केंद्रीय निधियों से सहायता के लिए भेजा जाएगा।

(iv) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तकनीकी रूप से इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है और इसके पश्चात पात्र रोगी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। संबंधित अस्पताल को स्वीकृत धनराशि का चैक जारी किया जाता है जिसके द्वारा मंत्रालय को समुपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(घ) पात्र आवेदकों जिनको पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान एचएमडीजी और आरएएन/एचएमसीपीएफ के अंतर्गत लाभ हुआ है, की राज्य/क्षेत्रवार और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों की सूची क्रमश: संलग्न विवरण-I से III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 व 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा और रोगियों की संख्या

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13 (07.11.12 को)	
	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	108	324.67	100	282.15	73	293.42	64	212.14
पश्चिम बंगाल	06	16.56	08	27.78	07	31.36	06	17.90
जम्मू और कश्मीर	04	13.80	14	49.97	18	85.30	13	41.52
दिल्ली	21	84.31	32	105.22	27	97.56	14	69.89
मध्य प्रदेश	05	14.25	05	10.92	07	45.50	07	19.20
बिहार	43	134.87	42	134.41	35	134.65	41	164.15
राजस्थान	06	23.25	07	24.78	05	12.40	02	3.10
ओडिशा	06	12.60	03	11.01	03	9.23	02	3.80
हरियाणा	17	50.08	20	56.09	14	41.42	12	30,80
उत्तराखंड	06	14.60	10	35.58	06	11.63	04	16.62
हिमाचल प्रदेश	02	6.90	02	9.35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	01	6.50	03	12.00	03	11.00	02	10.65
छत्तीसगढ़	02	4.75						
पंजाब			01	1.42	04	8.89		
चंडीगढ़								
गुजरात								
महाराष्ट्र								
कर्नाटक								
तमिलनाडु								
केरल							02	07.00
आन्ध्र प्रदेश					01	7.50		
मणिपुर			04	20.98	03	14,00	03	10.60
असम			02	5.75			01	2.47
त्रिपुरा								
अरुणाचल प्रदेश	01	3.55						
सिक्किम			01	3.65	01	6.72		
संघ राज्य क्षेत्रों के दादरा, नगर हवेली								
जोड़ (कुल)	228	710.69	254	791.06	207	810.58	173	609.84

विवरण-II

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का विवेकानुदान के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता

क्र सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		वर्ष 2012-13 (16.11.12 को)	
		रोगियों की संख्या	लाख रुपए में	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में	रोगियों की संख्या	लाख रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पश्चिम बंगाल	132	23.90	160	57.00	199	83.80	143	60.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	उत्तर प्रदेश	10	2.00	58	25.50	46	22.30	33	15.20
3	बिहार	06	1.20	18	6.80	30	13.50	22	10.00
4	उत्तराखंड	–	–	1	0.50	–	–	01	0.40
5	दिल्ली	08	1.50	02	0.70	10	4.70	06	2.70
6	ओडिशा	04	0.80	1	0.50	–	–	01	0.50
7	महाराष्ट्र	–	–	01	0.20	01	0.50	–	–
8	मध्य प्रदेश	03	0.60	04	1.70	05	2.20	–	–
9	पंजाब	–	–	01	0.50	–	–	01	0.20
10	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–
11	आंध्र प्रदेश	–	–	01	0.50	–	–	01	0.50
12	केरल	–	–	07	2.50	12	4.09	07	2.80
13	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
14	हरियाणा	02	0.40	05	1.80	04	1.90	02	1.00
15	असम	–	–	–	–	–	–	–	–
16	राजस्थान	–	–	01	0.20	–	–	01	0.50
17	झारखंड	–	–	01	0.40	01	0.50	01	0.50
18	छत्तीसगढ़	01	0.20	01	0.50	–	–	–	–
19	जम्मू और कश्मीर	01	0.20	01	0.50	06	2.70	02	1.00
20	तमिलनाडु	–	–	–	–	01	0.50	–	–
21	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	01	0.50	–	–
	जोड़ (कुल)	167	30.80	263	99.80	316	137.19	221	95.95

विवरण-III

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 व 2012-13 के दौरान कैंसर केंद्रों द्वारा एचएमसीपीएफ चल निधि में से प्रदान की गई वित्तीय सहायता

2009-10 - 280.00 लाख रुपये (1528 रोगी)

2010-11 - 340.00 लाख रुपये (2538 रोगी)

2011-12 - 500.00 लाख रुपये (4060 रोगी)

2012-13 - 500.00 लाख रुपये (1852 रोगी)

क्र सं.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (20.11.12 तक)	
		आबंटित धन	रोगियों की संख्या	आबंटित धन	रोगियों की संख्या	आबंटित धन	रोगियों की संख्या	आबंटित धन	रोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कैंसर अस्पताल, त्रिपुरा, अगरतला	10.00	177	40.00	615	20.00	551	40.00	431
2	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	30.00	478	80.00	376	80.00	322	40.00	
3	किदवई मेमोरियल कैंसर विज्ञान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक	10.00	10	10.00	85	40.00	513	40.00	258
4	क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (डब्ल्यू आई ए) अड्यार, चेन्नई तमिलनाडु	20.00	20	10.00	20	30.00	42	30.00	25
5	आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर, कैंसर अनुसंधान के लिए केन्द्र और उपचार, कटक, ओडिशा	10.00	24			20.00	24		
6	क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	10.00	180	40.00	800	40.00	839	40.00	217
7	कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	10.00	36			10.00	32	10.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (एम्स), नई दिल्ली	10.00	26	30.00	83	20.00			
9	आरएसटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र	10.00	97			20.00	28	20.00	
10	पंडित मेडिकल कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़, जेएनएम	10.00	15	10.00	21	20.00			
11	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़	10.00	25	10.00	21	10.00			
12	शेर - आई - कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, साउरा, श्रीनगर	10.00					215	10.00	
13	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर, इम्फाल	10.00			41				
14	सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एसोसिएटेड, बख्शी नगर, जम्मू	10.00							
15	रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरल	10.00	56	40.00	156	60.00	282	110.00	125
16	गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद, गुजरात	10.00	14	10.00	18	20.00	110	20	–
17	कैंसर विज्ञान की एम.एन.जे संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	10.00	–						
18	पांडिचेरी रीजनल कैंसर सोसायटी, जेआईपीएमईआर, पुदुचेरी	10.00	10	10.00			7	10.00	
19	डॉ. बी.वी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम	10.00	202			30.00	681	40.00	635
20	टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई, महाराष्ट्र	10.00	18	20.00	50	30.00	111	20.00	
21	इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना बिहार	10.00	10		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट एवं अनुसंधान संस्थान (आरसीसी), बीकानेर, राजस्थान	10.00			3		2		
23	रीजनल कैंसर सेंटर, पंडित बी.डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,रोहतक हरियाणा	10.00			50	30.00	97		
24	सिविल अस्पताल, आईजोल, मिजोरम	10.00	130	20.00	189	20.00	156	40.00	135
25	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	10.00					3		
26	सरकार एआरआईजी एन एआर अन्ना मेमोरियल कैंसर अस्पताल, कांचीपुरम, तमिलनाडु							10.00	
27	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश			10.00			45	20.00	26
		280.00	1528	340.00	2538	500.00	4060	500.00	1852

समुपयोजन प्रमाण-पत्र और लाभार्थियों की संख्या अभी भी प्राप्त नहीं हुई है।

जननी सुरक्षा योजना

253. **श्री वीरेन्द्र कश्यप :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जननी सुरक्षा योजना शुरू होने के पश्चात सभी राज्यों ने इसके कार्यान्वयन में अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या 'आशा' को पैकेज के रूप में मिलने वाला पारिश्रमिक काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इस पैकेज को बढ़ाने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या जननी सुरक्षा योजना हेतु बजट का अलग से आबंटन कियाा गया है यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गई है। अपनी शुरूआत से ही जननी सुरक्षा योजना अत्यधिक सफल रही है और योजना की उपलब्धि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में संस्थागत प्रसवों की प्रतिशतता में सुधार के रूप में दृष्टिगोचर है जो 47% (डीएलएचएस-III, 2007-2008) से बढ़कर 72.9% (सीईएस, 2009) हो गई है। जेएसवाई लाभार्थियों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आशा एक सामुदायिक स्वयंसेवी है और इसलिए उसे पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, आशा गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को सुकर बनाने के लिए नीचे दिए गए ब्यौरानुसार निष्पादन आधारित प्रोत्साहनों के लिए पात्र है:

राज्य	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
निम्न निष्पादन वाले राज्य (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, असम और जम्मू व कश्मीर)	600/-रुपए	200/-रुपए
उच्च निष्पादन वाले राज्य (सभी शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	200/-रुपए	200/-रुपए

(ङ) जननी सुरक्षा योजना के लिए बजट अलग से आबंटित किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना के लिए बजट आबंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गई है।

विवरण-I

जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**							
1.	बिहार	0	89839	838481	1144000	1246566	1399453	1432439
2.	छत्तीसगढ़	3190	76667	175978	225612	249488	303076	334098

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	झारखंड	0	123910	251867	268661	215617	386354	559507
4.	जम्मू एवं कश्मीर	2134	13127	10568	7771	91887	112210	132645
5.	मध्य प्रदेश	68252	401184	1115841	1152115	1123729	1155915	1085729
6.	ओडिशा	26407	227204	490657	506879	587158	533372	634468
7.	राजस्थान	10085	317484	774877	941145	978615	986508	1008490
8.	उत्तर प्रदेश	12127	168613	797505	1548598	2082285	2341353	2327830
9.	उत्तराखंड1	1360	23873	69679	71285	79460	79925	87937
10.	हिमाचल	1585	6303	10371	8215	16851	21806	21811
	उप-योग	125140	1448204	4535824	5874281	6671656	7319972	7624954
ख.	**अन्य राज्य**							
11.	आंध्र प्रदेश	167000	429000	563401	551206	318927	254890	261860
12.	गोवा	57	483	898	688	650	1352	1673
13.	गुजरात	0	121153	185956	213391	356263	343600	342211
14.	हरियाणा	1825	23123	35441	0	63326	63171	66084
15.	कर्नाटक	50542	233147	283000	400349	475193	445997	454544
16.	केरल	0	56072	162050	136393	134974	103605	105205
17.	महाराष्ट्र	5650	97390	375000	224375	347799	354108	302040
18.	पंजाब	11595	16079	9917	67911	97089	155242	109587
19.	तमिलनाडु	321567	288224	229609	386688	389320	359734	340454
20.	पश्चिम बंगाल	31363	224863	572651	748343	724804	781168	787604
	उप-योग	589599	1489534	2428294	2737559	2908342	2862867	2771262

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग. संघ राज्य क्षेत्र								
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	314	600	354	197	498	132	386
22.	चंडीगढ़	0	14	1215	467	199	213	536
23.	दादरा और नगर हवेली	146	76	270	157	594	1273	1104
24.	दमन और दीव	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
25.	दिल्ली	0	242	7238	23829	21564	19441	20145
26.	लक्षद्वीप	114	42	200	288	899	866	643
27.	पुदुचेरी	379	2284	4389	4807	4932	4680	5236
	उप-योग	953	3258	13666	29745	28686	26605	28050
घ. पूर्वोत्तर राज्य								
28.	अरुणाचल प्रदेश	794	1433	7689	10180	10257	9915	12135
29.	असम	17523	190334	304741	327894	366433	389906	412559
30.	मणिपुर	0	7602	8664	11096	17375	19903	17173
31.	मेघालय	471	4257	1003	5329	14738	16750	18905
32.	मिजोरम	1056	7462	13371	15482	14265	13953	12326
33.	नागालैंड	0	1301	8457	9790	22728	13291	15863
34.	सिक्किम	1128	1719	1616	3606	3292	3531	3285
35.	त्रिपुरा	2247	3203	15547	20166	20500	20202	20871
	उप-योग	23219	217311	56347	75649	469588	487451	513117
	महायोग	738911	3158307	7328501	9036913	10078275	10696895	10937383

विवरण-II

जननी सुरक्षा योजना के लिए आबंटन

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य				
1.	बिहार	229.96	249.97	250.85
2.	छत्तीसगढ़	57.4	74.67	68.85
3.	हिमाचल प्रदेश	1.01	2.18	1.9
4.	जम्मू और कश्मीर	27.81	26.25	21.93
5.	झारखंड	57.69	70.22	69.7
6.	मध्य प्रदेश	248.32	200.78	188.08
7.	ओडिशा	104.44	121.17	108.31
8.	राजस्थान	140.01	143	184.06
9.	उत्तर प्रदेश	310.28	399.38	475.33
10.	उत्तराखंड	13.5	20.31	15.12
पूर्वोत्तर राज्य				
11.	अरुणाचल प्रदेश	1.6	1.64	1.41
12.	असम	92.83	101.5	93.39
13.	मणिपुर	1.18	1.32	2.2
14.	मेघालय	1.96	2.28	1.28
15.	मिजोरम	1.47	1.66	1.78
16.	नागालैंड	2.36	3.66	2.73
17.	सिक्किम	0.22	0.53	0.59

1	2	3	4	5
18.	त्रिपुरा	2.29	3.17	3.36
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य				
19.	आंध्र प्रदेश	45.5	50.36	32.88
20.	गोवा	0.08	0.1	0.1
21.	गुजरात	16.1	22.38	21
22.	हरियाणा	6	6.99	6.6
23.	कर्नाटक	27.4	46.03	38.54
24.	केरल	14.79	9.66	13.55
25.	महाराष्ट्र	28.9	22.59	35.28
26.	पंजाब	4.9	6.12	6.46
27.	तमिलनाडु	31.68	35.3	34.52
28.	पश्चिम बंगाल	43.39	43.3	58.37
छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.11	0.12	0.06
30.	चंडीगढ़	0.08	0.08	0.08
31.	दादरा और नगर हवेली	0.14	0.14	0.15
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	1.69	3.18	2.18
34.	लक्षद्वीप	0.09	0.05	0.07
35.	पुदुचेरी	0.23	0.33	0.34
	कुल	1515.4	1670.39	1741.05

[अनुवाद]

आई.बी.एम. द्वारा एसबेस्टस के खनन पर अध्ययन

254. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने एसबेस्टस खनन में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एसबेस्टस खनन हेतु सुरक्षोपाय के दिशानिदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसकी अनुमति प्रदान करने/नवीकरण पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक अंतिम रूप देने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (च) मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो, (आईबीएम) ने 'राजस्थान में एसबेस्टस खानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों में प्रदूषण स्तर का अध्ययन' नामक एक विज्ञान एवं तकनीकी परियोजना शुरू की थी। अध्ययन में यह सिफारिश की गई कि कार्य वातावरण में प्रदूषण स्तर के लिए सुरक्षा उपायों के अध्यधीन खनन पट्टों की स्वीकृति एवं नवीकरण तथा खनन के विस्तार पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएं।

सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके अध्ययन की सिफारिशों की जांच की गई है। कुछ स्टेकहोल्डरों ने सुझाव दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ एसबेस्टस खनन को अनुमति दी जा सकती है। आईबीएम ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ परामर्श करके एसबेस्टस के खनन के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया है, जो स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श के साथ अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने तक एसबेस्टस के खनन पट्टों को प्रदान करने/नवीकरण पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं जा सकता है।

[हिन्दी]

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत प्रस्ताव

255. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि "जनजातीय उपयोजना" एक रणनीति है जिसके अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2005 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में निधियां चिन्हित करनी होंगी। यद्यपि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने टीएसपी दस्तावेज योजना आयोग को प्रस्तुत करने होते हैं, टीएसपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अलग-अलग प्रस्ताव/परियोजना योजना आयोग द्वारा इनको प्राप्त/इनकी जांच नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

नई पेंशन योजना का कार्यान्वयन

256. **श्री एस. एस. रामासुब्बू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या एनपीएस को आम जनता से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता के मासिक अंशदान को तेजी से बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विभिन्न क्षेत्रों जैसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र और एनपीएस-लाइट के लिए कार्यान्वित की गई है। 10 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों में एनपीएस की स्थिति निम्नवत है:—

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (आंकड़े लाख में)	प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां (रुपए करोड़ में)
केन्द्रीय सरकार	10.62	14,846
राज्य सरकार	14.67	7,445
निजी क्षेत्र	1.64	835
एनपीएस-लाइट	13.05	344
कुल	39.98	23,470

(ख) जी, नहीं। सभी क्षेत्रों में अभिदाताअें की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार द्वारा अभिदाताओं के मासिक अंशदान को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जो एनपीएस स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, के लिए समतुल्य अंशदान उपलब्ध कराती है। एनपीएस स्वावलंबन खातों के मामले, में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1000/- रुपए अंशदान दिया जा रहा है।

(च) एनपीएस ट्रस्ट का गठन निवेश और आस्ति प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त पेशवरों को मिलाकर किया गया है। यह एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए गए पेंशन निधि प्रबंधकों (पीएफएम) के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। पीएफएम, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा निर्धारित निवेश प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुरूप एनपीएस अभिदाताओं द्वारा किए गए निवेशों का प्रबंधन करता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त शिकायतें

257. श्री कामेश्वर बैठा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा, प्रकृति तथा संख्या कितनी है; और

(ख) इन पर राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों को उन पर होने वाले विभिन्न अत्याचारों से संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने सूचित किया है कि प्राप्त शिकायतों पर नजर रखने तथा आयोग में निपटाए गए अधिकतर मामलों के बारे में सूचना के लिए एक कंप्यूटरीकृत फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफटीएस) विकसित की गई है। आयोग ने कहा है कि इसने फरवरी, 2004 में इसको स्थापित किए जाने के पश्चात 20.11.2012 तक झारखण्ड सहित 11,264 शिकायतें पंजीकृत की हैं।

(ख) एनसीएसटी ने आगे कहा है कि शिकायतों की प्राप्ति पर यह संबंधित प्राधिकरणों से वास्तविक ब्यौरे मांगता है। प्राप्त उत्तर की जांच के पश्चात आयोग पीड़ित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों की पुनःस्थापना को सुनिश्चित करने के लिए मामले में अपने सर्वेक्षणों और निष्कर्षों तथा सुझावों को संबंधित प्राधिकरणों को भेजता है। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) नियमावली, 1995 विभिन्न अत्याचारों से अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा क्रमशः किए जाने वाले विभिन्न उपायों को निर्धारित करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु छात्रावास

258. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन छात्रों के लिए छात्रावासों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावास महत्वपूर्ण अवसंरचना माने जाते हैं चूंकि शिक्षा संस्थाओं और अध्यापकों की सुदूर स्थानों पर अवस्थिति कठिन मानी जाती है। तथापि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें द्वारा 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को गारंटीड स्कूली शिक्षा देता है। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए संबंधित राज्य और विश्वविद्यालय/संस्थाओं से दूरस्थ स्थानों के विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। "अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास" की योजना के तहत यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे छात्रावास की आवश्यकता के अनुसार भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर छात्रावास निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों एवं विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे छात्रावासों की आवश्यकता के आधार पर भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर छात्रावास निर्माण के लिए राज्य सरकारों (राजस्थान सहित)/संघ राज्य प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है। इस योजना के तहत, वर्ष 2012-13 के लिए बजट में 78.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित 10.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

[अनुवाद]

बीमा एफडीआई में वृद्धि

259. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीमा एफडीआई में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) गरीब लोगों द्वारा बीमा क्षेत्र में किए गए निवेश को सरकार का किस प्रकार संरक्षण प्रदान करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 22.12.2008 को राज्य सभा में बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पेश किया था। विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विदेशी कंपनी द्वारा स्वयं अथवा अपनी अनुषंगी कंपनी अथवा भारतीय बीमा कंपनियों में अपने नामिति के माध्यम से इक्विटी शेयर की सकल धारिता को छब्बीस प्रतिशत से उनचास प्रतिशत (26% से 49%) तक बढ़ाने के प्रावधान को मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तथा विधेयक में आधिकारिक संशोधनों को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विदेशी इक्विटी की सीमा को बढ़ाया जा रहा

है ताकि बीमा कंपनियों की बढ़ती हुई पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। बीमाकर्त्ताओं के उत्पादों की जांच और अनुमोदन, बीमाकर्त्ताओं को निवेश के निर्धारित पैटर्न का पालन करने और पालिसीधारकों की शिकायतों का निवारण करने के अधिदेश के जरिए ऐसी सुरक्षा व्यापक रूप से सुनिश्चित की जाती है। आईआरडीए बीमा कंपनियों को यह अधिदेश देता है कि वे नए उत्पाद पेश करने से पूर्व उसके फाइल और उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से आईआरडीए का अनुमोदन प्राप्त करें। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि बीमा उत्पाद आवश्यकता आधारित होना चाहिए और इनकी कीमतें युक्तिसंगत होनी चाहिए। एक बार जब नया उत्पाद मंजूर कर लिया जाता है, बीमा कंपनी बिना प्राधिकरण के अनुमोदन के इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।

आईआरडीए ने आईआरडीए (निवेश) विनियमावली, 2000 निर्धारित की है जिसके कारण पालिसीधारक का निवेशित धन सुरक्षित रहता है क्योंकि बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनियामावली में निर्धारित तरीके से निधियों का निवेश करें।

बीमा कंपनियों को अधिदेश दिया गया है कि वे आईआरडीए की पालिसीधारक के हितों की रक्षा से संबंधित विनियामवली, 2002 के जरिए पालिसीधारकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक किफायती, त्वरित प्रभावी तंत्र स्थापित करें। आईआरडीए ने शिकायतों का एक केन्द्रीय भंडार तैयार किया है तथा एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) लागू की है। आईआरडीए ने आईआरडीए शिकायत काल सेन्टर भी आरंभ किया है जो ग्राहकों को टोल-फ्री नं. 155255 प्रदान करता है।

सोने की खरीद हेतु सुनारों को अग्रिम

260. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास सुनारों को सोने की खरीद हेतु बैंक ऋण प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह देते हुए दिनांक 19.11.2012 को एक परिपत्र जारी किया है कि कार्यशील पूंजी वित्त के अलावा बैंकों को किसी भी रूप में सोने की खरीद के वित्तपोषण की अनुमति नहीं है। यह परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यम

261. **श्री सी. आर. पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पेट्रोलियम तथा सहायक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम का गठन किया हैं; और

(ख) इस प्रकार बनाए गए संयुक्त उद्यम के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों (पीएसयूज) नामतः ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), ऑल इंडिया लि. (ओआईएल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और गैस अथॉरिटी इंडिया लि. (गेल) ने पेट्रोलियम और संबद्ध क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम बनाए हैं। ओएनजीसी, ओआईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के संयुक्त उद्यमों की सूचियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। उपर्युक्त उल्लिखित पीएसयूज द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यमों के संगम ज्ञापन और अंतर्नियम के कंपनी-वार और संयुक्त उद्यम-वार ब्यौरे संबंधित पीएसयू के कंपनी सचिवों के पास उपलब्ध हैं।

विवरण

1. ओएनजी, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों के आगामी विकास/प्रचालन हेतु सरकार के साथ हस्ताक्षरित उतपादन भागीदारी संविदा (पीएससी) में अन्य निजी क्षेत्र इकाइयों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम भागीदार है:

तेल/गैस क्षेत्र का नाम	रावा (तेल)	पन्ना व मुक्ता (तेल)	मध्यम व दक्षिणी ताप्ति (गैस)
स्थान	आन्ध्र प्रदेश के तट से दूर पूर्वी अपतटीय	महाराष्ट्र के तट से दूर पश्चिमी अपतटीय	पश्चिमी अपतटीय गुजरात के तट से दूर
प्रभावी तारीख (पीएससी हस्ताक्षर)	28.10.94	22.12.94	22.12.94
प्रधान दल व भागीदारी दल	ओएनजीसी : 40%	ओएनजीसी : 40%	ओएनजीसी : 40%
	वीपीएल : 25%	आरआईएल : 30%	आरआईएल : 30%
	आरओपीएल : 12.5%	ईओजीआईएल : 30%	ईओजीआईएल : 30%
	सीपीआईएल : 22.5%		

ओएनजीसी	:	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
आरआईएल	:	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ईओजीआईएल	:	एनरॉन ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड (वर्तमान में बीजीईपीआईएल के नाम से अभिज्ञात)
आरओपीएल	:	रावा ऑयल (सिंगापुर) प्रा.लि.
वीपीएल	:	वीडियोगकॉन पेट्रोलियम लि.
सीपीआईएल	:	कमांड पेट्रोलियम (आई) प्रा.लि. (वर्तमान में सीईआईएल, केयर्न इंडिया (आई) (प्रा.लि.के नाम से अभिज्ञात)
बीजीईपीआईएल	:	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि.

2. इसके अलावा, ओएनजीसीए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, बोली के अन्वेषण दौर के अंतर्गत सौंपे गए ब्लॉकों में अन्य निजी क्षेत्र इकाइयों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी संयुक्त उपक्रम भागीदार है:

तेल/गैस स्थल का नाम	पीवाई-3 (कावेरी अपतट) (तेल)	सीबी/ओएस-2 (गैस)		आरजे-ओएन-90/1 (मार्स, भाग्यम व शक्ति, कोरिशवारी)
		लक्ष्मी	गौरी	
1	2	3	4	5
स्थल	तमिलनाडु के तट के निकट पूर्वी अपतट	गुजरात तट के निकट कैम्बे की खाड़ी	खम्बड़ की खाड़ी में कैम्बे अपतट	बाड़मेर राजस्थान के निकट अभितट बेसिन

1	2	3	4	5
प्रभावी तारीख (पीएससी हस्ताक्षर)	30.12.94	30.06.98	30.06.98	15.05.95
प्रधान दल व भागीदारी हित	ओएनजीसी : 40%	ओएनजीसी : 50%	ओएनजीसी : 50%	सीईआईएल : 70%
	एचओईसी : 21%	सीईआईएल : 40%	सीईआईएल : 40%	ओएनजीसी : 30%
	टीपीएल : 21%	टीपीएल : 10%	टीपीएल : 10%	
	एचईपीएल : 18%			

ओएनजीसी : ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

एचओईसी : हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड

टीपीएल : टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड

एचईपीएल : हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (आई) इक

सीईआईएल : केयर्न एनर्जी (इंडिया) प्रा. लि. तथा इसके सहयोगी

संयुक्त उपक्रम संबंधी ब्यौरे की कृपया जांच करें/डीजीआईएल द्वारा अनुपूरित।

नोट: मैसर्स सीईआईएल का नाम परिवर्तन औपचारिक अनुमोदन के तहत मैसर्स केयर्न इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के रूप में किया गया है।

ओआईएल द्वारा नेल्प पूर्व/नेल्प में असंयोजित संयुक्त उपक्रमों (जेवी) के लिए हस्ताक्षरित उत्पादन भागीदारी संविदाओं की सूची

नेल्प :	अब तक 39 पीएससीज़ ने हस्ताक्षर किए हैं (18 प्रचालक, 1 संयुक्त प्रचालक, 20 गैर-प्रचालक)
	6 ब्लॉक परित्यक्त (5 प्रचालक, 1 गैर-प्रचालक)
	33 सक्रिय पीएससी (13 प्रचालक, 1 संयुक्त प्रचालक, 19 गैर-प्रचालक)
नेल्प पूर्व संयुक्त उपक्रम :	4 पीएससीज़ हस्ताक्षरित (गैर-प्रचालक)
	3 ब्लॉक परित्यक्त
	1 सक्रिय पीएससी (गैर-प्रचालक)
नेल्प पूर्व पीएससी :	1 पीएससीज़ हस्ताक्षरित (गैर-प्रचालक) व सक्रिय

नेल्प प्रचालक ब्लॉक

नेल्प दौर	राज्य/बेसिन	क्रम संख्या	ब्लॉक संख्या	ओआईएल का भागीदारी हित (%)	अन्य भागीदार	भागीदारी हित (%)	प्रचालक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कावेरी अपतट	1.	*सीवाई-ओएसएन-97/2	100	–	–	ओआईएल
	राजस्थान	2.	*आरजे-ओएनएन-2000/1	60	सनटेरा	40	ओआईएल
2.	महानदी अभितट	3.	*एमएन-ओएनएन-2000/1	40	ओएनजीसीलि	20	ओआईएल
					आईओसी	20	
					गेल	20	
3.	राजस्थान	4.	*आरजे-ओएनएन-2001/1	40	ओएनजीसीलि	30	ओआईएल
					सनटेरा	30	
4.	राजस्थान	5.	*आरजे-ओएनएन-2002/1	60	ओएनजीसीलि	40	ओआईएल
	असम	6.	एए-ओएनएन-2002/3	30	ओएनजीसीलि	70	ओआईएल
5.		7.	एए-ओएनएन-2003/3	85	एचपीसीएल	15	ओआईएल
6.	मिज़ोरम	8.	एमज़ेड-ओएनएन-2004/1	85	शिव-वाणी	15	ओआईएल
	असम	9.	एए-ओएनएन-2004/1	85	शिव-वाणी	15	ओआईएल
		10.	एए-ओएनएन-2004/2	100	–	–	ओआईएल
	राजस्थान	11.	आरजे-ओएनएन-2004/2	75	जीजीआर	25	ओआईएल
		12.	आरजे-ओएनएन-2004/3	60	जीजीआर	25	ओआईएल
					एचपीसीएल	15	
	आन्ध्र प्रदेश/ पुदुचेरी	13.	आरजे-ओएनएन-2004/1	90	जीजीआर	10	ओआईएल
7.	राजस्थान	14.	आरजे-ओएनएन-2005/2	60	एचएमईएल	20	ओआईएल
					एचओईसी	20	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कावेरी अपतट	15.	सीवाई-ओएसएन-2009/2	50	ओएनजीसीलि	50	ओआईएल
	असम	16.	एए-ओएनएन-2009/4	50	ओएनजीसीलि	50	ओआईएल
9.	असम	17.	एए-ओएनएन-2010/2	40	ओएनजीसीलि	30	ओआईएल
					गेल	20	
					ईडब्ल्यूपी	10	
		18.	एए-ओएनएन-2010/3	40	ओएनजीसीलि	40	ओआईएल
					बीआरपीएल	20	

*परित्यक्त ब्लॉक

नेल्प प्रचालक ब्लॉक

नेल्प दौर	राज्य/बेसिन	क्रम संख्या	ब्लॉक संख्या	ओआईएल का भागीदारी हित (%)	अन्य भागीदार	भागीदारी हित (%)	प्रचालक
8.	अंडमान अपतट	1	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/3	40	ओएनजीसीलि	60	ओएनजीसीलि(ओ) ओआईएल (जेओ)

नेल्प प्रचालक ब्लॉक

नेल्प दौर	राज्य/बेसिन	क्रम संख्या	ब्लॉक संख्या	ओआईएल का भागीदारी हित (%)	अन्य भागीदार	भागीदारी हित (%)	प्रचालक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृष्णा गोदावरी	1.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4	15	ओएनजीसीएल	85	ओएनजीसीएल
2.	महानदी अपतट	2.	एमएन-ओएसएन-2000/2	20	ओएनजीसीएल	40	ओएनजीसीएल
					गेल	20	
					आईओसीएल	20	

1	2	3	4	5	6	7	8
	मुंबई अपतट	3.	*एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/2	10	ओएनजीसीएल	50	ओएनजीसीएल
					गेल	15	
					आईओसीएल	15	
					जीएसपीसी	10	
3.	असम	4.	एए-ओएनएन-2001/3	15	ओएनजीसीएल	85	ओएनजीसीएल
	कावेरी अपतट	5.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/1	20	ओएनजीसीएल	55	ओएनजीसीएल
					पेट्रोबस	25	
4.	असम	6.	एए-ओएनएन-2002/4	10	ओएनजीसीएल	90	ओएनजीसीएल
	कृष्णा गोदावरी	7.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2002/1	20	ओएनजीसीएल	70	ओएनजीसीएल
					बीपीआरएल	10	
	महानदी अपतट	8.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	20	ओएनजीसीएल	36	ओएनजीसीएल
					बीपीआरएल	10	
					ईएनआई	34	
6.	कृष्णा गोदावरी	9.	केजी-डीब्ल्यूएन-2004/5	10	ओएनजीसीएल	50	ओएनजीसीएल
					गेल	10	
					जीएसपीसीएल	10	
					एचपीसीएल	10	
					बीपीआरएल	10	
		10.	केजी-डीब्ल्यूएन-2004/6	10	ओएनजीसीएल	60	ओएनजीसीएल
					गेल	10	
					जीएसपीसीएल	10	
					एचपीसीएल	10	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	असम	11.	एए-ओएनएन-2005/1	30	ओएनजीसीएल	60	ओएनजीसीएल
					एसीएल	10	
	पश्चिम बंगाल	12.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4	25	ओएनजीसीएल	75	ओएनजीसीएल
	अंडमान अपतट	13.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2005/1	10	ओएनजीसीएल	90	ओएनजीसीएल
8.	कृष्णा गोदावरी	14.	केजी-ओएसएन-2009/4	30	ओएनजीसीएल	50	ओएनजीसीएल
					एनटीपीसी	10	
					एपीजीआईसी	10	
		15.	केजी-डीडब्लयूएन-2009/1	15	बीजीईपीआईएल	30	बीजीईपीआईएल
					ओएनजीसीएल	45	
					एपीजीआईसी	10	
	अंडमान अपतट	16.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/2	40	ओएनजीसीएल	60	ओएनजीसीएल
		17.	एए-ओएनएन-2009/3	50	ओएनजीसीएल	50	ओएनजीसीएल
		18.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/1	30	ओएनजीसीएल	70	ओएनजीसीएल
		19.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/18	30	ओएनजीसीएल	60	ओएनजीसीएल
					गेल	10	
9.	गुजरात कच्छ अपतट	20.	जीके-ओएसएन-2010/1	30	ओएनजीसीएल	60	ओएनजीसीएल
					गेल	10	

* परित्यक्त ब्लॉक

नेल्प -पूर्व संयुक्त उपक्रम

राज्य	क्र.सं.	ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	ओआईएल का भागीदारी हित (%)	अन्य भागीदार	भागीदारी हित (%)	प्रचालक
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	1.	*सीआर-ओएन-90/1	1906	20	प्रीमियर ऑयल	29	

1	2	3	4	5	6	7	8
					ईओआई	16	प्रीमियर
					आईओसी	35	
सौराष्ट्र	2.	*एसआर-ओएस-94/1	6860	0 (30% का कैरिड हित का विकल्प)	आरआईएल	100	आरआईएल
असम	3.	एएपी-ओएन-94/1	305	16.129% अन्वेषण चरण अतिरिक्त 30%	आईओसीएल एचओईसी	43.548 40.323	एचओईसी
गुजरात कच्छ अपतट	4.	*जीके-ओएसजे-3	5725	15	ओएनजीसीएल आरआईएल	25 60	आरआईएल

* परित्यक्त ब्लॉक

नेल्प - पूर्व पीएससी

राज्य	क्र.सं.	ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	ओआईएल का भागीदारी हित (%)	अन्य भागीदार	भागीदारी हित (%)	प्रचालक
अरुणाचल प्रदेश	1.	खारसंग पीएससी (उत्पादक क्षेत्र)	11	40	जेईपीएल ज्यो पेट्रोल ज्यो-एन्प्रो	25 25 10	ज्यो-एन्प्रा

ओआईएल के असंयोजित संयुक्त उपक्रमों के पीएससीज़ पर हस्ताक्षर की तिथि

संयुक्त उपक्रम:

क्र.सं.	ब्लॉक संख्या	कार्यान्वयन की तिथि
1	2	3
1.	खरसंग पीएससी	16.06.1995
2.	एएपी-ओएन-94/1	30.06.1998
3.	जीके-ओएसजी-3	06.09.2001
4.	सीआर-ओएन-90/1	30.06.1998

प्रचालक के रूप में ओआईएल :

1.	एए-ओएनएन-2002/3	06.02.2004
2.	एए-ओएनएन-2003/3	23.09.2005
3.	एमज़ेड-ओएनएन-2004/1	02.03.2007

1	2	3
4.	एए-ओएनएन-2004/1	02.03.2007
5.	एए-ओएनएन-2004/2	02.03.2007
6.	आर.जे-ओएनएन-2004/2	02.03.2007
7.	आरजे-ओएनएन-2004/3	02.03.2007
8.	केजी-ओएनएन-2004/1	02.03.2007
9.	आरजे-ओएनएन-2005/2	22.12.2008
10.	सीवाई-ओएसएन-2009/2	30.06.2010
11.	एए-ओएनएन-2009/4	30.06.2010
12.	एए-ओएनएन-2010/2	28.03.2012
13.	एए-ओएनएन-2010/3	28.03.2012
संयुक्त प्रचालक के रूप में ओआईएल :		
1.	एएन-डीब्ल्यूएन-2009/3	30.06.2010
गैर प्रचालक के रूप में ओआईएल :		
1.	केजी-डीब्ल्यूएन-98/4	12.04.2000
2.	एमएन-ओएसएन-2000/2	17.07.2001
3.	एए-ओएनएन-2001/3	04.02.2003
4.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/1	04.02.2003
5.	एए-ओएनएन-2002/4	06.02.2004
6.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2002/1	06.02.2004
7.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	06.02.2004
8.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/5	02.03.2007
9.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/6	02.03.2007
10.	एए-ओएनएन-2005/1	22.12.2008
11.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4	22.12.2008
12.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2005/1	22.12.2008
13.	केजी-ओएसएन-2009/4	30.06.2010
14.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2009/1	30.06.2010
15.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/2	30.06.2010
16.	एए-ओएनएन-2009/3	30.06.2010
17.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/1	30.06.2010
18.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2009/18	30.06.2010
19.	जीके-ओएसएन-2010/1	28.03.2012

इंडियन ऑयल के संयुक्त उपक्रमों की सूची

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संयोजन/निवेश की तिथि	प्रोमोटरों के नाम	प्रोमोटरों का अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1.	एवीआई-ऑयल इंडिया प्रा.लि.	04.11.1993	इंडियन ऑयल	25 प्रतिशत
			बॉमर लॉरी	25 प्रतिशत

1	2	3	4	5
			नेडेन बीवी,	50 प्रतिशत
			नीदरलैंडस	
2.	आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सर्विसिज़ लि.	28.08.1996	इंडियन ऑयल	47.905 प्रतिशत
			ऑयल टैंकिंग ग्राब,	47.905 प्रतिशत
			जर्मनी अन्य	4.19 प्रतिशत
3.	लुब्रिज़ौल इंडिया प्रा.लि.	01.04.2000	इंडियन ऑयल	50 प्रतिशत
			लुब्रिज़ौल कॉर्पोरेशन, अमरीका	50 प्रतिशत
4.	इंडियन ऑयल पेट्रोनेज प्रा.लि.	03.12.1998	इंडियन ऑयल	50 प्रतिशत
			पेट्रोनेज मलेशिया	50 प्रतिशत
5.	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	02.04.1998	इंडियन ऑयल	12.5 प्रतिशत
			बीपीसीएल	12.5 प्रतिशत
			ओएनजीसी	12.5 प्रतिशत
			गेल	12.5 प्रतिशत
			गाज़ डी फ्रांस	10.0 प्रतिशत
			एडीबी	05.2 प्रतिशत
			सार्वजनिक	34.8 प्रतिशत
6.	पेट्रोनेट इंडिया लि.	26.05.1997	इंडियन ऑयल	18 प्रतिशत
			बीपीसीएल	16 प्रतिशत
			एचपीसीएल	16 प्रतिशत
			आर आईएल	10 प्रतिशत
			ईओएल	10 प्रतिशत
			आईएल एंड एफसी	10 प्रतिशत
			एसबीआई	10 प्रतिशत

1	2	3	4	5
			आईसीआईसीआई	10 प्रतिशत
7.	पेट्रोनेट वी.के. लि.	21.05.1998	इंडियन ऑयल	26 प्रतिशत
			पेट्रोनेट इंडिया	26 प्रतिशत
			आरआईएल	13 प्रतिशत
			ईओएल	13 प्रतिशत
			एसबीआई	05 प्रतिशत
			जीआईआईसी	05 प्रतिशत
			केपीटी	05 प्रतिशत
			आईएल एंड एफसी	05 प्रतिशत
			केनरा बैंक	02 प्रतिशत
8.	पेट्रोनेट सीआई लि.	07.12.2000	इंडियन ऑयल	26 प्रतिशत
			पेट्रोनेट इंडिया	26 प्रतिशत
			आरपीएल	26 प्रतिशत
			ईओएल	11 प्रतिशत
			बीपीसीएल	11 प्रतिशत
9.	इंडियन ऑयल पानीपत पॉवर कॉनसॉरशियम लि.	06.10.1999	इंडियन ऑयल	50 प्रतिशत
			शिऑन एक्सपोर्टस प्रा.लि.	50 प्रतिशत
10.	ग्रीन गैस लि.	07.10.2005	इंडियन ऑयल	25 प्रतिशत
			गेल	25 प्रतिशत
			आईडीएफसी	20 प्रतिशत
			आईएल एंड एफसी	20 प्रतिशत
			अन्य	10 प्रतिशत
11.	इंडो कैट प्रा.लि.	01.06.2006	इंडियन ऑयल	50 प्रतिशत

1	2	3	4	5
			इंटरकैट इंक, अमरीका	50 प्रतिशत
12.	इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग लि.	21.08.2006	इंडियन ऑयल	33.33 प्रतिशत
			आईओटी	33.33 प्रतिशत
			इंफ्रास्ट्रक्चर एंड	
			एनर्जी सर्विसिज़ लि.	33.33 प्रतिशत
			स्काई टैंकिंग गैंभ जर्मनी	
13.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्रा.लि.	28.03.2010	इंडियन ऑयल बीपीसीएल	37 प्रतिशत 37 प्रतिशत
			डायल	26 प्रतिशत
14.	इंडियन सिंथेटिक रबर लि.	06.07.2010	इंडियन ऑयल	50 प्रतिशत
			त्रिमूर्ति होल्डिंग	30 प्रतिशत
			कॉर्पोरेशन	20 प्रतिशत
			मरुबेनी कॉर्पोरेशन	
15.	एनपीसीआईएल-इंडियन ऑयल	06.04.2011	इंडियन ऑयल	26 प्रतिशत
	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लि.		एनपीसीआईएल	74 प्रतिशत
16.	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लि.	13.10.2011	इंडियन ऑयल जीएसपीएल	26 प्रतिशत (भागीदारी का योगदान अभी किया जाना है)
			बीपीसीएल	52 प्रतिशत
			एचपीसीएल	11 प्रतिशत
				11 प्रतिशत
17.	जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लि.	13.10.2011	इंडियन ऑयल	26 प्रतिशत (भागीदारी का योगदान अभी किया जाना है)

1	2	3	4	5
			जीएसपीएल	52 प्रतिशत
			बीपीसीएल	11 प्रतिशत
			एचपीसीएल	11 प्रतिशत

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संयोजन/विनिवेश की तिथि	प्रतिपालक का नाम	प्रतिपालक का अंश (प्रतिशत)
1.	संटेरा नाइजीरिया 205 लि.	09.05.2006	इंडियन ऑयल	25 प्रतिशत
			ऑयल इंडिया	25 प्रतिशत
			संटेरा रिर्सोसेज़ लि. साइप्रस	50 प्रतिशत

अनुपूरक सूचना

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यमी (जेवी) के संबंध में सूचना

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम(मों) का नाम	निगमन का वर्ष	अन्य जेवी भागीदार(रें)	शेयरधारिता का स्वरूप	इस प्रकार सृजित जेवी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद का ब्यौरा उद्देश्य प्राधिकृत पूंजी
1	2	3	4	5	6
1.	एचपीसीएल मित्तल इनर्जी लि.	2007	मित्तल इन्वेस्टमेंट्स एस.ए.आर.एल	मित्तल इन्वेस्ट : 49% एचपीसीएल : 49% इंडियन फाइनियल संस्थाएं : 2%	भटिंडा, पंजाब में 9 एमएमटीपीए कच्चे तेल का परिशोधन रुपए 10,000 करोड़
2.	हिन्दुस्तान कोलास लि.	1995	कोलास, दक्षिण अफ्रीका	एचपीसीएल : 50% कोलास द.अ.: 50%	बिटूमन इमल्शन का निर्माण एवं विपणन और बिटूमन मॉडिफाई करना रुपए 30 करोड़
3.	दक्षिण एशिया एलपीजी कंपनी प्रा.लि.	1999	टोटल गैस एवं पावर इंडिया	एचपीसीएल : 50% टोटल : 50%	60,000 एमटी क्षमता वाले भूमिगत भंडार में एलपीजी का भंडारण एवं प्राप्ति एवं विशाख में प्राप्ति एवं प्रेषण सुविधा रुपए 100 करोड़

1	2	3	4	5	6
4.	पेट्रोनेट एमएचबी लि.	1998	पेट्रोनेट इंडिया लि., ओएनजीसी, वित्तीय एवं रणनीतिक भागीदार	एचपीसीएल : 28.77% ओएनजीसी : 28.77% पीआईएल : 7.90% वित्तीय एवं रणनीतिक हिस्सेदार : 50%	मंगलोर-हसन-बंगलोर के बीच पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का परिचालन एवं अनुरक्षण रुपए 600 करोड़
5.	भाग्यनगर गैस लि.	2003	जीएआईएल (गैल)	एचपीसीएल : 25% गैल : 25% रणनीतिक हिस्सेदार : 50%	आन्ध्र राज्य में पर्यावरण अनुकूल ईंधन (ईंधन) अर्थात् सीएनजी/पीएनजी का वितरण एवं विपणन
6.	अवंतिका गैस लि.	2006	गैल	एचपीसीएल : 25% गैल : 25% वित्तीय संस्था : 50%	मध्य प्रदेश राज्य में पर्यावरण अनुकूल ईंधन (ग्रीन ईंधन) अर्थात् सीएनजी/पीएनजी का वितरण एवं विपणन रुपए 100 करोड़

बीपीसीएल के संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम	बीपीसीएल की होल्डिंग (%)
1	2	3
1.	भारत ओमान रिफाइनरीस लि.	50%
2.	पेट्रोनेट इंडिया लि.	16%
3.	पेट्रोनेट सीसीके लि.	49%
4.	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	12.5%
5.	इंदरप्रस्थ गैस लि.	22.5%
6.	केन्द्रीय यू.पी. गैस लि.	25%
7.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लि.	22.5%
8.	साबरमती गैस लि.	25%
9.	कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.	2.5%
10.	भारत रिन्यूबल इनर्जी लि.	33%
11.	भारत स्टार्स सर्विर्सिस प्रा.लि.	50%
12.	मैटरिक्स भारत पीटीई लि.	50%
13.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटीज प्रा.लि.	37%
14.	कान्नोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.	74%

विषाणु जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम

262. श्री ए. के. एस. विजयन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से विषाणु जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कौन-कौन सी गतिविधियां शुरू की गई;

(ग) तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यक्रम में शामिल किए गए मलेरिया प्रवण जिलों की संख्या कितनी है;

(घ) विभिन्न राज्यों में इन जिलों में कार्यक्रम का कितना प्रभाव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा व्यय की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जी, नहीं। मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी ऐन्सेफेलाइटिस के निवारण और नियंत्रण तथा काला आजार व लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनबीबीडीसीपी) को देशभर में क्रियान्वित किया जाता है। विश्व बैंक सहायता प्रापत परियोजना को वर्ष 2009 से 5 वर्षों के लिए 9 राज्यों में मलेरिया और 3 राज्यों में काला आजार के पता लगाए गए उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों को अतिरिक्त निवेश-प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) भारत सरकार राज्यों/संघ क्षेत्रों को अनुमोदित कार्यक्रम प्रतिमानों पर उनकी तकनीकी आवश्यकता के अनुसार नकद व सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सहायता वैक्टर जन्य रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए जारी की जाती है। सहायता-प्राप्त कार्यकलापों में रोग निगरानी को सुदृढ़ करना, रोगी उपचार, महामारी नियंत्रण, मानीटरिंग व मूल्यांकन, क्षमता-निर्माता, वेक्टर नियंत्रण और पर्यावरणिक प्रबंधन, सामुदायिक जागरूकता तथा अन्तर-क्षेत्रीय समाभिरूपता के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण/बीसीसी शामिल हैं।

विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्यों को निम्नलिखित निवेश-प्रदान किए जा रहे हैं:

1. सामुदायिक स्तर पर मलेरिया और काला आजार रोगियों का पता लगाने के लिए द्रुत नैदानिक परीक्षण (आरडीटी) किटें।

2. एसीटी-सभी पी-फाल्सीपेरम रोगियों का उपचार करने के लिए आर्टेमिसिनिन आधारित सम्मिश्रण चिकित्सा और मलेरिया के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए आर्टेमिसिनिन इंजेक्शन तथा काला आजार के लिए मिल्टेफोसाइन।

3. वेक्टर नियंत्रण के लिए लंबी अवधि के कीटनाशक नेट (एलएलआईएन)।

4. राज्य, जिला व उप-जिला स्तर पर तकनीकी मानव संसाधन, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा व संप्रेषण/बीसीसी कार्यकलाप।

5. प्रचालनात्मक अनुसंधान के लिए सहायता।

(ग) 500 फुट औसत समुद्र स्तर (एमएसएल) से नीचे देश के सभी क्षेत्र मलेरिया के स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं। तथापि, तमिलनाडु के सभी जिलों समेत देश के सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाता है।

9 राज्यों में विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए मलेरिया संभावित जिलों की संख्या 124 है। राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार है:

राज्य	संख्या
आंध्र प्रदेश	6
छत्तीसगढ़	16
गुजरात	12
झारखंड	22
कर्नाटक	7
मध्य प्रदेश	19
महाराष्ट्र	5
ओडिशा	30
पश्चिम बंगाल	7
कुल	124

(घ) इस कार्यक्रम का प्रभाव इस तथ्य से प्रकट होता है कि देश में समग्र रूप से सूचित मलेरिया के रोगियों की संख्या वर्ष 2009 में 15.64 लाख रोगियों से घट कर वर्ष 2011 में 13.11 लाख रोगी ही रह गई है। वर्ष 2009 से 2012 (दिनांक 2.11.2012 तक) मलेरिया के रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक की सहायता समेत इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य वार क्षेत्र आबंटित और खर्च किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में सूचित किए गए मलेरिया के रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011	2012 (2-11-2012 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	25152	33393	34949	19123
अरुणाचल प्रदेश	22066	17944	13950	4307
असम	91413	68353	47397	25304
बिहार	3255	1908	2643	1689
छत्तीसगढ़	129397	152209	136899	72770
गोवा	5056	2368	1187	1145
गुजरात	45902	66501	89764	55272
हरियाणा	30168	18921	33401	14723
हिमाचल प्रदेश	192	210	247	165
जम्मू और कश्मीर	346	802	1091	649
झारखंड	230683	199842	160653	101126
कर्नाटक	36859	44319	24237	12548
केरल	2046	2299	1993	1149
मध्य प्रदेश	87628	87165	91851	45200
महाराष्ट्र	93818	139198	96577	38003
मणिपुर	1069	947	714	225
मेघालय	76759	41642	25143	16539
मिजोरम	9399	15594	8861	7716
नागालैंड	8489	4959	3363	2397
ओडिशा	380904	395651	308968	187309

1	2	3	4	5
पंजाब	2955	3477	2693	1402
राजस्थान	32709	50963	54294	25803
सिक्किम	42	49	51	64
तमिलनाडु	14988	17086	22171	13458
त्रिपुरा	24430	23939	14417	9650
उत्तराखंड	1264	1672	1277	1550
उत्तर प्रदेश	55437	64606	56968	31800
पश्चिम बंगाल	141211	134795	66368	39378
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5760	2484	1918	1138
चंडीगढ़	430	351	582	213
दादरा और नगर हवेली	3408	5703	5150	4557
दमन और दीव	97	204	262	145
दिल्ली	169	251	413	282
लक्षद्वीप	8	6	8	0
पुदुचेरी	65	175	196	76
अखिल भारतीय कुल	1563574	1599986	1310656	736875

विवरण-II

राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता समेत आबंटन और जारी धन राशि (नकद+सामग्री)

(लाख रुपए में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		आबंटन	जारी धनराशि	आबंटन	जारी धनराशि	आबंटन	जारी धनराशि	आबंटन	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1416.19	1048.06	1302.61	1159.24	3189.96	3457.42	2678.00	542.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	858.93	963.24	758.92	880.69	1101.85	1526.82	1574.10	280.17
3.	असम	6616.03	3206.06	4394.61	4910.03	3883.71	3774.39	4865.50	757.12
4.	बिहार	3307.70	2231.78	3436.05	4213.38	4637.38	4891.27	3333.75	1302.47
5.	छत्तीसगढ़	1956.33	1922.97	3099.98	2117.94	4094.31	4960.09	3339.30	849.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	57.57	35.81	63.21	61.08	78.00	77.90	179.10	90.03
7.	गुजरात	698.46	1116.15	530.85	267.00	683.44	501.34	1750.00	524.95
8.	हरियाणा	146.44	260.46	173.88	0.00	202.82	138.50	260.00	123.11
9.	हिमाचल प्रदेश	26.10	9.55	27.30	7.74	36.00	16.52	138.55	19.80
10.	जम्मू और कश्मीर	21.21	27.42	25.82	15.54	42.00	31.00	106.20	41.32
11.	झारखंड	3433.18	1906.27	3579.74	3586.13	5069.40	5014.76	4638.60	367.93
12.	कर्नाटक	470.22	403.41	469.66	443.88	823.92	639.34	1748.10	367.20
13.	केरल	329.79	439.15	354.44	305.75	503.38	361.18	778.00	238.11
14.	मध्य प्रदेश	1444.44	1813.99	2331.14	1824.64	3428.98	3919.85	3500.00	471.35
15.	महाराष्ट्र	978.41	706.37	1112.39	487.54	846.50	436.98	1763.00	575.41
16.	मणिपुर	723.66	239.75	507.78	602.04	496.32	410.76	689.20	175.47
17.	मेघालय	1102.16	611.29	859.96	1089.04	901.96	640.12	1344.80	418.26
18.	मिजोरम	664.19	627.12	676.63	774.11	801.72	702.31	1268.60	279.30
19.	नागालैंड	913.10	675.57	794.16	1287.91	915.47	997.73	1187.20	268.53
20.	ओडिशा	5672.29	5360.88	5143.79	4324.05	6818.41	7894.82	5563.90	612.54
21.	पंजाब	143.40	254.69	120.36	98.07	184.89	127.38	390.00	83.39
22.	राजस्थान	674.32	1262.96	960.13	1310.26	1239.14	1342.52	1361.00	369.71
23.	सिक्किम	28.68	11.83	21.35	137.71	18.26	22.60	77.00	32.60
24.	तमिलनाडु	627.11	681.58	450.49	372.50	764.95	341.41	908.00	126.00
25.	त्रिपुरा	1358.22	765.15	1331.17	1430.54	993.21	401.82	1580.60	647.69
26.	उत्तर प्रदेश	2742.96	1999.87	2455.59	2730.95	3341.09	2431.94	3257.20	431.43
27.	उत्तराखंड	39.28	56.98	71.92	77.53	102.39	85.00	216.10	41.70
28.	पश्चिम बंगाल	3176.03	1794.54	2697.03	2964.01	2326.29	2457.13	2890.40	522.78
29.	दिल्ली	73.67	61.10	35.37	40.88	43.76	0.00	405.50	0.00
30.	पुदुचेरी	43.23	24.29	36.05	36.83	45.24	29.31	91.00	33.89
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	434.29	464.05	335.61	349.58	428.50	459.63	524.00	361.80
32.	चंडीगढ़	55.66	60.02	24.51	23.13	33.25	34.87	88.50	61.77
33.	दादरा और नगर हवेली	64.52	43.77	46.48	69.60	56.50	61.09	98.20	41.25
34.	दमन और दीव	19.90	27.91	25.48	31.70	38.00	51.94	61.80	14.29
35.	लक्षद्वीप	22.33	2.32	21.80	19.80	30.00	11.40	52.80	27.78
	कुल	40340.00	31116.36	38276.26	38050.82	48201.00	48251.1	52708.00	11101.29

शेल गैस भंडार

263. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका तथा कनाडा की तुलना में देश में शेल गैस का अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) देश में शेल गैस की खोज की स्थिति क्या है; और

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर शेल गैस की खोज का संभावित प्रभाव क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) अप्रैल 2011 में ईआईए, यूएसए द्वारा कराए गए स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार यूएसए, कनाडा और भारत के 4 बेसिनों (26 भारतीय तलछटीय बेसिनों में से) में शेल गैस के तकनीकी रूप से वसूलीयोग्य भंडार निम्नानुसार हैं:

(टीएसएफ में)

महाद्वीप/देश	तकनीकी रूप से वसूली योग्य संसाधन
यूएसए	862
कनाडा	388
भारत	63*

*26 तलछटीय बेसिनों में से 4 बेसिनों (काम्बे, केजी, कावेरी और दामोदर) के लिए

(ख) भारत में शेल तेल/गैस संसाधनों का अन्वेषण और दोहन करने के लिए नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। विभिन्न पणधारकों से इस नीति के प्रारूप पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, चयनित भारतीय बेसिनों में शेल तेल/गैस के अनुमानित संसाधन संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएम), ओएनजीसी और केन्द्रीय खनन और आयोजना डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) द्वारा लिए गए हैं।

ओएनजीसी ने शेल गैस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के हिस्से के रूप में रानीगंज और उत्तरी करनपुरा कोल बेड मिथ्तेरर (सीबीएम) में 4 कूपों का वेधन किया है। ओएनजीसी द्वारा रानीगंज क्षेत्र में शेल गैस की मौजूदगी बताई गई है।

(ग) शेल तेल/गैस नीति के निर्धारण, अन्वेशण रकबे प्रदान करके संसाधन का अनुमान लगाने और संविदाकारों द्वारा अन्वेषण, फील्ड विकास और उत्पादन गतिविधियां पूरी करने के बाद ही शेल तेल/गैस उत्पादन की मात्रा का पता लगाया जा सकेगा।

कलावती शरण अस्पताल की दुर्दशा

264. प्रो. सौगत राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलावती शरण अस्पताल सहित देश में सरकारी अस्पताल की दुर्दशा पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सहित तत्संबंधी अस्पताल वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अस्पतालों के रोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या इन अस्पतालों में चिकित्सकों, पारामेडिकल स्टाफ की कोई कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। लोगों को उच्च-गुणवत्तायुक्त रोगी परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और कलावती सरन अस्पताल सहित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल का संबंध है रोगी परिचर्या को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और तदनुसार उपलब्ध संसाधनों के भीतर श्रेष्ठ रोगी परिचर्या प्रदान करने हेतु प्रयास किए जाते हैं।

लोगों और स्टाफ की शिकायत दूर करने के लिए इन अस्पतालों में एक अलग शिकायत और शिकायत निवारण एकक है। अस्पतालों में महत्वपूर्ण स्थलों पर शिकायत पेटिकाएं लगाई गई हैं और यथा

संभव शिकायत के तत्काल निवारण के लिए अस्पताल के प्राधिकारी भी सुलभ रहते हैं।

केन्द्र के इन तीन अस्पतालों में डाक्टरों, पराचिकित्सा स्टाफ की कोई अत्यधिक कमी नहीं है। तथापि, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र इत्यादि की वजह से रिक्तियां होती हैं। चूंकि भर्ती प्रक्रिया एक सतत और चलते रहने वाली प्रक्रिया है अत: भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास भी किए जाते है, लंबित नियमित नियुक्तियों पर समय-समय पर संविदात्मक स्टाफ भर्ती करने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाती है ताकि रोगी परिचर्या प्रभावित न हो।

[हिन्दी]

विशेष पैकेज

265. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के कुछ राज्यों को उनके विकास हेतु विशेष पैकेज मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु अब तक राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) पूर्ण राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजनाओं को विशेष जरूरतों सहित अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय योजना प्राथमिकताओं के मूल्यांकन के पश्चात केन्द्र और राज्य स्तर पर संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अंदर अंतिम रूप दिया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता; अभिनिर्धारित परियोजनाओं जो किसी केन्द्रीय स्कीम के अंदर नहीं आते हैं, के वित्त पोषण के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए विशेष योजना सहायता; सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता; पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए विशेष महत्त्व की परियोजनाओं हेतु एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता वार्षिक रूप से जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के राज्य घटक के अंतर्गत 82 चुनिंदा आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए जारी एकीकृत कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए बुंदेलखंड पैकेज, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना, बिहार के लिए विशेष योजना और पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना को वर्ष 2012-13 के दौरान जारी रखे जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 21.11.2012 तक जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

धनराशि, योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा परियोजनाओं/राज्यों की अवशोषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है।

विवरण

2012-13 के दौरान 21/11/2012 की स्थिति के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र (एससीएबीए) के लिए एससीए, एसपीए, ओटीएसीए, एससीए के अंतर्गत, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एससीए के अंतर्गत निर्गत धनराशि (करोड़ रुपये में) तथा बीआरजीएफ के राज्य घटक का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	एपीए	एससीए	ओटी एसीए	एससी एबीए	एससी एएचए	बीआरजीएफ राज्य घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
	विशेष श्रेणी के राज्य						
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	441.04	-	73.21	-	-
2.	असम	-	430.8	-	5.98	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश	390.07	396.96	-	18.9	-	-
4.	जम्मू और कश्मीर	-	2633.38	-	107.44	-	-
5.	मणिपुर	-	352.84	.	11.77	-	-
6.	मेघालय	-	132.32	-	15.16	-	-
7.	मिज़ोरम	370	88.2	-	36.15	-	-
8.	नागालैंड	-	330.8	-	18	-	-
9.	सिक्किम	80	110.28	-	11.37	-	-
10.	त्रिपुरा	-	352.84	-	42.2	-	-
11.	उत्तराखंड	-	308.76	-	28.03	-	-
	साधारण श्रेणी के राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	120

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	-	-	-	47.79	-	80
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	200
4.	गोवा	-	-	-	-	-	-
5.	गुजरात	-	-	-	32.37	-	-
6.	हरियाणा	-	-	13.2	-	-	-
7.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	340
8.	कर्णाटक	-	-	45	-	21.87	-
9.	केरल	-	-	77.47	-	18.62	-
10.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	200
11.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	29.59	40
12.	ओडिशा	-	-	-	-	-	408.64
13.	पंजाब	-	-	-	30.74	-	-
14.	राजस्थान	-	-	-	110.44	-	-
15.	तमिलनाडु	-	-	-	-	31.95	-
16.	उत्तर प्रदेश	-	-	1005.06	43.35	-	20
17.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	119.53	28.65	75.49
	कुल	840.07	5578.61	1140.66	752.44	130.68	1484.13

[अनुवाद]

आवश्यक पूरक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति

266. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत आने वाले मरीजों को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ) या विशेषज्ञ द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार आवश्यक पूरक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने संबंधी कोई सरकारी नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भी सीजीएचएस के अंतर्गत कुछ और आवश्यक पूरक खाद्य पदार्थों को वितरणार्थ शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) विशेषज्ञ समिति व भारत के औषध महानियंत्रक की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरक खाद्य पदार्थों के रूप में निर्मित/विपणन किए जाने वाले उत्पाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है, भले ही वे किसी विशेषज्ञ/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हों।

अंतरण-मूल्य निर्धारण के मानदंडों का प्रतिस्थापन

267. **श्री ए. साई प्रताप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अंतरण-मूल्य विर्धाटन संबंधी मानदंडों को हटाकर उनकी जगह अग्रिम मूल्य विर्धाटन समझौते को लाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रतिस्थापन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं, अंतरण मूल्य निर्धारण के मानदंडों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ग ग और 92ग घ तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 10 एफ एवं 10 टी में अग्रिम मूल्य निर्धारण के प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि ऋण पर ब्याज दर

268. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले लघु अवधि/दीर्घावधिक कृषि ऋण पर कम ब्याज दर रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) दीर्घावधिक कृषि ऋण की ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु पुनर्वित्तीयन पर उच्च ब्याज दर ले रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन किसानों को ब्याज दर में रियायत देने का है जिन्होंने दीर्घावधिक कृषि ऋण लिया है तथा जो समय पर उसकी किस्त चुकाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) एक वर्ष की अवधि वाले 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्परतापूर्वक ऋण चुकाने वाले किसानों अर्थात् जो अपना ऋण समय पर चुकाते हैं, को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% तथा 2011-12 में 3% थी। इसके अलावा, मजबूरन की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए किसान क्रेडिट कार्डधारक लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज सहायता योजना के लाभ वर्ष 2011-12 में अपने उत्पाद मालगोदाम में रखने के लिए परक्राम्य मालगोदाम रसीदों के बदले फसल ऋणों पर यथा उपलब्ध समान दरों पर फसल उत्पादन के पश्चात 6 माह की अतिरिक्त अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2011-12 की ब्याज सहायता योजना 2012-13 में भी जारी रखी गई है।

(ग) और (घ) नाबार्ड की आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) द्वारा आवधिक रूप से ब्याज दरें संशोधित की जाती हैं और ऐसा करते समय समिति चलनिधि, बाजार स्थितियों, जोखिम श्रेणी आदि का ध्यान रखती है। दीर्घावधिक कृषि ऋण के लिए ऋण प्रदान करते हेतु पुनर्वित पर नाबार्ड द्वारा प्रभारित वर्तमान ब्याज दर की रेंज वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए 9.20% से 9.35% तक है, राज्य सहकारी कृषि बैंकों और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए 9.90% से 11% तक है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए यह 10.00% से 11.25% तक है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

किशोर गृहों की दशा

269. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में स्थित किशोर गृहों की दशा बेहद खराब है तथा इसके परिणामस्वरूप इन गृहों में रखे गए बच्चे पुनर्वासित होने के बजाय आपराधिक क्रियाकलापों की ओर उन्मुख हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन किशोर गृहों के संचालन के लिए राज्य सरकारों को संस्वीकृत, जारी तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई राशि कितनी है; और

(घ) पूरे देश में किशोर गृहों में रहने वाली बालिकाओं व किशोरों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत केन्द्रीय मॉडल नियमावली में निर्धारित देखरेख के मानकों को बनाए रखने के लिए महिला एवं बाला विकास मंत्रालय अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के बाल गृहों, जिनमें बालिकाओं हेतु गृह भी शामिल हैं, की स्थापना एवं रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर, पोषण एवं आहार के अलावा शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपायों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकारों से नियमित निरीक्षणों एवं मानीटरिंग के माध्यम से अधिनियम एवं इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं का संचालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गृहों को छोड़ने वाले बच्चों को संस्थागत जीवन से स्वतंत्र जीवन हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन सेवाओं में आवासीय सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार प्राप्त करने में सहायता, परामर्श एवं वजीफा आदि शामिल हैं।

किशोर गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों के रखरखाव हेतु समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संस्वीकृति एवं निर्मुक्ति राशि सामान्यतः उपयोग कर ली जाती है।

तथापि, अव्ययित शेष, यदि कोई हो, को आगामी वर्षों के लिए देय अनुदान में समायोजित कर दिया जाता है।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के गृहों हेतु संस्वीकृति एवं राज्य-वार निर्मुक्त राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (21.11.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	78.24	553.50	1036.80	808.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	2.75
3.	असम	20.59	52.36	-	240.93
4.	बिहार	-	363.62	135.80	-
5.	छत्तीसगढ़	37.63	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-	-
7.	गुजरात	228.49	252.26	492.25	514.26
8.	हरियाणा	20.76	212.24	140.55	173.04
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	156.77	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
11.	झारखंड	-	-	150.37	-
12.	कर्नाटक	121.87	215.13	1031.66	457.25
13.	केरल	36.56	206.42	353.69	-

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	–	–	91.44	376.78
15.	महाराष्ट्र	–	3201.28	1061.73	626.94
16.	मणिपुर	24.65	26.43	174.11	–
17.	मेघालय	–	29.44	133.62	–
18.	मिजोरम	–	15.74	161.89	48.58
19.	नागालैंड	6.21	–	116.90	–
20.	ओडिशा	11.06	255.36	110.81	–
21.	पंजाब	–	–	231.13	–
22.	राजस्थान	194.19	–	646.91	1224.24
23.	सिक्किम	–	–	51.12	–
24.	तमिलनाडु	183.37	60.04	790.86	–
25.	त्रिपुरा	–	175.65	114.50	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	900.46	–
27.	उत्तराखंड	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	92.76	258.91	548.24	353.57
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–	–
33.	दिल्ली	–	164.15	319.49	811.17
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पुदुचेरी	–	69.77	–	–
	कुल	1056.38	6112.30	8951.10	5637.64

समेकित बाल संरक्षण योजना

270. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित देशभर में समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) प्रारंभ नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) बच्चों, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए संरक्षात्मक माहौल बनाने के उद्देश्य से सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में क्रियान्वित करने के लिए समेकित बालक संरक्षण स्कीम शुरू की है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 13.8.2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर में आईसीपीएस शुरू नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार को अपने किशोर न्याय अधिनियम को केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने किशोर न्याय अधिनियम में शीघ्रता से संशोधन करने हेतु मामले को जम्मू और कश्मीर सरकार के समक्ष उठाया है।

चौदहवां वित्त आयोग

271. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वित्त आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के गठन का कार्य किया जा रहा है और अधिसूचना जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, आयोग के विचारार्थ विषय और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि समाविष्ट हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचित की जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी।

विदेशी निवेशकों के लिए एक समान मानदंड

272. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी निवेशकों के लिए एक समान मानदंड रखने की दिशा में कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए विभिन्न मार्गों को युक्तिसंगत/सुमेल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में रत है।

ईरान से कच्चे तेल का आयात

273. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरानी कच्चे तेल के नौवहन जलपोतों के भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान ईरान से कच्चे तेल के आयात हेतु मंगलोर तेलशोधन और पेट्रोरसायन लि. की क्या वचनबद्धता है;

(ग) क्या सरकार ने लागत बीमा और मालभाड़ा (सी.आई. एफ) संविदा को वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कच्चे तेल के आयात हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किया जा रहा है तथा ईरानी नौवाहकों से इतर अन्य नौवाहकों के लिए किस प्रकार की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता।

(ग) से (ङ) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्त्ताओं और जीआईसी को ईरान से भारत में कच्चा तेल आयात करने वाले भारतीय फ्लैगशिपों का बीमा/पुनर्बीमा करने की सलाह दी है बशर्ते कि परिसम्पत्तियों के संबंध में सम्यक सतर्कता बरती जाए और तदनुसार प्रीमियम निर्धारित किया जाए जैसा कि सामान्यत: किया जाता है। जीआईसी ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा हल एंड मशीनरी (एच एंड एम) और सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) बीमा प्रत्येक के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर का बीमा किया गया है और जहाज के स्वामियों ने उसका पहले ही लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

01 जुलाई, 2012 से सीएंडएफ/सीआईएफ आधार पर ईरानी कच्चा तेल आयात करने के लिए तेल पीएसयूज को दिया गया एनओसी 9 जुलाई, 2012 को तब वापस ले लिया गया था जब इंडियन नेशनल शिप ओनर्स असोसिएशन (आईएनएसए) ने सूचित किया कि जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन (जीआईसी) ईरानी कच्चा तेल लाने वाले भारतीय जहाजों को अतिरिक्त प्रीमियम पर 50 मिलियन अमरीकी डालर सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पीआई) बीमा सुरक्षा देने और हल एंड मशीनरी (एचएंडएम) के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर का बीमा करने पर भी सहमत हो गई थी।

तथापि, तेल पीएसयूज द्वारा एफओबी आधार पर ईरानी कच्चा तेल का आयात नहीं किया जा सका क्योंकि भारतीय जहाजरानी कंपनियों ने ईरान के बुलावे पर अपने जहाज नहीं दिए क्योंकि बीमा से संबंधित कुछ मुद्दे जीआईसी के साथ बिना निपटाए पड़े थे। ईरानी कच्चा तेल सीआईएफ आधार पर आयात करने के लिए तेल उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से तेल पीएसयूज के अनुरोध पर जहाजरानी मंत्रालय ने तेल पीएसयूज को अलग-अलग मामले के आधार पर एनओसी प्रदान किया। 24 सितंबर, 2012 को, सीएंडएफ/सीआईएफ आधार पर ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए, या जब तक भारतीय जहाजों के स्वामियों द्वारा ईरानी कच्चा तेल लादने के लिए अपने जहाज नहीं देने तक या यूएस/ईयू प्रतिबंध हटाए जाने तक इनमें जो भी पहले हो, तक, 1 अक्तूबर, 2012 से 6 माह के लिए तेल पीएसयूज को पहले दिया गया एनओसी बहाल कर दिया गया था।

सेवा कर

274. श्री निलेश नारायण राणे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 से अब तक सेवा कर के दायरे में लाई गई सेवाओं की वर्ष-वार तथा मद-वार कर दर क्या है;

(ख) क्या सेवा कर के दायरे को कम करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सेवा कर लगाने का उद्देश्य क्या है तथा इसकी कहां तक पूर्ति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) वर्ष 1994-95 से सेवा कर नेट में जोड़ी गई सेवाओं की दरों का मद-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सेवा कर नेट में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्तीय नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सरकार के विकास कार्यक्रमों में होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु, पर्याप्त संसाधन जुटाना जरूरी होता है।

(घ) संसाधनों को जुटाने के लिए ही भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र पर कर लगाते हुए सेवा कर लगाया गया था। वर्ष 1994 में, सेवा कर तीन सेवाओं पर लगाया गया

था जिससे 407 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा कर का अनुपात 0.04% था। लगभग 18 वर्षों के बाद, वर्ष 2011-12 के दौरान 119, सेवाओं पर सेवा कर लगाया है, जिससे 97,356 करोड़ का राजस्व मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा कर का योगदान मोटे तौर पर 1% तक बढ़ने का अनुमान है। समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में, सेवा कर का घरेलू उत्पाद में 59% योगदान है। इसके मद्देनजर, कर आधार में अनुरूपी विस्तार हेतु राजस्व में और अधिक बढ़ोत्तरी की दृष्टि से सेवा कर में एक जुलाई, 2012 से एक नकारात्मक सूची आधारित व्यापक पद्धति लागू की गई है।

विवरण

1994-95 से मद-वार, वर्ष-वार सेवा कर नेट में जोड़ी गई सेवाओं की दरें

क्र स.	वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)	कर योग्य सेवा	वर्ष
1	2	3	4
1.	(क)	शेयर दलाल सेवा	1994
*	(ख)	टेलीग्राफ प्राधिकरण - टेलीफोन कनेक्शन [(ख) 01.06.2007 से विलोपित कर दिया गया था तथा (ययyभ) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	1994
*	(ग)	टेलीग्राफ प्राधिकरण-पेजर [(ग) 01.06.2007 से विलोपित कर दिया गया था तथा (यययभ) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	1996
2.	(घ)	सामान्य बीमा सेवा	1994
3.	(ङ)	विज्ञापन एजेंसी सेवाएं	1996
4.	(च)	कोरियर एजेंसी सेवा	1996
5.	(छ)	परामर्श इंजीनियरिंग परामर्शदात्री सेवा	1997
6.	(ज)	कस्टम हाउस एजेंट सेवा	1997
7.	(झ)	स्टीमर एजेंट सेवाएं	1997
8.	(ञ)	क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट सेवाएं	1997
9.	(ट)	जनशक्ति भर्ती/एजेंसी आपूर्ति सेवा	1997
*	(टक)	गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर [विलोपित कर दिया गया तथा (ययत) सड़क द्वारा मदों की आवाजाही - (ययत) गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सेवा के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	1997

1	2	3	4
10.	(ठ)	एयर ट्रैवल एजेंट सेवाएं	1997
11.	(ड)	मंडप कीपर सेवा	1997
12.	(ढ)	टूर ऑपरेटर सेवाएं	1997
13.	(ण)	किराए पर एक टैक्सी योजना, ऑपरेटर सेवा	1997
14.	(त)	वास्तुकार सेवाएं	1998
15.	(थ)	आंतरिक सजावट डिजाइनर सेवाएं	1998
16.	(द)	प्रबंधन या व्यवसाय सलाहकार सेवा	1998
17.	(ध)	चार्टड एकाउंटेंट सेवाएं	1998
18.	(न)	लागत लेखा सेवा	1998
19.	(प)	कंपनी सचिव सेवाएं	1998
20.	(फ)	रियल स्टेट एजेंट सेवा	1998
21.	(ब)	सुरक्षा/डिटेक्टिव एजेंसी सेवाएं	1998
22.	(भ)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेवा	1998
23.	(म)	बाजार अनुसंधान एजेंसी सेवा	1998
24.	(य)	अंडरराइटर सेवाएं	1998
*	(यक)	मशीनकृत सलाफ्टर हाउस सेवा [वित्त अधिनियम, 2001 के द्वारा विलोपित कर दिया गया]	1998
25.	(यक)	वैज्ञानिकी तथा तकनीकी परामर्शदात्री सेवा	2001
26.	(यख)	फोटोग्राफी सेवा	2001
27.	(यग)	कन्वैंशन सेवाएं	2001
*	(यघ)	टेलीग्राफ प्राधिकरण - लीज सर्किट [दिनांक 01.06.2007 से विलोपित कर दिया गया तथा (यययभ) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	2001
*	(यङ)	टेलीग्राफ प्राधिकरण - लीज सर्किट [दिनांक 01.06.2007 से विलोपित कर दिया गया तथा (यययभ) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	2001

1	2	3	4
*	(यच)	टेलीग्राफ प्राधिकरण - लीज सर्किट [दिनांक 01.06.2007 से विलोपित कर दिया गया तथा (ययभ) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	2001
*	(यछ)	टेलीग्राफ प्राधिकरण - लीज सर्किट [दिनांक 01.06.2007 से विलोपित कर दिया गया तथा (ययभ) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	2001
28.	(यज)	ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस सेवा और/या कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से रिट्रीवल सेवा	2001
29.	(यझ)	वीडियो उत्पादन एजेंसी/वीडिया टेप उत्पादन सेवाएं	2001
30.	(यञ)	ध्वनि रिकॉर्डिंग स्टूडियो या एजेंसी सेवाएं	2001
31.	(यट)	प्रसारण सेवा	2001
32.	(यठ)	सामान्य बीमा के संबंध में बीमा सहायक सेवा	2001
33.	(यड)	बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	2001
34.	(यढ)	बंदरगाह सेवा (प्रमुख बंदरगाहों)	2001
35.	(यण)	किसी भी मोटर वाहन अथवा उसी के समान अन्य किसी सेवा में मरम्मत हेतु, रिकन्डीशनिंग हेतु, रिस्टोरेशन हेतु अथवा डेकोरेशन हेतु प्रदान की गई सेवा [(ययञ) 16.6.05 से विलोपित)	2001
*	(यत)	बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में बैंक को छोड़कर अन्य बॉडी कॉर्पोरेट [10.09.04 से विलोपित तथा (यड) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	2001
36.	(यथ)	ब्यूटी पार्लर/सौंदर्य उपचार	2002
37.	(यद)	कार्गो हैडलिंग सेवा	2002
38.	(यध)	केबल ऑपरेटरों	2002
39.	(यन)	ड्राई क्लीनिंग सेवा	2002
40.	(यप)	इवेंट मैनेजमेंट	2002
41.	(यफ)	फैशन डिजाइन	2002
42.	(यब)	स्वास्यि क्लब और स्वास्यि केन्द्र सेवा	2002
43.	(यभ)	जीवन बीमा सेवा	2004

1	2	3	4
44.	(यम)	जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित बीमा सहायक सेवा	2002
45.	(यय)	रेल यात्रा एजेंट सेवा	2002
46.	(ययक)	भंडारण और भंडारण सेवाएं	2002
47.	(ययख)	व्यापार सहायक सेवा	2003
48.	(ययग)	वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग	2003
49.	(ययघ)	ईरेक्शन, कमीशीनिंग तथा इन्सटालेशन	2003
50.	(ययङ)	फ्रंचाईजिंग सेवा	2003
51.	(ययच)	इंटरनेट कैफे	2003
52.	(ययछ)	रखरखाव या मरम्मत सेवा	2003
53.	(ययज)	तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा	2003
54.	(ययझ)	तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी सेवा	2003
*	(ययञ)	प्राधिकृत सर्विस स्टेशन [16.6.05 से विलोपित तथा (यण) के अंतर्गत जोड़ दिया गया]	--
55.	(ययट)	विदेशी मुद्रा दलाल सेवा	2003
56.	(ययठ)	अन्य (लघु बंदरगाह) बंदरगाह सेवा	2004
57.	(ययड)	हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे सेवाएं	2004
58.	(ययढ)	हवाई जहाज से माल का परिवहन	2004
59.	(ययण)	व्यापार प्रदर्शनी सेवा	2004
60.	(ययत)	सड़क/माल परिवहन एजेंसी सेवा माल का परिवहन	2005
61.	(ययथ)	व्यावसायिक/औद्योगिक विनिर्माण	2005
62.	(ययद)	कॉर्पोराइट को छोड़कर बौद्धिक सम्पदा सेवा प्रदान करने वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकार के किसी धारक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	2004
63.	(ययध)	जनमत सर्वेक्षण एजेंसी सेवा	2004
64.	(ययन)	आउट-डोर कैटरिंग	2004

1	2	3	4
65.	(ययप)	टीवी या रेडियो कार्यक्रम निर्माता सेवाएं	2004
66.	(ययफ)	सर्वेक्षण और खनिजों का एक्पलोरेश	2004
67.	(ययब)	पंडाल या शामियाना सेवा	2004
68.	(ययभ)	पैसेज की बुकिंग हेतु ट्रेवेल्स एजेंट (हवाई/रेल ट्रेवल एजेंट को छोड़कर)	2004
69.	(ययम)	वायदा अनुबंध के संबंध में मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संघों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	2004
70.	(ययय)	पाइपलाइन या अन्य कन्डयूट के माध्यम से माल का परिवहन	2005
71.	(यययक)	साइट फार्मेशन तथा क्लियरेंस, खुदाई, अर्थमूविंग तथा डेमोलेशन सेवाएं	2005
72.	(यययख)	नदियों, 'बंदरगाहों,' हाबर्स, बैकवॉटर्स की ड्रेजिंग सेवाएं	2005
73.	(यययग)	सर्वेक्षण तथा नक्शे बनाने वाली सेवा	2005
74.	(यययघ)	सफाई संबंधी सेवाएं	2005
75.	(यययङ)	क्लब या एसोसिएशन सेवा	2005
76.	(यययच)	पैकेजिंग सेवा	2005
77.	(यययछ)	मेलिंग सूची संकलन और मेलिंग सेवा	2005
78.	(यययज)	आवासीय काम्प्लेक्स के निर्माण संबंधी सेवा	2005
79.	(यययपझ)	किसी मुद्दे पर एक रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा	2006
80.	(यययञ)	किसी शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा	2006
81.	(यययट)	ऑटोमेटेड टेलर मशीन संचालन रख रखाव या प्रबंधन सेवा	2006
82.	(यययठ)	किसी रिकवरी एजेंट द्वारा प्रदान की सेवा	2006
83.	(यययड)	प्रिंट मीडिया की तुलना में अन्य विापन के लिए स्थान या समय की बिक्री	2006
84.	(यययढ)	बॉडी कॉरपोरेट कंपनी या फर्म सहित खेलों के प्रायोजकों के लिए प्रदान की गई सेवाएं	2006
85.	(यययण)	हवा द्वारा घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का परिवहन	2006

1	2	3	4
86.	(ययत)	रेल द्वारा कंटेनरों के माध्यम से मदों को लाने ले जाने (दिनांक 01.10.2012 से इसे रेल द्वारा मदों को लाने ले जाने के लिए विस्तारित कर दिया गया	2006
87.	(यययथ)	व्यापार समर्थ सेवाएं	2006
88.	(यययद)	नीलामी सेवा	2006
89.	(यययध)	सार्वजनिक संबंध प्रबंधन सेवा	2006
90.	(यययन)	पोत प्रबंधन सेवाएं	2006
91.	(यययप)	इंटरनेट दूर संचार सेवा (इसमें इंटरनेट, टेलीफोनी सेवा जो 1.05.2006 से कर योग्य हो गई है शामिल है)	2006
92.	(यययफ)	क्रूज शिप के द्वारा लोगों को लाना ले जाने संबंधी सेवा	2006
93.	(यययब)	क्रेडिट कार्ड, डेबिड कार्ड, चार्ज कार्ड अथवा अन्य पेमेन्ट कार्ड से संबंधित सेवाएं	2006
94.	(यययभ)	दूर संचार सेवाओं के संबंध में टेलीग्राफ प्राधिकरण की सेवाएं	2007
95.	(यययम)	खनिज खनन, ऑयल अथवा गैस सेवा	2007
96.	(यययय)	अचल सम्पत्ति किराये पर देने संबंधी सेवाएं	2007
97.	(ययययक)	वर्क कांट्रैक्ट सर्विस	2007
98.	(ययययख)	टेलीकॉम सेवाओं, विज्ञापन अभिकरणों आदि में प्रयुक्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, के डेवलपमेंट तथा आपूर्ति संबंधी सेवा	2007
99.	(ययययग)	पोर्टफोलियो प्रबंध तथा फंड मैनेटमेंट सहित एसेट मैनेटमेंट सेवा	2007
100.	(ययययघ)	इंटीरियर डेकोरेशन तथा फैशन डिजाइनिंग को छोड़कर डिजाइन सेवा	2007
101.	(ययययङ)	सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा	2008
102.	(ययययछ)	यूनिट लिंक बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा के बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा	2008
103.	(ययययछ)	प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान की की गई सेवा	2008
104.	(ययययज)	गुड्स की क्लियरेंस अथवा लेन-देन के निपटान अथवा फारवर्ड कान्ट्रैक्ट के संबंध में मान्यता प्राप्त/पंजीकृत सघों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	2008
105.	(ययययझ)	प्रतिभूतियों, गुड्स तथा फारवर्ड कान्ट्रैक्ट के संबंध में प्रोसेसिंग तथा क्लियरिंग हाउस द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	2008

1	2	3	4
106.	(ययययज)	टेन्जिबल गुड्स की आपूर्ति के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	2008
107.	(ययययट)	कॉस्मेटिक तथा प्लास्टिक सर्जरी सेवा	2009
108.	(ययययठ)	कास्टल शिपिंग के माध्यम से मदों की आवाजाही संबंधी सेवा (इनलैंड, वाटरवे के माध्यम से वस्तुओं की आवाजाही से संबंधी सेवाओं को नकारात्मक सूची में रखा गया है)	2009
109.	(ययययड)	कानूनी सलाह संबंधी सेवा	2009
110.	(ययययढ)	लाटरी सहित गेम्स ऑफ चान्स को बढ़ावा देने, मार्केटिंग करने, आयोजित करने अथवा आयोजन में सहायता देने संबंधी सेवा	2010
111.	(ययययण)	किसी क्लीनिकल स्थापना, स्वास्थ्य जांच/डायग्नोसिस से संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं	2010
112.	(ययययत)	चिकित्सीय रिकॉर्ड रखने संबंधी सेवाएं	2010
113.	(ययययथ)	ब्रांड मदों/सेवाओं/इवेंट की प्रमोशन अथवा मार्केटिंग संबंधी सेवा	2010
114.	(ययययद)	व्यावसायिक उपयोग अथवा इवेंट्स के एक्सप्लाइटेशन की मंजूरी प्रदान करने संबंधी सेवा	2010
115.	(ययययध)	इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज सर्विस	2010
116.	(ययययन)	कॉर्पोराइट सेवा-स्थायी स्थानान्तरण/उपयोग अथवा इन्ज्वायमेंट की मंजूरी	2010
117.	(ययययप)	बिल्डर्स द्वारा प्रदान की गई विशेष सेवाएं	2010
118.	(ययययफ)	रेस्त्रां संबंधी सेवाएं	2011
119.	(ययययब)	होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब अविा कैम्प साइट चाहे जो भी नाम हो में अकोमोडेशन प्रदान करने संबंधी सेवा	2011

नोट:- कर योग्य सेवाओं की व्यवस्था क्योंकि कर योग्य सेवाओं की परिभाषा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) में जोड़ी गई थी। सेवाओं पर कर लगाने संबंधी नकारात्मक सूची पद्धति 01.07.2012 से लागू की गई थी।1

सेवा कर दरें

अवधि	सेवा कर की दर (प्रतिशत)
1	2
1994-95 से 2002-03	5
2003-04	8
2004-05 से 2005-06	10
2006-07 से 2008-09	12
24/02/2009 तक 31.03.2012	10
से 01.04.2012	12

आदिम जनजातीय समूहों का विकास

275. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश में आदिम जनजातियों के समग्र विकास के लिए 'आदिम जनजातीय समूह विकास' कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस हेतु राज्य सरकारों को संस्वीकृत, जारी तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग की निगरानी करने तथा अनियमितताओं के मामले में जवाबदेही तय करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय वर्ष 1998-99 से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के समग्र विकास के लिए "आदिम जनजातीय समूह का विकास" नामक 100 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा यह योजना उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार तथा मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना से मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कराए गए बेसलाइन सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षणों के माध्यम से आकलित आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार पीटीजी के कस्बे/अधिवास के विकास के उद्देश्य से संपूर्ण अवधि के लिए दीर्घ-अवधि की संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) का निधियन आरंभ किया है। यह एक लचीली योजना है जिसके तहत राज्य आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, आय सृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि जैसी पीटीजी की उत्तरजीविता, सुरक्षा तथा विकास के साथ जुड़ी हुई कोई गतिविधि/कार्य कर सकते हैं।

(ग) विगत प्रत्येक तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत, निर्मुक्त तथा उपयोजित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारें विभिन्न स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं इसकी निगरानी के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा मध्यावधि समीक्षा रिपोर्टों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा चयनित क्षेत्र दौरों का विश्लेषण करके मध्यावधि निगरानी भी करता है।

विवरण

राज्यों द्वारा संस्वीकृत/जारी और प्रयुक्त धनराशि

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	कार्यान्वयनकारी एजेंसी का नाम राज्य/एनजीओ	2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2292.00	2292.00	2292.40	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11वीं योजना के दौरान विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	2244.79	2244.79	1655.39	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	2035.20	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।
5.	झारखंड	00.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के पास 2000.00 लाख रुपए की राशि अव्ययित है।
6.	कर्नाटक	0.00	0.00	6000.00	6000.00	1225.61	वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के पास 1225.61 लाख रुपए की राशि अव्ययित है।
7.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00	वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के पास 1210.00 लाख रुपए की राशि अव्ययित है।
8.	मध्य प्रदेश	5067.80	5067.80	5428.00	5428.00	6546.32	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।
9.	महाराष्ट्र	556.13	556.13	3459.00	2000.00	0.00	वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के पास 1459.00 लाख रुपए की राशि अव्ययित है।
10.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11वीं योजना के दौरान विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।

1	2	3	4	5	6	7	8
11	ओडिशा	1228.70	1228.70	1227.00	1227.00	1224.73	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।
12.	राजस्थान	0.00	0.00	1280.00	1280.00	2677.00	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई है।
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	476.00	476.00	1075.94	इस स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। वर्ष 2011-12 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।
14.	त्रिपुरा	461.80	461.80	315.70	315.70	627.40	कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।
15.	पश्चिम बंगाल	537.24	211.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2009-10 के लिए राज्य सरकार के पास 326.24 लाख रुपए की राशि अव्ययित है।
16.	उत्तराखंड	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2009-10 के लिए राज्य सरकार के पास 100.14 लाख रुपए की राशि अव्ययित है।
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11वीं योजना के दौरान विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।
	कुल योग	7961.81	7525.43	22906.49	21447.49	22569.99	

[हिन्दी]

किसानों को सीधे ऋण प्रदान किया जाना

276. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े किसानों को सीधे ऋण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान किसानों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा बैंक-वार तथा राज्य-वार सीधे कितनी ऋण राशि प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार का कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीधे ऋण प्रदान करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) जी, हां। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एएनबीसी अथवा ओबीई की ऋण तुल्य राशि के 18 प्रतिशत का उपलक्ष्य, जो भी अधिक हो, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए अधिदेशित किया गया है। 18 प्रतिशत के इस उपलक्ष्य के भीतर, एएनबीसी अथवा ओबीई की ऋण तुल्य राशि का 13.5%, जो भी अधिक हो, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्ष के लिए कृषि के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए संवितरण का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करती रही है। वर्ष 2011-12 के लिए 4,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था जिसकी तुलना में उपलब्धि 5,09,532 करोड़ रुपए रही। सरकार ने 2012-13 में 5,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है और सितम्बर 2012 तक उपलब्धि 2,39,628.93 करोड़ रुपए है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को संवितरण

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2009-2010	2010-2011	2011-2012•
1	2	3	4	5
1	भारतीय स्टेट बैंक	34178.84	41208.00	53214.36
2	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5240.80	4636.20	6824.51
3	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3429.43	5264.40	4609.00
4	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	2354.73	0.00	0.00
5	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3497.00	2675.20	1924.74
6	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5129.90	5857.69	7495.11
7	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
8	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3082.44	5716.20	96.39

1	2	3	4	5
9	इलाहाबाद बैंक	3615.38	4989.45	5977.52
10	आन्ध्रा बैंक	5515.49	6622.96	8767.15
11	बैंक ऑफ बड़ौदा	7832.69	9178.50	11635.49
12	बैंक ऑफ इंडिया	6392.40	16629.00	10408.93
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3747.62	2874.28	3575.53
14	केनरा बैंक	18125.27	22374.39	27326.81
15	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7541.79	7870.53	7093.36
16	कॉर्पोरेशन बैंक	4616.68	6056.02	0.00
17	देना बैंक	1511.95	2034.68	2768.41
18	आईडीबीआई बैंक	8802.79	9737.76	4454.15
19	इंडियन बैंक	6580.11	8227.54	12738.26
20	इण्डियन ओवरसीज बैंक	13326.89	18547.43	22271.72
21	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	4937.07	6947.06	9174.00
22	पंजाब नैशनल बैंक	21806.78	27733.19	35509.19
23	पंजाब एंड सिंध बैंक	8355.35	5212.93	4783.30
24	सिंडिकेट बैंक	8013.73	10044.09	10751.19
25	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6490.82	8033.78	10253.83
26	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3090.89	3300.00	3406.92
27	यूको बैंक	6019.27	5666.67	3919.24
28	विजया बैंक	4111.22	3960.38	5144,92
	कुल	207347.33	251398.33	274124.03

•अनंतिम

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष के लिए एसएसीपी के अंतर्गत राज्य-वार संवितरण

(रुपए करोड़ में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-2010	2010-2011	2011-2012 (अनंतिम)
1	2	3	4
दक्षिण क्षेत्र	80641.95	106223.65	119599.66
कर्नाटक	13802.16	17728.93	16224.11
आंध्र प्रदेश	27550.44	35114.32	40016.98
तमिलनाडु	27497.64	35459.91	44985.50
केरल	11413.55	17530,58	17924.79
पुदुचेरी	377.22	388.45	443.80
लक्षद्वीप	0.94	1.46	4.48
उत्तर क्षेत्र	58203.90	59989.74	66918.56
राजस्थान	9625.71	12179.27	16756.52
पंजाब	15565.42	18453.68	23971.03
हिमाचल प्रदेश	1225.45	1097.76	1377.41
हरियाणा	11835.65	14668.51	14553.60
जम्मू और कश्मीर	170.76	262.62	367.71
दिल्ली	11350.96	6660.13	4518.77
चण्डीगढ़	8429.95	6667.77	5373.52
मध्य क्षेत्र	29517.68	34334.13	40180.40
उत्तर प्रदेश	15792.30	19051.43	23855.79
उत्तरांचल	1363.62	1768.07	2570.02
मध्य प्रदेश	8615.03	10148.51	10217.49

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	3746.73	3366.12	3537.10
पश्चिम क्षेत्र	22001.73	28419.77	27152.61
महाराष्ट्र	14030.58	17815.67	16662.15
गुजरात	7771.87	10363.49	10154.08
गोवा	194.50	227.43	292.91
दादरा और नगर हवेली	1.68	8.25	2.10
दमन और दीव	3.10	4.93	41.37
पूर्व क्षेत्र	15541.04	20706.55	18014.03
बिहार	3195.27	5418.63	4944.36
झारखंड	983.30	1753.78	875.18
ओडिशा	3997.66	4653.13	4185.28
पश्चिम बंगाल	7351.43	8853.61	7631.70
सिक्किम	8.55	13.21	17.87
अंडमान और निकोबार	4.83	14.19	359.64
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1298.94	1724.49	2188.60
असम	934.53	1209.98	1297.50
नागालैंड	36.51	53.13	196.18
मणिपुर	36.32	60.28	35.25
त्रिपुरा	185.70	187.95	161.56
मिजोरम	24.59	58.48	140.55
मेघालय	45.85	82.09	238.85
अरुणाचल प्रदेश	35.44	72.58	118.71
अविनिर्दिष्ट राज्य	142.09	0	-

1	2	3	4
आरआईडीएफ	0.00	0	
बाण्ड	0.00	0	
कुल	207347.33	251398.33	274053.86*

*अनंतिम।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषधि नीति

277. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषधि नीति प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफीम तथा क्षारीय प्रकृति के पदार्थों की खेती के सिलसिले में तथा धन के संग्रहण व औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए निजी क्षेत्र को सहभागी बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी राष्ट्रीय नीति को दिनांक 06.02.2012 को जारी कर दिया गया है।

(ख) इस नीति की प्रमुख विशेषताओं और व्यापक संदर्भों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पोस्त भूस सांद्र विधि से एल्कलायड का उत्पादन,

(ii) अनुसंधान संस्थानों को अफीम पोस्त की अल्कलायड किस्मों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना जो कि केवल पोस्त बीज के उत्पादन के लिए उपयुक्त हो,

(iii) नशेडियों के पोस्त भूस प्रयोग में समयबद्ध ढंग से कमी लाना,

(iv) अवैध फसलों का पता लगाने के लिए उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों का प्रयोग करना और तत्पश्चात् इन फसलों को उखाड़ फेकवाना तथा इनके किसानों के लिए आजीविका की वैकल्पिक व्यवस्था करना,

(v) अफीम से अल्कलायड का उत्पादन करने में निजी क्षेत्रों का शामिल होना,

(vi) मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और प्रयोग को विनियमित करने की गैर-घुसपैठ की विधियों को लागू करना,

(vii) प्रशामक उपचार के लिए जरूरी मॉर्फीन या अन्य ओपिओड्स की पर्याप्त उपलब्धता,

(viii) देश में मादक पदार्थों के दुरूपयोग के बारे में समय-समय पर सर्वेक्षण और

(ix) नशा मुक्ति केन्द्रों को मान्यता प्रदान करना।

(ग) से (ङ) पोस्त भूस सांद्र विधि (सीपीएस) से एल्क्लायड का उत्पादन करना और अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों को इसी सीपीएस के उत्पादन के लिए बीजों का विकास/आयात करने के लिए प्रोत्साहित करना इस नीति का उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत अफीम से एल्कलायड का उतपादन करने में निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने पर विचार किया गया है। स्वापक औषधियों के अवैध उत्पादन और व्यापार से निपटने के लिए इस नीति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के लिए कई सुझाव दिये गये हैं। केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए यथोचित उपाय करेगी—

(i) 'क्लैन लैब' को तोड़ने और इनके खिलाफ अन्य विधिक और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों का दल तैयार करना।

(ii) अफीम पोस्त के वैध उत्पादन पर सख्त निगरानी रखना, साथ ही साथ इनके पूर्ववर्ती पदार्थों के वैध उत्पादन और व्यापार पर भी नजर रखना जिससे कि इनको किसी अन्य दिशा में न भेजा जा सके।

(iii) अफीम पोस्त के अवैध उत्पादन का पता लगाना और इनको नष्ट करना और

(iv) विशिष्ट एवं मादकता विरोधी एजेंसियों को मजबूत बनाना। राज्य सरकारें जिला स्तर पर, जहां भी जरूरी होगा, प्रकोष्ठ या दस्तों को तैनात करेगी जिससे कि अफीम पोस्त की अवैध खेती, अफीम के अवैध उत्पादन, 'क्लैन लैब' में नशीली दवाओं के अवैध उत्पादन, आदि का पता लगाया जा सके और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संबंधी राष्ट्रीय नीति में काले धन के अर्जन की समस्या से निपटने पर कोई प्रत्यक्ष चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि इस नीति का केन्द्र बिंदु स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों का उपयोग एवं दुरूपयोग है।

[हिन्दी]

धान की भूसी तथा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

278. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या को हल करने के लिए धान की भूसी तथा सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई हरित समाधान प्रणाली (ग्रीन सॉल्यूशन सिस्टम) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में आने वाली लागत एवं निर्धारण समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) गांवों में विद्युत की अपूरित मांग को पूरा करने हेतु धान की भूसी आधारित बायोमास गैसीफायर संस्थापित किए गए हैं। बैटरी बैंक के साथ 100 किवा.पी यूनिट तक की क्षमता वाले स्टैंड-एलोन सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र और 250 किवा. पी यूनिट क्षमता तक के मिनी ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों से देश में गांवों की विद्युत जरूरतें पूरी हो सकती हैं। धान की भूसी आधारित बायोमास गैसीफायर और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

(ग) 100% उत्पादक गैस इंजन और एक वितरण नेटवर्क के साथ 32 किलोवाट धान भूसी गैसीफायर प्रणाली की संस्थापना हेतु लगभग 16-18 लाख रु. का निवेश जरूरी है।

एक स्टैंड-एलोन सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र हेतु बैंचमार्क लागत प्रति किलोवाट 2.7 लाख रु. है और वितरण नेटवर्क और बैटरी बैंक के साथ एक मिनी ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र की लागत प्रति किलोवाट 5 लाख रु. है।

चावल भूसी आधारित गैसीफायर परियोजनाओं और सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु समय-सीमा मंजूरी की तारीख से 6 माह से 12 माह की है।

बहुस्तरीय विपणन कंपनियों से कर-संग्रहण

279. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कार्यरत बहुस्तरीय विपणन/नेटवर्क विपणन तथा प्रत्यक्ष विपणन कंपनियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इन कंपनियों के प्रचालन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) आयकर विभाग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड देश में बहुस्तरीय विपणन, नेटवर्क विपणन और प्रत्यक्ष विपणन कंपनियों से प्राप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखते हैं।

(ग) और (घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बहुस्तरीय विपणन (एम एल एम) कंपनियों की पहचान के लिए अलग से कार्यकलाप कोड नहीं है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की सूची से इन कंपनियों की अलग रूप से पहचान नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्त स्टॉफ/नर्सों की सेवाएं

280. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्त स्टॉफ/नर्सों की सेवाएं नियमित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक नियमित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) से (ग) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामलें जैसे नियुक्तियों (संविदात्मक और नियमित दोनों), स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के दायरे में आते हैं। एनआरएचएम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य द्वारा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन में प्रस्तावित आवश्यकता के आधार पर संविदात्मक आधार पर स्वास्थ्य कार्मिकों की नियुक्ति सहित स्वास्थ्य तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता ही प्रदान करती है। अतः एनआरएचएम के अंतर्गत नियुक्त स्टाफ/नर्सों की सेवाओं को नियमित करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किसी भी प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं है।

[अनुवाद]

कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न

281. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतरिक शिकायत समिति जिसे सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्रदान की गयी है के सदस्यों का कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के मामलों का निपटान करने के लिए विधिक पृष्ठभूमि से होना है अथवा इस हेतु विधिक-प्रशिक्षण प्राप्त होना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) लोक सभा द्वारा पास कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध, और निपटान) विधेयक 2012 के धारा 4(2) में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों की योग्यता के बारे में उपबंध है। धारा 4(2) (ख) यह अनुबद्ध करता है कि समिति में कर्मचारियों से दो से कम सदस्य नहीं होंगे और उनमें महिलाओं के लिए कार्य करने वालों अथवा जिन्हें सामाजिक कार्य में अनुभव है अथवा जिन्हें विधिक ज्ञान है, को वरीयता दी जाएगी।

विधेयक के खंड 19 में नियोक्ता के कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं। खंड 19(ग) में नियोक्ता के लिए अधिदेश है कि निर्धारित तरीके के अनुसार वह आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन करें।

[हिन्दी]

सेवा-कर संबंधी समन

282. श्री ए. टी. नाना पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने सेवा-कर अपवंचन के मामले में कई कंपनियों को समन जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सेवा-कर की अपवंचित राशि का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सहायक नर्स दाईयों की नियुक्ति

283. **श्री नवीन जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम) के अंतर्गत उप केन्द्रों पर द्वितीयक सहायक नर्स दाईयों (ए.एन.एम) की नियुक्ति करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अब तक राज्य-वार कुल कितनी द्वितीयक ए.एन.एम परिचारिकाओं की नियुक्ति की गई है;

(ग) क्या उप-केन्द्रों पर प्रसव कराना द्वितीयक ए.एन.एम परिचारिकाओं के कार्यों में शामिल किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान द्वितीयक ए.एन.एम परिचारिकाओं द्वारा कराए गए प्रसवों की कुल संख्या राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी है;

(ङ) क्या यह सच है कि द्वितीयक ए.एन.एम परिचारिकाओं को प्रसव कराने के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर कार्यभार बढ़ रहा है;

(च) यदि हां, तो प्रसव कराने के लिए अब तक प्रशिक्षित द्वितीयक ए.एन.एम परिचारिकाओं की संख्या का ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) विद्यमान समस्त द्वितीयक ए.एन.एम परिचारिकाओं को प्रसव कराने के लिए पर्याप्त: प्रशिक्षित कब तक किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जन स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है और संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर कर्मियों की नियुक्ति सहित सभी कार्मिक एवं प्रशासनिक मामले संबद्ध राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। राज्यों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा दी गई आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संघ सरकार विनिर्दिष्ट मानक की पूर्ति के अध्यधीन उप-केन्द्र पर दो सहायक नर्स धात्री (ए.एन.एम) नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, क्योंकि उप-केन्द्र के अंतर्गत जनसंख्या की प्रजनन की बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है। जून, 2012 की स्थिति के अनुसार नियुक्त सेकंड ए.एन.एम की राज्य-वार कुल संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ए.एन.एम द्वारा करवाए गए प्रसवों का डाटा नहीं रखा जाता है।

(ङ) से (छ) सेकंड में ए.एन.एम सहित सभी ए.एन.एम दक्ष होती हैं और सेवा में कार्य भार ग्रहण करते समय नर्सधात्री दक्षता प्राप्त होने हेतु सत्यापित होती हैं। तथापि ए.एन.एम की नर्सधात्रीय दक्षताओं को पूर्ति के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत एक 21 दिवसीय दक्ष जनम परिसर (एस.बी.ए) प्रशिक्षण को सहायता प्रदान की जा रही है जहां राज्यों से अपनी पी.आई.पी में ऐसे प्रशिक्षणों के लिए अनुरोध किया जाता है। दिनांक 30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार, एस.बी.ए में लगभग 43376 ए.एन.एम/स्टाफ नर्सों तथा महिला/स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रशिक्षित किया गया है। एस.बी.ए में प्रशिक्षित सेकंड ए.एन.एम की संख्या का कोई अलग डाटा नहीं रखा जा रहा है।

विवरण

जून 2012 तक नियुक्त सेकंड ए.एन.एम की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	सेकंड ए.एन.एम की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	81
2.	आंध्र प्रदेश	10650
3.	अरुणाचल प्रदेश	29
4.	असम	3907

1	2	3
5.	बिहार	5667
6.	चंडीगढ़	6
7.	छत्तीसगढ़	181
8.	दादरा और नगर हवेली	21
9.	दमन और दीव	6
10.	दिल्ली	0
11.	गोवा	34
12.	गुजरात	0
13.	हरियाणा	1841
14.	हिमाचल प्रदेश	0
15.	जम्मू और कश्मीर	1841
16.	झारखंड	2195
17.	कर्नाटक	0
18.	केरल	1
19.	लक्षद्वीप	14
20.	मध्य प्रदेश	2684
21.	महाराष्ट्र	6617
22.	मणिपुर	420
23.	मेघालय	133
24.	मिजोरम	164
25.	नागालैंड	263
26.	ओडिशा	1183
27.	पुदुचेरी	80
28.	पंजाब	1411
29.	राजस्थान	8546
30.	सिक्किम	53
31.	तमिलनाडु	0
32.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध
33.	उत्तर प्रदेश	20521
34.	उत्तराखंड	107
35.	पश्चिम बंगाल	7284
	कुल	75941

(स्रोतः जून, 2012 तक एन.आर.एच.एम राज्य-वार प्रगति)

[हिन्दी]

उत्पादन में कमी

284. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री रमेश बैस :
श्री हरि मांझी :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस के उत्पादन में कमी का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस के कम उत्पादन का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार कितनी मात्रा व मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों तथा गैस का उपभोग हुआ तथा इसके मुकाबले उनका वर्ष-वार कितना आयात हुआ; और

(घ) इस संबंध में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के दौरान निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भारत अपनी घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में एलपीजी को छोड़कर जिसे तेल कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है, आत्मनिर्भर है।

विगत तीन वर्षों के लिए प्राकृतिक गैस का उत्पादन नीचे दिया गया है:

बिलियन घन मीटर (बीसीएम) में

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
प्राकृतिक गैस	46.49	51.23	46.33

केजी डी 6 ब्लाक में रिलायंस द्वारा प्राकृतिक गैस उत्पादन में मुख्यत: कमी हुई है और प्राकृतिक गैस उत्पादन में कमी को आयात द्वारा पूरा किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
प्राकृतिक गैस	8.9	8.9	10.1

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मूल्य सहित आयातों की तुलना में देश में उपभोग किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उपभोग की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) प्राकृतिक गैस के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बोली दौरों के माध्यम से अन्वेषण हेतु और अधिक गैर अन्वेषित क्षेत्र प्रस्तावित करना।
- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली के नौवें दौर के तहत अभी तक 254 ब्लाक प्रदान किए जा चुके हैं। इन ब्लाकों में अन्वेषण की कार्रवाई शीघ्र करना।
- कोल बेड मिथेन (सीबीएम), गैस हाइड्रेट, शेल गैस एवं तेल शेल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की खोज करना।

विवरण-I

2009-10 से 2011-12 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद-वार उत्पादन के ब्यौरे

मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)

	2009-10	2010-11	2011-12
	1	2	3
एलपीजी	10.34	9.62	9.55
नाफ्था	18.78	19.31	18.71
पेट्रोल	22.55	25.80	27.21

	1	2	3
एटीएफ	9.30	9.82	10.06
मिट्टी तेल	8.83	7.90	8.02
डीजल	73.25	77.68	82.93
हल्का डीजल तेल	0.47	0.60	0.50
ल्यूब	0.95	0.94	1.03
ईंधन तेल	15.26	18.67	17.72
एलएसएचएस	2.63	1.98	1.71
बिटुमेन	4.87	4.45	4.60
पेट कोक	3.92	2.77	4.63
अन्य	12.80	16.25	17.33
योग	185.00	195.79	203.99

एटीएफ = विमानन टर्बाइन ईंधन, एलएसएचएस = निम्न सलफर हैवी स्टाक

विवरण-II

2009-10 से 2011-12 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग एवं आयात

उत्पाद	2009-10			2010-11			2011-12		
	टीएमटी में उपभोग	आयात		टीएमटी में उपभोग	आयात		टीएमटी में उपभोर्ग	आयात	
		मात्रा टीएमटी	मूल्य (करोड़ रु. में)		मात्रा टीएमटी	मूल्य (करोड़ रु. में)		मात्रा टीएमटी	मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) संवेदनशील उत्पाद									
एलपीजी	13135	2718	8329	14331	4502	16082	15358	5084	22850
एसकेओ	9304	985	2909	8928	1381	4939	8229	564	2710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एचएसडी	56242	2531	6390	60071	2073	7166	64742	1051	4935
उप योग	78682	6234	17628	83330	7956	28187	88329	6699	30495
(ख) नियंत्रणमुक्त प्रमुख उत्पाद									
एमएस	12818	385	1264	14194	1702	6427	14992	654	3311
नाफ्था+एनजीएल	10134	1734	4942	10676	2074	6822	11105	1974	7816
एटीएफ	4627		–	5078		–	5536		–
एलडीओ	457		–	445		–	415		–
स्नेहक एवं ग्रीज	2539	1419	3518	2429	1214	3017	2745	1546	3704
एफओ एवं एलएसएचएस	11629	896	1935	10789	925	2240	9232	1128	3272
बिटुमेन	4934	69	138	4536	69	152	4628	67	155
उप योग	47139	4503	11797	48158	5984	18658	48653	5369	18258
(ग) नियंत्रणमुक्त अन्य गौण उत्पाद									
पेट्रोलियम कोक	6586	2699	1274	4982	1788	2339	6145	1821	2438
अन्य	5400	1229	3101	4569	1087	2922	4869	1107	2974
उप योग	11986	3928	4375	9551	2875	5261	11014	2928	5412
योग	137807	14665	33800	141040	16815	52106	147995	14997	54165

स्रोतः तेल कंपनियां, टीएमटी = हजार मीट्रिक टन

विवरण-III

आयातित आरएलएनजी की तुलना में उपभोग की गई गैस के मूल्य

वर्ष	घरेलू प्राकृतिक गैस का कुल उपभोग (एमएमएससीएमडी)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)•	आयातित आरएलएनजी का कुल उपभोग (एमएमएससीएमडी)	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य	कुल उपभोग (एमएमएस सीएमडी)
1	2	3	4	5	6
2009-10	116.35	6724.06	32.35	2299.54	148.7

1	2	3	4	5	6
2010-11	127.06	7343.01	35.04	3140.38	162.1
2011-12	114.9	6640.26	39.32	5285.04	154.22

*4.2 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू का औसत घरेलू गैस मूल्य और गैस का ऊष्मीन मान 9500 केसीएएल/एससीएम मानकर गणना की गई है। वास्तविक गैस मूल्य भिन्न-भिन्न स्रोत का अलग होता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का घाटा

285. डॉ. संजय सिंह :
श्री एस. अलागिरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय बैंकों को घाटा हो रहा है और उनके बंद होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों द्वारा जारी अधिमान शेयरों की खरीद करके इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सहायता करने का है ताकि उनके घाटों को खत्म और आशोध्य ऋण कम किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण बैंकों के पुनरूज्जीवन के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च-2010, मार्च-2011, मार्च-2012 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए और चालू वित्त वर्ष 2012-13 के पहले छः महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक को घाटा नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीय निवेश बोर्ड

286. श्री बिभू प्रसाद तराई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निवेश बोर्ड ने अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, (पीईएसए) का अनुपालन किए बगैर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु त्वरित मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय निवेश बोर्ड के गठन के लिए प्रस्ताव अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के अधीन है। इसलिए किसी कार्रवाई का कोई सवाल नहीं है।

जनजातीय उप-योजना

287. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातीय जनसंख्या के अनुसार-जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के तहत धनराशि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) के लिए कोई मानक बनाए हैं या निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उन मानकों या निदेशों का अनुपालन नही कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए/उठा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) योजना आयोग ने जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के निरूपण, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए वर्ष 2005 में सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संबंधित राज्यों में कम-से-कम अनुसूचित जनजाति (एसटी) की जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी क्षेत्रों की निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करना है।

(ग) वर्ष 2011-12 के लिए योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने अपनी संबंधित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कम टीएसपी को निधियां आबंटित की हैं।

(घ) और (ङ) वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए योजना आयोग में राज्यों के साथ आयोजित कार्यकारी समूह की बैठकों में राज्यों पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला जाता है कि टीएसपी के तहत निधियों का आबंटन राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय केवल उन राज्यों को जिन्होंने टीएसपी रणनीति को अक्षरक्षः कार्यान्वित किया है के लिए अपने विशेष क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात् जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत प्रोत्साहन अनुदान देता है।

[हिन्दी]

यकृत प्रतिरोपण

288. श्री रमेश बैस :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री हरि मांझी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यकृत रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कितने यकृत रोगियों के होने का अनुमान है;

(ग) क्या देश में गैर-कानूनी ढंग से यकृत प्रतिरोपण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो देश में गैर-कानूनी यकृत प्रतिरोपण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश में कितने रोगियों को यकृत प्रतिरोपण का इंतजार है और प्रत्येक वर्ष इनमें से कितने रोगियों का यकृत प्रतिरोपण हो रहा है; और

(च) सरकार ने देश में यकृत रोगियों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रतिरोपण सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) ऐसी कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

(घ) मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 में दांडिक उपबंधों तथा सजाओं को और भी सख्त बनाया गया है।

(ङ) ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, प्रकाशित अध्ययनों पर आधारित आकलनों से पता चलता है कि यकृत की मांग तथा उपलब्धता के बीच विशाल अंतराल है। पचास हजार से अधिक यकृतों की अनुमानित आवश्यकता है जबकि प्रतिवर्ष केवल करीब तीन सौ यकृतों के प्रतिरोपण की सूचना मिलती है।

(च) राज्य सरकारें मानव अंग प्रतिपोरण अधिनियम 1994 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत निर्धारित विधि एवं क्रियाविधियों के अनुसार मानव अंगों के प्रतिरोपण हेतु अस्पतालों को प्राधिकृत करती हैं। चूंकि यकृत प्रतिरोपण के विषय को देश में चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के चिकित्सा पाठ्यक्रम के तहत स्पेशियलिटी के रूप में शामिल किया जाता है, इसलिए इस विषय

के संबंध में डॉक्टरों को प्रशिक्षित एवं अद्यतन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की उपलब्ध योजनाएं

289. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन बीमा योजनाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं किस हद तक पहुंच में है और उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सरकार और निजी क्षेत्र के बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आम जनता को शामिल करने के लिए कोई दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी बीमा कंपनियों का आम जनता को बीमा उपलब्ध कराने मे रुचि नहीं हैं/वे अनिच्छुक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठा रहीं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि वर्ष 2011-12 में जारी की गई 4,41,91,864 जीवन बीमा पॉलिसियों में से 1,39,83,265 पॉलिसियां जो कुल पॉलिसियों का 31.64% है, ग्रामीण क्षेत्रों में जारी की गई हैं। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए गए 1,45,31,183 व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र, आर्थिक रूप से वंचित अथवा पिछड़े वर्गों और अनौपचारिक क्षेत्र समूहों से लिए गए थे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े शहरी लोगों के लिए निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं शुरू की हैं:-

(i) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

(ii) जन श्री बीमा योजना (जेबीवाई)

(iii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)

(iv) महात्मा गांधी बुनकर योजना (एमजीबीवाई)

(ख) से (च) आईआरडीए ने आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) विनियमावली 2002 जारी किया है। जिसमें प्रत्येक जीवनबीमा कंपनी, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व (उस वर्ष में बीमाकिंत पॉलिसियों की कुल संख्या की प्रतिशत पॉलिसियां) संबंधी मानदंडों को पूरा करने संबंधी प्रावधान हैं।

इरडा के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई कुल पॉलिसियों में 26.84% ग्रामीण क्षेत्रों में जारी की गयी थी।

[अनुवाद]

अपतटीय खनन लाइसेंस देना

290. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में खनिजों की खोज के लिए अपतटीय खनन लाइसेंस देने में गंभीर अनियमितताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) जांच में दोषी पाये गऐ अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जाएगी?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपतटीय गवेषण लाइसेंसों को प्रदान करने में **अभिकथित अनियमितताओं के लिए आरंभिक जांच शुरू कर दी है।**

आयकर प्रतिदाय में भ्रष्टाचार

291. **श्रीमती रमा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिदाय के दावों के निपटान के लिए आयकर विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में अब तक किस हद तक सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिदाय के दावों के निस्तारण के लिए कथित भ्रष्टाचार के मामले एवं शिकायतें समय-समय पर जानकारी में आती हैं। जब भी ऐसा कोई मामला या शिकायत जानकारी में आती है, उसका सत्यापन किया जाता है तथा यदि उसे सही पाया जाता है, तो मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित परिणामों का सामना करना पड़ता है।

(ग) प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से प्रतिदायों की जल्दी से प्रोसेसिंग एवं निर्गम के लिए कम्प्यूटरीकरण एवं विवरणियों की ई-फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के क्रम में प्रतिदाय जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया है। प्रतिदाय के लिए एक वेब आधारित स्टेट्स ट्रैकिंग सुविधा भी शुरू की गई है। ऐसी सभी शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ किया गया है।

(घ) काफी सफलता मिली है। प्रतिदाय का दावा करने वाली ई-फाइल्ड विवरणी को अब औसतन दाखिल करने की तिथि से तीन-चार माह के अंदर प्रोसेस किया जाता है।

[हिन्दी]

महिला सशक्तिकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता

292. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु शर्त नियत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किए जाने के कारण किसी अर्थदंड का भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल विपणन कंपनियों का घाटा

293. **श्री जगदानंद सिंह** :
श्री जोस के. मणि :
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री के. सुगुमार :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक

तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) को कितना घाटा हुआ है या निम्न वसूली का पता चला है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई गई है और मुख्य तेल कंपनियों पर कितनी राजसहायता का बोझ है;

(ग) क्या सरकार ने लेखा प्रक्रिया के पुराने और अपारदर्शी होने का हवाला देकर तेल विपणन कंपनियों को उनके घाटों की प्रतिपूर्ति नहीं करने का निर्णय लिया है और उनके लेखों की जांच करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल विपणन कंपनियों के घाटों या निम्न वसूली को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा वहन की गई अल्प-वसूली और सरकार तथा अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा भार हिस्सेदारी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

अल्प वसूली और भार हिस्सेदारी

(करोड़ रुपये)

वर्ष	ओएमसीज द्वारा वहन की गई कुल अल्प वसूली	सरकार द्वारा नकद सहायता	अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा छूट	ओएमसी द्वारा समायोजित की गई शेष अल्प-वसूली
2009-10	46,051	26,000	14,430	5,621
2010-11	78,190	41,000	30,297	6,893
2011-12	1,38,541	83,500	55,000	41
अप्रैल-सित.12	85,586	30,000•	30,170	25,417••

•अतरिम बजटीय मदद

••पूरी नहीं की गई अल्प वसूली

(ग) और (घ) हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के लिए अल्प-वसूलियों की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार के हिस्से के रूप में ओएमसीज को 30,000 करोड़ रुपये की अंतरिम बजटीय सहायता की पुष्टि की है।

(ङ) कच्चे तेल के उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये के तीव्र अवमूल्यन के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान ओएमसीज की बढ़ती हुई अनुमानित विशाल अल्प-वसूलियों की चिन्ताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 13 सितम्बर, 2012 को निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

i. वैट को छोड़कर डीजल के मूल्य में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। इसमें से 1.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण हैं।

ii. प्रत्येक उपभोक्ता को राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति 6 सिलिंडर (14.2 कि.ग्राम का) प्रति वर्ष तक सीमित करना। चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में प्रत्येक उपभोक्ता को उपलब्ध राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलिंडरों की संख्या 3 सिलिंडर होगी।

वन उत्पाद

294. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड सहित देश में वन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सलाह देने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी हां।

(ख) सचिवों की समिति की सिफारिश पर, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व, मूल्य निर्धारण, मूल्यसंवर्धन और लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के संबंध में प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए 23.08.2010 को डा. टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम सभा द्वारा एमएफपी के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से दर्शाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने, राज्य स्तर पर एमएसपी का रक्षण करना, बेहतर मूल्यों से बाजार के अनुसार एमएफपी संग्रहकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सहभागी रूप से एमएफपी में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य कानूनों और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन की सिफारिश की है।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैस के उत्पादन में विलंब

295. **श्री संजय दिना पाटील :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या ब्लॉकों के आवंटन के बाद देश में गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत, जमीनी, उथले समुद्र तथा गहरे समुद्री क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए जाते हैं। पीएससी में सफल गैस खोजों की खोज से विकास तक के लिए विनिर्दिष्ट समय अवधि निर्धारित हैं, जिसमें मूल्यांकन, वाणिज्यिकता तथा विकास कार्य शामिल हैं। संविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि यथा उपरोक्त क्रियाकलापों के लिए समयसीमाओं का पालन करें। गैस के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे स्थल (जमीनी, उथला समुद्, गहरा समुद्र), खोज का आकार, भौगोलिक तथा रिज़र्वायर की स्थिति, गैस परिवहन बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा बाजार आदि।

(ग) अन्वेषण, मूल्यांकन, वाणिज्यिकता तथा क्षेत्र विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा/अनुमोदन ब्लाक की प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा किया जाता है और आवधिक रूप से इसकी निगरानी भी की जाती है।

नालको द्वारा मानकों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन

296. **श्री एस. आर. जेयदुरई :**
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने परिधीय विकास निधि और कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि हेतु कोई मानक/दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नालको ने नियत मानकों/दिशानिर्देशों के गंभीर उल्लंघन करके उक्त निधि से निजी विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। परिधीय विकास गतिविधियों के लिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) बोर्ड ने आगामी वर्ष को ऐसी गतिविधियों हेतु

पिछले वर्ष के निवल लाभ का 1% आबंटित करने के लिए अनुमोदन दिया है। आबंटन योग्य राशि में से 40% खान एवं रिफाइनरी (एमएडंआर) काम्पलेक्स, दामनजोड़ी, प्रगालक एवं विद्युत (एसएडंसी) परिसर, अंगुल को आबंटित किया गया है और शेष 20% कॉरपोरेट स्तरीय गतिविधियों के लिए रख लिया गया है।

दामनजोड़ी एवं अंगुल में विभिन्न परिधीय विकास गतिविधयों पर व्यय संबंधी निर्णय ओडिशा सरकार द्वारा संबंधित इकाइयों के लिए गठित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएसी) द्वारा लिया जाता है।

ग्रामीण सड़कों, पुलियों, नलकूपों, समुदाय भवनों, स्कूल भवनों, स्नान घाटों, टैंकों तथा जल संचयन सुविधाओं की मरम्मत और निर्माण जैसे क्षेत्र कॉरपोरेट स्तरीय गतिविधियों में आते हैं। सामाजिक वानिकी, कृषि को प्रोत्साहन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, की देखभाल, सफाई, शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग, ग्रामीण खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गैर-निर्माणत्मक गतिविधियों में आते हैं। कॉरपोरेट स्तरीय परिधीय विकास गतिविधियों के लिए धनराशि प्राप्त अनुरोध तथा विभिन्न स्तरों पर पूर्ण जांच के बाद आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृत की जाती है।

(ग) से (ङ) विगत वर्षों में नालको कई शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों आदि को परिधीय विकास निधि से वित्तीय सहायता देता रहा है। किसी भी निजी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

तथापि, 2008-09 के दौरान 10.00 लाख रु. तथा 2009-10 के दौरान 20.00 लाख रु की वित्तीय सहायता संचुरियन स्कूल ऑफ रुरल इंटरप्राइज मैनेजमेंट को उनके विद्यार्थियों के हित के लिए अल्यूमिनियम फैब्रिकेशन मशीनों तथा कम्प्यूटरों की खरीद हेतु दी गई थी। जब धनराशि दी गई थी, तब सेंचुरियन स्कूल ऑफ रुरल इंटरप्राइज मैनेजमेंट एक निजी विश्वविद्यालय न होकर एक अभियांत्रिकी एवं प्रबंध संस्थान था।

[हिन्दी]

औषधीय और सुगंधित पौधे

297. श्री प्रेमदास :

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लुप्त होने के कगार पर या निकट भविष्य में लुप्त हो जाने वाले कतिपय औषधीय और सुगंधित पौधों की कुछ किस्मों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे संकटापन्न औषधीय और सुगंधित पौधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में औषधीय और सुगंधित पौधों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.एम.बी.पी. ने क्या कार्य किये हैं तथा इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए किसानों और राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) और (ख) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बीएसआई) के अनुसार, संकटापन्न औषधीय और सुगंधित पादप निम्नलिखित हैं:

एकोनिटम बेलफॉरी, एकोनिटम चेसमेंथम, एकोनिटम डिनोराईजम, एकोनिटम फालकोनेरी वर लेटिलोबम, एकोनिटम फेरॉक्स, एकोनिटम हेट्रोफायलम, एकोरस ग्रेमिनस, एल्लियम स्ट्रेची, अमाइरिस बालसामइफेरा, एंजेलिका ग्लाऊका, एनोजिसस सेरेसिया वर, न्युमूलेरिया, एक्विलेरिया मेलेसेंसिस, एक्विलेरिया खसियाना, अरिस्टोलोचिया ब्रेक्टियोलेटा, अरिस्टोलोचिया इंडिका, अर्नेबिया बेंथामी, एट्रोपा एकुमिनेटा, बरबेरिस एफिनिस, बरबेरिस एपीकुलेटा, बरबेरिस अरिसटाटा, बर्जेनिया स्ट्रेची, बोरानिया मैग्सटिगमा, कैप्परिस पेचिफाईला, केरम विल्लोसम, सेड्रस डियोडारा, कोलचिकम ल्यूटियम, कॉपटिस टीटा, कोसीनियम फेनेस्ट्रेटम, डेक्टिलोरिजा हेटाजीरिया, डासकोरिया डेलटोडिया,

एलायोकॉर्पस प्रूनिफोलियस, इफेड्रा जेरार्डियाना, फेरूला गोमासा, गोलथेरिया फ्रेग्रेंटीसीमा, जेंटियाना कुरूआ, ग्लोरिओसा सुपर्बा, हेडिचियम कोरोनियम, हेडिचियम स्पीकेटम, हायोसाईमस निगर, हाईडनोकॉर्पस मेक्रोकार्पा, इनुलो रेसमोसा, इफिजेनिया इंडिका, इफिजेनिया पेल्लिडा, इफिजेनिया स्टेल्लाटा, जुरीनिया डोलोमिया, कोलैंको रोसियस, मधुका इंसाईनिस, माइरिस्टिका फ्रेगरेंस, मायरोलाइलॉन बलसमम वर. पेरिरई, नार्डोस्टेची ग्रेंडिफ्लोरा, ओरिगेनम वल्गेरी, पेनेक्स स्यूडोजिंगसेंग, पिकोरिजा कुरूआ, पोडोफाईलम हेक्सांड्रम, पोगोस्टेमॉन केबलीन, टेरोकॉपर्स सेंटालिनस, राउवॉल्फिया सर्पेंटिना, रियूम इमोडी, सेंटेलम एल्बम, सतुरेजा होरेंसिस, साउसुरिया ब्रेक्टियाटा, साउसुनिया कोसटस, साउसुरिया ग्नेफलोडिस, स्वर्शिया चिरायता, टेक्सस वेल्लिचियाना, टेक्सोकॉर्पस कुर्जी, अर्जिनिया इंडिका और अर्जिनिया मेरिटीमा एवं वाइटेक्स पेडुन्कुलेरिस।

पादपों और पशुओं के अन्य समूहों की भांति औषधीय एवं **सुगंधित** पादप अधिकांशतः प्राकृतिक-वास के कम होने और विभिन्न **मानव** प्रजातीय कारकों के कारण जोखिमग्रस्त हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने सामान्यतः औषधीय पादप क्षेत्रक **के** विकासार्थ और विशेषकर मांग आपूर्ति के आकलन, नीति पर **सुझाव** देने, संरक्षण का संवर्धन करने, समुचित फसल कटाई, कृषि **गुणवत्ता** नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, प्रसंस्करण, कच्ची सामग्री के विपणन से संबंधित क्षेत्रों में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है, ताकि इस क्षेत्रक की संरक्षा, धारणीयता और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

विगत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड **(एनएमपीबी)** "औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास एवं धारणीय **प्रबंधन** केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम" (पूर्ववर्ती स्कीमों के अनुक्रम में) **तथा वर्ष** 2008-09 से नई "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन केंद्रीय प्रायोजित **स्कीम**" भी कार्यान्वित कर रहा है।

"औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास एवं धारणीय प्रबंधन" **केंद्रीय** क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- मुख्यतः संरक्षण (मुख्यतः वन केंद्रित)
- औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों (एमपीसीए) की स्थापना
- वन क्षेत्र में संसाधन संवर्धन
- संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) को सहायता प्रदान करना
- औषधीय पादपों पर अनुसंधान, संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए अधिकांशतः सरकारी और कुछ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देना।
- जड़ी बूटीय उद्यान की स्थापना।

"राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संबंधनों के साथ औषधीय पादपों की कृषि हेतु सहायता।
- पौधशालाओं, प्रसंस्करण एकांशों, शुष्कन शेडों की स्थापना और औषधीय पादपों के विपणन हेतु सहायता।

इस स्कीम के अंतर्गत देश में अभिनिर्धारित औषधीय पादपों की खेती के लिए राज्य सरकारों को वर्ष 2009-10 में 3882.496 लाख रुपये, वर्ष 2010-11 में 3430.948 लाख रुपये, वर्ष 2011-12 में 3677.602 लाख रुपये और मौजूदा वर्ष के दौरान 2762.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

30 सितम्बर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार एनएमपीबी की प्रमुख उपलब्धियां:

(क) वन क्षेत्रों में 49,361.32 हेक्टेयर में औषधीय पादपों का पुनःरोपण/संरक्षण/संसाधन संवर्धन

- संसाधन संवंधन के तहत 27,588.82 हेक्टेअर
- स्वस्थाने संरक्षण के तहत 12,727.50 हेक्टेअर
- औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों के तहत 9,045 **हेक्टेअर** (46 अदद)

(ख) निम्नलिखित स्थापित करके बाह्य स्थाने संरक्षण का विशाल नेटवर्क

- जड़ी-बूटीय उद्यान (संख्या में) - 289
- स्कूल जड़ी-बूटीय उद्यान (संख्या में) - 1798
- गृह जड़ी-बूटीय उद्यान (संख्या में) - 1,420

(ग) 1,62,630.8291 हेक्टेअर में औषधीय पादपों की कृषि हेतु सहायता

- वर्ष 2008 से 30 सितम्बर, 2012 के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अंतर्गत 1,12,147.8291 हेक्टेअर
- वर्ष 2002-2008 के दौरान संविदात्मक कृषि के अंतर्गत 50,483 हेक्टेअर

(घ) निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययनों हेतु सहायता:

- टिशु कलचर के माध्यम से आरईटी पादपों का गुणनांक
- औषधीय पादपों और मोनोग्राफों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस
- जैव क्रियाकलाप निर्देशित विखंडन अध्ययन
- धारणीय फसल कटाई
- फसल कटाई पश्चात प्रबंधन
- अंत: फसलीकरण
- रासायनिक और जैविक रूपरेखा
- गुणवत्ता रोपण सामग्री
- जर्म प्लाज्म और जिनोटाइप पहचान और संरक्षण
- अपरिष्कृत औषधों का प्रमाणीकरण और मानकीकरण
- आरईटी पादपों हेतु प्रतिस्थानी का पता लगाना

(ङ) 82 चयनित औषधीय पादपों की कृषि तकनीक विकसित की गई।

(च) 23 सुविधा केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से 16 सुविधा केंद्र क्रियाशील हैं।

(छ) 19 राज्यों में आंवला पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया।

(ज) अच्छे कृषि अभ्यास और अच्छे क्षेत्र संग्रहण अभ्यास विकसित किए गए।

(झ) औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति के आकलन हेतु अध्ययन किए गए।

(ज) औषधीय पादपों के गुणवत्ता मानकों हेतु स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम को अंतिम रूप दिया गया।

(ट) औषधीय पादपों का ऑर्गेनिक प्रमाणन अपनाया गया।

बी पी एल रोगियों को नि:शुल्क दवाएं

298. श्री गणेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में बी पी एल रोगियों के लिए नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी पी एल रोगियों को घटिया दवाइयां देने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसमें लिप्त पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामत: डा. आर.एम.एल. अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल तथा लेडी होर्डिंग मेडिकल कालेज तथा संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, अस्पताल की फार्मूलरी के अनुसार बीपीएल रोगियों सहित सभी रोगियों को दवाएं नि:शुल्क दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) घटिया दवाओं से संबंधित ऐसी किसी शिकायत की सूचना अब तक नहीं मिली है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

299. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) ने देश में जनजातीय विकास प्रशासन हेतु सुशासन पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट में की गई ऐसी सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी, हां। आयोग ने दिनांक 18.06. 2012 को "जनजातीय विकास एवं प्रशासन हेतु सुशासन" पर भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) से (ङ) संविधान के अनुच्छेद 338-क के खण्ड-6 के अनुसार राष्ट्रपति सिफारिशों पर की गई या की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ उक्त अनुच्छेद के खण्ड 5 (घ) के तहत प्रस्तुत आयोग की सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखे जाने से पूर्व पहुंचाएगा। तद्‌दनुसार, पहले मंत्रालय को आयोग द्वारा प्रस्तुत विशेष रिपोर्ट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

शहरों को 'क' और 'ख' श्रेणी में रखना

300. श्रीमती मेनका गांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ नए शहरों को 'क' और 'ख' श्रेणी में रखने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों के क्या नाम हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का भविष्य में राज्य के ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए शहरों के पिछले वर्गीकरण में दिनांक 01/09/2008 से संशोधन किया गया है अर्थात् ए-1 से "एक्स", ए बी-1 और बी-2 से "वाई" और सी एवं अवर्गीकृत से "जेड"। संशोधित वर्गीकरण के निर्धारण में नवीनतम दसवार्षिक जनगणना रिपोर्ट अर्थात् 2001 की जनगणना के अनुसार, नगर के संपूर्ण शहरी क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे वर्गीकरण में संशोधन के लिए कार्रवाई नवीनतम अंतिम दसवार्षिक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के आधार पर शुरू की जाती है। यदि नगर के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, उस नगर की जनसंख्या के आंकड़ों में परिवर्तन होता है, तो संबंधित राज्य सरकार से इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर ही कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

अपंजीकृत आयुर्वेदिक और यूनानी क्लीनिक

302. श्री प्रहलाद जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवगत है कि कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी क्लीनिक ऐसे लोगों द्वारा संचालित हैं, जिनके पास उचित अर्हता और दस्तावेज नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार अपंजीकृत/अप्रमाणित आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी क्लीनिकों को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (ङ) "जन स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय" विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल हैं। इसलिए, अपंजीकृत/अप्रामाणिक आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी क्लिनिकों को रोकने का कार्य अलग-अलग राज्य प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में आता है।

अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी रिपोर्ट

303. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड** :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री संजय भोई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) योजना आयोग ने सूचित किया है कि अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए विद्यमान ढांचे की समीक्षा करने तथा इस बारे में संस्तुतियां करने के लिए अवसंरचना में वित्तपोषण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट 3 अक्टूबर, 2012 को प्रस्तुत कर दी है। समिति की अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च, 2013 तक आनी अपेक्षित है।

पाइप गैस प्रदाताओं के लिए ए.पी.एम. गैस

304. **श्री प्रबोध पांडा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को अपनी शहर गैस परियोजनाओं के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम) जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरों को और वितरण के लिए ए.पी.एम गैस पाने हेतु एजेंसियों के लिए अर्ह मानक क्या हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न शहरों में उपभोक्ताओं को शहर गैस उपलब्ध करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार से प्रत्येक एजेंसी को कितनी ए.पी.एम गैस प्राप्त हुई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् ओएनजीसी एवं ओआईएल के नामांकित ब्लाकों से उत्पादित एपीएम गैस का आबंटन विभिन्न कंपनियों को करने के लिए सरकार ने जुलाई, 1991 में सचिव (पे. एवं प्रा.गै.) की अध्यक्षता में गैस लिंकेज समिति (जीएलसी) गठित की थी। जीएलसी ने समय-समय पर सीएनजी/पीएनजी उपलब्ध कराने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस का आबंटन किया है। चूंकि उसके बाद आबंटन हेतु और एपीएम गैस उपलब्ध नहीं थी, इसलिए दिनांक 9.11.2005 को जीएलसी भंग कर दी गई और उसके बाद से कोई एपीएम गैस आबंटित नहीं की गई है। जीएलसी ने सीएनजी/पीएनजी प्रयोजन हेतु विभिन्न सीजीडी कंपनियों को 6.29 एमएमएससीएमडी एपीएम गैस का आबंटन किया है और तदनुसार एपीएम गैस जारी की जा रही है।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सीजीडी नेटवर्क प्रचालित कर रही कंपनियों का ब्यौरा एवं इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान सीजीडी कंपनियों द्वारा प्राप्त एपीएम गैस की औसत मात्रा की सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सी.जी.डी नेटवर्क प्रचालित कर रही कंपनियां

राज्य	सीजीडी कंपनी का नाम	भौगोलिक क्षेत्र	आपूर्ति (एमएमएससीएमडी में)		
			2009-10	2010-11	2011-12
उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड	आगरा, लखनऊ और टीओजैड सहित फिरोजाबाद	0.07	0.12	0.13
	गेल गैस लिमिटेड*	मेरठ	0.00	0.00	0.00
	सेन्ट्रल यू.पी गैस लिमिटेड	कानपुर, बरेली	0.15	0.15	0.15
	सिटी एनर्जी लिमिटेड*	मुरादाबाद	0.00	0.00	0.00
	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	गाजियाबाद, नोएड और ग्रेटर नोएडा	0.09	0.15	0.21
	अडानी एनर्जी लिमिटेड*	खुर्जा	0.00	0.00	0.00
	सौमया डीएसएम इन्फ्राटेक लिमिटेड*	मथुरा	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	गेल गैस लिमिटेड*	सोनीपत	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	गुड़गांव	0.03	0.06	0.10
	अडानी एनर्जी लिमिटेड*	फरीदाबाद	0.03	0.07	0.09

*सीजीडी प्रयोजन के लिए कोई एपीएम गैस आबंटित नहीं की गई है।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा

305. **श्री वीरेन्द्र कश्यप :**

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.वाई.एन.) सहित विभिन्न अनुसंधान परिषदों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सी.सी.आर.वाई.एन. और राष्ट्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा

संस्थान के कार्यकलापों में सुधार करने और इनके धनावंटन में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) योग और प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में गठित कृतिक बल की अनुशंसाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आयुष विभाग हेतु 3988 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अनुमोदन अभी किया जाना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न अनुसंधान परिषदों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का प्रस्ताव है कि कुछेक केंद्रीय संस्थानों की स्थापना करके केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की गतिविधियों में सुधार किया जाए। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा हेतु दो अलग-अलग राष्ट्रीय संस्थान हैं, अर्थात् मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे। इन दोनों संस्थानों की अवसंरचना, गतिविधियों और आबंटन को 12वीं योजना के दौरान बढ़ाया जाएगा।

(ङ) प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों के पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजे गए थे। उनसे अनुरोध किया गया था कि प्राकृतिक चिकित्सा के विनियमन हेतु व्यापक कानून बनाया जाए। कुछ राज्यों में प्राकृतिक चिकित्सा और योगिक विज्ञान (बीएनवाईएस) आदि के डिग्री धारकों के पंजीकरण हेतु उपाय किए हैं।

(च) योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन पर गठित कार्य बलों द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में विभिन्न अनुसंधान परिषदों को आबंटित निधियां

योजना

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	अनुसंधान परिषदें	2009—10		2010—11		2011—12		2012—13
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद	59.00	59.00	59.00	59.00	56.00	56.00	60.00
2.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	30.87	30.87	30.87	33.17	32.00	32.20	36.58
3.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	31.00	31.00	33.39	39.39	33.00	48.27	54.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	12.50	12.50	12.50	17.50	20.00	13.80	15.00
5.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद**	—	—	—	—	6.00	6.00	15.00
6.	केन्द्रीय परिषद संयुक्त भवन परिसर*	2.39	1.00	—	—	—	—	—
	कुल:	135.76	134.37	135.76	149.06	147.00	156.27	181.26

*केन्द्रीय परिषद संयुक्त भवन परिसर का वर्ष 2010-11 से केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ विलय किया गया। अतएव, वर्ष 2009-10 के पश्चात कोई निधि आबंटित नही की गई।

**पूर्व में सिद्ध संबंधी अनुसंधान केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संचालित किया जाता था। वर्ष 2011-12 से केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद नामक पृथक अनुसंधान परिषद का गठन किया गया।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में विभिन्न अनुसंधान परिषदों को आबंटित निधियां

योजनेत्तर

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	अनुसंधान परिषदें	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद	81.00	79.50	74.00	70.00	65.00	54.65	58.38
2.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	14.00	13.65	12.00	14.80	16.70	16.70	17.80
3.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	40.00	39.40	31.07	36.26	35.00	36.22	35.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	1.75	1.65	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25
5.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद**	—	—	—	—	10.38	10.38	13.31
6.	केन्द्रीय परिषद संयुक्त भवन परिसर*	0.07	0.07	—	—	—	—	—
	कुलः	136.82	134.27	118.57	122.81	129.08	119.95	127.19

*केन्द्रीय परिषद संयुक्त भवन परिसर का वर्ष 2010–11 से केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ विलय किया गया। अतएव, वर्ष 2009-10 के पश्चात कोई निधि आबंटित नही की गई।

**पूर्व में सिद्ध संबंधी अनुसंधान केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संचालित किया जाता था। वर्ष 2011-12 से केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद नामक पृथक अनुसंधान परिषद का गठन किया गया।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

306. श्री हरीश चौधरी :
श्री रतन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास निर्यातोन्मुखी इकाइयों के संबंध में प्रत्यक्ष करों के बाबत सूचना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिटों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 ख के अंतर्गत 100 प्रतिशत निर्यात आय की कटौती का लाभ मिलता रहा है। यह कर लाभ कर-निर्धारण 2011-12 तक उपलब्ध रहा है।

[अनुवाद]

बाल विवाह

307. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री एम. आनंदन :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल विवाह अभी भी प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के माध्यम से ऐसी महिलाओं के जीवन स्तर के संबंध में कोई आंकलन किया गया है, जिनका कम आयु में विवाह हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एनएफएचएस के आधार पर ऐसी महिलाओं के कल्याण हेतु और बाल विवाह को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डाटा, जो 2011 को समाप्त अवधि के लिए उपलब्ध है, के अनुसार, वर्ष 2009-2010 तथा 2011 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 के अन्तर्गत दर्ज मामलों की संख्या क्रमश: 360 तथा 113 है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दर्ज किए गए राज्य-वार मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) केवल अत्यावश्यक-प्राचलों (पैरामीटर) संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार स्कीमों को तैयार करने और नीतियां बनाने में अधिकारिक आंकड़ों की, जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े भी शामिल हैं, को ध्यान में रखती है। भारत सरकार ने, बाल विवाह संपन्न कराने के की प्रतिषिद्धता के उपाबन्ध हेतु तथा उसके संबंद्ध अथवा उनके प्रासंगिक मामलों के लिए बाल विवाह प्रतिषिद्ध अधिनियम, (पीसीएमए) 2006 अधिनियमित किया जो नवंबर, 2007 से लागू हुआ। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा19(1) तथा 2के अंतर्गत नियम अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अभी तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नियम बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बाल-विवाह की समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

i. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनीसेफ तथा बालक अधिकारों के लिए एक गैर सरकारी संगठन, हक सेन्टर के सहयोग से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर एक पुस्तिका तैयार की है जिसमें अधिनियम के प्रमुख उपबंधों तथा विभिन्न भागीदारों के उत्तरदायित्व के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है।

ii. राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य मुख्य मंत्रियों से बाल-विवाह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकारों के संबंधित तंत्र को सुग्राही बनाने तथा अनुकूल बनाने का अनुरोध किया है।

iii. राज्य सरकारों से हर वर्ष *अख-तीज* के अवसर पर ऐसे विवाहों के लिए पारम्परिक दिवस पर समन्वित प्रयासों द्वारा विवाह में विलंब करने के लिए विशेष पहल करने का अनुरोध किया जाता है।

iv. भारत सरकार ने देश के 200 जिलों में सबला, किशोरियों के सशक्तीकरण की एक योजना, 19 नवंबर, 2010 को आरंभ की है। इस स्कीम का उद्देश्य किशोरियों (11-18 वर्ष) को उनके पौषणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करते हुए और गृह-कौशलों जीवन-कौशलों और व्यावसायिक कौशलों आदि जैसे विभिन्न कौशलों का उन्नयन करते हुए तथा विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता सृजित करते हुए सशक्त करना है। उन्हें भी उपयुक्त आयु पर शादी के महत्व के प्रति संचेतित किया जाएगा। किशोरियों को सशक्त बनाते हुए, इस स्कीम में बाल-विवाह समस्या का समाधान किया गया है।

v. मंत्रालय तथा इसकी स्वायत्त संस्थाओं द्वारा जागरूकता फैलाने तथा बाल विवाह को रोकने के लिए सोच में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यशालाएं, सेमिनार तथा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

बाल-विवाह की घटना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	5
6.	गोवा	0	0	0

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	0	14	13
8.	हरियाणा	0	0	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0	5	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	3	8	12
13.	केरल	0	6	3
14.	मध्य प्रदेश	0	4	5
15.	महाराष्ट्र	0	4	19
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	1
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	0	2	5
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	5	4
27.	उत्तराखंड	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	25
	कुल राज्य	3	59	113
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	1	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0	1	0
	कुल अखिल भारत	3	60	113

स्रोत: एनसीपीसीआर।

खनन का भू-जल पर प्रभाव

308. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि मध्य प्रदेश (एमपी) और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा मिलियोलाइट लाइमस्टोन के खनन हेतु पट्टे प्रदान किए जाने के कारण मध्य प्रदेश के बालाघाट, मुरैना इत्यादि और गुजरात में कच्छ और भावनगर में भू-जल अंश में बदलाव आया है और जल प्रदूषित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त समस्या को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) उपलब्ध

सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट और मुरैना जिलों में मिलियोलाइट चूना पत्थर उपलब्ध नहीं है। गुजरात के भावनगर जिले में मिलियोलाइट चूना पत्थर के लिए एक खनन पट्टा प्रदान किया गया है। तथापि, भूजल अंश में परिवर्तन अथवा गुजरात में भावनगर जिले में मिलियोलाइट चूना पत्थर के खनन के कारण जल प्रदूषण की कोई सूचना नहीं है और न ही कच्छ क्षेत्र से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

निजी बैंकों के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना

309. चौधरी लाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के सनदी लेखाकार संस्थान से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना स्वीकृत किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सरकार को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस औषधालयों में डॉक्टरों की कमी

310. डॉ. बलीराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीग्राफ लेन औषधालय सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के औषधालयों में डॉक्टरों और पराचिकित्सा स्टाफ की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में उपरोक्त एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथी सीजीएचएस औषधालयों में स्टाफ/डॉक्टरों की स्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में उपरोक्त औषधालयों में डॉक्टरों और पराचिकित्सा स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(घ) उक्त कमी को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) देश में सीजीएचएस समेत, डॉक्टर और पराचिकित्सा व्यवसायियों की समग्र कमी है। टेलीग्राफ लेन औषधालय में सीजीएचएस लाभार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 डॉक्टर और 10 स्टाफ तैनात हैं।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार हैं-

डॉक्टरों की सूची	स्वीकृत पद	भरे गए	रिक्त
विशेषज्ञ	117	101	16
एलोपैथिक जीडीएमओ	699	575	124
आयुर्वेदिक	43	21	22
होम्योपैथिक	29	20	09
यूनानी	10	10	00
श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए	रिक्त
ग्रुप 'बी' अधिकारी	05	01	04
श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए	रिक्त
ग्रुप 'सी' अधिकारी	1431	1052	379
श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए	रिक्त
ग्रुप 'डी' स्टाफ	1230	830	400

(ग) और (घ) प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डॉक्टरों की सीधी भर्ती और पदोन्नति वाले रिक्त पदों को भरने के लिए भी सिफारिशें की जाती हैं, तथापि सीधी भर्ती के चयनित अनेक डॉक्टर सीजीएचएस में कार्य ग्रहण नहीं करते हैं। तात्कालिक जरूरतों के आधार पर प्रचालन कार्य पूरा करने हेतु कुछ रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अवकाश प्राप्त डॉक्टर रखे गए

हैं। रिक्त पदों को नियमित तौर पर भरने में लगने वाले निर्दिष्ट समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

सौर ऊर्जा

311. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

श्री चार्ल्स डिएस :

श्री शिवराम गौड़ा :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के घरों, उद्योगों, होटलों, नर्सिंग होम आदि के लिए सौर प्रणाली का उपयोग अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में निजी घरों और कार्यालयों में सौर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनायी गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा उपस्करों पर दी जा रही राजसहायता और महाराष्ट्र सहित देश में निजी घरों और कार्यालयों को बिजली उत्पादन हेतु सोलर पैनल स्थापित करने के लिए प्रदान किए जा रहे तकनीकी ज्ञान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विद्युत उपकरणों द्वारा बचायी जा रही विद्युत का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की ऑफ-ग्रिड और अनुप्रयोग स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय महाराष्ट्र सहित देश में निजी घरों में 1 किवा. पी क्षमता और कार्यालयों में 100 किवा. पी क्षमता तक के स्टैंड-एलोन सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 81/-रु. प्रति डब्ल्यूपी (बैटरी भंडारण के साथ) और 57/-रु. प्रति डब्ल्यूपी (बैटरी भंडारण के बिना) तक सीमित परियोजना लागत के 30% की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराता है। स्कीम के तहत, मंत्रालय केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों और विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्थानीय निकायों और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमावती जिलों जैसे कठिन क्षेत्रों के लिए 243/-रु. प्रति डब्ल्यूपी (बैटरी भंडारण के साथ) और 171/-रु. प्रति डब्ल्यूपी (बैटरी भंडारण के बिना) तक सीमित, परियोजना लागत की 90% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

स्कीम के तहत, मंत्रालय महाराष्ट्र सहित सामान्य श्रेणी के राज्यों में शून्यीकृत ट्यूब प्रणाली हेतु 3000/-रु. प्रति वर्गमीटर सौर संग्राहक क्षेत्र और फ्लैट प्लेट संग्राहक प्रणाली हेतु 3300/-रु. प्रति वर्गमीटर तक सीमित सौर जल तापन प्रणालियों की लागत की 30% सब्सिडी उपलब्ध कराता है। विशेष श्रेणी के राज्यों में, शून्यीकृत ट्यूब प्रणाली और फ्लैट प्लेट संग्राहक प्रणालियों हेतु क्रमशः 6000/-रु. और 6600/-रु. तक सीमित सौर जल तापन प्रणालियों की लागत की 60% सब्सिडी है।

(घ) और (ङ) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां व्यक्तिगत, सामुदायिक, उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी विभागों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली का उत्पादन करती हैं। 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली एक सौर जल तापन प्रणाली संस्थापना के स्थान और गरम जल के उपयोग पर निर्भर करते हुए प्रतिवर्ष 1500 यूनिट बिजली की बचत कर सकती है।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उन्नयन हेतु निधियां

312. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु वर्ष-वार, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 31.10.2012 के अनुसार) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) निधियों का उपयोग एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिकांशतः परियोजना विकासकर्ताओ को निधियां पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद जारी की जाती हैं। कुछ निधियां राज्य नोडल एजेंसियों/राज्य विभागों के माध्यम से विकासकर्ताओं को जारी की जाती हैं और किस्तें परियोजना की प्रगति से जुड़ी हैं तथा आगे की रिलीज पहले जारी की गई किस्तों के उपयोग के बाद की जाती हैं। निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय समय-समय पर वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टें, उपयोग प्रमाण-पत्र और वास्तविक व्यय के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त करता है। परियोजनाओं की प्रगति तथा निधियों के उपयोग की गति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बैठकें भी आयोजित करता है और परियोजना के कार्यान्वयन तथा लगाई गई प्रणालियों आदि की गुणवत्ता तथा मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए कभी-कभी निरीक्षण दौरे भी करता है। इसके अलावा, राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) की आवधिक लेखा परीक्षा भी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (दिनांक 31.10.2012 के अनुसार) के दौरान विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध कराई गई राज्यवार निधि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10 जारी राशि	2010-11 जारी राशि	2011-12 जारी राशि	2012-13 जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.22	38.91	45.61	9.66
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.02	0.02	0.01
3.	अरुणाचल प्रदेश	53.67	68.52	66.61	20.19
4.	असम	23.29	10.51	18.37	8.13
5.	बिहार	3.99	7.75	7.29	0.51
6.	चंडीगढ़	24.12	34.71	51.27	11.57
7.	छत्तीसगढ़	21.51	36.19	52.54	31.21
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
9.	दमन और दीव	0.00	0.02	0.00	0.00
10.	दिल्ली	37.86	148.95	79.98	76.51
11.	गोवा	0.55	0.17	1.41	0.00
12.	गुजरात	12.89	21.19	18.14	8.17
13.	हरियाणा	2.63	5.71	4.91	2.60
14.	हिमाचल प्रदेश	7.21	15.46	16.55	2.12
15.	जम्मू और कश्मीर	10.49	55.80	102.48	40.69
16.	झारखंड	7.40	1.99	17.90	1.83
17.	कर्नाटक	21.74	30.41	51.20	40.78
18.	केरल	4.66	16.10	13.96	4.44
19.	लक्षद्वीप	0.00	13.89	8.76	0.00
20.	मध्य प्रदेश	19.26	36.28	38.13	9.66
21.	महाराष्ट्र	65.90	142.37	200.21	84.04
22.	मणिपुर	2.09	3.43	3.85	14.94
23.	मेघालय	3.19	7.68	5.84	1.78
24.	मिजोरम	1.62	3.54	1.24	5.72
25.	नागालैंड	0.62	1.93	11.53	11.54
26.	ओडिशा	21.63	9.16	35.32	6.16
27.	पुदुचेरी	0.20	0.12	2.04	0.01
28.	पंजाब	9.49	9.95	14.92	1.31
29.	राजस्थान	13.64	42.84	78.48	39.38
30.	सिक्किम	5.41	4.22	10.50	4.99
31.	तमिलनाडु	18.72	29.43	54.24	29.2

1	2	3	4	5	6
32.	त्रिपुरा	11.90	1.99	5.04	0.42
33.	उत्तर प्रदेश	24.20	68.83	71.91	28.24
34.	उत्तराखंड	19.95	39.57	22.54	22.99
35.	पश्चिम बंगाल	36.22	41.11	41.23	19.52

[हिन्दी]

आवास ऋण पर ब्याज

313. **श्री अर्जुन राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान आवास ऋणों पर ब्याज दर में कई बार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक-वार आवास ऋण पर लिए जा रहे ब्याज की वर्तमान दर क्या है;

(ग) क्या देश में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जा रही ब्याज दर में एकरूपता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) (i) विगत दो वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आवास ऋणों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दरें अधिकांश बैंकों में कम हो गई हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है और ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने बोर्डों के अनुमोदन से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

(iii) विगत दो वर्षों के दौरान चयनित पीएसबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋणों पर विशेष तिथि को पीएसबी द्वारा प्रभारित ब्याज की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आवास ऋण पर पीएसबी द्वारा प्रभारित ब्याज दर

सरकारी क्षेत्र के बैंक	15 जुलाई, 2012 के अनुसार (प्रतिशत में)		31 मार्च, 2012 के अनुसार (प्रतिशत में)		11 जुलाई, 2011 के अनुसार (प्रतिशत में)		25 अक्तूबर, 2010 के अनुसार (प्रतिशत में)	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्रा बैंक	11.25	12.75	10.75	11.75	9	12.25	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैंक ऑफ बड़ौदा	11	12.5	11.25	12.75	9	10.25	10.5	12
बैंक ऑफ इंडिया	10.5	11.25	10.75	11.5	9.25	11.75	10	11.5
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.5	12	10.6	12.1	9	10.75	10.25	12.5
कारपोरेशन बैंक	10.5	11.25	11.25	12.5	7.75	11.5	10.85	14.1
केनरा बैंक	10.5	11	10.75	14.25	9	12.5	10.75	14.25
देना बैंक	10.45	11	10.7	11.25	8.5	11	10.7	12.25
इंडियन बैंक	10.5	11.5	10.75	11.75	8.5	11.5	10.5	12.5
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	10.75	11.5	10.75	12	8.5	10.5	10.25	11.75
पंजाब नेशनल बैंक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9.25	11.5	10.5	12.5
भारतीय स्टेट बैंक	10.5	11	10.75	14.25	लागू नहीं	लागू नहीं	10.5	12.75
यूको बैंक	10.5	13.25	11	13.5	8.5	12.75	10.5	12
विजया बैंक	10.55	11.85	10.75	12	9	11.5	10.75	12.25
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.5	11	11.15	12.65	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.7	11	10.85	11.85	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	10.75	12.5	11	12.75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.5	11	10.75	11.25	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडियन ओवरसीज बैंक	10.7	11.5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब एंड सिंध बैंक	10.75	11.5	11.25	13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	11	11.75	10.5	11.75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	11	14.5	11.25	14.5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10.75	12.75	11.25	12.75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	11.25	12	11.25	12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सिंडिकेट बैंक	10.5	12	10.75	12.75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तपेदिक के मामले

314. श्री जगदीश शर्मा :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री पी. टी थॉमस :
श्री के. सुगुमार:
श्री सी. शिवासामी :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तपेदिक (टीबी) रोगियों की सर्वाधिक संख्या है और यदि हां, तो देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तपेदिक रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तपेदिक मामलों की संख्या और इस कारण हुई मौतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में तपेदिक के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई रणनीति और योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इस प्रयोजन हेतु निर्धारित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत कुछ वर्षों के दौरान उपचार सफलता दर में वृद्धि और तपेदिक संबंधी मामलों, व्यापकता और मृत्यु दर को कम करने में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस स्तर तक सफलता प्राप्त हुई है; और

(च) सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जी हां, वर्ष 2011 के दौरान पंजीकृत किए गए राज्य/संघ क्षेत्रवार क्षय रोगियों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए क्षय रोगियों की और इसके कारण हुई मौतों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण देश में सीधी देख-रेख में उपचार की लघुकालिक कीमोथिरेपी की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति पर आधारित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी क्षय रोगियों को क्षय रोग रोधी औषधियों समेत निदान और उपचार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अच्छे गुणवत्तायुक्त रोग निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति एक लाख आबादी और आदिवासी, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 50,000 आबादी के लिए नामति सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोपी) केन्द्र स्थापित किए गए हैं। देश में 13,000 से अधिक सूक्ष्मदर्शी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। औषधें सीधी देख-रेख में प्रदान की जाती हैं तथा रोगियों मॉनिटर किया जाता है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और उपयोग किए गए धन का राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) उपचार सफलता दरें राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 86 प्रतिशत अर्थात् 3 गुना हो गई हैं।

इसमें क्षय रोग की व्याप्तता दर और इसके कारण होने वाली मौतों में कमी हुई है।

वर्ष 2008, 2009 और 2010 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत रोगियों की उपचार सफलता दरों के लिए राज्य/संघ क्षेत्रवार आंकड़े संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(च) 'समुदाय में सभी क्षय रोगियों के लिए अच्छी गुणवत्ता के क्षय रोग निदान तथा उपचार तक व्यापक पहुंच' 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना तैयार की गई है;

(i) आऊटरीच बढ़ाने, असुरक्षित आबादियों में रोगी-खोज संबंधी प्रयासों का जोरदार ढंग से विस्तार करने, बेहतर निदान-विद्या को परिनियोजित करके तथा निजी क्षेत्र में निदान और उपचार किए गए रोगियों को सेवाएं प्रदान करके सभी क्षय रोगियों को शुरू में ही उन्नत रोग निदान की सुविधाएं सुनिश्चित करना।

(ii) राष्ट्र व्यापी एमडीआर-क्षय रोग के लिए उपचार की सुविधाएं बढ़ाने समेत क्षय रोग का निदान किए गए सभी रोगियों के लिए उच्च गुणवत्ता के उपचार तक रोगी अनुकूल पहुंच बढ़ाना।

(iii) सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए खण्ड स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से इष्टतम सुयोजन तथा मानव संसाधन विकास के लिए री-इंजीनियरिंग कार्यक्रम प्रणालियां।

विवरण-I

वर्ष 2011 के दौरान राज्य/संघ क्षेत्रवार पंजीकृत क्षय रोगियों की कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत क्षय रोगियों की संख्या
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	908
2	आंध्र प्रदेश	111915
3	अरुणाचल प्रदेश	2311
4	असम	37841
5	बिहार	76484
6	चंडीगढ़	2537
7	छत्तीसगढ़	27118
8	दादरा और नगर हवेली	419
9	दमन और दीव	313
10	दिल्ली	51645
11	गोवा	1982
12	गुजरात	74867
13	हरियाणा	37913
14	हिमाचल प्रदेश	13501
15	जम्मू और कश्मीर	13473
16	झारखंड	38574
17	कर्नाटक	70595
18	केरल	26126
19	लक्षद्वीप	17
20	मध्य प्रदेश	90764
21	महाराष्ट्र	135281
22	मणिपुर	3080
23	मेघालय	5079
24	मिजोरम	2304

1	2	3
25	नागालैंड	3722
26	ओडिशा	48970
27	पुदुचेरी	1568
28	पंजाब	39206
29	राजस्थान	112504
30	सिक्किम	1631
31	तमिलनाडु	79830
32	त्रिपुरा	2798
33	उत्तर प्रदेश	285884
34	उत्तरांचल	14883
35	पश्चिम बंगाल	99829
	योग	1515872

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत क्षय रोगियों व मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011*	2012* जून तक
		पंजीकृत	मौतें	पंजीकृत	मौतें	पंजीकृत	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	803	27	804	38	908	410
2	आंध्र प्रदेश	114074	6077	114414	5841	111915	55177
3	अरुणाचल प्रदेश	2432	71	2360	56	2311	1133
4	असम	39910	1718	39788	1626	37841	18375
5	बिहार	82401	2208	78510	2087	76484	39037
6	चंडीगढ़	2572	50	2764	74	2537	1501
7	छत्तीसगढ़	27463	953	28658	913	27118	14348
8	दादरा और नगर हवेली	386	15	397	22	419	197
9	दमन और दीव	326	16	293	12	313	169
10	दिल्ली	50693	1420	50476	1366	51645	28737

1	2	3	4	5	6	7	8
11	गोवा	1897	78	2156	103	1982	1013
12	गुजरात	80575	4174	77839	4104	74867	36975
13	हरियाणा	38241	1751	36589	1500	37913	19912
14	हिमाचल प्रदेश	13743	564	14179	564	13501	7302
15	जम्मू और कश्मीर	13164	410	13482	454	13473	7064
16	झारखंड	39569	1297	39465	1223	38574	19173
17	कर्नाटक	67744	4881	68655	4958	70595	35499
18	केरल	27019	1155	26255	1122	26126	13341
19	लक्षद्वीप	24	0	13	0	17	11
20	मध्य प्रदेश	83276	3114	87823	3036	90764	44835
21	महाराष्ट्र	137705	7794	136135	7858	135281	69388
22	मणिपुर	4239	139	3652	117	3080	1507
23	मेघालय	4591	278	4947	199	5079	2553
24	मिजोरम	2538	90	2310	98	2304	1281
25	नागालैंड	3614	94	3904	78	3722	1820
26	ओडिशा	52145	2524	49869	2502	48970	25844
27	पुडुचेरी	1385	80	1437	77	1568	779
28.	पंजाब	38641	1642	40637	1778	39206	21573
29	राजस्थान	111501	4281	112987	4385	112504	53648
30	सिक्किम	1720	87	1646	66	1631	994
31	तमिलनाडु	82634	3973	82457	3980	79830	40896
32	त्रिपुरा	2851	149	2850	136	2798	1343
33	उत्तर प्रदेश	283317	9384	277245	7986	285884	144948

1	2	3	4	5	6	7	8
34	उत्तराखंड	14300	489	14754	484	14883	8283
35	पश्चिम बंगाल	105816	5258	102397	4938	99829	49690
	योग	1533309	66241	1522147	63781	1515872	768756

*किसी एक तिमाही में पंजीकृत क्षय रोगियों के सहगणों में से उपचार परिणामों की सूचना 13-15 महीनों के पश्चात ही उपलब्ध होती है।

विवरण-III

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन व समुपयोजन नकद व सामग्रीगत

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	समुपयोजन	आबंटन	समुपयोजन	आबंटन	समुपयोजन	आबंटन	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	2149.20	1992.86	2258.40	2370.37	2367.60	2002.4	7715.70	1914.28
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.10	24.84	26.33	40.86	46.96	42.92	62.42	34.54
3	अरुणाचल प्रदेश	190.08	213.99	237.60	223.86	279.88	321.67	402.18	298.74
4	असम	620.32	616.86	775.40	796.19	740.63	710.88	1223.38	864.87
5	बिहार	1444.03	1652.12	1597.50	2019.07	2319.22	1783.91	7557.85	2069.08
6	चंडीगढ़	75.59	71.09	87.81	91.46	107.84	90.92	113.15	61.75
7	छत्तीसगढ़	790.50	517.09	830.00	699.25	1143.40	885.39	2279.95	401.42
8	दादरा और नगर हवेली	31.45	31.01	35.20	36.53	43.79	35.87	48.63	26.22
9	दमन और दीव	22.03	19.85	24.65	25.75	35.24	23.7	31.14	8.85
10	दिल्ली	821.46	987.4	941.68	1152.64	1217.02	1215.22	1368.45	804.54
11	गोवा	63.54	64.32	71.24	85.74	108.87	120.75	83.55	48.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	गुजरात	1663.58	1942.67	1854.36	2088.94	2028.48	2270.82	3598.88	1049.61
13	हरियाणा	507.15	522.78	661.10	597.32	692.91	607.35	2173.20	677.92
14	हिमाचल प्रदेश	392.58	285.85	437.94	328.27	513.48	457.64	415.73	271.97
15	जम्मू और कश्मीर	567.16	408.91	634.14	426.61	615.54	643.87	677.03	265.33
16	झारखंड	832.30	595.49	874.00	820.1	1030.00	879.56	2887.58	854.39
17	कर्नाटक	1333.12	1512.45	1486.96	1841.77	2030.60	1970.97	2148.57	924.28
18	केरल	749.77	720.92	835.30	1042.27	1090.71	993.69	1088.12	433.13
19	लक्षद्वीप	22.05	10.24	24.67	12.34	27.50	17.63	24.82	10.56
20	मध्य प्रदेश	1514.40	1387.86	1689.73	1672.5	2042.96	2022.84	2176.64	837.74
21	महाराष्ट्र	2863.78	3022.36	3195.51	3504.11	4002.00	4156.26	4866.08	2410.27
22	मणिपुर	204.32	208.37	255.40	274.44	265.19	308.37	343.65	221.43
23	मेघालय	157.28	125.39	196.60	163.93	159.67	166.86	255.88	141.13
24	मिजोरम	107.04	118.9	133.80	129.31	162.03	200.18	283.35	182.83
25	नागालैंड	168.00	214.95	210.00	201.48	204.98	200.26	316.62	220.80
26	ओडिशा	1225.60	912.77	1287.05	985.91	1513.65	1081.08	3612.57	815.76
27	पुदुचेरी	45.62	50.28	52.66	89.40	111.01	96.95	132.80	64.88
28	पंजाब	751.83	625.13	839.10	896.85	981.70	833.71	906.36	442.76
29	राजस्थान	1548.64	1439.14	1727.64	1627.64	1914.54	1629.6	2748.67	550.18
30	सिक्किम	64.64	67.69	80.80	82.66	75.25	125.54	164.84	96.41
31	तमिलनाडु	1651.61	1363.97	1841.55	1536.67	1661.46	1664.95	2358.87	826.74
32	त्रिपुरा	88.32	94.64	110.40	103.57	112.37	109.02	210.11	122.76
33	उत्तर प्रदेश	4794.70	4292.69	5594.22	4727.54	5234.35	4889.49	8670.47	375.77
34	उत्तराखंड	325.70	307.81	342.00	359.04	449.07	346.46	1005.20	335.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	पश्चिम बंगाल	2015.51	2420.85	2249.26	2476.8	2770.10	2677.08	2909.35	1047.46
	योग	29825.00	28843.54	33500.00	33531.19	38100.00	35583.81	64861.79	19712.29

विवरण-IV

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकृत क्षय रोगियों की कुल संख्या और उपचार सफलतादर

क्र.सं.	राज्य	2008			2009			2010			2011*
		पंजीकृत रोगियों की संख्या	सफलता पूर्वक उपचारित रोगियों की संख्या	उपचार सफलता दर	पंजीकृत रोगियों की संख्या	सफलता पूर्वक उपचारित रोगियों की संख्या	उपचार सफलता दर	पंजीकृत रोगियों की संख्या	सफलता पूर्वक उपचारित रोगियों की संख्या	उपचार सफलता दर	पंजीकृत रोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	748	656	88%	803	693	86%	804	674	84%	908
2.	आंध्र प्रदेश	114624	99360	87%	114074	99239	87%	114414	99758	87%	111915
3.	अरुणाचल प्रदेश	2450	2133	87%	2432	2110	87%	2360	2081	88%	2311
4.	असम	38454	32307	84%	39910	32783	82%	39788	32302	81%	37841
5.	बिहार	84404	74409	88%	82401	73155	89%	78510	69018	88%	76484
6.	चंडीगढ़	2492	2252	90%	2572	2299	89%	2764	2473	89%	2537
7.	छत्तीसगढ़	27280	23683	87%	27463	23742	86%	28658	24014	84%	27118
8.	दादरा और नगर हवेली	443	366	83%	386	304	79%	397	306	77%	419
9.	दमन और दीव	224	167	75%	326	199	61%	293	245	84%	313
10.	दिल्ली	49505	43978	89%	50693	46697	92%	50476	44132	87%	51645
11.	गोवा	1996	1708	86%	1897	1673	88%	2156	1839	85%	1982
12.	गुजरात	79365	65684	83%	80575	67703	84%	77839	65043	84%	74867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	हरियाणा	35348	29467	83%	38241	32022	84%	36589	30778	84%	37913
14.	हिमाचल प्रदेश	13618	12036	88%	13743	12080	88%	14179	12457	88%	13501
15.	जम्मू और कश्मीर	12521	10896	87%	13164	11775	89%	13482	11938	89%	13473
16.	झारखंड	38395	34140	89%	39569	35496	90%	39465	34981	89%	38574
17.	कर्नाटक	66159	52135	79%	67744	53608	79%	68655	54779	80%	70595
18.	केरल	24935	21035	84%	27019	23159	86%	26255	22541	86%	26126
19.	लक्षद्वीप	11	10	91%	24	24	100%	13	13	100%	17
20.	मध्य प्रदेश	80929	67866	84%	83276	70921	85%	87823	75864	86%	90764
21.	महाराष्ट्र	139641	115983	83%	137705	116506	85%	136135	114433	84%	135281
22.	मणिपुर	4293	3572	83%	4239	3655	86%	3652	3259	89%	3080
23.	मेघालय	4639	3796	82%	4591	3643	79%	4947	4031	81%	5079
24.	मिजोरम	2558	2336	91%	2538	2318	91%	2310	2018	87%	2304
25.	नागालैंड	2984	2619	88%	3614	3287	91%	3904	3572	91%	3722
26.	ओडिशा	5131	43761	86%	52145	44744	86%	49869	42370	85%	48970
27.	पुदुचेरी	1333	1159	87%	1385	1189	86%	1437	1247	87%	1568
28.	पंजाब	37076	31951	86%	38641	33601	87%	40637	35429	87%	39206
29.	राजस्थान	112192	97847	87%	111501	97491	87%	112987	100694	89%	112504
30.	सिक्किम	1641	1414	86%	1720	1399	81%	1646	1378	84%	1631
31.	तमिलनाडु	84610	73791	87%	82634	72434	88%	82457	71935	87%	79830
32.	त्रिपुरा	2846	2532	89%	2851	2501	88%	2850	2474	87%	2798
33.	उत्तर प्रदेश	278044	242037	87%	283317	248194	88%	277245	245186	88%	285884
34.	उत्तराखंड	13331	11231	84%	14300	11918	83%	14754	12357	84%	14883
35.	पश्चिम बंगाल	107213	90979	85%	105816	87825	83%	102397	84705	83%	99829
	योग	1517333	1299296	86%	1533309	1320387	86%	1522147	1310324	86%	1515872

*किसी एक तिमाही में पंजीकृत क्षय रोगियों के सहगणों में से उपचार परिणामों की सूचना 13-15 महीनों के पश्चात ही उपलब्ध होती है।

गरीबों का उपचार

315. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री ए. टी. नाना पाटील :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद कुछ निजी अस्पताल गरीबों को निर्धारित संख्या में नि:शुल्क उपचार प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, अस्पताल-वार गरीबों को नि:शुल्क उपचार प्रदान न करने वाले ऐसे अस्पतालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है/प्रस्तावित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है अत: केंद्र स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथासूचित रिट याचिका (सिविल) सं. 2866/2002 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.03.2007 के फैसले तथा दिनांक 17.07.2007 के आदेश के अनुसरण में भूमि आबंटक एजेंसियों द्वारा जिन अस्पतालों/सोसाइटियों को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई थी, उन्हें 10% आईपीडी तथा कुल ओ पी डी के 25% निर्धन रोगियों का पूर्णतया नि:शुल्क उपचार प्रदान करने के दिशा-निर्देश दिए गए थे।

34 अभिज्ञात निजी अस्पतालों अर्थात सुंदर लाल जैन चैरिटेबल अस्पताल, धर्मशाला अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, दीपक मेमोरियल अस्पताल, एस्कॉर्टस अस्पताल, मैक्स देवकी देवी अस्पताल, विम्हांस, अमर ज्योति चै. ट्रस्ट, आई एम आई सी, जी.एम. मोदी अस्पताल कोटक्कल आर्य, एन एच आई, एम के डब्ल्यू, पी एस आर आई, सरोज अस्पताल, शांति मुकुंद अस्पताल, प्राइमस अस्पताल, बतरा अस्पताल, दिल्ली ई एन टी अस्पताल, जीवन अनमोल अस्पताल, एक्शन कैंसर अस्पताल, बी.एल. के अस्पताल, खोसला अस्पताल, माता चानन देवी अस्पताल, एनसीआई, एनसीआई, जैसा राम अस्पताल, रॉकलैंड अस्पताल, फोर्टिस वसंतु कुंज, मैक्स शालीमार बाग, महाराजा अग्रसेन अस्पताल, एम जी एस, जीवोदय अस्पताल और सीताराम भारतीय अस्पताल 10% आईपीडी और कुल ओपीडी का 25% तक या आईपीडी अथवा ओपीडी अथवा दोनों में नि:शुल्क उपचार प्रदान नहीं कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 19.09.2012 को उपर्युक्त 34 चूककर्ता अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।

फिलहाल, ऐसे तीन प्रचालनात्मक अस्पताल हैं अर्थात् सेंट स्टीफन अस्पताल, तीस हजारी दिल्ली, मूलचंद खैराती राम अस्पताल, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी, नई दिल्ली, जो गरीबों को नि:शुल्क उपचार प्रदान नहीं कर रहे हैं और उनका मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है और यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लड़ा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी उन 10 अस्पतालों को दिनांक 01.11.2012 को नोटिस जारी किए हैं जिनकी आईपीडी उपलब्धि 3.3 प्रतिशत से कम थी।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में खनन पट्टे प्रदान किया जाना

316. **श्री अब्दुल रहमान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि अनुसार राज्य-वार जनजातीय/अनुसूचित क्षेत्रों में प्रदान किए गए खनन पट्टों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय लोगों ने अपने पर्यावासों के आसपास की जा रही खनन गतिविधियों के प्रति आपत्ति जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदम क्या हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश के लिए गैस जारी करना

317. श्री एल. राजगोपाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत संकट को अंशतः कम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश को हाल ही में गैस जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केवल एक माह की अवधि हेतु गैस जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है कि गैस आपूर्ति को एक माह से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश में स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं (आईपीपी) को 30 दिन की अवधि के लिए 2.0 एमएमएससीएमडी आरएलएनजी की आपूर्ति के लिए दिनांक 20.10.2012 का एक पत्र जारी किया है। आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को आरएलएनजी की आपूर्ति गेल के एलपीजी संयंत्र को आबंटित केजी डी-6 गैस की आरएलएनजी की अदला-बदली करके की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय क्षेत्रों में खनन

318. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने जनजातीय क्षेत्रों में खनन हेतु ऐसी अनेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं, जिन पर न तो अनुसूचित जाति के लोगों का स्वामित्व है और न ही नियंत्रण हैं, जिससे भूमि अंतरण विनियमन अधिनियम के स्वामित्व परिवर्तन प्रावधान का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे खनन पट्टों को निरस्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) राज्य सरकारों द्वारा कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

319. श्री हरि मांझी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में डीजल, केरोसीन और एलपीजी सिलेण्डरों पर कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा इन उत्पादों पर लगाये जा रहे करों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने से कितना राजस्व प्राप्त किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार द्वारा "पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002" के तहत पीडीएस मिट्टी तेल पर 0.82 रुपए प्रति लीटर तथा प्रति 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 22.58 रुपए की राजकोषीय राजसहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया-घटाया जा रहा है, परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को इन उत्पादों की बिक्री पर अल्प-वसूली हो रही हैं। सरकार और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत इन अल्प-वसूलियों की भरपाई

की जा रही है। सरकार द्वारा दी गई राजकोषीय राजसहायता तथा डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर ओएमसीज द्वारा उठाई जा रही वर्तमान अल्प-वसूली के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.		डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी
		रु./लीटर		रु./सिलिंडर
1	राजसहायता योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई राजसहायता	ला.न.	0.82	22.58
2	ओएमसीज को होने वाली अल्प-वसूली*	9.06	31.30	478.50
3 (1+2)	उपभोक्ताओं को दी गई कुल राजसहायता	9.06	32.12	501.08

*01 नवम्बर, 2012 से प्रभावी (पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी) के लिए तथा 16 नवम्बर, 2012 (डीजल के लिए) रिफाइनरी द्वार मूल्य के अनुसार।

(ख) डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी (14.2 कि.ग्रा.) सिलिंडर के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) में करों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों द्वारा केन्द्र और राज्य राजकोष में किए गए अंशदान के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिल्ली में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में शामिल कर

क्र.सं.	मूल्य घटक	डीजल (16.11.2012 से प्रभावी)		पीडीएस मिट्टी तेल		घरेलू एलपीजी (1.11.2012 से प्रभावी)	
		रु./लीटर	% आरएसपी में	रु./लीटर	% आरएसपी में	रु./लीटर	% आरएसपी में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर/ वैट के बिना मूल्य	37.21	78.92%	14.08	95.27%	410.50	100%
केन्द्रीय कर							
2	सीमा शुल्क	0.89•	1.89%	शून्य	0%	शून्य	0%
3	उत्पाद शुल्क	3.56••	7.55%	शून्य	0%	शून्य	0%
4 (2+3)	कुल केन्द्रीय कर	4.45	9.44%	शून्य	0%	शून्य	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य कर@							
5	वैट	5.49	11.64%	0.70	4.73%	शून्य	0%
5	कुल राज्य कर	5.49	11.64%	0.70	4.73%	शून्य	0%
6 (4+5)	कुल कर	9.94	21.08%	0.70	4.73%	शून्य	0%
7 (1+6)	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य	47.15		14.79		410.50	

@ राज्य कर राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है।

• नवम्बर, 2012 के दूसरे पखवाड़े के रिफाइनरी द्वार मूल्य के आधार पर।

•• 3% की दर से शिक्षा उप कर शामिल है।

विवरण-II

तेल कंपनियों द्वारा केन्द्रीय और राज्य राजकोष को किए गए अंशदान

(करोड़ रु.)

ब्यौरे	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
1 केन्द्रीय राजकोष को अंशदान			
क. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/शुल्क			
कच्चे तेल पर उप कर	6559	6810	7108
कच्चे तेल/गैस पर रायल्टी	3859	3652	3614
सीमा शुल्क	4563	24136	10013
उत्पाद शुल्क	62480	68040	61954
सेवा कर आदि	982	942	1033
उप योग (क)	78443	103580	83723

1	2	3	4
ख. सरकार को लाभांश/आय कर आदि			
नैगम/आय कर••	17935	17146	16379
केन्द्रीय सरकार को लाभांश	8066	9807	10055
लाभांश वितरण कर	1864	2354	2309
तेल/गैस के अन्वेषण पर लाभ पेट्रोलियम	5471	3610	7384
उप योग (ख)	33336	32917	36127
केन्द्रीय राजकोष को कुल अंशदान(क+ख)	111779	136497	119850
2 राज्य राजकोष को अंशदान			
ग. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/शुल्क			
कच्चे तेल/गैस पर रायल्टी	3349	4636	7514
पीओएल उत्पादों पर बिक्री कर/वैट	64999	78689	69645
विद्युत शुल्क सहित चुंगी, शुल्क	1888	2163	2986
प्रवेश कर/अन्य	1829	3488	5453
उप योग (ग)	72065	88976	112899
घ. सरकार को लाभांश/प्रत्यक्ष कर आदि			
राज्य सरकार को लाभांश आय	17	21	20
उप योग (घ)	17	21	20
राज्य राजकोष को कुल अंशदान (ग+घ)	72082	88997	112919
राजकोष के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र का कुल अंशदान (1+2)	183861	225494	232769

नोट: तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर

•• नैगम/आयकर आंकड़ों में आरआईएल (एकीकृत कंपनी) शामिल नहीं है।

सीएनजी स्टेशनों की स्थापना

320. श्री महेश जोशी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा जयपुर सहित राजस्थान के विभिन शहरों में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना हेतु आयोजित किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और राजस्थान में नए सीएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) दिल्ली में सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की वर्तमान संख्या कितनी है और क्या दिल्ली में सीएनजी चालित वाहनों को गैस भरने के लिए कई घण्टों तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में कुछ और सीएनजी फिटिंग स्टेशन कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है, जिनके हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), उक्त अधिनियम और पीएनजीआरबी (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार देना), विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट योग्यता मानदण्ड के प्रावधानों के अनुसार नगर और स्थानीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क्स के लिए प्राधिकार प्रदान करता है। सीएनजी भरण केन्द्र नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के अंग हैं। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संबंद्धता/उपलब्धता के आधार पर, पीएनजीआरबी भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) को सीजीडी नेटवर्क्स का विकास करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु बोली दौरों में शामिल करता है और जो कंपनी पीएनजीआरबी (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार देना) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट योग्यता मानदण्ड को पूरा करती है, वह सीजीडी बोली में हिस्सा ले सकती है। प्राधिकृत कंपनियां, चाहे वह निजी हो अथवा सार्वजनिक, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में सीएनजी वितरण केन्द्र स्थापित कर सकती हैं। पीएनजीआरबी ने स्वतः स्फूर्त आधार पर राजस्थान राज्य में पंद्रह भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) अर्थात् कोटा, बांसवारी, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, झुनझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और भिवाड़ी की पहचान की है।

(ग) से (ङ) आज की तारीख तक, दिल्ली में 238 सीएनजी केन्द्र प्रचालन में हैं। दिल्ली में जून, 2013 तक 23 और सीएनजी केन्द्रों के प्रचालित होने की संभावना है जिसमें से 19 सीएनजी केन्द्र पहले ही स्थापित हो चुके हैं और सांविधिक अनुमोदनों की प्रतीक्षा में हैं। सीएनजी केन्द्रों को स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को आबंटित किए गए चार स्थलों पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं। आईजीएल और अधिक सीएनजी केन्द्र स्थापित करके दिल्ली में अपने सीएनजी फ्यूलिंग बुनियादी ढांचे का आगे विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

[अनुवाद]

महंगाई को रोकना

321. श्री रुद्रमाधव राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश की गिरती अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार हेतु क्या अन्य उपाय किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) औद्योगिक वृद्धि सुधारने तथा मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा पहल करते हुए कई उपाय किए गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा

प्रमुख नीतिगत कदम है। औद्योगिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र के वित्त हेतु बेहतर पहुंच; बड़े निवेश वाली परियोजनाओं की फास्ट-ट्रैकिंग/द्रुतगति; निधियों के उच्चतर परिव्यय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम क्षेत्र का संवर्धन; सार्वजनिक निजी भागीदारियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश में बढ़ोत्तरी इत्यादि शामिल हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु प्रशासनिक, राजकोषीय तथा मौद्रिक उपाय किए गए हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 से अक्तूबर 2011 तक आर्थिक दरों में 375 आधार प्वाइंटों की वृद्धि की है। तथापि, मुद्रास्फीति विशेष रूप से मूलभूत मुद्रास्फीति में कुछ कमी आने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति रवैये में नरम रूख अपनाया ताकि वृद्धि में सुधार हो सके जो कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा रेपो दर में कमी के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। सरकार आर्थिक स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है तथा व्यापार मनोभावों तथा निवेश को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर उपयुक्त कदम भी उठा रही है। उच्चतर वृद्धि हासिल करने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछ उपायों में अन्य के साथ-साथ मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार, विमानन, बिजली तथा प्रसारण क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, मौद्रिक सुदृढ़ीकरण हासिल करने हेतु रोडमैप की घोषणा तथा डीजल में सब्सिडी घटाना इत्यादि शामिल हैं।

स्वयं सहायता समूहों की संख्या

322. श्री जे. एम. आरुन रशीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार महिलाओं/अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों सहित मान्यता प्राप्त सूक्ष्म वित्तपोषण स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके सूक्ष्म वित्त पोषण कार्यकलापों के विस्तार हेतु इन समूहों को संलग्न करने संबंधी सरकार की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन समूहों विशेषकर महिला समूहों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सूक्ष्म वित्त पोषण कार्यकलापों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) नाबार्ड ने सूचित किया है कि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में विभिन्न बैंकों में 79.60 लाख स्व-सहायता समूहों के बचत खाते थे और 43.54 लाख एचएचजी के ऋण खाते थे। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बचत खाते वाले और ऋण खाते वाले एसएचजी की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) महिला स्व-सहायता समूहों को संवर्धन और वित्त पोषण की योजना देश के 150 पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य जिले में स्थापित एनजीओ/समर्थक एजेंसियां, जो इन समूहों की बैंकों के साथ ऋण संबद्धता को बढ़ावा देंगे तथा इसे सुविधाजनक बनाते हैं, निरंतर हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करेंगे, जीविकोपार्जन के उनके प्रयासों में उन्हें सक्षम बनाएगें और ऋण की वापसी अदायगी की जिम्मेवारी लेगें, को शामिल करके अर्थक्षम और स्वधारणीय महिला स्व सहायता समूहों में वृद्धि करना है।

नाबार्ड इन एनजीओ को प्रति एसएचजी 10,000/- रुपए की दर पर अनुदान सहायता प्रदान करता है और प्रशिक्षण और अन्य क्षमतावर्धन प्रयासों की लागत का वहन करता है।

विवरण

बचत खाते वाले और ऋण खाते वाले स्वयं-सहायता समूहों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बचत संबद्ध एसएचजी की संख्या	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ऋण संबद्ध एसएचजी की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5521	1349

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	1495904	1400995
3.	अरुणाचल प्रदेश	8363	361
4.	असम	276565	117809
5.	बिहार	305113	223033
6.	चंडीगढ़	619	213
7.	छत्तीसगढ़	129854	53285
8.	गोवा	8414	2965
9.	गुजरात	226626	72495
10.	हरियाणा	44184	21433
11.	हिमाचल प्रदेश	65641	35872
12.	जम्मू और कश्मीर	6349	3138
13.	झारखंड	89603	63336
14.	कर्नाटक	628643	266978
15.	केरल	615714	159843
16.	लक्षद्वीप	171	35
17.	मध्य प्रदेश	163588	60815
18.	महाराष्ट्र	827047	214012
19.	मणिपुर	12711	5807
20.	मेघालय	14091	2569
21.	मिजोरम	4976	2383
22.	नागालैंड	10711	2752
23.	नई दिल्ली	3536	1120
24.	ओडिशा	540029	314669
25.	पुदुचेरी	17913	13678
26.	पंजाब	37343	15304
27.	राजस्थान	251654	134961
28.	सिक्किम	5280	2561
29.	तमिलनाडु	925392	514203
30.	त्रिपुरा	34021	25174
31.	उत्तर प्रदेश	471184	212922
32.	उत्तराखंड	48141	25430
33.	पश्चिम बंगाल	685448	382942
	सकल योग	7960349	4354442

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008

323. श्री राजू शेट्टी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआर), 2008 के तहत विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में किसानों के ऋणों को माफ करने की अनुमति नहीं देने के दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड ने बैंकों से उक्त स्कीम के तहत माफ किए गए ऋण को किसानों से वसूल करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) जी, हां। भारी अनियमितताएं बरते जाने के कारण नाबार्ड ने सात (7) बैंकों से कहा है कि वे उक्त स्कीम के अंतर्गत ऋण माफी प्राप्त किसानों से ऋणों की वसूली करें। कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 के अंतर्गत 7 बैंकों के रोके गए/वापस मंगाए गए दावों की सूची संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

एडीडब्ल्यूडीआरएस-2008 के अंतर्गत अनियमितताओं के कारण वापस मंगाई गई/रोकी गई राज्यवार/बैंकवार धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	बैंक/राज्य का नाम	रोक रखी गई राशि	रोके रखने के कारण	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1	कोल्हापुर डीसीसीबी (महाराष्ट्र)	7772.27	बैंक द्वारा विवेकसम्मत/सुस्थापित बैंकिंग मानदंडों, जिनमें वित्तीय अनियमितताएं जैसे विहित वित्त की मात्रा (एसओएफ), जोत आकार, फसल-पद्धति, सामान्य ऋण सीमा (एनसीएल) आदि का अनुपालन न करना शामिल हैं, का उल्लंघन करके संस्वीकृत किए गए फसल ऋणों का दावा किया गया था।	आरसीएस जांच रिपोर्ट और बैंकों द्वारा दावों की पुनजांच किए जाने के आधार पर अनुपयुक्त राशि बढ़ाकर 111.10 करोड़ रुपए कर दी गई। तदनुसार, बैंक ने 22.37 करोड़ रुपए के अनुपयुक्त दावों को लौटा दिया था और अभी भी 11.00 करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं।
2	धनबाद डीसीसीबी (झारखंड)	1329.04	एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें सामान्यतया डीसीसीबी धनबाद से संबद्ध पीएसीएस और विशेषतया जोड़ापाखर मोहालबानी पीसीएस के संदर्भ में नाबार्ड में एडीडब्ल्यूडीआर-2008 हित लाभों का दावा करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया था। कथित अनियमितताएं अपात्र उधारकर्त्ताओं के लिए हित लाभ ऐंठने के लिए ऋण दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने/जाली लेजरों/कृषि ऋणों (यानि उपभोग ऋण, गैर-कृषि ऋण सीमाओं, फिक्सड डिपाजिट के प्रति ऋण, सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजनों के लिए ऋण) से संबंधित थीं। मुख्य सचिव झारखंड सरकार को मामले की जांच करने की सलाह दी गई। लेकिन, आरसीएस के साथ मामले पर दो वर्षों तक कार्रवाइ करने के पश्चात भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और यह निर्णय लिया गया कि रिलीज की गई धनराशि वापस मंगा ली जाए और यह भी कि रोके रखी गई धनराशि अनुपयुक्त मानी जाए।	नाबार्ड 1329.04 लाख रुपए को लौटाने के लिए इस मामले में धनबाद डीसीसीबी के साथ कार्रवाई कर रहा है।

1	2	3	4	5
3	एमपीएससीबी	18713.90	राज्य सरकार के आदेश पर आरसीएस ने प्रत्येक पीएसीएस में एडीडब्ल्यूआरएस-2008 के अंतर्गत डीडब्ल्यू दावों का सतयापन करने के लिए आडिटरों/जिलों आरसीएस को आदेश जारी किए। अनियमितताएं अनुपयुक्त/गैर-कृषि (झारखंड) बड़े किसानों को छोटे किसान मानना, 31 मार्च 1997 की कट-आफ तिथि से पहले के ऋण खातों को कवर करने आदि स्वरूप की थीं।	आरसीएल रिपोर्ट के आधार पर एमपीएसबीसीबी ने आरसीएल द्वारा अनुपयुक्त समझे गए दावों को कम (घटा) करके दावों को पुनर्नियत किया।
4	पंचमहल डीसीसीबी (गुजरात)	8262.17	इस डीसीसीबी के मार्च 2003 में कि आदिवासी बहुउद्देशीय सोसायटियों (सुखासर एवं नानी भुगेड़ी) में 53.00 करोड़ रुपए के कपटपूर्ण फसल ऋणों का पता लगा। रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने दावों को पुनर्नियत कर दिया। आरसीएस को इन एलएएमपीएस की विशेष लेखापरीक्षा की सलाह दी गई थी और आरसीएस द्वारा पुनः प्रमाणीकरण किया गया। तदनुसार, बैंकों ने अपात्र दावों को कम करने के उपरांत दावों की पुनर्रचना की और लेखा परीक्षित दावे प्रस्तुत किए।	बैंक ने अनुपयुक्त दावों को कम (घटा) करके दावो को पुनर्नियत किया।
5	बिहार	150.07	निरीक्षण दल ने माफी आदि के अंतर्गत दावों का दर्ज करने में अनियमितताओं जैर गैर-कृषि ऋणों का शामिल किया जाना, का बरता जाना पाया। आर.ओ. ने दावे की 23.23 लाख रुपए की फालतू राशि के रिफंड के लिए मामले को उठाया है।	बैंक ने अनुपयुक्त दावों को कम (घटा) करके दावो को पुनर्नियत किया।
6	एमपीएससीए आरडीबी	501	राजगढ़ डीसीएआरडीबी के संदर्भ में 31.03.2009 के बाद ऋण माफी (जीआरएम) के अंतर्गत बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित दावों जिन में 501.00 लाख रुपए की धनराशि निहित थी, के प्राप्त होने के दृष्टिगत आर.ओ. को अध्ययन करने की सलाह दी गई ओर अध्ययन रिपोर्ट में अनियमितताओं को संकेत मिला। आरसीएस को दावों का पुनर्सव्यापन करने की सलाह दी गई।	आरसीएल रिपोर्ट के आधार पर अनुपयुक्त दावे को कम (घटा) करके दावों को पुनर्नियत किया।
7	असम एससीबी	167.8	बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान कार्यपरक सोसायटी से संबंधित अनुपयुक्त दावों का पता लगा।	बैंक ने अनुपयुक्त दावों को लौटा दिया है और रोके रखे गए दावों का निपटान कर दिया गया।
	कुल	36896.25		

[हिन्दी]

एलपीजी की चोरी रोकने की युक्ति

324. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
डा. पी. वेणुगोपाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चोरी रोकने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों पर कोई विशेष युक्ति या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन कम्प्यूटर चिप्स लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ग्राहकों की बजाए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीएस) को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन कम्प्यूटर चिप्स के व्यय का भार उठाने के लिए कहा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावित युक्ति घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के वाणिज्यिक या ऑटो एलपीजी प्रयोग हेतु विपथन को रोकने में किस हद तक मददगार होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी), जिससे सिलेंडर का पता लगाने में मदद मिलती है, शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना अप्रैल, 2008 में नासिक में शुरू की गई थी किंतु इसे लागत प्रभावी नहीं पाया गया था।

इससे स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि एलपीजी की चोरी रोकने के लिए प्रणाली संबंधी सुधार निरंतर किए जाएं।

डीप वाटर ब्लाक्स की ड्रिलिंग

325. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न वर्गों से डीप वाटर ब्लाक्स में ड्रिलिंग को तीन वर्षों हेतु बंद करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) वर्ष 2007 से विश्वव्यापी अन्वेषण कार्यकलाप में अचानक तेजी आ गई थी, जिसका कारण था उस समय कच्चे तेल के मूल्य अधिक होना, जिससे गहरे समुद्री रिंगों की विश्व भर में अत्यधिक कमी हो गई थी। गहरे समुद्री रिंगों के उपलब्ध नहीं होने से, गहरे समुद्री ब्लाकों के विभिन्न संविदाकारों द्वारा उनके संबंधित चालू अन्वेषण चरणों में न्यूनतम कार्य की वचनबद्धताओं को पूरा करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन गहरे समुद्री ब्लाकों के प्रचालकों ने सरकार से अनुरोध किया कि वह गहरे समुद्री की रिग की कमी से उत्पन्न हुई स्थिति को ठीक करने के लिए 3 वर्ष का वेधन अधिस्थागन प्रदान करे ताकि वे पीएससीज के तहत परिकल्पित अपनी वेधन वचनबद्धताओं को पूरा कर सकें।

नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी)-V तक हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत तीस (30) गहरे समुद्री ब्लाकों को जहां वेधन वचनबद्धताएं (विकास वेधन को छोड़ कर) 1 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार अधूरी थी, सरकार ने 1 जनवरी, 2008 से शुरू करके 31 दिसम्बर, 2010 तक 3 वर्षों के लिए वेधन अधिस्थगन प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वेधन अधिस्थगन प्रचालकों को अन्वेषणात्मक और मूल्यांकन वेधन वचनबद्धताएं पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए प्रदान किया गया था जो वे गहरे समुद्र की वेधन रिंगों की उस समय वैश्विक कमी के कारण पूरा नहीं कर सके थे।

कंपनी वार ब्लाकों की संख्या जहां वेधन अधिस्थगन प्रदान किया गया था, निम्नानुसार हैं :

प्रचालक	उन ब्लाकों की संख्या जहां वेधन अधिस्थगन प्रदान किया गया
ओएनजीसी	16
आरआईएल	13
इएनआई	1

[अनुवाद]

दूसरे देशों के साथ बीआईपीए

326. श्री एंटो एंटोनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने किसी देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (बीआईपीए) किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीआईपीए की मुख्य विशेषताएं, गुण और दोष क्या हैं;

(ग) क्या बीआईपीए का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 82 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों (बीआईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 72 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार प्रवृत्त हो चुके हैं। सभी 82 देशों की सूची जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार हस्ताक्षरित किए हैं, 72 द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों जो वर्तमान में प्रवृत्त हैं के पाठ सहित http://finmin.nic.in/bipa/bipa/bipa-index.asp पर उपलब्ध है। ये करार पश्च-स्थापन आधार पर निवेशों से उचित तथा निष्पक्ष व्यवहार को सुनिश्चित करके द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए आशयित हैं। इन करारों में अन्य बातों के साथ-साथ पारस्परिक आधार पर राष्ट्रीय व्यवहार, सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार और विवाद समाधान के लिए तंत्र से संबंधित प्रावधान निहित हैं।

(ग) और (घ) इन करारों से संबंधित सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे करार में शामिल अन्य देश के विदेशी निवेशक द्वारा विवाद पत्र करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी अंतर्ग्रस्त हो सकती है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्राप्त विवाद पत्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार लागू समझौते के प्रावधानों और मामले के तथ्यों के अनुसार विशिष्ट विवाद पत्रों पर कार्रवाई के लिए कदम उठा रही है। कथित विवाद पत्रों से उत्पन्न सामान्य मामलों पर भी उपर्युक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है।

नवजात शिशुओं की चोरी

327. श्री मनोहर तिरकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से नवजात शिशुओं की चोरी की कई घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और अस्पताल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व कलावती सरन बाल अस्पताल और डॉ. आर.एम.एल अस्पताल का संबंध है, सफदरजंग अस्पताल के प्रसूति व स्त्री रोग विज्ञान विभाग से दिनांक 10/10/2009 को केवल एक कन्या शिशु के गायब होने के मामले की सूचना दी गई दी थी। अस्पताल प्राधिकारी ने इस मामले की पुलिस को सूचना दी। अस्पताल प्राधिकारी द्वारा संचालित की गई प्राथमिक पूछताछ/जांच से यह प्रकट हुआ कि उस कन्या शिशु की माता द्वारा स्वयं ही धन और कपड़ों के रूप में कृतज्ञता के बदले में कन्या शिशु की किसी महिला जिसको कन्या शिशु की माता द्वारा मित्र बनाया गया था, को सौंप दिया गया था।

केन्द्र सरकार के सभी तीन अस्पतालों में सुरक्षा संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरों द्वारा चौबीसों घंटे मॉनीटरिंग

करना, सभी प्रसूति वार्डों और मुख्य प्रवेश व बाहर जाने के स्थानों समेत सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्डों को लगाना, यह सूचित करते हुए सभी वार्डों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस लगाना शामिल है, कि शिशुओं को अज्ञात व्यक्तियों इत्यादि को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की योजना

328. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रारूप कार्य योजना निरूपित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का देश में पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सड़क निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे पर्यटन स्थलों की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो पहचान किए गए पर्यटन स्थलों और इनके लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिंरजीवी) : (क) से (च) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत के हिस्से को वर्ष 2011 के 0.64% के स्तर से 12वीं योजना के अंत तक कम से कम 1% तक बढ़ाने और 12वीं योजना के दौरान 12% से ज्यादा की वृद्धि को कायम रखने के लिए घरेलू पर्यटन को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु पर्यटन उद्योग के संवर्धन के लिए विभिन्न नीतियों की सिफारिश की है।

पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके साथ चर्चा के आधार पर प्रतिवर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटक स्थलों संबंधी परियोजनाओं सहित पर्यटन परियोजनाओं हेतु, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की प्लान योजना के तहत विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यीय राज्यमार्गों से और अन्य एन्ट्री प्वाइंटों से पर्यटक स्थलों तक सड़क संपर्कता में सुधार करने के लिए भी निधियां प्रदान करता है। देश में पर्यटन परियोजनाओं की पहचान करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं और राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं* की संख्या और राशि*

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	स्वीकृत की गई राशि
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	52	244.62
2	अरुणाचल प्रदेश	62	174.25
3	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
4	असम	26	95.94
5	बिहार	18	57.59
6	चंडीगढ़	19	30.99
7	छत्तीसगढ़	11	45.58
8	दादरा और नगर हवेली	3	0.24
9	दमन और दीव	1	0.12
10	दिल्ली	27	78.29

1	2	3	4
11	गोवा	8	77.90
12	गुजरात	17	86.36
13	हरियाणा	35	99.78
14	हिमाचल प्रदेश	45	128.79
15	जम्मू और कश्मीर	145	391.17
16	झारखंड	21	67.27
17	केरल	40	163.53
18	कर्नाटक	31	140.48
19	लक्षद्वीप	1	7.82
20	महाराष्ट्र	23	162.96
21	मणिपुर	36	137.82
22	मेघालय	28	61.64
23	मिजोरम	33	79.59
24	मध्य प्रदेश	59	203.19
25	नागालैंड	75	176.96
26	ओडिशा	40	127.95
27	पुदुचेरी	20	74.75
28	पंजाब	16	66.69
29	राजस्थान	28	125.41
30	सिक्किम	86	213.68
31	तमिलनाडु	49	160.78
32	त्रिपुरा	48	91.56
33	उत्तर प्रदेश	44	168.39
34	उत्तराखंड	31	198.68
35	पश्चिम बंगाल	48	149.54
	कुल योग	1226	4090.31

•इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले एवं उत्सव और साहसिक एवं ग्रामीण पर्यटन (ए एंड आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

उद्योगों पर ब्याज दर

329. श्री रामकिशुन :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण देने की जटिल प्रक्रिया, ऋण पर उच्च ब्याज दर और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के कारण बैंकों द्वारा उद्योगों के लिए ऋण देने में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में बैंकों द्वारा उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में निरंतर वृद्धि हुई है। ब्यौरा निम्नानुसार है :

औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12
2,57,061	3,09,398	3,45,025

एटीएम लेन-देन से संबंधित शिकायतें

330. श्री बलीराम जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) पर लेन-देन के दौरान धन की हानि के संबंध में शिकायतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों को प्राप्त/के पास लंबित शिकायतों की वर्ष-वार और बैंक-वार संख्या कितनी है और ऐसे मामलों के निपटान में देरी के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में बैंकों द्वारा कोई लेखापरीक्षा करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

शिशुओं की मौतें

331. श्री राधा मोहन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल सहित दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में प्रति माह बड़ी संख्या में शिशुओं की मौत हो जाती हो;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और आज तक की स्थिति के अनुसार प्रसूति के दौरान मरने वाली महिलाओं और शिशुओं का वर्ष-वार, अस्पताल वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सकों/नर्सों की ओर से होने वाली लापरवाही को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए की गर्भवती महिलाओं को तत्काल सभी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएं, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले/उठाए जा रहे प्रभावी कदम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रसूति के मामलों से निपटने के लिए भविष्य में बेहतर और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्तपाल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्तपाल और लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज और अस्पताल का संबंध है, वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु और मृत महिलाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत संजय गांधी स्मारक अस्पताल (एसजीएमएच) का संबंध है, वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान प्रसवों मातृ मृत्यु और मृत जन्मों (इंट्रा यूटेरिन मृत्यु और नवीन मृत जन्म) की संख्या भी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) गर्भवती महिलाओं को उत्तम और तत्काल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने और डॉक्टरों एवं नर्सों की ओर से होने वाली असावधानी/लापरवाही की रोकथाम के लिए उपर्युक्त के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं जिनमें स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों और आम जनता दोनों की शिक्षा, माता और बच्चे दोनों के लिए उपयुक्त प्रसवपूर्व जांच और प्रसवोत्तर जांच, सक्षम कार्मिक द्वारा और प्रसव कक्ष तथा नर्सरियों में उपयुक्त उपस्कर प्रयोग करके चिकित्सा प्रक्रियाएं करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी कमी का विश्लेषण करने तथा भविष्य में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए अस्पतालों में मृत्यु दर समीक्षा समिति भी मौजूद होती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत संजय गांधी स्मारक अस्पताल ने सूचना दी है कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की समय-समय पर कारण/लापरवाही का पता लगाने हेतु जांच की जाती है और परिणाम के अनुसार कदम उठाए जाते हैं। एसजीएमएच द्वारा यह सूचना भी दी गई है कि नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

I. दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल

वर्ष	सफदरजंग अस्पताल		डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल		एल.एच.एम.सी.	
	नवजात शिशु मृत्यु	प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाएं	नवजात शिशु मृत्यु	प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाएं	नवजात शिशु मृत्यु	प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाएं
2009	708	50	10	शून्य	39	शून्य
2010	671	76	06	शून्य	55	शून्य
2011	539	76	03	शून्य	44	शून्य

II. संजय गांधी स्मारक अस्पताल

वर्ष	प्रसवों की कुल संख्या	मातृ मृत्यु	मृत जन्म
2009	7537	14	253
2010	7162	13	199
2011	7259	19	188

[अनुवाद]

तपेदिक के लिए डॉट्स सेवाएं

332. श्री पी.टी. थॉमस :
श्री सी. शिवासामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) देश भर में डायरेक्टली आब्जर्ब्ड ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स (डॉट्स) और डाट्स प्लस केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपचार की सफलता की दर दर्शाते हुए उक्त केन्द्रों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तपेदिक के कितने रोगियों को दाखिल किया गया तथा कितने रोगियों का इलाज सफल रहा अथवा कितने रोगियों ने पूरा इलाज कराया;

(ग) क्या सरकार का सभी राज्यों में डाट्स और डाट्स प्लस सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) देश में डाट्स और डाट्स-प्लस केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष (जून तक) के

दौरान पंजीकृत और सफलतापूर्वक इलाज किये गये क्षय रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी के तहत डॉट्स और डॉट्स-प्लस सेवाएं सभी राज्यों में पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसा कि विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

डॉट्स और डॉट्स-प्लस केन्द्रों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डॉट्स केन्द्र	डॉट्स प्लस केन्द्र
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	48625	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	371	2
4.	असम	5797	1
5.	बिहार	30005	1
6.	चंडीगढ़	170	1
7.	छत्तीसगढ़	11362	1
8.	दादरा और नगर हवेली	104	-
9.	दमन और दीव	53	-
10.	दिल्ली	681	4
11.	गोवा	974	1
12.	गुजरात	37682	4
13.	हरियाणा	6550	1
14.	हिमाचल प्रदेश	4758	2
15.	जम्मू और कश्मीर	2567	2
16.	झारखंड	14363	1
17.	कर्नाटक	29242	4
18.	केरल	13961	2
19.	लक्षद्वीप	9	-
20.	मध्य प्रदेश	22806	2
21.	महाराष्ट्र	35928	10
22.	मणिपुर	952	1
23.	मेघालय	1029	2
24.	मिजोरम	450	1
25.	नागालैंड	164	1
26.	ओडिशा	46839	1
27.	पुदुचेरी	61	1
28.	पंजाब	10487	3
29.	राजस्थान	9537	6
30.	सिक्किम	387	1
31.	तमिलनाडु	13476	3
32.	त्रिपुरा	955	1
33.	उत्तर प्रदेश	28094	2
34.	उत्तराखंड	4442	1
35.	पश्चिम बंगाल	14933	4
	कुल योग	397814	74

*दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव डॉट्स प्लस केन्द्र की पूर्ति गुजरात द्वारा और लक्षद्वीप की केरल द्वारा होती है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत और सफलतापूर्वक इलाज किए गए क्षय रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009			2010			2011*	2012* जून तक
	पंजीकृत रोगियों की संख्या	सफलतापूर्वक इलाज किए गए रोगियों की संख्या	इलाज सफलता दर	पंजीकृत रोगियों की संख्या	सफलतापूर्वक इलाज किए गए रोगियों की संख्या	इलाज सफलता दर	पंजीकृत रोगियों की संख्या	पंजीकृत रोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह	803	693	86%	804	674	84%	908	410
आन्ध्र प्रदेश	114074	99239	87%	114414	99758	87%	111915	55177
अरुणाचल प्रदेश	2432	2110	87%	2360	2081	88%	2311	1133
असम	39910	32783	82%	39788	32302	81%	37841	18375
बिहार	82401	73155	89%	78510	69018	88%	76484	39037
चंडीगढ़	2572	2299	89%	2764	2473	89%	2537	1501
छत्तीसगढ़	27463	23742	86%	28658	24014	84%	27118	14348
दादरा और नगर हवेली	386	304	79%	397	306	77%	419	197
दमन और दीव	326	199	61%	293	245	84%	313	169
दिल्ली	50693	46697	92%	50476	44132	87%	51645	28737
गोवा	1897	1673	88%	2156	1839	85%	1982	1013
गुजरात	80575	67703	84%	77839	65043	84%	74867	36975 ?
हरियाणा	38241	32022	84%	36589	30778	84%	37913	19912
हिमाचल प्रदेश	13743	12080	88%	14179	12457	88%	13501	7302
जम्मू और कश्मीर	13164	11775	89%	13482	11938	89%	13473	7064

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	39569	35496	90%	39465	34981	89%	38574	19173
कर्नाटक	67744	53608	79%	68655	54779	80%	70595	35499
केरल	27019	23159	86%	26255	22541	86%	26126	13341
लक्षद्वीप	24	24	100%	13	13	100%	17	11
मध्य प्रदेश	83276	70921	85%	87823	75864	86%	90764	44835
महाराष्ट्र	137705	116506	85%	136135	114433	84%	135281	69388
मणिपुर	4239	3655	86%	3652	3259	89%	3080	1507
मेघालय	4591	3643	79%	4947	4031	81%	5079	2553
मिजोरम	2538	2318	91%	2310	2018	87%	2304	1281
नागालैंड	3614	3287	91%	3904	3572	91%	3722	1820
ओडिशा	52145	44744	86%	49869	42370	85%	48970	25844
पुदुचेरी	1385	1189	86%	1437	1247	87%	1568	779
पंजाब	38641	33601	87%	40637	35429	87%	39206	21573
राजस्थान	111501	97491	87%	112987	100694	89%	112504	53648
सिक्किम	1720	1399	81%	1646	1378	84%	1631	994
तमिलनाडु	82634	72434	88%	82457	71935	87%	79830	40896
त्रिपुरा	2851	2501	88%	2850	2474	87%	2798	1343
उत्तर प्रदेश	283317	248194	88%	277245	245186	88%	285884	144948
उत्तराखंड	14300	11918	83%	14754	12357	84%	14883	8283
पश्चिम बंगाल	105816	87825	83%	102397	84705	83%	99829	49690
कुल	1533309	1320387	86%	1522147	1310324	86%	1515872	768756

*किसी तिमाही में पंजीकृत क्षयरोगियों के दस्ते में से इलाज परिणामों की सूचनाएं 13-15 महीनों में ही उपलब्ध हो पाती हैं।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इलाज के लिए पंजीकृत क्षय रोगियों के औषधि प्रतिरोधों (डीआर-टीबी) और आरएनटीसीपी के तहत इलाज सफलता दर की राज्य-वार संख्या

राज्य	2009		2010*	2011*	2012*
	पंजीकृत डीआर-टीबी रोगियों की संख्या	इलाज सफलता	पंजीकृत डीआर-टीबी रोगियों की संख्या	इलाज पंजीकृत डीआर-टीबी रोगियों की संख्या	पंजीकृत डीआर-टीबी रोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	154	44%	246	435	834
दिल्ली	292	55%	392	555	1302
गुजरात**	252	39%	558	696	1296
हरियाणा	42	40%	54	82	92
झारखंड			3	20	84
केरल**	134	61%	127	128	245
महाराष्ट्र	102	52%	203	534	2321
ओडिशा	3	67%	29	47	100
राजस्थान	102	58%	215	274	1486
तमिलनाडु	54	39%	125	181	359
पश्चिम बंगाल	39	59%	232	216	488
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	51	59
उत्तर प्रदेश	—	—	—	45	49
पुदुचेरी	—	—	—	6	20
मध्य प्रदेश	—	—	—	35	216
कर्नाटक	—	—	—	43	60
उत्तराखंड	—	—	—	16	41

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	0	32
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	0	5
मिजोरम	—	—	—	2	25
नागालैंड	—	—	—	0	16
मणिपुर	—	—	—	0	27
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	0	79
पंजाब	—	—	—	0	167
चंडीगढ़	—	—	—	0	47
छत्तीसगढ़	—	—	—	1	26
असम	—	—	—	0	76
मेघालय	—	—	—	0	52
त्रिपुरा	—	—	—	2	12
सिक्किम	—	—	—	0	74
गोवा	—	—	—	5	16
बिहार	—	—	—	—	73
सकल योग	1174	—	2184	3374	9779

$2012 की तीसरी तिमाही के आंकड़े मान्यताधीन हैं।

*किसी तिमाही में पंजीकृत क्षयरोगियों के दस्ते में से इलाज परिणामों की सूचनाएं 31-33 महीनों में ही उपलब्ध हो पाती हैं।

**दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के आंकड़े गुजरात में तथा लक्षद्वीप के आंकड़े केरल में दर्शाए गए हैं।

[हिन्दी]

स्वदेशी उत्पादकों का संरक्षण

333. **श्री भूदेव चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक क्षेत्र में असफलता से बचने तथा मंत्रालयों के बीच परस्पर समन्वय की कमी को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आर्थिक सुधार के बहाने प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है और सुदृढ़ स्वदेशी उत्पादकों को नजरअंदाज किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके पीछे सरकार का क्या इरादा है और स्वदेशी उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सरकार ने अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा व्यावसायिक मनोभावों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए कतिपय उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति का उदारीकरण, राजकोषीय समेकन करने के लिए रोड-मैप की घोषणा, डीजल पर सब्सिडी कम करना आदि। सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के पुनरुत्थान के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) की घोषणा, विनिर्माण क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु बेहतर पहुंच, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देना और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, मंत्रालयों के बीच परस्पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़े निवेश वाली परियोजनाओं को नियमित रूप से मॉनीटर कर रही है।

(ख) और (ग) अर्थव्यवस्था में सतत विकास हासिल करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) घरेलू निवेश की पूरक व्यवस्था करने का साधन है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल और प्रबंधन क्षमता में एफडीआई की भूमिका पूरी तरह स्वीकार्य है। अतिरिक्त निवेश, घरेलू स्तर पर संभव अधिकाधिक निवेश, अधिकाधिक रोजगार अवसर प्रदान करने में सहायक है। भारत में एफडीआई प्रयोज्य कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के भी अध्यधीन है।

[अनुवाद]

धोखाधड़ी पूर्ण निवेश स्कीमें

334. **श्री इज्यराज सिंह :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपंजीकृत/पंजीकृत वित्तीय कंपनियों एवं धोखाधड़ी पूर्ण निवेश स्कीमों के माध्यम से लोगों से धन जुटाने वाली वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तथा आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पंजीकृत/अपंजीकृत कंपनियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी पूर्ण निवेश के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) इस संबंध में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या सहित की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनसे वसूली गई राशि/परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े विधान तैयार करने सहित सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) आम नागरिकों से धन उगाहने वाली संस्थाएं विनियामकीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, उदाहरणार्थ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामकीय और पर्यवेक्षीय कार्य क्षेत्र में आती हैं; सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत आती हैं। आरबीआई ने सूचित किया है कि उसे जब कभी भी एनबीएफसी/गैर-निगमित निकायों के अप्राधिकृत कार्यकलापों के बारे में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की जाती है तथा यदि आवश्यक हो, तो ऐसी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य की आर्थिक अपराध शाखा को भी अग्रेषित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक कंपनियों/एनबीएफसी/अन्य संस्थाओं के कार्यकलापों के बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी देने/सतर्क करने के लिए लोक हित में व्यापक प्रचलन वाले समाचार पत्रों में सार्वजनिक सलाह/सूचनाएं भी प्रकाशित करता है। लोगों को यह

सलाह भी दी जाती है कि वे ऐसे कार्यकलापों के विरुद्ध अपनी शिकायतों को राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा में भिजवाएं।

सेबी ने अक्तूबर 1999 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक निवेश स्कीम) विनियमावली को अधिसूचित किया था। तत्पश्चात 664 सीआईएस कंपनियों जिनके बारे में सेबी के पास सूचना थी, में से 54 सीआईएस कंपनियों ने अपनी 54 कंपनी बंद कर दी है और निवेशकों को उनका धन लौटा दिया है। सेबी ने सेबी अधिनियम 1992 की धारा 11ख के अंतर्गत निदेश दिया है, जिसमें उन्हें देय प्रतिलाभ सहित स्कीम के अंतर्गत एकत्रित धन को आदेश जारी होने के एक महीने की अवधि के अंदर प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार निवेशकों को लौटाने के लिए कहा है। तत्पश्चात, 21 सीआईएस कंपनियों ने अपनी-अपनी स्कीमें बंद कर दी और निवेशकों को उनका धन वापस कर दिया। इस प्रकार 75 सीआईएस कंपनियों (54+21) ने अपनी-अपनी स्कीमें बंद कर दी। 552 मामलों में सेबी ने कंपनियों और इसके निदेशकों के विरुद्ध सेबी अधिनियम 1992 के तहत अभियोजन शुरू कर दिया है। सेबी ने संबंधित राज्य सरकारों को भी धोखाधड़ी के स्पष्ट अपराधों, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वास भंग और सरकारी निधि को हथियाने के लिए सीआईएस कंपनियों के विरुद्ध सिविल/आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। कंपनी कार्य मंत्रालय को भी कंपनी अधिनियम की धारा 433 के तहत सीआईएस कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है और पुलिस अधिकारियों को इन कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी गई है। कई अभियोजन मामलों में फैसला भी प्राप्त कर लिया गया है जहां दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 124 मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, 23 मामलों को निरस्त कर दिया गया है, 7 मामलों में समझौता किया गया है और 2 मामले वापस ले लिए गए हैं तथापि, कई मामले अभी कई अदालतों में लंबित है और इसलिए न्यायाधीन है।

कंपनी अधिनियम, 1956 में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों द्वारा की जाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सार्वजनिक जमा विनियमन (धारा 58क), निरीक्षण (धारा 209क), जांच-पड़ताल (धारा 235/237), दस्तावेजों की जांच (धारा 234), तलाशी और अधिग्रहण (धारा 240क), दंड और अभियोजन आदि के संबंध में उपबंध मौजूद हैं।

जब भी किसी कंपनी के कार्यकलापों के बारे में सरकार अथवा विनियामकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए ऐसे कार्यकलापों की जांच की जाती है और जांच करने वाले प्राधिकारियों में विनियामक/प्रवर्तन/जांच एजेंसियां और राज्य सरकारें शामिल होती हैं। इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत राज्य सरकारें ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

(ङ) आरबीआई, के अनुरोध पर 14 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश ने तमिलनाडु (वित्तीय संस्थानों में) जमाकर्ता हित अधिनियम, 1997 की तर्ज पर विधान बनाया है, जिनमें जमा और ब्याज के भुगतान में चूक करने वाली वित्तीय संस्थानों के प्रवर्तकों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे नियम अधिनियमित करने के लिए तत्काल पहल करने की सलाह दी है। इसके अलावा, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के अनुरूप बहु स्तरीय विपणन कंपनी हेतु आदर्श नियमावली भी तैयार की गई है, और राज्य सरकारों को धन परिचालन स्कीमों को प्रारंभ करने वाली कंपनियों और अनिगमित निकायों के प्रभावी विनियमन के लिए इसे अपनाने की सलाह दी है।

भारत में बैंकों को स्थापित करने वाले विदेशी नागरिक

335. श्री संजय निरुपम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बैंक स्थापित करने के लिए विदेशी लोगों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी लोगों द्वारा देश में बैंक स्थापित करने के लिए कोई मानक/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में चल रहे/स्थापित किए जाने वाले ऐसे विदेशी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से धन शोधन, आतंकियों को वित्तपोषित करने व अन्य अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 29.08.2011 को जारी "गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस संबंधी प्रारूप दिशानिर्देश" के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र की केवल वे कंपनियां/समूह बैंक के रूप में बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र होंगी जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निवासियों के पास हो।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनुपालनार्थ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों/धन-शोधन निवारक मानकों/आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने से संबंधित दिशानिर्देश तैयार किए हैं ताकि बैंकों को धन शोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने शिकार बनने से रोका जा सके। केवाईसी प्रक्रिया बैंकों को अपने ग्राहकों को जानने/समझने और उनके वित्तीय कारोबार को बेहतर ढंग से समझने में भी सक्षम बनाता है जिससे उनके जोखिमों को समझदारी पूर्वक संभालने में मदद मिलेगी। तदनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे उचित प्राधिकरण अर्थात भारतीय वित्तीय सतर्कता यूनिट (एफआईयू-आईएनडी) को सूचित करने के उद्देश्य से खाता खोलने और संदिग्ध प्रकृति के लेन-देनों की निगरानी करने के लिए कुछेक ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का अनुपालन करे। बैंकों से यह सुनिश्चित करना भी अपेक्षित है कि केवाईसी/एएमएल/सीएफटी के संबंध में बोर्ड अनुमोदित उचित नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए और उनके द्वारा इसका क्रियान्वयन मौजूदा विधिक और विनियामकीय ढांचे के अनुसार किया जाये।

प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की बिक्री

336. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्रांडेड/प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने ब्रांडेड/प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के उत्पादन को रोकने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ब्रांडेड/प्रीमियम पेट्रोल व डीजल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्रांडेड/प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की बिक्री के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े हजार एमटी में)

	2009-10		2010-11		2011-12	
	बिक्री	वृद्धि % में	बिक्री	वृद्धि % में	बिक्री	वृद्धि % में
ब्रांडेड डीजल	1638.8	-62.3	832.3	-49.2	311.1	-62.6
ब्रांडेड पेट्रोल	1494.4	-31.3	1054.6	-29.4	679.9	-35.5

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ओएमसीज द्वारा बिक्री के बढ़ाने के अभियान चलाए गए हैं। तथापि, अनब्रांडेड और ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में अत्यधिक अंतर के मद्देनजर बिक्री बढ़ाने के अभियानों

का इन उत्पादों की ग्राहक मांग बढ़ाने पर खास असर नहीं पड़ा है।

नोटों और सिक्कों को शुरू करना

337. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देशभर में 10 रुपए के नोट के बदले पूर्णतया 10 रुपए के सिक्के शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में तदनुरूपी लागत प्रभाव का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में कागज के नोटों के स्थान पर पॉलीमर के नोट शुरू करने की भी कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो क्या यह सभी मूल्यवर्ग के नोटों पर लागू होगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अंततोगत्वा भारतीय रिजर्व बैंक देश में 10 रुपए के बैंक नोटों को 10 रुपए के सिक्कों से धीरे-धीरे प्रतिस्थापित करने की योजना बनाएगा। तथापि, यह सिक्कों की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति हेतु टकसालों की क्षमता पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि 10 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट का औसत जीवन लगभग 9-10 माह होता है और इसके मुद्रण की औसत लागत 96 पैसे प्रति नग है। 10 रुपए के सिक्कों की ढलाई की लागत 6.1064 रुपए है। 10 रुपए के बैंक नोट की अल्प जीवन अवधि मानते हुए, इस नोट का मुद्रण लागत प्रभावी नहीं है। तदनुसार, सरकार ने 10 रुपए के सिक्काकरण के संबंध में 24.7.2007 को अधिसूचना जारी की थी और तत्पश्चात मार्च 2009 में 10 रुपए के सिक्कों को परिचालन में लाया गया था।

(ङ) से (छ) बैंक नोटों, खासकर निम्न मूल्यवर्ग, का जीवन बढ़ाने के दृष्टिगत भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 10 रुपए मूल्यवर्ग के एक बिलियन पालीमर/प्लास्टिक नोटों का फील्ड परीक्षण किया जाए।

स्त्री-पुरुष समानता

338. श्री धनंजय सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस विभाग, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों सहित विभिन्न सरकारी विभागों में स्त्री-पुरुष समानता/न्याय और संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता लाने और इसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं के विरुद्ध स्वयं की नैतिक पहरेदारी चलाने वाले विभिन्न सतर्क समूहों की पहचान करने और उन्हें दंड देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) अनेक महिला विधानों, स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार स्त्री-पुरुष समानता के मुद्दे का समाधान करती है। स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता लाने और न्याय दिलाने के लिए विज्ञापनों, वार्षिक वात्सल्य मेला इत्यादि कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मुद्दे पर जागृति फैलाने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनारों का आयोजन करता है। इन सबका उद्देश्य समाज, जिसमें सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय और स्कूल भी शामिल हैं, के विचारों में परिवर्तन लाना है।

(ग) मौजूदा कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति/समूह का कोई भी गैर कानूनी कार्य दंडनीय हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों में चयन प्रक्रिया

339. श्री महाबली सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्केल-2 और 3, अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में किन्हीं अनियमितताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुजफ्फरपुर सहित तत्संबंधी बैंक-वार, जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने को प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती और प्रोन्नति नीति 2010 के प्रावधानों के आलोक में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारियों की स्केल II और III में पदोन्नति की गई है। बैंक ने स्केल II और III अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति देते समय उक्त नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया है और अब तक अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों का अन्यत्र जाना

340. **डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों के अनेक चिकित्सक निजी क्षेत्र में लुभावनी नौकरियों के कारण अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अस्पतालों में उन्हें दुबारा लाने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 2009 से आज तक, एम्स, नई दिल्ली के 17 तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 5 डॉक्टरों ने या तो स्वैच्छिक अवकाश ले लिया है या सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। डॉक्टरों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने अथवा स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के बाद कोई जानकारी अस्पताल और राज्य द्वारा नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) संकाय सदस्यों को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं:—

(i) 1 जनवरी, 2006 से एम्स, नई दिल्ली, स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़, जवाहरलाल स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर) पुदुचेरी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलूरु, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस) शिलांग के संकाय वेतनमान बढ़ा दिए गए हैं।

(ii) शिक्षण अनुसंधान भत्ता और सम्मेलनों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है।

(iii) एम्स में रिक्त स्थानों से जोड़े बगैर, पदोन्नति मूल्यांकन योजना को पुनर्सृजित किया गया है।

(iv) एनईआईजीआरआईएचएमएस संकाय 12.5% की दर से विशिष्ट ड्यूटी भत्ता (एसडीए) पाने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पाठ्यक्रम

341. **डॉ. भोला सिंह :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री जी. एम. सिद्देश्वर :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नए चिकित्सा पाठ्यक्रम यथा ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल स्नातक (बीआरएचसी) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित चिकित्सा पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताओं सहित इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने प्रस्तावित पाठ्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीआरएचसी

के कार्यान्वयन के लिए सृजित/सृजित की जा रही अवसंरचना क्या है एवं इस पाठ्यक्रम को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस मामले पर विभिन्न जगहों से असहमति मिली है एवं इसका विरोध हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्रस्तावित चिकित्सा पाठ्यक्रम को लागू करने से पूर्व विभिन्न हितधारकों की चिंता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ परामर्श करके एक पाठ्यक्रम नामतः बैचलर ऑफ साइंस (सामुदायिक स्वास्थ्य) जिसे पहले बैचलर ऑफ रूरल हैल्थ केयर (बीआरएचसी) पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता था, तैयार किया है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य स्तरीय स्वास्थ्य व्यावसायिक तैयार करना है जिन्हें मुख्यतया उपकेंद्रों में तैनात किया जाएगा तथा जिनके पास ग्रामीण लोगों की सेवा करने के लिए आवश्यक जन-स्वास्थ्य एवं चलनक्षम सक्षमताएं होंगी। प्रस्तावित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1 इस पाठ्यक्रम की अवधि छः माह की चक्रानुमिक अंतः शिक्षुता (रोटेशनल इंटर्नशिप) के साथ तीन वर्षों की होगी।

2 इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र अभ्यर्थी वे होंगे जिन्होंने विज्ञान के विषयों अर्थात् भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ 10+2 पूरा किया हो।

3 जहां तक संभव हो, दाखिला तथा तैनाती जिला आधारित होगी।

4 आरक्षण मानकों के अनुसार लागू होंगे।

5 इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद स्नातकों को राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के रूप में नियोजित किया जाएगा।

(घ) भौतिक अवसंरचना, ग्रामीण स्वास्थ्य स्कूलों में अपेक्षित सुविधाओं की आवश्यकताओं के लिए मानक तैयार करने के लिए तथा पाठ्यक्रम की शुरूआत करने से संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है।

इसके अलावा, इस मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांच भी की जा रही है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम को शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से इसे अपनाने के इच्छुक राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) जैसे कुछ चिकित्सा संघों ने प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की उपलब्धता की कमी के गंभीर मामले से निपटने के लिए सरकार अन्तरनिर्मित रक्षोपायों के साथ पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु प्रतिबद्ध है।

गेल एवं ओएनजीसी द्वारा सीएसआर

342. श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के क्या नाम हैं जिनका कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत सामाजिक उद्देश्यों के प्रस्तावों को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गेल तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा सीएसआर पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्या है और प्राप्तकर्ताओं, प्रदान की गई राशि, निधियों को जारी करने की तिथि एवं इसके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जैसा गेल द्वारा सूचित किया गया है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2012-13 में सीएसआर कार्यकलापों के लिए एनजीओ/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम निम्नानुसार हैं :

1 कम्यूनिटी फ्रेंडली मूवमेंट

2 चेतना होम बेस्ड केयर सेंटर, गुना

3 सुलभ सैनिटेशन मिशन फाउंडेशन

4 मैसर्स वोकहार्ड्ट फाउंडेशन

(ख) गेल ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (अक्तूबर, 2012) के दौरान क्रमश: 693.10 लाख रुपए, 1851.05 लाख रुपए और 448.08 लाख रुपए का व्यय किया है। ओएनजीसी द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान किया गया व्यय क्रमश: 268.87 करोड़ रुपए 219.03 करोड़ रुपए और 121.08 करोड़ रुपए है।

धनराशि प्राप्तकर्ताओं, दी गई धनराशि, निधियां जारी करने की तारीख और उनके उपयोग के राज्य-वार ब्यौरे संबंधित पीएसयू के निदेशक (वित्त) के पास उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों में कर वंचन

343. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े कार्यों को करने में सरकारी विभागों एवं निजी कंपनियों द्वारा कर वंचन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक की तिथि के अनुसार पकड़े गए सरकारी विभागों एवं निजी कंपनियों द्वारा किए गए कर वंचन की श्रेणी-वार राशि कितनी है; और

(ग) इन करों को वसूलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ग) संबंधित एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुपोषण के कारण बच्चों की मौतें

344. श्री चार्ल्स डिएस :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
डॉ. किराड़ी लाल मीणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में कुपोषण से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बच्चों में कुपोषण की अधिक घटनाओं को रोकने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली मौतों संबंधी डाटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुपोषण बाल मौतों का सीधा कारण नहीं है, हालांकि इससे संक्रमण में कमी होने से रुग्णता दर और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।

(ग) से (ङ) जी, हां।

सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के जरिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और इसके संरक्षणाधीन प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में कुपोषण के उपचारार्थ निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं:—

   - 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विटामिन ए संपूरण।

- आईएफए सप्लीमेंटेशन कार्यक्रमः 6 माह से 5 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए आयरन और फॉलिक एसिड मिलता है।

- नवजात और छोटे बच्चों की इष्टतम आहार परिपाटियों को बढ़ावा देना।

- हाल ही में साप्ताहिक आयरन-फॉलिक एसिड संपूरण स्कीम अथवा डब्ल्यूआईएफएम शुरू की गई है जिसमें रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाने के लिए किशोरियों को लक्षित किया गया है।

- जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कहलाए जाने वाली विशेष यूनिटों में गंभीर तीव्र कुपोषण ग्रस्त बच्चों का उपचार। फिलहाल पूरे देश में ऐसे 594 केंद्र कार्य कर रहे हैं।

- डिवार्मिंगः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वर्ष में दो बार डिवार्मिंग गोलियां/सिरप प्रदान किए जाते हैं।

- माता और बच्चा सुरक्षा कार्ड इस्तेमाल करके तीन वर्षों तक बच्चों की वृद्धि की मॉनीटरिंग।

- आहार संबंधी विविधता को बढ़ावा देने, स्तनपान को बढ़ावा देने के साथ-साथ आहार संबंधी परिपाटियों में वांछित बदलाव लाने के लिए जागरुकता बढ़ाने और आयरन फॉलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवसों (वीएचएनडी) के दौरान स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।

- सेवा प्रदायकों को आईएमएनसीआई (समेकित नवजात और बाल्यावस्था बीमारी प्रबंधन) प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करके सामुदायिक और सुविधा केन्द्र स्तर पर कुपोषण और आम नवजात एवं बाल्यावस्था बीमारियों का उपचार।

2. अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष लक्षित कार्यकलापों के रूप में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मिड-डे मील स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (आरजीएसईएजी) अर्थात् सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) शामिल हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों में लक्षित जन संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय उद्यान विभाग मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में कुपोषण के एक अथवा अन्य पहलू पर ध्यान देने की क्षमता है।

राजकोषीय घाटे में कमी

345. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पांच सितारा होटलों में संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों के आयोजन एवं अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन का 3 प्रतिशत रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) सरकार ने वृहत आर्थिक माहौल में सुधार के उद्देश्य से व्यय को युक्तिसंगत बनाए जाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग जैसे किफायत उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में पांच सितारा होटलों में बैठकों और सम्मेलनों के आयोजन पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध तथा योजना और गैर-योजना पदों के सृजन पर प्रतिबंध शामिल हैं। मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि जो पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त रहे हैं तब तक पुनर्जीवित नहीं किए जाएंगे

जब तक कि बहुत असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियां न हों और इसके लिए व्यय विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(ङ) (क) से (घ) में उल्लिखित उपायों के अलावा सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) सरकार ने अंशशोधित रूप में विस्तारवादी उपायों से धीरे-धीरे निकल कर राजकोषीय समेकन का मार्ग पुनः पकड़ा है। वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को, वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत तक के स्तर पर लाने की योजना में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी लाए जाने और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व में सुधार किए जाने की मिश्रित कार्ययोजना शामिल है।

(ii) सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए संसाधनों के आबंटन हेतु नए सिरे से कार्य प्रारंभ करने और ऐसी अन्य स्कीमों जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को समाप्त करने की दृष्टि से, व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करते हुए "मध्यकालिक व्यय रूपरेखा व्यय विवरण" की भी शुरूआत की है। इससे व्यय प्रबंधन में कार्य-कुशलता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(iii) सरकार केन्द्रीय सब्सिडी पर व्यय को नियंत्रित करने के भी प्रयास करेगी।

(iv) सरकार ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् 2012-13 से 2016-17 तक राजकोषीय समेकन की निम्नलिखित योजना अपनाए जाने का भी निर्णय लिया है:–

वर्ष	राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)
2012-13	5.3
2013-14	4.8
2014-15	4.2
2015-16	3.6
2016-17	3.0

लौह अयस्क का खनन

346. श्री निशिकांत दुबे :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार लौह अयस्क का कितना खनन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लौह अयस्क का कितना निर्यात किया गया है; और

(ग) मार्च, 2008 और मार्च, 2012 में इसके प्रति टन का मूल्य कितना रहा?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लौह अयस्क का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:–

(हजार टन में)

राज्य	2009-10	2010-11 (अनंतिम)	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (अनंतिम) (अप्रैल से सितम्बर)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	6246	1560	1714	610

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	26211	29320	30455	12947
गोवा	38136	35564	33372	11831
झारखंड	22547	22288	18942	8884
कर्नाटक	43163	38983	13189	4401
मध्य प्रदेश	1058	1762	1102	510
महाराष्ट्र	283	1525	1470	360
ओडिशा	80896	76128	67013	32764
राजस्थान	13	27	32	11
भारत	218553	207157	167289	72318

(**स्रोत:** भारतीय खान ब्यूरो)

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा नीचे दी गई है:—

अवधि	मात्रा लाख मिलिटन में
1	2
2009-10	1306.27
2010-11	1206.34
2011-12	570.8
2012-13 (अगस्त, 2012 तक)	142.51

(**स्रोत:** कर अनुसंधान इकाई)

(ग) मार्च, 2008 तथा मार्च, 2012 के लिए विभिन्न श्रेणियों हेतु पिट हेड पर लौह अयस्क का औसत विक्रय मूल्य नीचे दिया गया है:—

खनिज	श्रेणी	मार्च, 2008 (रु. प्रति टन)	मार्च, 2012 (रु. प्रति टन)
1	2	3	4
लौह अयस्क	60% एफई लम्पस से कम	389	1633
	60% से 62% एफई लम्पस से कम	789	3915
	62% से 65% एफई लम्पस से कम	1087	5496

1	2	3	4
	65% एफई लम्पस से अधिक	1809	5683
	62% एफई फाइंस. से कम	731	1540
	62% से 65% एफई फाइंस से कम	1106	2385
	65% एफई फाइंस से अधिक	1448	2732
	सांद्र	826	700

(*स्रोत:* भारतीय खान ब्यूरो)

कोको पेट्रोल पम्पों में आरक्षण

347. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का विपणन करने वाली कंपनियों के पास कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों के आबंटन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कंपनी स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) अस्थायी बिक्री केन्द्रों को सर्वप्रथम नीचे बताए गए क्रम से निम्नलिखित श्रेणियों के तहत लंबित आशय-पत्र धारकों (एलओआई) को प्रस्तावित किया जा सकता है और उपयुक्तता की शर्त पर उन्हें सौंपा जा सकता है:—

(i) विशेष योजना (आपरेशन विजय-कारगिल);

(ii) संग्रह विधि योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी, विधवाएं तथा 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जिनके माता-पिता आय अर्जन नहीं करते); तथा

(iii) विपणन योजनाओं में यथा विनिर्धारित अन्य श्रेणियां।

बैंकिंग क्षेत्र पर कोलगेट का प्रभाव

348. श्री पी. लिंगम :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बैंकिंग क्षेत्र पर कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द करने का क्या संपार्श्विक प्रभाव पड़ने की आशंका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आज की तारीख में जिन कंपनियों के कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया गया है उन कंपनियों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के मामलों में कोई गैर-निष्पादनकारी आस्ति नहीं है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्र

349. श्रीमती भावना पाटील गवली : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आंगनवाड़ी केन्द्र चलाने के उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि के अन्यत्र उपयोग किए जाने से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण को और अधिक कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय मॉनीटरन पर्यवेक्षण तंत्र विकसित किए हैं और 31.03.2011 को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

अवसंरचना ऋण कोष

350. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अवसंरचना ऋण कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में आईडीएफ के लिए आदर्श त्रिपक्षीय करार को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त करार का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) उक्त करार से देश में विभिन्न अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के किसी सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफएस) का उद्देश्य देश में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के निधियन के लिए दीर्घावधिक ऋण के प्रवाह को त्वरित करना तथा उसे बढ़ाना है। इन निधियों को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा एनबीएफसी द्वारा स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों में व्यवस्था है कि रियायतग्राही, परियोजना प्राधिकारी तथा आईडीएफ के बीच त्रिपक्षीय करार संपन्न किया जाएगा जो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। तदनुसार, एक आदर्श त्रिपक्षीय करार का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह आदर्श त्रिपक्षीय करार अवसंरचना ऋण निधियों के शीघ्र प्रचालनारत होने को सुसाध्य बनाएगा।

(ङ) अवसंरचना ऋण निधियों बचतों को सरणीकृत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी तथा अवसंरचना परियोजनाओं के विद्यमान ऋण के पुन: वित्तपोषण के लिए साधन उपलब्ध कराएंगी।

जीडीपी की वृद्धि

351. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे. के. रितीश :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए निवेश नीति को पुनर्जीवित करने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों में विनिर्माण क्षेत्र के लिए वित्त पोषण की बेहतर पहुंच, विद्युत, पेट्रोलियम और गैस, सड़कों, कोयला आदि के क्षेत्र में बड़ी निवेश परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करना, खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बफर स्टॉकों का प्रयोग, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को कम करना, आदि शामिल है। उच्च वृद्धि प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कतिपय विशेष उपायों में, अन्य के साथ-साथ, सिंचाई परियोजनाओं सहित कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को बढ़ाना, निधियों से अधिक आबंटन के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देना, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी पर केंद्रित निवेश को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र में कई विधायी उपायों को आगे बढ़ाना और नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति आदि को लागू करना शामिल है। हाल में किए गए उपायों में डीजल पर सब्सिडी कम करना, कतिपय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में निवेश की घोषणा करना, निवेश माहौल को मजबूत करना (मल्टी ब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण में एफडीआई का उदारीकरण) शामिल हैं और इनसे बाजार विश्वसनीयता को बहाली और वृद्धि संवेग को बनाए रखने की संभावना है।

(ग) सरकार ने हाल ही में राजकोषीय समेकन का लक्ष्य निर्धारित कर राजकोषीय रूपरेखा तैयार की है। वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल घेरलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में सरकार राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को बनाए रखने हेतु वचनबद्ध है। बजट 2012-13 में केंद्रीय सहायता पर व्यय को 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक सीमित करना है। सरकारी क्षेत्र के कतिपय उद्यमों में विनिवेश की घोषणा के साथ डीजल हेतु सब्सिडी कम करने से भी राजकोषीय घाटे को कम करने की संभावना है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पेट्रोल पम्पों का आरक्षण

352. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को पेट्रोल पम्पों के आबंटन में आरक्षण प्रदान करने के लिए किस तारीख को अधिसूचना जारी की गई तथा इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन लोगों को पहले हीं पेट्रोल पम्प आबंटित कर दिए गए हैं उनका सर्वेक्षण कर उन लोगों को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों को ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने दिनांक 20.07.2012 से खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) के आबंटन में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसीज) को 27% आरक्षण प्रदान किए जाने की घोषणा की थी।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

विभिन्न क्षेत्रों में जीडीपी की वृद्धि

353. **श्री घनश्याम अनुरागी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सूखे की आशंका को देखते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के नीचे आने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष क्षेत्रवार कितनी जीडीपी वृद्धि प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है; और

(घ) कृषि क्षेत्र सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों में जीडीपी में संभावित कमी की समस्या से निपटने तथा उत्पादों की कीमतों में संभावित तीव्र वृद्धि के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए/किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) से उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही हेतु कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए मूल्यवर्द्धन वृद्धि दर क्रमश: 2.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में इन क्षेत्रों के लिए वृद्धि दर क्रमश: 3.7 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही की 8.0 प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.5 प्रतिशत रही।

(ग) चालू वित्त वर्ष हेतु कृषि क्षेत्र में होने वाली संभावित वृद्धि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) आर्थिक वृद्धि में मंदी का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में, डीजल पर सब्सिडी कम करना, कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की घोषणा तथा निवेश माहौल को मजबूती प्रदान करने हेतु उठाए गए कदम (मल्टी ब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण में एफडीआई का उदारीकरण शामिल है) और इनसे बाजार की विश्वनीयता बहाल करने और मध्यावधि में वृद्धि को बनाए रखने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था के पुनःसंचार हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र के लिए वित्त पोषण की बेहतर पहुंच, विद्युत, पेट्रोलियम और गैस, सड़कों, कोयला आदि क्षेत्रों में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करना, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को कम करना और खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बफर स्टॉकों का प्रयोग शामिल है। कृषि क्षेत्र हेतु, विशेषतया सरकार कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए नए कार्यक्रमों को लाने हेतु राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध करा रही है। विगत वर्षों में किए गए कुछ बड़े उपायों में गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, कृषि ऋणों को सब्सिडी देना, कृषि संबंधी क्रेडिट बढ़ाने के उपाय, पूर्वी भारत में किसानों की सहायता हेतु योजनाओं अर्थात् बीजीआरईआई (पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना) को लागू करना आदि शामिल है। मुद्रास्फीति को और नियंत्रित करने हेतु अन्य कई राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।

पर्यटन परियोजनाएं

354. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :**

श्री अशोक कुमार रावत :

डॉ. रत्ना डे :

श्रीमती ज्योति धुर्वे :

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

कुमारी सरोज पाण्डेय :

श्री प्रेमचन्द गुड्डू :

श्री इन्दर सिंह नामधारी :

राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री शिवराम गौडा :

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

श्री महेश्वर हजारी :

श्री गणेश सिंह :

श्री के. पी. धनपालन :

श्री एस. अलागिरी :

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

डॉ. संजय सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों में से संस्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इनके लिए कितनी राशि संस्वीकृत/जारी की गई;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने की स्थिति क्या है और उक्त अवधि में इनके लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संस्वीकृत निधियों में से कितनी राशि उपयोग में लाई गई;

(घ) देश में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु प्राप्त/प्रस्तावित निजी/विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों/पर्यटन स्थलों-पर्यटन सर्किटों का पता लगाने और उन्हें बढ़ावा देने/पर्यटन मानचित्र पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत की गई परियोजनाओं और राशि की राज्य/संघ राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

पर्यटन मंत्रालय, क्षेत्रीय सम्मेलनों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियों की रिपोर्ट को आवधिक रूप से पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। पर्यटन परियोजनाओं को समय से पूरा करना राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की प्रमुख जिम्मेदारी है।

अजंता एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना चरण-II के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के साथ 7331 मिलियन जापानी येन के बराबर की राशि के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और इस वित्तीय वर्ष में 31.10.2012 तक 47.24 करोड़ की कुल राशि का उपयोग किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य में बौद्ध परिपथ के विकास के लिए 9495 मिलियन जापानी येन के ऋण के लिए जे.आई.सी.ए. के साथ एक ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के लिए जे.आई.सी.ए. के परामर्श से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

पर्यटक स्थलों की पहचान और उनका संवर्धन करना मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, प्राथमिकीकरण बैठकों के दौरान उनके परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.09.2012 तक) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या और राशि

क्रम सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (30-09-2012 तक)	
1	2	3		4		5		6	
1.	आंध्र प्रदेश	13	37.29	10	20.38	10	40.90	7	58.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	36.54	13	32.26	9	25.68	7	21.11
3.	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	7	22.76	4	23.55	3	4.23	0	0.00
5.	बिहार	3	6.99	1	3.60	0	0.00	0	0.00
6.	चंडीगढ़	5	11.51	5	11.04	0	0.00	2	0.25
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00	4	20.95	0	0.00	1	0.35
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन एवं दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	9	44.91	5	9.75	3	2.69	4	2.72
11.	गोवा	2	17.00	3	12.78	1	4.98	0	0.00
12.	गुजरात	1	7.33	1	0.14	2	51.75	1	4.87
13.	हरियाणा	6	12.37	6	27.41	5	0.80	5	0.80

1	2	3		4		5		6	
14.	हिमाचल प्रदेश	6	23.95	12	34.98	5	0.47	5	0.47
15.	जम्मू और कश्मीर	31	49.75	20	56.17	23	143.47	30	169.07
16.	झारखंड	3	0.25	5	7.56	1	23.71	6	48.15
17.	केरल	7	12.98	3	42.87	7	23.76	2	1.71
18.	कर्नाटक	13	42.42	2	8.59	1	5.00	0	0.00
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	2	5.01	3	11.30	4	57.32	1	0.49
21.	मणिपुर	9	27.14	8	39.40	5	30.73	1	0.50
22.	मेघालय	7	14.73	9	22.53	2	0.40	2	0.68
23.	मिजोरम	7	24.06	9	11.51	6	13.81	3	1.02
24.	मध्य प्रदेश	11	60.99	13	30.85	6	31.45	7	35.68
25.	नागालैंड	13	24.60	10	29.10	15	28.80	6	19.47
26.	ओडिशा	9	23.69	6	20.29	4	5.17	2	0.61
27.	पुदुचेरी	3	5.57	3	50.26	4	0.30	0	0.00
28.	पंजाब	3	9.48	4	11.91	2	4.39	1	4.23
29.	राजस्थान	7	19.74	7	31.32	3	14.50	1	5.00
30.	सिक्किम	19	42.36	14	23.48	5	20.81	3	20.35
31.	तमिलनाडु	10	16.28	6	60.00	1	3.65	2	20.42
32.	त्रिपुरा	13	20.67	12	40.73	6	15.44	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	6	21.90	14	27.85	10	44.58	11	51.01
34.	उत्तराखंड	1	0.55	8	29.78	13	102.49	12	97.74
35.	पश्चिम बंगाल	7	28.37	8	22.02	4	8.74	1	46.68
	कुल योग	247	671.19	228	774.36	160	710.02	123	612.21

***इसमें गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (पी.आई.डी.डी.सी.) मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) उत्सव और मेले और ग्रामीण पर्यटन (आर.टी.) से संबद्ध परियोजनाएं शामिल हैं।**

नदी बेसिन में अन्वेषण

355. श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदी बेसिनों के नाम क्या हैं जहां अन्वेषण कार्य किया जा रहा है तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा ओडिशा के पारादीप के महानदी बेसिन में अन्वेषण कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) देश के विभिन्न नदी बेसिनों में अन्वेषण के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेल अन्वेषण कार्य में प्रगति के संबंध में कोई समीक्षा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ओडिशा में उद्योगों की सेवा के लिए पाइप लाइन अवसंरचना बिछाने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत बिहार में अन्वेषण के लिए दिए गए ब्लॉकों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे ब्लाकों की संख्या क्या है जहां ओएनजीसी द्वारा अभी तक ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई है एवं जीवी/ओएनएन-2005/3 और पीए-ओएनएन-2004/1 में अन्वेषण की क्या स्थिति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) वर्तमान में कावेरी, गंगा, कृष्णा-गोदावरी, पालार और पेन्नार बेसिनों में अन्वेषणात्मक कार्य कर रहा है। आज की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी के पास पाराद्वीप और ओडिशा के आस-पास महानदी बेसिन में कोई अन्वेषण रकबा नहीं है।

(ख) हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान करने के उद्देश्य से, हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डीजीएच) जमीनी और अपतटीय दोनों क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता रहा है। डीजीएच द्वारा अब तक निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए हैं :-

- गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और कच्छ अपतट में वायुचुंबकीय सर्वेक्षण।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भाग में मेगनेटो-टेलूरिक सर्वेक्षण।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, पश्चिमी तट में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण और पूर्व एवं अंडमान-निकोबार में गुरुत्व चुंबकीय सर्वेक्षण के साथ 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एकीकृत भूभौतिक सर्वेक्षण।
- मध्य प्रदेश में गुरुत्व चुंबकीय सर्वेक्षण।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एरियल इमेजेज/रिमोट सेंसिंग आंकड़ों का विश्लेषण।
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भूरासायनिक सर्वेक्षण।
- पश्चिमी और पूर्वी अपतट में सैटलाइट ग्रेविटी गुरुत्व सर्वेक्षण और पूर्वी अपतट में नियंत्रित स्रोत विद्युत-चुंबकीय (सीएसईएम) सर्वेक्षण।

(ग) डीजीएच तकनीकी समिति की बैठकों (टीसीएमज) में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत समय-समय पर अन्वेषण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता है, स्थल का निरीक्षण करता है और कार्य के दौरान सुधार, यदि कोई हो, करने की सलाह देता है। इसके अलावा, प्रचालकों द्वारा प्रबंधन समिति की बैठकों (एमसीएमज) में समग्र प्रगति की रिपोर्ट भी समय-समय पर सूचित की जाती है, और संबंधित ब्लाकों की प्रबंधन समिति द्वारा कार्रवाई, यदि कोई हो तय की जाती है।

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने ओडिशा के विभिन्न जिलों से गुजरने वाली

सूरत-पाराद्वीप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा विस्तार करने के लिए मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड को प्राधिकार प्रदान कर दिया है। प्राधिकार की निबंधन और शर्तों के अनुसार, परियोजना के 2015-16 तक पूरी होने की संभावना है।

(ङ) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के दौरान नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) बोली दौर के तहत बिहार राज्य में कोई अन्वेषण ब्लाक प्रदान नहीं किया गया। विभिन्न बोली दौरों में अब तक 3 एनईएलपी ब्लाक बिहार राज्य में प्रदान किए गए। बिहार राज्य में 1 कूप के वेधन के बाद अन्वेषण ब्लाक जीवी-ओएनएन-2002/1 का त्याग किया गया। इसके अलावा, बिहार में अन्वेषण ब्लाक पीए-ओएनएन-2004/1 में वर्तमान में 1 कूप का वेधन कार्य चल रहा है। बिहार में तीसरे अन्वेषण ब्लाक में जीवी-ओएनएन-2005/3 में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के तहत अन्वेषण कार्य पूरा हो चुका है जिसमें किसी कूप का अन्वेषण शामिल नहीं था।

[अनुवाद]

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले

356. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री यशवीर सिंह :
श्री दत्ता मेघे :
श्री एस. आर. जेयदुरई :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सुरेश अंगड़ी :
चौधरी लाल सिंह :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री के. डी. देशमुख :
श्री एस. सेम्मलई :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री डी. बी. चन्द्रे गौड़ा :
श्री रुद्रमाधव राव :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री खगेन दास :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री नीरज शेखर :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री ए. के. एस. विजयन :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री संजय भोई :
श्री एम. आनंदन :
श्री एस. एस. रामासुब्बू :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री सोमेन मित्र :
श्री महाबल मिश्रा :
प्रो. सौगत राय :
श्री ई. जी. सुगावनम :
श्री अजय कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सहित देश के विभिन्न महानगरों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के हाल ही में तेजी से बढ़े मामलों को संज्ञान में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले सामने आए और कितने लोगों की मृत्यु हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मरीजों को आवश्यक और समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इन विषाणु जनित बीमारियों के फैलाव और वार्षिक पुनरावृत्ति पर कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं तथा देश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रकोप की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। हालांकि देश के विभिन्न भागों में चालू वर्ष के दौरान डेंगू के सूचित मामलों और मौतों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, तथापि चिकुनगुनिया और मलेरिया के संबंध में सूचित मामलों की संख्या में गिरावट आई है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया के संबंध में सूचित मामलों और मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करती है। तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना (पीआईपी) के यथाप्रतिबिंबित राज्यों की आवश्यकताओं तथा कार्यक्रम के मानकों के अनुसार निधियां और वस्तुएं प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

राज्यों को तकनीकी सहायता दिशा-निर्देशों/ प्रचालनात्मक मैनुअलों इत्यादि तथा राज्यों/जिलों के साथ समीक्षा के दौरान तकनीकी मामले पर विशेषज्ञ सलाह के जरिए प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत मलेरिया संबंधी मामलों और मौतों संबंधी रिपोर्टों की सूचना मासिक आधार पर जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों द्वारा संरचनाबद्ध रिपोर्टिंग फार्मेट के जरिए नियमित रूप से दी जा रही है। जिला प्राधिकारियों द्वारा अस्पतालों से प्राप्त डेंगू संबंधी मामलों तथा मौतों एवं चिकुनगुनिया के मामलों की सूचना संबद्ध राज्य सरकारों के जरिए एनवीबीडीसीपी निदेशालय को दी जाती है।

डेंगू के उभरते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने देश में डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- सचिवों की समिति द्वारा दिनांक 26.05.2011 द्वारा अनुमोदित मध्यावधिक योजना को क्रियान्वयनार्थ राज्यों को परिचालित किया गया है। यह योजना डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न पहलुओं को कवर करती है।

- निदान के संवर्धन के लिए राज्यों में निदान सुविधा के संवर्धन संबंधी प्रयोगशाला सहायता के साथ अस्पतालों में 347 प्रहरी निगरानी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये बैंक-अप सहायता के लिए उन्नत नैदानिक सुविधाओं युक्त 14 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं से जुड़े हैं।

- बीमारी के पहले ही दिन से मामलों का पता लगाने के लिए इलिसा आधारित एनएस 1 जांच किटें एनआरएचएम वित्तपोषण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रोग के पांच दिनों के उपरांत डेंगू के मामले की पहचान कर सकने वाले आईजीएम जांच किटें राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे के जरिए निःशुल्क प्रदान की जाती है।

मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. आशा/सामुदायिक स्वयंसेवियों को शामिल करके तीव्रीकृत निगरानी।

2. अस्पतालों में गंभीर मामलों का प्रभावी प्रबंधन।

3. प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और अनुक्रिया के लिए आईडीएसपी के साथ समन्वय।

4. इंडोर अवशिष्ट छिड़काव (आईआरएस), दीर्घ काल तक चलने वाले कीटनाशी मच्छरदानियों (एलएलआईएन) द्वारा वेक्टर नियंत्रण उपाय, लार्वासाइड्स और स्रोत रिडक्शन उपाय इस्तेमाल करना।

5. समुदाय और अन्य क्षेत्रों को शामिल करके अंतर-क्षेत्रीय समन्वय।

6. तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए उच्च भार वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त मानव संसाधन प्रदान करना।

विवरण-I

डेंगू के सूचित मामले और मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011		2012 15 नवम्बर तक प्रोव.	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1190	11	776	3	1209	6	1734	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	156	1
3.	असम	0	0	237	2	0	0	262	4
4.	बिहार	1	0	510	0	21	0	94	0
5.	छत्तीसगढ़	26	7	4	0	313	11	1	0
6.	गोवा	277	5	242	0	26	0	33	0
7.	गुजरात	2461	2	2568	1	1693	9	1461	2
8.	हरियाणा	125	1	866	20	267	3	676	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	3	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	0	3	0	16	1
11.	झारखंड	0	0	27	0	36	0	42	0
12.	कर्नाटक	1764	8	2285	7	405	5	3482	21
13.	केरल	1425	6	2597	17	1304	10	3674	13
14.	मध्य प्रदेश	1467	5	175	1	50	0	139	6
15.	मेघालय	0	0	1	0	0	0	11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	2255	20	1489	5	1138	25	1464	59
17.	मणिपुर	0	0	7	0	220	0	6	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	6	0
19.	नागालैंड	25	0	0	0	3	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	29	5	1816	33	2029	6
21.	पंजाब	245	1	4012	15	3921	33	621	15
22.	राजस्थान	1389	18	1823	9	1072	4	418	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	2	0	2	0
24.	तमिलनाडु	1072	7	2051	8	2501	9	9249	60
25.	उत्तर प्रदेश	168	2	960	8	155	5	184	3
26.	उत्तराखंड	0	0	178	0	454	5	25	2
27.	पश्चिम बंगाल	399	0	805	1	510	0	6067	9
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	25	0	6	0	15	0
29.	चंडीगढ़	25	0	221	0	73	0	325	0
30.	दिल्ली	1153	3	6259	8	1131	8	1584	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	46	0	68	0	138	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	50	0
33.	पुदुचेरी	66	0	96	0	463	3	1102	3
	कुल	15535	96	28292	110	18860	169	35066	216

विवरण-II

नैदानिक रूप से संदिग्ध चिकुनगुनिया ज्वर संबंधी मामले

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009	2010	2011	2012 (15 नवम्बर, तक अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	591	116	99	1822
2.	बिहार	0	0	91	33
3.	गोवा	1839	1429	664	405
4.	गुजरात	1740	1709	1042	1140
5.	हरियाणा	2	26	215	17
6.	झारखंड	0	0	816	86
7.	कर्नाटक	41230	8740	1941	2246
8.	केरल	13349	1708	183	61
9.	मध्य प्रदेश	30	113	280	1
10.	मेघालय	0	16	168	0
11.	महाराष्ट्र	1594	7431	5113	146
12.	ओडिशा	2306	544	236	129
13.	पंजाब	0	1	0	1
14.	राजस्थान	256	1326	608	95
15.	तमिलनाडु	5063	4319	4194	5018
16.	उत्तर प्रदेश	0	5	3	0
17.	उत्तराखंड	0	0	18	0
18.	पश्चिम बंगाल	5270	20503	4482	1381
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	59	96	209

1	2	3	4	5	6
20.	चंडीगढ़	0	0	1	0
21.	दिल्ली	18	120	110	6
22.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	82
23.	लक्षद्वीप	0	0	0	
24.	पुदुचेरी	0	11	42	29
	कुल	73288	48176	20402	14227

विवरण-III

मलेरिया के सूचित मामले और मृत्यु

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011		2012 (2.11.2012 तक)	
	मलेरिया के मामले	मृत्यु	मलेरिया के मामले	मृत्यु	मलेरिया के मामले	मृत्यु	मलेरिया के मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	25152	3	33393	20	34949	5	19123	0
अरुणाचल प्रदेश	22066	15	17944	103	13950	17	4307	3
असम	91413	63	68353	36	47397	45	25304	10
बिहार	3255	21	1908	1	2643	0	1689	0
छत्तीसगढ़	129397	11	152209	47	136899	42	72770	5
गोवा	5056	10	2368	1	1187	3	1145	0
गुजरात	45902	34	66501	71	89764	127	55272	54
हरियाणा	30168	0	18921	0	33401	0	14723	4
हिमाचल प्रदेश	192	0	210	0	247	0	165	0
जम्मू और कश्मीर	346	0	802	0	1091	0	649	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	230683	28	199842	16	160653	17	101126	11
कर्नाटक	36859	0	44319	11	24237	0	12548	0
केरल	2046	5	2299	7	1993	2	1149	1
मध्य प्रदेश	87628	26	87165	31	91851	109	45200	29
महाराष्ट्र	93818	227	139198	200	96577	118	38003	61
मणिपुर	1069	1	947	4	714	1	225	0
मेघालय	76759	192	41642	87	25143	53	16530	33
मिजोरम	9399	119	15594	31	8861	30	7716	20
नागालैंड	8489	35	4959	14	3363	4	2397	1
ओडिशा	380904	198	395651	247	308968	99	187309	33
पंजाब	2955	0	3477	0	2693	3	1402	0
राजस्थान	32709	18	50963	26	54294	45	25803	17
सिक्किम	42	1	49	0	51	0	64	0
तमिलनाडु	14988	1	17086	3	22171	0	13458	0
त्रिपुरा	24430	62	23939	15	14417	12	9650	2
उत्तर प्रदेश	1264	0	1672	0	1277	1	1550	0
उत्तराखंड	55437	0	64606	0	56968	0	31800	0
पश्चिम बंगाल	141211	74	134795	47	66368	19	39378	25
दिल्ली	5760	0	2484	0	1918	0	1138	0
पुदुचेरी	430	0	351	0	582	0	213	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3408	0	5703	0	5150	0	4557	0
चंडीगढ़	97	0	204	0	262	0	145	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दादरा और नगर हवेली	169	0	251	0	413	0	282	0
दमन और दीव	8	0	6	0	8	0	0	0
लक्षद्वीप	65	0	175	0	196	1	76	0
अखिल भारत: योग	1563574	1144	1599986	1018	1310656	753	736875	309

विवरण-IV

एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत नकद एवं वस्तु रूप में आवंटन और जारी की गयी राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1416.19	1048.06	1302.61	1159.24	3189.96	3457.42	2678.00	542.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	**858.93**	**963.24**	758.92	880.69	1101.85	1526.82	1574.10	280.17
3.	असम	**6616.03**	3206.06	4394.61	4910.03	3883.71	3774.39	4865.50	757.12
4.	बिहार	3307.70	2231.78	3436.05	4213.38	4637.38	4891.27	3333.75	1302.47
5.	छत्तीसगढ़	1956.33	1922.97	3099.98	2117.94	4094.31	4960.09	3339.30	849.71
6.	गोवा	57.57	35.81	63.21	61.08	78.00	77.90	179.10	90.03
7.	गुजरात	698.46	1116.15	530.85	267.00	683.44	501.34	1750.00	524.95
8.	हरियाणा	146.44	260.46	173.88	0.00	202.82	138.50	260.00	123.11
9.	हिमाचल प्रदेश	26.10	9.55	27.30	7.74	36.00	16.52	138.55	19.80
10.	जम्मू और कश्मीर	21.21	27.42	25.82	15.54	42.00	31.00	106.20	41.32
11.	झारखंड	3433.18	1906.27	3579.74	3586.13	5069.40	5014.76	4638.60	367.93
12.	कर्नाटक	470.22	403.41	469.66	443.88	823.92	639.34	1748.10	367.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	329.79	439.15	354.44	305.75	503.38	361.18	778.00	238.11
14.	मध्य प्रदेश	1444.44	1813.99	2331.14	1824.64	3428.98	3919.85	3500.00	471.35
15.	महाराष्ट्र	978.41	706.37	1112.39	487.54	846.50	436.98	1763.00	575.51
16.	मणिपुर	723.66	239.75	507.78	602.04	496.32	410.76	689.20	175.47
17.	मेघालय	1102.16	611.29	859.96	1089.04	901.96	640.12	1344.80	418.26
18.	मिजोरम	664.19	627.12	676.63	774.11	801.72	702.31	1268.60	279.30
19.	नागालैंड	913.10	675.57	794.16	1287.91	915.47	997.73	1187.20	268.53
20.	ओडिशा	5672.29	5360.88	5143.79	4324.05	6818.41	7894.82	5563.90	612.54
21.	पंजाब	143.40	254.69	120.36	98.07	184.89	127.38	390 00	83.39
22.	राजस्थान	674.32	1262.96	960.13	1310.26	1239.14	1342.52	1361.00	369.71
23.	सिक्किम	28.68	11.83	21.35	137.71	18.26	22.60	77.00	32.60
24.	तमिलनाडु	627.11	681.58	450.49	372.50	764.95	341.41	908.00	126.00
25.	त्रिपुरा	1358.22	765.15	1331.17	1430.54	993.21	401.82	1580.60	647.69
26.	उत्तर प्रदेश	2742.96	1999.87	2455.59	2730.95	3341.09	2431.94	3257.20	431.43
27.	उत्तराखंड	39.28	56.98	71.92	77.53	102.39	85.00	216.10	41.70
28.	पश्चिम बंगाल	3176.03	1794.54	2697.03	2964.01	2326.29	2457.13	2890.40	522.78
29.	दिल्ली	73.67	61.10	35.37	40.88	43.76	0.00	405.50	0.00
30.	पुदुचेरी	43.23	24.29	36.05	36.83	45.24	29.31	91.00	33.89
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	434.29	464.05	335.61	349.58	428.50	459.63	524.00	361.80
32	चंडीगढ़	55.66	60.02	24.51	23.13	33.25	34.87	88.50	61.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	दादरा और नगर हवेली	64.52	43.77	46.48	69.60	56.50	61.09	98.20	41.25
34.	दमन और दीव	19.90	27.91	25.48	31.70	38.00	51.94	61.80	14.29
35.	लक्षद्वीप	22.33	2.32	21.80	19.80	30.00	11.40	52.80	27.78
	कुल	40340.00	31116.36	38276.26	38050.82	48201.00	48251.14	52708.00	11101.29

एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत नकद एवं वस्तुगत रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10 निर्मुक्तियां	2010-11 निर्मुक्तियां	2011-12 निर्मुक्तियां	2012-13 (31.10.2012 तक) निर्मुक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1048.06	1159.24	3457.42	542.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	963.24	880.69	1526.82	280.17
3.	असम	3206.06	4910.03	3774.39	757.12
4.	बिहार	2231.78	4213.38	4891.27	1302.47
5.	छत्तीसगढ़	1922.97	2117.94	4960.09	849.71
6.	गोवा	35.81	61.08	77.90	90.03
7.	गुजरात	1116.15	267.00	501.34	524.95
8.	हरियाणा	260.46	0.00	138.50	123.11
9.	हिमाचल प्रदेश	9.55	7.74	16.52	19.80
10.	जम्मू और कश्मीर	27.42	15.54	31.00	41.32
11.	झारखंड	1906.27	3586.13	5014.76	367.93

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	403.41	443.88	639.34	367.20
13.	केरल	439.15	305.75	361.18	238.11
14.	मध्य प्रदेश	1813.99	1824.64	3919.85	471.35
15.	महाराष्ट्र	706.37	487.54	436.98	575.51
16.	मणिपुर	239.75	602.04	410.76	175.47
17.	मेघालय	611.29	1089.04	640.12	418.26
18.	मिजोरम	627.12	774.11	702.31	279.30
19.	नागालैंड	675.57	1287.91	997.73	268.53
20.	ओडिशा	5360.88	4324.05	7894.82	612.54
21.	पंजाब	254.69	98.07	127.38	83.39
22.	राजस्थान	1262.96	1310.26	1342.52	369.71
23.	सिक्किम	11.83	137.71	22.60	32.60
24.	तमिलनाडु	681.58	372.50	341.41	126.00
25.	त्रिपुरा	765.15	1430.54	401.82	647.69
26.	उत्तर प्रदेश	1999.87	2730.95	2431.94	431.43
27.	उत्तराखंड	56.98	77.53	85.00	41.70
28.	पश्चिम बंगाल	1794.54	2964.01	2457.13	522.78
29.	दिल्ली	61.10	40.88	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	24.29	36.83	29.31	33.89
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	464.05	349.58	459.63	361.80
32.	चंडीगढ़	60.02	23.13	34.87	61.77
33.	दादरा और नगर हवेली	43.77	69.60	61.09	41.25

1	2	3	4	5	6
34.	दमन और दीव	27.91	31.70	51.94	14.29
35.	लक्षद्वीप	2.32	19.80	11.40	27.78
	कुल	31116.36	38050.82	48251.14	11101.29

जेनरिक औषधियां

357. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री संजय भोई :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री राजू शेट्टी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में जेनरिक दवाओं के निर्यात से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश में इन औषधियों की कुल कितनी बिक्री हुई;

(ख) क्या देश में बहुत से डॉक्टर जेनरिक औषधियां लिखने से बचते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य के औषधि लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे सिर्फ जेनरिक नामों से लाइसेंस जारी करें न कि उनके ब्रांड नाम या ट्रेड नाम से; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं के विनिर्माण, उसके 'प्रिसक्रिप्शन' और उपयोग तथा इन औषधियों की देश में कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) देश में कुछ डाक्टर इस विश्वास के साथ ब्रांडेड दवाएं लिखना पसंद करते हैं कि वे अपने जेनेरिक फार्मूलेशनों की अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक होते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33पी के उपबंध के तहत दिनांक 1.10.2012 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समुचित/जेनेरिक नामों में ही औषधों की बिक्री या विवरण के लिए विनिर्माण करने का लाइसेंस देने/इन्हें नवीकृत करने के लिए संविधिक निर्देश दिया है। सरकार ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन करने के लिए दिनांक 5.10.2012 की प्रारुप अधिसूचना सा.का.नि. 748(अ) को भी प्रकाशित किया है जिसमें जेनेरिक/समुचित नामों में ही एकल अवयव वाली औषधों के लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई है। जहां तक जेनेरिक दवाएं लिखे जाने को प्रोत्साहित करने का संबंध है, सरकार राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर चर्चा करती रही है तथा उन्हें इस संबंध में समयबद्ध उपाय करने के लिए समझाती रही है। केंद्र स्तर पर सभी सरकारी अस्पतालों एवं सीजीएचएस औषधालयों को यथासंभव सीमा तक जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए बारम्बार परिपत्र/ अनुदेश जारी किए गए हैं। अस्पताल स्तर भी दिल्ली में अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित/अभिप्रेरित करते हुए समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने रोगियों को जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए अपने परिसरों में मेडिसिन आउटलेट प्रचालित करने की व्यवस्था की है। इसने अपनी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रचालित किया है जो ब्रांडेड औषधों

के नाम को उनके जेनेरिक रूपों में परिवर्तित करता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग आउटलेट के लिए जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने हेतु भी किया जाएगा। औषध विभाग ने भी सरकारी अस्पतालों में औषधि जेनेरिक ड्रग स्टोर्स खोलकर तथा केंद्रीय फार्मा पीएसयू के जरिए दवाओं की आपूर्ति द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से 'जन औषधि अभियान' नामक एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। फिलहाल, 30 जुलाई, 2012 को खोले गए 122 जन औषधि भंडारों में 231 दवाओं की आपूर्ति की जा रही है।

तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

358. श्री नीरज शेखर :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त समान उत्पादों का प्रतिबंध के लिए कुछ आदेश/अधिसूचनाएं जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें लागू करने के लिए बनाए गए तंत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुटखा कंपनियों द्वारा अलग-अलग पाउच में तंबाकू और पान मसाले के विनिर्माण और बिक्री, जो गुटखा और अन्य समान उत्पादों के उक्त प्रतिबंध के प्रयोजन के विफल करता है, को संज्ञान में लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पूरे देश में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य समान तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) (क) जी, हां।

(ख) मानव उपभोग के लिए सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम और पहले के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 'खाद्य पदार्थ' (फूड) की एक व्यापक परिभाषा देता है और इसमें **मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत कोई वस्तु/पदार्थ शामिल है।** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, इस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में खाद्य सुरक्षा व मानक (निषेध व बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 दिनांक 1 अगस्त, 2011 जारी किए। इसका विनियम 2.3.4 यह निर्धारित करता है कि किसी भी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू और निकोटीन का अवयवों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गोदावत पान मसाला बनाम भारत संघ, 2004(7) एससीसी 68** में यह व्यवस्था की है कि "चूंकि पान मसाला, गुटका अथवा सुपारी को स्वाद व पोषाहार के लिए खाया जाता है, इसलिए वे (खाद्य अपमिश्रण निवारण) अधिनियम की धारा 2(वी) के अर्थ के भीतर सभी खाद्य पदार्थ हैं।" अतः इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ पठित खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी किए गए दिनांक 1 अगस्त, 2011 के विनियम के कारण चूंकि गुटखा उत्पाद खाद्य उत्पाद हैं जिनमें तम्बाकू व निकोटीन होता है, कानून के अंतर्गत उनका विनिर्माण, बिक्री अथवा भंडारण अनुमत्य नहीं है।

खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार इस विनियम का प्रवर्तन-कार्य राज्य सरकारों के अधीन खाद्य सुरक्षा के आयुक्तों के पास होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों को उक्त विनियम को कार्यान्वित और प्रवर्तन करने के लिए नियमित रूप से परामर्श भेज रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मैसर्स खेडल लाल व सन्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एफएसी, 1981(1) 262, और मनोहर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1982 का आपराधिक संशोधन सं. 318 के मामलों में यह व्यवस्था दी है कि चबाने वाला तम्बाकू एक खाद्य वस्तु है। इसे और खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम,

2006 के अंतर्गत जारी किए गए विनियम दिनांक 1 अगस्त, 2011 को देखते हुए इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को गुटखा, पान मसाले, जर्दा अथवा तम्बाकू व निकोटीन युक्त अन्य चबाने योग्य उत्पादों की बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोकने के मुद्दे पर विचा करने के लिए लिखा है।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) और (घ) में विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि, सिगरेटों और बीड़ियों को सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के अंतर्गत कवर किया गया है जो जन स्वास्थ्य के हित में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान, अवयस्कों को अथवा शैक्षिक संस्थाओं के पास उनकी बिक्री करने को वर्जित करता है तथा पैकों पर स्वास्थ्य चेतावनियाँ देने का अधिदेश देता है।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा दिए गए
वाहन/आवास ऋण

359. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वाहन और आवास ऋण लेने वालों की वर्ष-वार और बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए वाहन और आवास ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान बैंक-वार चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(घ) ऐसे ऋणों की वसूली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर मार्च 2010, मार्च 2011, मार्च 2012 और सितंबर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा आवास और मोटर-वाहनों के लिए दिए गए बकाया ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) अधिकांश आवास और वाहन ऋण खातों में वापसी समय पर की जाती है। तथापि, कुछ खातों में समय पर वापसी नहीं की जा रही है और इन खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत किया गया है। चूककर्ता/चूककर्ताओं के विरुद्ध बैंकों द्वारा निम्नवत कार्रवाई की गई है/की जा रही है :

(i) अपसामान्य ऋण खातों के खाताधारकों पर टेलीफोन/पत्र/व्यक्तिगत कॉलों के जरिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ii) जहां कहीं आवश्यक होता है फोटो प्रकाशित कर कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है।

सरफासी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(iii) विशेष निगरानी खातों (एसएमए) और एनपीए श्रेणियों में उधारकर्ताओं को टेलीफोन से कॉल करने के लिए सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में एकाउंट ट्रैकिंग सेंटर (एटीसी) शुरू (स्थापित) किए गए हैं।

(iv) आरबीआई के परिपत्र के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए एक ऋण वसूली नीति का होना अपेक्षित है। बैंकों द्वारा विनिर्धारित वसूली नीति का अनुपालन करके और कानून में उपलब्ध विकल्पों, जैसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम), ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी), लोक अदालतों और समझौता/एकबारगी निपटान का सहारा लेना, का उपयोग करके एनपीए की वसूली की जा रही है। सरफासी अधिनियम में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की अनुमति दी गई है और बैंकों के प्रतिभूत ऋणों को वसूल करने की पद्धतियों में से एक पद्धति प्रतिभूत आस्तियों यानि वह सम्पति जिस पर प्रतिभूति हित का सृजन हुआ हो, का कब्जा लेना भी है।

विवरण-I

निम्नानुसार सार्वजनिक क्षेत्र बैंक-वार आंकड़े

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	खुदरा बकाया आवास ऋण				खुदरा बाधित आवास ऋण				खुदरा बकाया वाहन ऋण				खुदरा बाधित वाहन ऋण			
		मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	सित.-12	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	सित.-12	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	सित.-12	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	सित.-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	इलाहाबाद बैंक	3198	3253	3573	3803	157	210	185	197	477	607	729	805	12	23	35	42
2	आन्ध्रा बैंक	3480	4478	5033	5255	52	87	153	145	275	347	370	395	5	11	12	14
3	बैंक आफ बड़ौदा	10306	12510	14133	14724	238	222	274	230	1371	1963	2432	2570	19	29	52	59
4	बैंक आफ इंडिया	7880	7057	8004	8811	295	316	325	344	1218	1408	1711	1694	21	30	49	57
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3639	4280	4907	5445	166	127	85	118	464	433	284	354	29	31	17	16
6	केनरा बैंक	7673	8212	8205	12957	248	191	143	174	1391	1497	1624	1663	41	33	31	45
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5438	6424	6780	6695	224	217	380	350	557	858	925	868	17	3	45	48
8	कार्पोरेशन बैंक	5280	6025	6836	7763	93	54	130	117	812	1416	1682	2373	23	25	50	49
9	देना बैंक	3595	4016	4730	4481	75	74	98	109	511	493	506	592	4	5	7	8
10	आईडीबीआई बैंक लि.	16354	22833	22040	21238	167	204	225	242	77	190	158	150	1	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	इंडियन बैंक	4991	5225	5541	5783	20	23	31	34	248	301	405	482	7	4	5	6
12	इण्डियन ओवरसीज बैंक	2921	2594	4493	5079	121	89	112	114	627	582	585	633	11	15	20	27
13	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	3856	4450	5290	5742	168	169	138	229	705	954	1171	1275	11	16	29	60
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	1319	1580	1942	2132	17	40	44	46	279	253	264	317	1	3	5	5
15	पंजाब नेशनल बैंक	9538	11816	13808	14420	300	279	260	381	1309	1626	2502	2645	41	39	50	66
16	सिंडिकेट बैंक	7399	10531	11235	9027	361	339	449	486	452	457	476	1087	14	18	22	27
17	यूको बैंक	4043	4205	4260	4317	158	203	257	196	211	232	356	477	3	6	10	13
18	यूनियन बैंक आफ इंडिया	8115	9211	10257	11060	321	402	408	383	1189	1230	1298	1378	51	76	80	76
19	यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	4806	5429	5737	581	94	100	102	95	602	546	513	490	2	5	9	9
20	विजया बैंक	4453	4213	4165	4401	200	216	146	132	370	842	812	1180	17	20	23	50
21	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2415	2835	3264	3412	44	42	74	74	513	591	899	1006	3	4	9	11
22	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5106	6501	7891	8514	52	63	89	105	865	1189	1384	1439	9	11	26	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	भारतीय स्टेट बैंक	71418	86769	102739	108381	2082	2150	1831	2055	14161	20910	18305	20241	315	333	247	325
24	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1387	–	–	–	31	–	–	–	381	–	–	–	8	–	–	–
25	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2595	3155	3541	3747	93	81	91	71	398	481	546	582	15	12	20	17
26	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3443	3946	4719	4936	118	129	133	147	127	1538	1584	1669	29	37	39	48
27	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	6144	6714	8022	8192	50	47	78	78	1324	1419	1258	1265	15	21	43	51
	कुल	210794	248264	281144	290896	5945	6074	6238	6671	30912	42363	42778	47631	724	810	935	1158

स्रोत: बैंक द्वारा दी गई घरेलू परिचालनों से संबंधित नवीनतम अद्यतन स्थलेतर विवरणियां

विवरण-II

आवास ऋणों में सरफासी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई

	क	ख	ग	घ	
वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें धारा 13(2) के अंतर्गत पहला सरफासी नोटिस जारी किया गया	धारा 13(4) के अंतर्गत स्तंभ (क) में से जारी किया गया दूसरा सरफासी नोटिस	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें संपत्ति की नीलामी की गई	सरफासी अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई कार्रवाई के बाद वसूल धनराशि	
				खातों की संख्या	राशि करोड़ रुपए में
मार्च 2012	41711	21294	2113	9531	399
सितम्बर 2012	14865	6729	610	5458	157

पेट्रोल और डीजल का उत्पादन

360. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के भीतर उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का मद-वार ब्यौरा क्या है तथा देश में पेट्रोल एवं डीजल के कुल उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) विभिन्न तेल विपणन कंपनियों द्वारा रिफाइनरी गेट के स्तर पर प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्य के निर्धारण के लिए आधार पर अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन लागत की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर इनके बिक्री मूल्य का निर्धारण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मूल्य निर्धारण के वर्तमान आधार को अपनाने का क्या कारण है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के निर्धारण के लिए उक्त फार्मूला अपनाने के बाद तेल विपणन कंपनियों को वर्ष-वार कितनी लाभ/हानि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और देश में पेट्रोल और डीजल के उत्पादन के सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनीवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) कच्चे तेल का परिशोधन एक संसाधन उद्योग है जिसमें कुल लागत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल को विभिन्न संसाधन यूनिटों के माध्यम से संशोधित किया जाता है। प्रत्येक यूनिट मध्यवर्ती उत्पादन स्ट्रीम्स का उत्पादन करती है जिसके लिए व्यापक पुनः संसाधन और मिश्रण अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक परिशोधित उत्पाद की कुल लागत को तर्कसंगत यथार्थता के साथ अलग-अलग करने में कठिनाई होती है। इसलिए अलग-अलग उत्पाद-वार लागतों की अलग से पहचान नहीं की जाती है।

डॉ. रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) जून 2006 से रिफाइनरियों से पेट्रोल और डीजल की खरीद के लिए व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) पर

आधारित रिफाइनरी द्वार मूल्य का भुगतान करती हैं। टीपीपी 80:20 के अनुपात में आयात समता मूल्य और निर्यात समता मूल्य का भारित औसत मूल्य होता है।

सरकार ने दिनांक 26.06.2010 से पेट्रोल के मूल्य को रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुरूप पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर समुचित निर्णय लेते हैं। तथापि, सरकार डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) को घटता-बढ़ती रहती है।

(ङ) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान ओएमसीज नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

ओएमसीज का कर पश्चात लाभ (पीएटी)

(करोड़ रु. में)

ओएमसीज का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
आईओसीएल	10,221	7,445	3,954
बीपीसीएल	1,538	1,547	1,311
एचपीसीएल	1,301	1,539	911

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पाद-वार ब्यौरा

(मिलियन मीट्रिक टन)

	2009-10	2010-11	2011-12
एलपीजी	10.34	9.62	9.55
नापथा	18.78	19.31	18.71
पेट्रोल	22.55	25.80	27.21
एटीएफ	9.30	9.82	10.06
मिट्टी तेल	8.83	7.90	8.02
डीजल	73.25	77.68	82.93
हल्का डीजल तेल	0.47	0.60	0.50
ल्यूबस	0.95	0.94	1.03
ईंधन तेल	15.26	18.67	17.72
एलएसएचएस	2.63	1.98	1.71
बिटुमेन	4.87	4.45	4.60
पेट कोक	3.92	2.77	4.63
अन्य	12.80	16.25	17.33
योग	185.00	195.79	203.99

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का कंपनीवार पेट्रोल एवं डीजल उत्पादन:

(मिलियन मीट्रिक टन)

2011-12	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	सीपीसीएल	ओएनजीसी+ एमआरपीएल	बीओआरएल	एनआरएल	ओएनजीसीएफ	योग
उत्पाद									
एमएस	5.50	2.54	2.52	1.02	1.01	0.24	0.31	-	13.14
एचएसडी	24.21	5.42	9.39	3.91	5.20	0.89	1.87	0.02	50.91
2010-11	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	सीपीसीएल	ओएनजीसी+ एमआरपीएल	बीओआरएल	एनआरएल	ओएनजीसीएफ	-
उत्पाद									
एमएस	5.11	2.03	2.32	0.90	1.19	-	0.22	-	11.77
एचएसडी	21.53	5.14	8.62	3.97	5.31	-	1.40	0.02	45.97
2009-10	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	सीपीसीएल	ओएनजीसी+ एमआरपीएल	बीओआरएल	एनआरएल	ओएनजीसीएफ	-
उत्पाद									
एमएस	4.95	1.66	2.07	0.79	1.15	-	0.31	-	10.93
एचएसडी	21.17	5.65	7.81	3.79	5.22	-	1.64	0.02	45.30

आईओसीएल: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
बीपीसीएल: भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
बीओआरएल: भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड
ओएनजीसी: आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन
एचपीसीएल: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
सीपीसीएल: चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
एनआरएल: नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
ओएनजीसी-एफ: आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन- प्रभाजक

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए फेमा में संशोधन

361. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में संशोधन आवश्यक था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत एक पूंजी खाता लेन-देन हैं। फेमा की धारा 6(2) के अर्थ में, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से अनुज्ञेय पूंजी खाता लेनदेनों की किसी श्रेणी या श्रेणियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, फेमा की धारा 6(3) के खंड (ख) तथा धारा 47 के अर्थ में, भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों द्वारा भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रतिभूति के अंतरण या निर्गम को प्रतिषिद्ध, प्रतिबंधित या विनियमित कर सकता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने दिनांक 20 सितम्बर, 2012 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या

4 (2012 श्रृंखला) के तहत एकल-ब्रॉड उत्पाद खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी विद्यमान नीति को तथा अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 5(2012 श्रृंखला) दिनांक 20 सितम्बर, 2012 के तहत एफआईबीपी मार्ग के अधीन बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कतिपय शर्तों तथा निबंधनों के अधीन अनुमत किया। सरकार के इस नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए फेमा विनियमों में परिणामी संशोधन किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा की धारा 10(4) तथा 11(1) के अधीन 21 सितम्बर, 2012 को एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 32 जारी किया। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनिमय 2000 के संगत विनियमों में संशोधन उक्त निर्णय को प्रभावी करने के लिए किया जिसे दिनांक 30 अक्तूबर, 2012 के सा.का.नि. संख्या 795(अ) के तहत सरकारी राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

जापानी इंसेफलाइटिस/एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम

362. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री मानिक टैगोर :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के प्रतिवर्ष उच्च संख्या में मामलों के होने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की संख्या तथा इससे होने वाली मौतों की कितनी रिपोर्टें हैं;

(ग) मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा जेई और एईएस से निपटने के लिए की गई अनुसंशाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जेई और एईएस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक बहु-आयामी रणनीति को अनुमोदित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इसे किस तरह लागू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में जेई/एईएस के कारण सूचित रोगियों और मौतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मंत्री समूहों ने निम्नलिखित मंत्रालयों के घटकों को समावेश करते हुए जेई/एईएस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की है:—

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (नोडल मंत्रालय)
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय

इस कार्यक्रम में विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय और साथ ही पीने के स्वच्छ पानी एवं सफाई, पोषण, शिक्षा और पुनर्वास संबंधी पहलुओं के प्रावधान शामिल हैं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में संकेन्द्रित कार्यकलाप के लिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु के प्राथमिकता वाले 60 जिलों को लिया जाएगा। सरकार ने 18 अक्तूबर, 2012 को मंत्री समूह की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के की गई कार्रवाई न्वयन के लिए संबंधित अनुमोदित कार्यकलाप शुरू करेंगी।

जेई/एईएस के कारण बच्चों में रुग्णता, मृत्यु और अपंगता को कम करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यकलापों में शामिल हैं : प्रभावित जिलों में जेई टीकाकरण को मजबूत बनाना एवं विस्तार; निगरानी को मजबूत बनाना, वेक्टर नियंत्रण, रोगी प्रबंधन और गंभीर और जटिल मामलों को समय रहते रेफर करना; प्रभावित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लक्षित जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल और समुचित सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना; जेई/एईएस के कारण अपंगता भार का अनुमान और भौतिक, मेडिकल न्यूरोलोजिकल और सामाजिक पुनर्वास के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान; जेई/एईएस के जोखिम वाले बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार और जेई/एईएस के संबंध में सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण/बीसीसी कार्यकलापों को सुग्राहित बनाना।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के सहयोग से कार्यकलापों/कार्यविधियों के कार्यान्वियन का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेगी। यह समिति वास्तविक प्रगति का जायजा लेने के अलावा, क्षेत्रीय दौरे करने, राज्य एवं जिला प्राधिकारियों से बातचीत करने और अन्य जमीनी कार्यकर्त्ताओं के साथ समन्वय करने के लिए सहभागी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का एक कार्यबल भी बनाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचित जेई/एईएस रोगी एवं मौतें

क्र. सं.	प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009				2010				2011				2012 (अनंतिम) 15.11.12 तक			
		एईएस मामले	मौतें	जेई मामले	मौतें	एईएस मामले	मौतें	जेई मामले	मौतें	एईएस मामले	मौतें	जेई मामले	मौतें	एईएस मामले	मौतें	जेई मामले	मौतें
1.	आंध्र प्रदेश	49	0	35	0	139	7	7	5	73	1	4	1	64	0	3	0
2.	असम	462	92	218	46	469	117	142	40	1319	250	489	113	1343	229	463	100
3.	बिहार	325	95	—	—	50	7	—	—	821	197	145	18	745	275	8	0
4.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0
5.	गोवा	66	3	1	0	80	0	9	0	91	1	1	0	66	0	8	0
6.	हरियाणा	12	10	1	0	1	1	1	0	90	14	12	3	5	0	3	0
7.	झारखंड	0	0	0	0	18	2	2	2	303	19	101	5	16	0	1	0
8.	कर्नाटक	246	8	7	0	143	1	3	0	397	0	23	0	189	1	1	0
9.	केरल	3	0	0	0	19	5	0	0	88	6	37	3	29	6	2	0
10.	महाराष्ट्र	5	0	4	0	34	17	0	0	35	9	6	0	37	20	3	0
11.	मणिपुर	6	0	1	0	118	15	45	5	11	0	9	0	2	0	0	0
12.	नागालैंड	9	2	9	2	11	6	2	0	44	6	29	5	21	2	0	0
13.	पंजाब	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	तमिलनाडु	265	8	18	0	466	7	11	1	762	29	24	3	804	53	19	4
15.	उत्तराखंड	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	174	2	1	0
16.	उत्तर प्रदेश	3073	556	302	50	3540	494	325	59	3492	579	224	27	3329	511	134	23
17.	पश्चिम बंगाल	454	5	57	5	70	0	1	0	714	58	101	3	827	40	58	9
	कुल योग	4975	779	653	103	5167	679	555	112	8249	1169	1214	181	7651	1139	704	13

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अन्यत्र उपयोग

363. श्री बाल कुमार पटेल :
श्री आर. थामराईसेलवन :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों के व्यावसायिक रूप में उपयोग करने के कितने मामले पाए गए और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की मांग घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अनुरूप बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अक्तूबर, 2012 से व्यावसायिक तथा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की राज्य-वार मात्रा कितनी है; और

(ङ) राजसहायता प्राप्त सिलेंडरों की सीमा के आदेश के जारी होने के पश्चात् जारी किए गए नए एलपीजी कनैक्शनों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2009 से सितम्बर, 2012 की अवधि के दौरान चूककर्त्ता डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध विपणन के सिद्ध हुए 1480 मामलों में विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की मांग घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के बराबर बढ़ गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री का रूझान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि राजसहायता प्राप्त सिलेंडरों की सीमा निर्धारित करने का आदेश जारी होने के बाद 10,17,290 एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और अप्रैल-सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री का रुझान

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन)

क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-सितम्बर 2012
घरेलू एलपीजी बिक्री	11365	12369	13297	6835
वाणिज्यिक एलपीजी बिक्री	866	977	1060	492

स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता

364. श्री जोसेफ टोप्पो :
श्री सज्जन वर्मा :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं प्राप्त होती हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं और उनसे संबंधित अनुमोदनों के ब्यौरे एनआरएचएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) और आरओपी के लिंक निम्नलिखित हैं:–

2007-2011

http://demotemp54.nic.in/Old_MOHFW_windows/NRHM/Annual Plan_Final.htm

2011-2012

http://pipnrhm-mohfw.nic.in/index.htm

2011-2012

http://pipnrhm-mohfw.nic.in/PIP2012-13.htm

(घ) एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यों को जारी धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए एनआरएचएम के तहत राज्य-वार निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2009-10 निर्मुक्तियां	2010-11 निर्मुक्तियां	2011-12 निर्मुक्तियां	2012-13 निर्मुक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.23	15.84	8.85	6.02
2.	आंध्र प्रदेश	708.32	810.23	934.11	387.08
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.32	73.76	75.82	41.99
4.	असम	813.93	736.45	877.39	642.73
5.	बिहार	649.71	1035.18	787.28	854.67
6.	चंडीगढ़	7.59	6.91	8.69	2.53
7.	छत्तीसगढ़	261.55	327.24	421.53	309.64
8.	दादरा और नगर हवेली	3.27	6.30	4.81	3.04
9.	दमन और दीव	2.33	3.05	2.57	1.44

1	2	3	4	5	6
10.	दिल्ली	83.03	108.48	102.36	47.61
11.	गोवा	12.43	17.21	19.88	15.67
12.	गुजरात	500.55	556.79	620.98	454.59
13.	हरियाणा	206.17	219.69	297.34	164.51
14.	हिमाचल प्रदेश	115.41	113.22	197.20	95.40
15.	जम्मू और कश्मीर	130.34	173.80	252.48	105.32
16.	झारखंड	179.34	356.90	467.46	306.81
17.	कर्नाटक	436.86	586.38	672.66	503.23
18.	केरल	237.62	253.41	582.51	182.05
19.	लक्षद्वीप	1.09	2.54	1.62	0.85
20.	मध्य प्रदेश	604.79	784.40	959.47	467.25
21.	महाराष्ट्र	959.72	903.36	1309.24	618.73
22.	मणिपुर	81.45	67.98	61.29	19.23
23.	मेघालय	79.78	52.50	62.31	75.19
24.	मिजोरम	49.87	70.49	67.13	49.23
25.	नागालैंड	73.87	66.40	88.00	62.82
26.	ओडिशा	470.18	549.44	693.89	400.66
27.	पुदुचेरी	12.04	16.32	15.83	11.10
23.	पंजाब	359.53	252.81	336.45	194.01
29.	राजस्थान	748.96	863.97	1045.55	550.97
30.	सिक्किम	25.80	32.94	27.07	21.57
31.	तमिलनाडु	639.10	702.09	774.89	534.00
32.	त्रिपुरा	111.98	85.47	68.39	60.14

1	2	3	4	5	6
33.	उत्तर प्रदेश	1965.82	2191.36	1863.69	1810.42
34.	उत्तराखंड	130.85	147.39	208.45	124.23
35.	पश्चिम बंगाल	741.25	680.79	931.34	677.17
	कुल	11470.18	12871.11	14848.55	9811.90

नोट: वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निर्मुक्ति आंकड़े 30.12.2012 के अनुसार अद्यतन है। उपर्युक्त निर्मुक्तियां केन्द्र सरकारी अनुदानों से संबंधित है और इसमें राज्य अंशदान शामिल नहीं है।

काला धन

365. **श्री इन्दर सिंह नामधारी :**
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष में देश में विभिन्न व्यक्तियों विशेषकर नौकरशाहों, विधायकों और व्यापारियों आदि से जब्त काले धन की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा काले धन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में आज की तारीख तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार काले धन को रोकने के लिए विदेशों में नए आयकर कार्यालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक इस संबंध में देश-वार क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई तथा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) **आयकर विभाग** 'व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय सूचना के आधार पर तलाशी, जब्ती एवं सर्वेक्षण की कार्रवाई करता है, जिसमें व्यष्ठि, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), फर्म, कंपनियां, व्यक्तियों का संघ (एओपी), व्यक्तियों का निकाय (बीओआई), स्थानीय प्राधिकरण तथा कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल होता है जिसके पास कोई ऐसा धन, सोना-चांदी, जवाहरात, दस्तावेज या कोई अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज होती है जो अप्रकट आय का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि ये व्यक्ति पूरे देश में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों/देशों में लगे होते हैं, ऐसी कार्रवाइयों का व्यक्ति-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 905.6 करोड़ रुपए तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 30.09.2012 तक 290.29 करोड़ रुपए की बेहिसाबी परिसंपत्तियां जब्त की है।

(ख) कर अपवंचन के खिलाफ अभियान एक सतत् एवं अनवरत प्रक्रिया है। आयकर विभाग बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने तथा कर अपवंचन पर रोक लगाने के लिए अनेक दंडात्मक एवं निवारक कदम उठाता है। इनमें कर विवरणियों की संवीक्षां, सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई, दंड लगाना/तथा उपर्युक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। कर अपवंचकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सूचना के संग्रहण एवं मिलान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाता है। पिछले दस वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 6 गुना से अधिक वृद्धि जो वित्त वर्ष 2001-02 में 69,198 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2010-11 में 4,46,070 करोड़ रुपए हो गया है, तथा इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में प्रत्यक्ष कर में लगभग दो गुना वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 2001-02 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2010-11 में 5.66 प्रतिशत हो गई है, प्रवर्तन के बेहतर उपायों एवं कर अनुपालन में सुधार का संकेत देती है।

(ग) इस तरह की आवश्यकता की जांच के लिए अंतर-विभागीय जांच-विमर्श जारी है।

(घ) प्रथम सचिव के स्तर के कर प्राधिकारियों से लैस आयकर विदेशी यूनिटें (आईटीओयू) मॉरीशस एवं सिंगापुर में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, यूएई, यूके एवं यूएसए में नवगठित आईटीओयू में कार्यभार ग्रहण करने के लिए इन 8 अधिकारियों की कार्य मुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा उनकी तैनाती की शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप देने के लिए लंबित है। आईटीओयू मॉरीशस एवं सिंगापुर इन देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार करार (डीटीएए) के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान में सुविधा प्रदान करते हैं तथा तेजी लाते हैं। तथापि, प्राप्त सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इन देशों के साथ डीटीएए के गोपनीयता खंड द्वारा अभिशासित है।

(ङ) सरकार ने देश के अंदर एवं बाहर कालेधन का पर्दाफाश करने के लिए एक पांच सूत्रीय रणनीति बनाई है। इस रणनीति में शामिल हैं:—

(i) काले धन के विरुद्ध विश्व व्यापी संघर्ष में शामिल होना;

(ii) एक उपयुक्त विधायी रूपरेखा सृजित करना;

(iii) अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्थाएं स्थापित करना;

(iv) कार्यान्वयन के लिए पद्धतियां विकसित करना; और

(v) प्रभावी कार्रवाई के लिए जनशक्ति को कौशल प्रदान करना।

[हिन्दी]

नर्सिंग पाठ्यक्रम

366. **श्री महेश्वर हजारी :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में नर्सिंग कालेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) द्वारा निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर गया है जहां राज्य शिक्षा विभाग के अनुमोदन के बावजूद कुछ नर्सिंग कालेजों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति देने से मना कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) द्वारा निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया उनकी अधिकारित वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org पर उपलब्ध है, जो इस प्रकार है : वे नर्सिंग स्कूल/कालेज जो नए नर्सिंग कोर्स शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पहले संबंधित राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनिवार्यता प्रमाणपत्र लेना होगा, तत्पश्चात् संबंधित संस्थानों को पूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद संस्थानों में उपलब्ध पढ़ाई, नैदानिक व अवसंरचना सुविधाओं को निर्धारित प्रोफार्मा में दर्शाते हुए आईएनसी को आवेदन करना होगा। परिषद, आईएनसी अधिनियम, 1947 की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त स्वतंत्र निरीक्षकों के माध्यम से निरीक्षण करती है। स्वतंत्र निरीक्षक की रिपोर्ट आईएनसी की कार्यकारी समिति के समक्ष रखी जाती है जो निरीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय करती है कि क्या संस्थान को उपयुक्तता/मान्यता प्रदान की जाए अथवा नहीं।

(ख) और (ग) कुछ कालेजों का प्रस्ताव निम्नलिखित तथ्य के कारण स्वीकार नहीं किया गया था:

(i) संस्थानों ने आवेदन जमा करने की नियत तिथि के बाद अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव जमा किए थे। दिनांक 8 जून, 2012 तक 14 राज्यों में ऐसे 48 संस्थान थे।

(ii) कुछेक मामलों में जहां संस्थानों के प्रस्तावों को आईएनसी द्वारा आगे कार्यवाही के लिए स्वीकार किया गया था, निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि संस्थानों में आईएनसी के नियमों के अनुसार भौतिक, नैदानिक व अध्यापन की सुविधा नहीं थी इसलिए उन्हें कृति नहीं दी गई थी। यह सूचना कमियों सहित संस्थान/राज्य

सरकार/परिषद/बोर्ड/विश्वविद्यालय को दे दी गई थी। तथापि, संस्थान पुनः निरीक्षण के लिए तीन महीनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं।

(घ) (i) भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) ने उन संस्थानों जहां आईएनसी द्वारा अनुमोदित कम से कम एक नर्सिंग कार्यक्रम हो, के लिए राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता में छूट दे रखी है। तथापि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में आदेश दिया था कि अतिरिक्त कोर्स शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। तदनुसार, आईएनसी ने निर्धारित किया है कि नर्सिंग का अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

(ii) घटनाओं का राष्ट्रीय दैनिक अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है तथा वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

(iii) घटनाओं के बारे में राज्य सरकार/राज्य नर्सिंग परिषदों और विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए जाते हैं।

(iv) नर्सिंग स्कूलों/कालेजों की मान्यता के संबंध में आईएनसी की कार्यकारी समिति के निर्णयों को उसी दिन प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अटकलों पर विराम लग सके।

[अनुवाद]

पूंजीगत लाभ

367. श्री एस. अलागिरी :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजीगत लाभ के प्रावधानों में सामने आई कमियों के आधार पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) पूंजी अभिलाभ के प्रावधानों में कोई खामी नहीं है। तथापि, कराधान कानूनों में विधाई संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों में पूंजी अभिलाभ से संबंधित प्रावधानों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) पहले व्यष्टियों को उपलब्ध कृषि भूमि की बिक्री से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ के लिए रोल ओवर राहत हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को प्रदान की गई है।

(ii) आवासीय सम्पत्ति की बिक्री से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ के लिए रोल ओवर राहत व्यष्टियों एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए प्रदान की गई है, यदि बिक्री आय का निवेश कतिपय शर्तों के अधीन नए छोटे एवं मझौले उद्यम (एसएमई) में किया जाता है।

(iii) असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अधिलाभ पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

(ग) ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से किए गए हैं तथा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से लागू हैं।

जनजातियों का विस्थापन

368. शेख सैदुल हक :
श्री बिभू प्रसाद तराई :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकास के नाम पर भारी संख्या में जनजातियों को अपने निवास स्थानों से विस्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन दावों को बड़ी संख्या में अस्वीकार करने से इन जनजातियों का विस्थापन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनकी क्षतिपूर्ति करने एवं उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) और (ख) सरकार अवगत है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का विस्थापन विभिन्न विकास परियोजनाओं के दौरान होता है। भू-संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। नीति में सभी परियोजनाओं में आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं का समाधान करने का प्रावधान है जो अनिच्छुक विस्थापन करता है। नीति को कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों के निरस्तीकरण के कारण जनजातीय लोगों का विस्थापन जनजातीय कार्य मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) प्रावधान करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परांपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों तथा दावों का गलत निरस्तीकरण नहीं किए जाने के लिए दिनांक 12.07.2012 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वृहद दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा दिनांक 06.09.2012 को वन अधिकार नियमों को संशोधित किया है।

[हिन्दी]

प्रशामक परिचर्या

369. श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री गजानन ध. बाबर :

श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में प्रशामक परिचर्या केन्द्रों की कमी की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रशामक परिचर्या केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में प्रशामक परिचर्या की उपलब्धता में सुधार के लिए कोई कार्य-योजना प्रस्तावित की है/अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार बनाई गई वित्तीय कार्यविधियां और प्रचालन दिशानिर्देश क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) देश में प्रशामक परिचर्या केन्द्रों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। सूजन, रक्तस्राव, दर्द जैसी उपशामक स्थितियों विशेष रूप से रोगों जैसे कैंसर की अग्रिम स्थितियों में प्रशामक परिचर्या दी जाती है। कैंसर का उपचार रेडियोथैरेपी, सर्जरी, कैमोथैरेपी एवं पोषण सहित सहयोगात्मक परिचर्या, संक्रमण नियंत्रण, बिस्तर पर लेटने से हुए जख्मों को दूर करने जैसी विभिन्न विधियों से किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों द्वारा संवर्धित किया जाता है। 11वीं योजना अवधि के दौरान 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशामक सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए जनशक्ति, औषधि और घर आधारित परिचर्या आदि के प्रावधान हैं।

(ग) से (ङ) भारत में प्रशामक परिचर्या के लिए कार्यनीतियां निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था। इस विशेषज्ञ समूह ने भारत में प्रशामक परिचर्या हेतु कार्यनीतियों का उल्लेख करते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। सुझाई गई

कार्यनीतियों में राष्ट्रीय एवं राज्य प्रशामक परिचर्या प्रकोष्ठों का प्रावधान, मानव संसाधन में सुधार द्वारा सरकारी मेडिकल कालेजों, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों और जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने, वाह्य रोगी सुविधाओं के अलावा प्रशामक परिचर्या के लिए आरक्षित बिस्तर प्रदान करना, दर्द निवारक के रूप में मोरफीन की अधिक उपलब्धता, प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन के माध्यम से क्षमता निर्माण शामिल हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में कार्यान्वयन के लिए विस्तृत संचालनात्मक एवं वित्तीय कार्यविधियां निर्धारित नहीं की गई हैं।

[अनुवाद]

नवजात शिशु/बाल मृत्युदर

370. श्री जोस के. मणि :

श्री सी. आर. पाटिल :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री अब्दुल रहमान :

श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

श्री एंटो एंटनी :

श्री मधु गौड यास्खी :

श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित नवजात शिशु/बाल मृत्यु के मामले की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में नवजात शिशु/बाल मृत्युदर में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि को दर्शाते हुए उच्च मृत्युदर के मामलों को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रम/योजना एवं राज्यों को दी गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) राष्ट्रीय स्तर पर नवजात/शिशु मृत्यु के मामलों की संख्या की रिपोर्ट नहीं की जाती है।

तथापि, भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्षों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नवजात मृत्यु दर (आईएसआर) संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2008 से नवजात मृत्यु दर ने लगातार 3 अंकों की वार्षिक कमी दर्शाई है।

भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार आईएमआर वर्ष 2008 में प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों में 53 से घटकर वर्ष 2011 में प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों में 44 रह गयी है।

(घ) और (ङ) शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन और उपभोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत देश में नवजात तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपायों का कार्यान्वयन किया गया है:—

1. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के माध्यम से अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मातृ व नवजात मृत्यु, दोनों, में कमी लाने

जन्म सहायता काफी महत्वपूर्ण है ताकि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। जेएसवाई गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहन देती है और नकद सहायता के लिए प्रावधान करती है। जेएसएस में सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी सुविधा केंद्रों में सिजेरियन सेक्शन आपरेशन सहित बिल्कुल मुफ्त व शून्य खर्च पर प्रसव का हक दिया गया है तथा मुफ्त आने-जाने, खाने-पीने, दवाइयों व नैदानिक का प्रावधान है। इसी तरह की सुविधाएं बीमार नवजातों के लिए भी दी गई हैं।

2. सुविधाओं को मजबूत बनाकर नवजात परिचर्या: जन्म के समय अत्यावश्यक नवजात शिशु परिचर्या मुहैया कराने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, जहां प्रसूतियां होती हैं, नवजात शिशु परिचर्या कार्नर (एनबीसीसी) स्थापित किए जा रहे हैं; बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए जिला अस्पतालों में विशेष नवजात शिशु परिचर्या यूनिट और प्रथम रेफरल एकक में नवजात शिशु स्थिरीकरण यूनिट बनाई जा रही है। आज की तारीख में देशभर में 399 विशेष नवजात शिशु परिचर्या यूनिट और 1542 नवजात शिशु स्थिरीकरण यूनिट और 11508 एनबीसीसी कार्य कर रही हैं।

3. गृह आधारित नवजात परिचर्या: हाल ही में आशाओं के माध्यम से गृह आधारित नवजात परिचर्या शुरू की गई है ताकि सामुदायिक स्तर पर नवजात परिचर्या की गई कार्रवाईओं में सुधार लाया जा सके और बीमार नवजातों की शीघ्र पहचान व रेफरल हो सके। अस्पतालों में प्रसव के मामले में आशा कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कम से कम 6 दौरे घरों पर 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42वें दिवस को और घर पर प्रसव के मामले में प्रसव के 24 घंटों के भीतर एक अतिरिक्त दौरा निर्धारित है। अतिरिक्त दौरे उन बच्चों के लिए किए जाएंगे जो निर्धाथ्रत अवधि से पूर्व जन्में हैं, जन्म के समय पर कम वजन वाले व बीमार हैं।

4. स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की क्षमता का संवर्धन: बच्चों में सामान्य बीमारियों और जन्म के समय नवजातों की परिचर्या में शीघ्र निदान व मामला प्रबंधन के लिए डॉक्टरों, नर्सों व एएनएम की कुशलता को विकसित तथा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं इन प्रशिक्षणों में नवजात एवं बाल्यावस्था के रोगों का एकीकृत प्रबंधन तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। अब तक 471 जिलों में आईएमएनसीआई में 5.5 लाख स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है और एनएसएसके में 88,428 स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

5. कुपोषण का उपचार कुपोषण, जो बाल मृत्यु का एक महत्वपूर्ण निहित कारक है को कम करने पर बल दिया जा रहा है। गंभीर कुपोषण के उपचार के लिए 647 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। रक्त की कमी की रोकथाम के लिए बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड भी मुहैया कराया जाता है। हाल ही में किशोर बालिकाओं के लिए साप्ताहिक रूप में आयरन और फौलिक एसिड का वितरण प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि स्तनपान कराने से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आती है इसलिए महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने तथा छोटे बच्चों की स्तनपान पद्धतियों का संवर्धन किया जा रहा है।

6. माताओं को पोषण परामर्श देने और शिशु परिचर्या में सुधार लाने के लिए ग्राम्य स्वास्थ्य व पोषण दिवस भी आयोजित किए जा रहे हैं।

7. व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम: व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को 7 रोगों से लड़ने के लिए टीके लगाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा टीके और सिरिंजों के आपूर्ति, कोल्ड चैन उपकरणों और प्रचालन लागत के प्रावधान द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सहायता दी जाती है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं को टीकों से उपचार योग्य 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लगाने का लक्ष्य

है। 80 प्रतिशत से अधिक कवरेज वाले 21 राज्यों ने खसरे की द्वितीय खुराक को अपने प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया है। केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में पेन्टावेलेंट टीके प्रारंभ किए गए हैं तथा 6 और राज्यों में इन्हें शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012-13 को नेमि प्रतिरक्षण को तेज करने वाले वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। भारत ने अब पूरे एक वर्ष में पोलियो मुक्त रहते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डब्ल्यूएचओ ने पोलियो स्थानिकमारी वाले देशों की सूची में से भारत का नाम हटा दिया है।

8. मातृ व शिशु ट्रैकिंग प्रणाली: एक नाम आधारित मातृ व शिशु ट्रैकिंग प्रणाली रखी गई है जो कि वेब आधारित है ताकि सभी गर्भवती महिलाओं व नवजातों की ट्रैकिंग की जा सके जिससे कि यह निगरानी तथा सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें पूरी सेवाएं दी जा रही हैं। राज्यों को लाभार्थियों को यह याद दिलाने के लिए कि किस तारीख को उनकी सेवाएं नियत हैं और साप्ताहिक आधार पर एएनएम के लिए नियत तारीखों की सेवाओं की देय सूची लाभार्थी क्रम में तैयार करने के लिए एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण-I

शिशु मृत्यु दर में राज्य-वार प्रवृत्ति

		2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4
	भारत	**53**	**50**	**47**	**44**
	बड़े राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	52	49	46	43
2.	असम	64	61	58	55
3.	बिहार	56	52	48	44
4.	छत्तीसगढ़	57	54	51	48
5.	दिल्ली	35	33	30	28
6.	गुजरात	50	48	44	41
7.	हरियाणा	54	51	48	44
8.	जम्मू और कश्मीर	49	45	43	41
9.	झारखंड	46	44	42	39
10.	कर्नाटक	45	41	38	35

		1	2	3	4
11.	केरल	12	12	13	12
12.	मध्य प्रदेश	70	67	62	59
13.	महाराष्ट्र	33	31	28	25
14.	ओडिशा	69	65	61	57
15.	पंजाब	41	38	34	30
16.	राजस्थान	63	59	55	52
17.	तमिलनाडु	31	28	24	22
18.	उत्तर प्रदेश	67	63	61	57
19.	पश्चिम बंगाल	35	33	31	32
	छोटे राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	32	32	31	32
2.	गोवा	10	11	10	11
3.	हिमाचल प्रदेश	44	45	40	38
4.	मणिपुर	14	16	14	11
5.	मेघालय	58	59	55	52
6.	मिजोरम	37	36	37	34
7.	नागालैंड	26	26	23	21
8.	सिक्किम	33	34	30	26
9.	त्रिपुरा	34	31	27	29
10.	उत्तराखंड	44	41	38	36
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	27	25	23

		1	2	3	4
2.	चंडीगढ़	28	25	22	20
3.	दादरा और नगर हवेली	34	37	38	35
4.	दमन और दीव	31	24	23	22
5.	लक्षद्वीप	31	25	25	24
6.	पुदुचेरी	25	22	22	19

विवरण-II

बाल-स्वास्थ्य के अंतर्गत राज्य-वार एसपीआईपी अनुमोदन व उपभोगिता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**								
1.	बिहार	1610.85	618.17	2165.52	1578.71	2238.37	559.10	7994.21	100.81
2.	छत्तीसगढ़	595.35	49.78	1006.92	0.00	764.20	306.85	1388.11	31.25
3.	हिमाचल प्रदेश	260.54	106.46	452.35	130.18	0.00	20.45	182.79	0.62
4.	जम्मू और कश्मीर	65.87	29.88	65.00	33.74	3698.75	379.76	271.47	1.18
5.	झारखंड	152.08	13.99	525.82	45.40	646.43	286.44	1040.57	58.93
6.	मध्य प्रदेश	1218.85	2912.27	1763.38	2718.65	1612.30	1682.59	3057.95	289.64
7.	ओडिशा	829.18	667.00	1083.98	817.91	443.69	145.62	1233.57	45.74
8.	राजस्थान	205.22	171.60	956.10	272.84	270.70	340.15	3406.94	40.80
9.	उत्तर प्रदेश	843.88	647.23	1157.54	0.00	1799.07	130.36	1516.15	0.00
10.	उत्तराखंड	177.16	113.11	537.59	267.80	110.75	250.49	233.33	3.22
	उप-योग	5958.98	5329.49	9714.20	5865.23	11584.26	4101.81	20325.09	572.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख)	पूर्वोत्तर राज्य								
11.	अरुणाचल प्रदेश	10.08	14.86	61.40	17.54	0.00	0.40	212.70	0.00
12.	असम	0.00	9.73	6.20	234.11	410.04	414.15	1474.33	60.29
13.	मणिपुर	40.00	17.23	31.50	50.94	26.20	15.24	88.72	0.18
14.	मेघालय	52.36	14.32	53.89	19.25	12.12	13.49	283.01	2.17
15.	मिजोरम	11.94	7.93	6.80	6.03	23.81	1.18	62.50	2.82
16.	नागालैंड	42.40	20.21	35.40	0.00	33.86	38.11	199.34	2.29
17.	सिक्किम	39.94	3.68	12.79	21.69	25.43	5.27	62.50	3.54
18.	त्रिपुरा	81.42	98.00	112.80	20.23	200.48	68.41	221.21	7.52
	उप-योग	278.14	185.95	320.78	369.79	731.94	556.25	2604.31	78.80
(ग)	अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य								
19.	आंध्र प्रदेश	200.00	0.00	1783.85	0.00	1604.14	88.36	2604.38	37.46
20.	गोवा	4.50	1.86	32.40	0.00	10.28	191.02	43.28	0.00
21.	गुजरात	1116.11	1790.52	2023.72	1653.81	1178.55	1595.02	4616.99	187.89
22.	हरियाणा	177.36	64.04	352.39	101.46	742.61	426.85	484.79	8.57
23.	कर्नाटक	696.30	15.69	427.50	297.44	587.73	229.01	879.58	12.49
24.	केरल	500.09	319.02	482.44	397.91	46.13	18.97	1231.82	0.00
25.	महाराष्ट्र	598.81	462.33	6017.99	4720.75	2931.06	2639.75	2602.04	94.75
26.	पंजाब	25.30	13.98	122.44	110.34	287.00	132.67	615.50	27.33
27.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	5.81	17.21	0.00	5946.94	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1608.01	1512.67	5074.20	0.00	1286.83	409.61	3593.78	94.03
	उप-योग	4926.48	4180.10	16316.93	7287.53	8691.54	5731.26	22619.10	462.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(घ)	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.50	5.90	4.00	3.49	0.00	0.00	55.45	0.00
30.	चंडीगढ़	10.60	10.72	1.00	0.89	14.58	0.00	14.03	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.50	0.00	0.75	0.00	7.21	0.64	21.01	0.25
32.	दमन और दीव	2.25	1.80	3.25	0.60	2.50	0.17	6.60	0.00
33.	दिल्ली	87.15	0.00	30.00	0.00	61.47	3.05	409.20	0.19
34.	लक्षद्वीप	36.86	0.00	20.00	0.00	0.20	0.00	47.00	0.00
35.	पुदुचेरी	10.38	5.64	9.70	10.18	13.30	9.29	3.20	3.50
	उप-योग	159.24	24.07	68.70	15.16	99.26	13.15	556.49	3.94
	कुल योग	11322.84	9719.61	26420.61	13537.71	21107.00	10402.47	46104.99	1117.45

नोटः वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए व्यय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 (दिनांक 30.06.2012 तक) के लिए व्यय एफएमआर के अनुसार है और इसलिए अनंतिम है।

रसोई गैस की आपूर्ति में विलंब

371. श्री मधु गौड यास्खी :

श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की आपूर्ति में अनुचित विलंब के संबंध में एलपीजी डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार राज्य-संचालित ईंधन रिटेलरों के लिए संशोधित विपणन दिशा-निर्देशों को जारी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित समयावधि में उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं करने के लिए डीलरों पर जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसी),

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने अपनी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए मानंदड निर्धारित किया है कि वे सामान्यतया बुकिंग के दो कार्य दिवसों के भीतर रीफिल एलपीजी सिलिंडर की सुपुर्दगी कर दें। तथापि, उत्पाद आपूर्ति में कठिनाई, हड़ताल, सड़क टूटने, बाढ़, गैर-योजनाबद्ध काम बंदी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी अकल्पित घटनाओं का एलपीजी सिलिंडरों के वांछित सुपुर्दगी कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है।

2009 से सितम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, ओएमसीज ने देश में अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध एलपीजी रीफिल की आपूर्तियों में विलम्ब के 229 सिद्ध मामलों की रिपोर्ट दी है। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी।

(ख) और (ग) एमडीजी में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) और (ङ) सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का नियमन) आदेश, 2000" अधिनियमित किया है और "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश, 2001" बनाए हैं जिनमें घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के विलम्ब/अत्यधिक विलंब करने में लिप्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

एमडीजी में, आपूर्ति में जान बूझ कर विलंब करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित दांडिक कार्रवाई की व्यवस्था है:—

– प्रथम अपराध के लिए सतर्कता/चेतावनी और परामर्श।

– दूसरे अपराध के लिए 5,000/- रु. का जुर्माना।

– तीसरे अपराध के लिए 15,000/- रु. का जुर्माना।

– चौथे अपराध के लिए समाप्ति।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम

372. श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि की परियोजना-वार और राज्य-वार प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने निकट भविष्य में आईसीडीएस स्कीम के तहत परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वियन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरे देश में किया जाता है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईसीडीएस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सहायतानुदान के रूप निधियां जारी की जाती हैं।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार निर्मुक्त निधियों की राशि और उनके उपयोग का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आईसीडीएस स्कीम के तहत 7076 आईसीडीएस परियोजनाएं अनुमोदित और संस्वीकृत हैं और निकट भविष्य में आईसीडीएस स्कीम के तहत आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (30.09.2012 तक की स्थिति) के दौरान आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राज्य-वार राशि (राज्यों के अंश सहित)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	34974.13	38787.19	34784.04	35544.83	43824.92	60028.47	42848.12
2.	बिहार	28965.41	31936.06	24380.95	28786.51	45764.14	43433.18	30711.81
3.	छत्तीसगढ़	14068.71	14051.59	11717.92	15796.62	23488.81	28256.4	17762.32
4.	गोवा	816.47	827.87	802.74	802.05	837.32	740.15	560.82
5.	गुजरात	15631.96	20852.35	18542.23	21697.18	44001.56	44576.06	22868.57
6.	हरियाणा	7940.7	10813.28	10534.06	11372.95	16230.64	16810.31	11016.19
7.	हिमाचल प्रदेश	7002.53	8175.08	8669.69	8587.34	11838.88	13074.42	7824.06
8.	जम्मू और कश्मीर	8282.34	8383.48	14470.74	10596.73	15008.35	12957.54	11814.43
9.	झारखंड	12697.56	14210.21	17629.62	14923.35	20320.74	14522.87	15265.88
10.	कर्नाटक	20579.49	22455.76	19039.59	25934.32	44673.4	38834.39	24867.17
11.	केरल	14037.04	13939.26	12595.35	16270.48	29313.72	25983.09	13454.74
12.	मध्य प्रदेश	19973.34	33876.48	30430.04	37521.99	40262.82	62222.28	50390.48
13.	महाराष्ट्र	31780.8	46795.76	41719.66	47085.43	75825.56	95343.66	54552.16
14.	ओडिशा	22026.29	20363.01	21230.41	24121.61	35730.75	31837.62	25741.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	पंजाब	8779.45	10508.3	11704.9	12443.24	17257.36	20259.25	13185.16
16.	राजस्थान	22254.95	20252.76	16803.64	24170.97	32154.17	39111.64	26695.01
17.	तमिलनाडु	17653.51	23576.79	25965.27	22009.45	36930.24	22874.17	23071.94
18.	उत्तराखंड	3596.44	5171.4	3762.59	5081.57	10422.24	8997.79	5802.75
19.	उत्तर प्रदेश	50853.63	55257.16	48102	62027.87	89363.81	66505.61	97416.87
20.	पश्चिम बंगाल	36739.78	36741.91	30419.35	40324.76	78956.15	66432.074	45015.96
21.	पुदुचेरी	3137.32	2952.4	3584.5	3461.85	4888.66	7292	6044.98
22.	दिल्ली	222.47	303.84	355.54	350.62	712.40	302.74	362.01
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	288.66	292.06	322.89	326.59	599.93	589.87	309.4
24.	चंडीगढ़	252.29	252.29	240.87	240.87	434.96	434.96	430.77
25.	दादरा और नगर हवेली	129.84	126.57	137.53	129.94	145.33	134.82	92.01
26.	दमन और दीव	56.55	56.65	58.18	58.16	82.47	82.47	49.28
27.	लक्षद्वीप	121.03	75.87	27.49	96.87	169.83	171.87	101.91
28.	अरुणाचल प्रदेश	3122.59	3507.97	6321.278	4650.78	6964.29	7610.92	3666.78
29.	असम	23551.88	18713.1	35901.57	29126.66	38346.18	46035.63	22157.64
30.	मणिपुर	3307.42	2464.68	3581.11	3720.66	5868.06	5337.12	4499.7
31.	मेघालय	2047.16	2505.69	2443.06	2400.38	3496.31	3662.53	2247.53
32.	मिजोरम	2081.27	1681.91	2293.956	2117.39	2700.24	2553.05	1835.36
33.	नागालैंड	4994.32	2499.13	2225.38	4539.71	5908.53	4532.94	2431.85
34.	सिक्किम	660.21	627.69	480.8	710.38	753.7	1037.74	501.4
35.	त्रिपुरा	7362.805	3290.2	8099.635	4266	6458.26	5940.62	4010.53
	कुल	429990.35	476325.75	469378.58	521296.11	789734.73	798520.25	589607.46

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (30.09.2012 तक की स्थिति) के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राज्य-वार राशि (राज्यों के अंश सहित)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	31285.70	52316.99	16003.74	69979.08	48307.39	87975.62	18216.63
2.	बिहार	40695.19	92263.92	48335.94	57052.77	35452.88	47508.85	25507.10
3.	छत्तीसगढ़	7461.68	21324.67	14211.95	25938.16	14714.72	30150.63	8093.25
4.	गोवा	375.94	918.75	418.23	778.84	410.97	775.22	314.32
5.	गुजरात	8696.39	24690.50	11985.65	42046.64	36389.64	36682.00	11396.86
6.	हरियाणा	6884.01	14571.00	5211.60	11006.76	6391.63	12275.30	4699.82
7.	हिमाचल प्रदेश	2939.36	5939.35	2466.48	4977.92	2819.49	5638.74	1386.61
8.	जम्मू और कश्मीर	1671.09	0.00	1949.78	—	1949.76	9187.94	1949.77
9.	झारखंड	16893.64	53308.00	23438.78	35997.11	12136.86	31917.69	10823.08
10.	कर्नाटक	26325.26	56641.93	23585.19	54587.07	31664.85	58234.82	16300.62
11.	केरल	7545.81	15826.29	8071.33	14734.74	7459.55	6807.06	3702.81
12.	मध्य प्रदेश	22339.36	51990.71	38917.63	89736.40	52322.73	89365.76	33528.22
13.	महाराष्ट्र	20350.12	48660.00	20350.12	73509.16	66743.56	109818.25	15057.50
14.	ओडिशा	13968.20	32185.78	19490.01	47782.70	32289.69	54602.92	13159.4
15.	पंजाब	1748.03	8825.70	4402.84	7090.70	9001.16	10353.44	4475.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	राजस्थान	11014.23	30464.83	20449.06	45138.71	26747.43	50048.53	9999.38
17.	तमिलनाडु	13268.00	26558.00	12395.76	38109.00	17072.64	24892.23	10083.35
18.	उत्तराखंड	86778.09	178809.82	138267.06	271960.07	131600.18	268028.07	77401.75
19.	उत्तर प्रदेश	740.47	1488.21	1303.60	2960.61	1313.20	3976.34	1041.80
20.	पश्चिम बंगाल	13577.01	55101.17	35274.00	67097.58	36926.45	66031.39	30376.51
21.	दिल्ली	144.80	511.84	106.95	428.98	120.80	497.16	94.40
22.	पुदुचेरी	193.78	216.31	129.88	279.89	189.23	425.55	226.05
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	91.58	55.30	62.90	84.35	53.10	0.00	83.44
24.	चंडीगढ़	50.37	179.63	33.58	66.63	32.38	181.14	193.42
25.	दादरा और नगर हवेली		42.87	29.69	78.69	29.69	0.00	44.53
26.	दमन और दीव	4171.53	6878.70	4004.05	8960.11	2017.30	9140.00	2971.24
27.	लक्षद्वीप	139.91	462.19	395.95	643.34	1016.39	484.81	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	856.32	956.32	3047.89	3847.26	2760.74	1904.10	1417.20
29.	असम	17660.74	17590.73	21579.99	19135.31	30082.76	37635.40	25257.04
30.	मणिपुर	1477.61	2422.45	4449.60	5249.60	2248.30	2248.30	2946.24
31.	मेघालय	5301.00	6972.28	5650.42	6408.03	5953.12	6585.16	2946.23
32.	मिजोरम	2020.79	2496.63	2241.65	2726.65	1867.08	2502.08	1635.0
33.	नागालैंड	2658.79	3304.66	4782.37	5282.37	4855.60	4150.19	1749.53
34.	सिक्किम	794.39	622.59	362.44	838.23	563.44	907.42	694.41
35.	त्रिपुरा	2851.68	3617.54	3464.40	4089.09	6746.08	7167.66	1530.57
	कुल	373013.74	818172.79	496870.51	1018602.55	630250.79	1078099.77	339304.10

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (30.09.2012 तक की स्थिति) के दौरान आईसीडीएस स्कीम (प्रशिक्षण) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राज्य-वार राशि (राज्यों के अंश सहित)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1332.63	1219.94	1855.21	1307.6	763.06	1205.58	191.66
2.	बिहार	799.07	774.04	804.25	863.89	692.09	742.93	730.19
3.	छत्तीसगढ़	325.2	329.56	346.73	436.4	298.72	270.55	219.19
4.	गोवा	22.54	0	0	0	9.2	9.1	5.42
5.	गुजरात	355.39	229.45	390.3	552.51	274.48	468.1	274.35
6.	हरियाणा	235.86	205.6	283.78	300.93	130.29	237.15	124.34
7.	हिमाचल प्रदेश	85.98	161.78	57.42	114.85	65.07	137.31	66.04
8.	जम्मू और कश्मीर	46.74	0	280.88	0	0	186.92	0
9.	झारखंड	194.26	150	288.38	381.5	180.91	318.68	205.62
10.	कर्नाटक	456.99	385.32	349.1	475.91	428.74	448.25	157.23
11.	केरल	250	249.95	156.41	311.42	302.04	286.52	175.03
12.	मध्य प्रदेश	545.04	470.08	742.65	689.44	291.74	877.87	287.69
13.	महाराष्ट्र	457.58	637.11	783.7	573.92	400.23	591.09	373.76
14.	ओडिशा	477.81	428.78	447.27	519.05	308.22	427.42	324.96
15.	पंजाब	481.51	74.69	127.48	159.53	0	119.43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	राजस्थान	295.08	214.11	210.71	329.36	352.16	346	287.96
17.	तमिलनाडु	313.56	157.68	354.57	173.75	280.44	223.44	370.36
18.	उत्तराखंड	121.29	109.92	95.2	160.5	79.85	168.88	88.65
19.	उत्तर प्रदेश	689.3	692.88	529.35	772.9	800.69	702.96	679.98
20.	पश्चिम बंगाल	276.71	620.41	297.68	574.72	279.44	597.45	279.81
21.	दिल्ली	72.49	62.43	59.96	64.25	29.98	64.48	0
22.	पुदुचेरी	26.53	0	0	0	0	0	0
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.97	0	2.41	2.4	0	0	4.37
24.	चंडीगढ़	2.21	0	3.58	3.58	3.31	3.31	1.36
25.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
26.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
27.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
28.	अरुणाचल प्रदेश	56.13	13.18	70.25	70.13	51.67	132.9	46.22
29.	असम	297.71	297.71	500.86	398.34	316.84	102.48	311.84
30.	मणिपुर	80.08	0	126.6	63.3	56	56	61.68
31.	मेघालय	54.99	54.82	39.83	47.63	40.42	31.62	13.4
32.	मिजोरम	7.96	11.66	22	14.31	14.18	14.18	12.17
33.	नागालैंड	31.09	31.09	38.63	38.63	21.73	22.17	19.66
34.	सिक्किम	23.32	19.91	22.49	14.24	18.57	23.59	9.06
35.	त्रिपुरा	35.39	39.22	32.57	40.4	31.02	40.46	0
	कुल	8453.41	7641.32	9320.25	9455.39	6521.09	8856.82	5322.00

स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टरों की कमी

373. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टर्स की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार पूरे भारत में क्षेत्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टर्स बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ निधियों के आबंटन की स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) जी, हां। तथापि, वर्तमान में देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स इंजरी केन्द्रों को शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

ओएनजीसी तेल कुओं से रिसाव

374. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आंध्र प्रदेश तट पर बंगाल की खाड़ी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के तेल कुओं से तेल का रिसाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उससे कितनी मात्रा में गैस की क्षति होने का अनुमान है तथा उसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को क्या क्षति हुई है; और

(घ) रिसाव तथा उनके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र तट पर बंगाल की खाड़ी में आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनसीजी) के केजी बेसिन में हाल ही में अपतट कुएं से गैस का रिसाव हुआ है। उप-समुद्री कुआं जी-1-एए (जी-1 #9) 252 मीटर पानी की गहराई में जी-1 प्रोस्पेक्ट में अमालापुरम तट से 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गैस कूप शीर्ष पर स्थापित क्रिस्मस ट्री की चोटी रिस रही थी। गैस के बुलबुले, अपतट जी-1 ब्लॉक पूर्व तट में 30 अगस्त, 2012 को ओएनजीसी के स्वामित्व में अपतट वेधन रिग 'सागर विजय' द्वारा देखे गए थे। यह स्थल समुद्री तट से लगभग 30 समुद्री मी ा पर है। रिसाव के स्रोत की पहचान 260 मीटर पानी की गहराई में अस्थायी तौर पर त्यागे गए कुएं जी-1-9 के रूप में की गई थी। इसका कारण, कूप में पुल के प्लगों की अखंडता को हानि पहुंचना हो सकता है।

(ग) गैस हानि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि रिसाव 252 मीटर की गहराई पर हो रहा है। गैस का ही रिसाव हो रहा था और कोई अधिक प्रदूषण नहीं हुआ है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंची है। क्षति की किसी भी संभाव्य घटना को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए गए थे। पेड़-पौधों और जीव जन्तुओं को कोई भी हानि नहीं पहुंची है क्योंकि इस क्षेत्र में मृत मछलियां नहीं मिली हैं। गैस का रिसाव दिनांक 07.11.2012 से बंद हो गया है।

(घ) दिनांक 01.11.2012 को उप-समुद्री कूप के रिसाव की पहचान होने के तुरंत बाद, समुद्र के तट में बीओपी स्टेक असेंबली से कूप पर ढक्कन लगाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मै. बूट्स एंड कूट्स के साथ परामर्श करके ओएनजीसी द्वारा कार्रवाई योजना बनाई गई थी। असेंबली बना ली गई है और लगाने के लिए तैयार है। पूर्वतट पर नीलम तूफान और बाद में खराब मौसम के कारण कार्रवाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रिसाव के कारण परिणामत: कोई अधिक पर्यावरणीय क्षति नहीं हुई है।

दिनांक 17.11.2012 को क्रिम्मस ट्री तथा कैपिंग स्टेक को नीचा कर दिया गया है। आगे शिकंजा कसने की कार्रवाई, चक्रवाती हालात से हुए खराब मौसम की वजह से पूरी नहीं की जा सकी। मौसम ठीक होने पर इसे पूरा कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

टीएपीआई पाइपलाइन

375. श्री संजय भोई :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना में भारी अड़चन किसी भी

अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन कंपनी द्वारा इस परियोजना में भागीदारी न करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) उक्त चार राष्ट्रों द्वारा न्यूयार्क, लंदन और सिंगापुर में आयोजित रोड शो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या रही;

(घ) इस संबंध में हस्ताक्षरित गैस विक्रय एवं क्रय समझौता (जीएसपीए) की स्थिति क्या है; और

(ङ) टीएपीआई पाइपलाइ. की क्षमता तथा उक्त परियोजना में प्रत्येक देश की हिस्सेदारी कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) गेल (इंडिया) लि. ने सूचित किया है कि सिंगापुर, न्यूयार्क और लंदन में आयोजित टीएपीआई रोड शोज के दौरान, रोड शोज में 14 कंपनियों (7 अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां और 7 वित्त पोषक) ने भाग लिया था। इस आयोजन में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन कंपनी ने भाग नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने एकीकृत परियोजना में सहयोग देने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी जिसमें अपस्ट्रीम गैस क्षेत्रों में इक्विटी निवेश, टीएपीआई पाइपलाइन के जरिए अपनी इक्विटी गैस लाना शामिल हैं। वित्त पोषकों ने अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों की भागीदारी से या उसके बिना परियोजना के वित्त पोषण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(घ) भारत और तुर्कमेनिस्तान तथा पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने दिनांक 23 मई, 2012 को द्विपक्षीय जीएसपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। जीएसपीए के अनुसार, तुर्कमेनगैस, तुर्कमेनिस्तान टीएपीआई गैस का विक्रेता है और गेल (इंडिया) लि. क्रेता हैं। टीएपीआई गैस का सुपुर्दगी स्थल तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान सीमा होगी। संविदा अवधि 30 वर्ष के लिए और संविदागत मात्रा 411.173 बीसीएम प्राकृतिक गैस है।

(ङ) टीएपीआई पाइपलाइन की कुल क्षमता 90 एमएमएससीएमडी है जिसमें से भारत और पाकिस्तान प्रत्येक का हिस्सा 38 एमएमएससीएमडी है और अफगानिस्तान का हिस्सा 14 एमएमएससीएमडी है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची

376. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री यशवंत लागुरी :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि:**

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल समुदायों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त सूची में से कुछ समुदायों के नाम हटा दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी, हां।

(ख) छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रतिस्थापित/शामिल किए गए समुदाय निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं.	राज्य का नाम	समुदाय का नाम	समावेश/प्रतिस्थापन की तिथि	आदेश सं.
1	2	3	4	5
1	अरुणाचल प्रदेश	गालो (प्रविष्टि 5 पर प्रतिस्थापित)	08.01.2012	दिनांक 08.01.2012 का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011

1	2	3	4	5
2	मणिपुर	(क) काबुई, इनपुई, रौंगमेई (प्रविष्टि 8 पर प्रतिस्थापित) (ख) काचा नागा, लियांगमाई जेमे (प्रविष्टि 9 पर प्रतिस्थापित) (ग) कोयराव, थांगल (प्रविष्टि 10 पर प्रतिस्थापित) (घ) माते (34 पर नई प्रविष्टि)	08.01.2012	दिनांक 08.01.2012 का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011
3	कर्नाटक	मेदारा (मेदा के पश्चात 37 पर नई प्रविष्टि)	21.05.2012	दिनांक 31.05.2012 का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012

(ग) उक्त सूची से किसी समुदाय को निकाला नहीं गया है।

(घ) उपरोक्त क्रम सं. (ग) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल खपत

377. श्री एम. आनंदन :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री के. सुगुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति तेल की खपत क्या है और क्या सरकार की योजना निकट भविष्य में तेल खपत बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के कदम से देश में प्रदूषण में वृद्धि का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) देश में प्रदूषण स्तर में बिना किसी वृद्धि के तेल की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 2011 के दौरान, विश्व औसत 0.58 टीओई* की तुलना में देश में तेल का प्रति व्यक्ति उपभोग 0.13 टीओई (टन तेल समतुल्य) था। भारत में तेल उपभोग 2010-11 में 141 एमएमटी से बढ़कर 2011-12 के दौरान 148 एमएमटी हो गया है, जो लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ) ऑटो ईंधनों की खपत के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से मुकाबला करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 प्रमुख शहरों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) में बीएस-IV ईंधनों को और शेष देश में बीएस-III ईंधन को शुरू करने और इसकी आपूर्ति करने के अनुसरण में पहले ही कदम उठा लिए हैं। मंत्रालय ने भी 2015 तक बीएस-IV ईंधन कवरेज का विस्तार 37 और शहरों तक करने का निर्णय लिया है।

*स्रोत: विश्व ऊर्जा जून, 2012 **की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा।**

नकली और घटिया दवाएं

378. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री पी. लिंगम :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के कई भागों में नकली और घटिया दवाओं के निर्माण और विपणन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पता चले इस प्रकार के मामलों सहित मारे गए छापों की संख्या कितनी है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार भेषज कंपनियों को नियत समय-सीमा में बाजार से दोष पूर्ण उत्पाद वापिस लेने की अनुमति देने के लिए दवा वापसी पद्धति स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नकली दवा घटिया दवाओं की समस्या से निपटने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) राज्य औषधि नियंत्रण विभागों द्वारा सतत् निगरानी और जांच के लिए लिए गए नमूनों के माध्यम से नकली दवाओं के छुटपुट मामलों का पता लगाया जाता है। तथापि, देश में बड़ी संख्या में नकली दवाओं की व्याप्तता की कोई सूचना नहीं है। नकली दवाओं की मात्रा का अंदाजा लगाने के लिए वर्ष 2009 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें ज्ञात हुआ कि नकली पाई गई दवाओं की मात्रा केवल 0.046 प्रतिशत थी।

(ग) राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डाले गए छापों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'एम' के अंतर्गत निर्माता को न्यूनतम अवधि के भीतर खुदरा स्तर तक के सभी संबंधित व्यक्तियों की समय से जानकारी के लिए खराब उत्पादों की एक त्वरित और प्रभावशाली उत्पाद रिकाल प्रणाली लागू करनी होगी। इस संबंध में लाइसेंसधारक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का उपयोग कर सकता है। नकली/घटिया स्तर की दवाओं की जांच करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

1. नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माताओं के लिए अधिक कड़े दंड का प्रावधान करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधन किया गया है। कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है।

2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बढ़ाए गए दंडों के आलोक में नकली घोषित की गई दवाओं और दवाई का स्तर घटिया पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 में औषधि संबंधी अपराधों के शीघ्र निराकरण के लिए मान्यता प्राप्त न्यायालयों की स्थापना करने का भी प्रावधान है। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले से ही ऐसे न्यायालयों की स्थापना कर दी है।

4. देश में नकली दवाओं की आवाजाही का पता लगाने में सतर्क सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या व्हीसल ब्लोअर योजना आरंभ की गई है। इस योजना में नकली दवाओं की आवाजाही के संबंध में विनियामक प्राधिकरणों को ठोस सूचना प्रदान करने वाले मुखबिर को समुचित रूप से पुरस्कार देने की व्यवस्था है।

5. देश में चल रही दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी हेतु जांच और विश्लेषण के लिए निरीक्षक स्टाफ को औषधि के नमूने लेने और चौकसी बरतने के अनुदेश दिए गए हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार 2009-10 के दौरान डाले गए छापों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डाले गए छापों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	उपलब्ध नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	4	एक मामले में अभियोजन शुरू और 3 मामलों में जांच और 2007 से पहले दायर मामलों में एक को सजा।
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं
4.	असम	शून्य	उपलब्ध नहीं
5.	बिहार	13	27 लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी मामलों में अभियोजन पक्ष का आरंभ किया।
6.	चंडीगढ़	9	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	शून्य	उपलब्ध नहीं
8.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	उपलब्ध नहीं
9.	दमन और दीव	शून्य	उपलब्ध नहीं
10.	दिल्ली	4	शून्य
11.	गोवा	शून्य	उपलब्ध नहीं
12.	गुजरात	1	पंजीकरण संख्या: 3319/09 के तहत एफआईआर निम्नलिखित के विरुद्ध की गई: (1) मैस. धनलक्ष्मी परिवहन निगम, सारंगपुर, अहमदाबाद और (2) प्रबंधक: शेख जाबिर हुसैन रूकानोडिल, अहमदाबाद (प्रकरण जांच के अधीन है)।
13.	हरियाणा	12	शून्य
14.	हिमाचल प्रदेश	326	कोई नकली दवा नहीं पाई गई।

1	2	3	4
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	उपलब्ध नहीं
16.	झारखंड	शून्य	उपलब्ध नहीं
17.	कर्नाटक	1	जांच प्रगति पर है
18.	केरल	4	—
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं
21.	महाराष्ट्र	3	—
22.	मणिपुर	शून्य	उपलब्ध नहीं
23.	मेघालय	शून्य	उपलब्ध नहीं
24.	मिजोरम	शून्य	उपलब्ध नहीं
25.	नागालैंड	शून्य	उपलब्ध नहीं
26.	ओडिशा	शून्य	शून्य
27.	पुदुचेरी	शून्य	उपलब्ध नहीं
28.	पंजाब	611	—
29.	राजस्थान	2	शून्य
30.	सिक्किम	शून्य	उपलब्ध नहीं
31.	तमिलनाडु	1	प्रारंभिक जांच औषध निरीक्षकों द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में की गई क्योंकि इसमें अंतर्राज्यीय जांच शामिल थी। राज्य सरकार की अनुमति से आगे की जांच के लिए समूची फाइल सीबीसीआईडी को हस्तांतरित कर दी गई है।
32.	त्रिपुरा	शून्य	उपलब्ध नहीं
33.	उत्तर प्रदेश	1520	अभियोजन सभी आरोपियों के खिलाफ शुरू किया गया है।
34.	उत्तराखंड	32	—
35.	पश्चिम बंगाल	6	8 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार 2010-11 के दौरान डाले गए छापों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डाले गए छापों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	1	जांच के तहत
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	1	कोर्ट केस दायर
5.	बिहार	29	एफआईआर और अभियोजन शुरू
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	2	फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और अभियोजन आरंभ
8.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
9.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	1	जांच के तहत
11.	गोवा	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	3	जांच के तहत
13.	हरियाणा	22	अभियोजन एक मामले में शुरू
14.	हिमाचल प्रदेश	1	कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
16.	झारखंड	शून्य	शून्य
17.	कर्नाटक	2	जांच के तहत
18.	केरल	शून्य	शून्य
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य

1	2	3	4
21.	महाराष्ट्र	5	शून्य
22.	मणिपुर	शून्य	शून्य
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	मिजोरम	शून्य	शून्य
25.	नागालैंड	शून्य	शून्य
26.	ओडिशा	शून्य	शून्य
27.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
28.	पंजाब	405	दवा का एक नमूना नकली घोषित एसडीसी राजस्थान को मामला अग्रेषित – जांच की जा रही है।
29.	राजस्थान	6	14 व्यक्ति गिरफ्तार
30.	सिक्किम	शून्य	शून्य
31.	तमिलनाडु	8	3 मामले सीबीसीआईडी को रैफर
32.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
33.	उत्तर प्रदेश	150	एकत्र नमूनों की संख्या 155, प्राथमिकी: 19, गिरफ्तार व्यक्ति : 17, जब्त दवाएं: 47.61 लाख रुपए
34.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य
35.	पश्चिम बंगाल	2	जांच के तहत

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार 2011-12 के दौरान डाले गए छापों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डाले गए छापों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	जांच के तहत
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य

1	2	3	4
3.	असम	शून्य	शून्य
4.	बिहार	318	प्राथमिकी-45, अभियोजन-10
5.	गोवा	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	26	शून्य
7.	हरियाणा	52	12 केमिस्ट की दुकानों का लाइसेंस रद्द है, और 1 निर्माता के लाइसेंस रद्द
8.	हिमाचल प्रदेश	2	01 अभियोजन शुरू और जांच के तहत 02
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	2	जांच प्रक्रिया के तहत जांच
11.	केरल	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	10	06 अभियोजन शुरू और जांच के तहत 12
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	3637	फर्म को एससीएन जारी किए
19.	पंजाब	478	कार्रवाई शुरू की
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	15	जांच के तहत
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	2567	568 औषध बिक्री लाइसेंस निलंबित, 923 लाइसेंस रद्द, 1 रक्त बैंक का लाइसेंस रद्द, 16 रक्त बैंक लाइसेंस निलंबित

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	28	डी एंड सी अधिनियम के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	शून्य
28.	चंडीगढ़	22	शून्य
29.	दिल्ली	8	अभियोजन दायर
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	6	जांच प्रक्रिया के तहत
34.	झारखंड	5	3 अभियोजन आरंभ
35.	उत्तराखंड	3	3 लाइसेंस रद्द

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फ़ीड बैक के अनुसार अप्रैल, 2012 – जुलाई, 2012 के दौरान डाले गए छापों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डाले गए छापों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य
4.	बिहार	8	प्राथमिकी दर्ज
5.	गोवा	घटिया स्तर की दवाओं का पता लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है	प्रश्न ही नहीं उठता
6.	गुजरात	6	जांच के तहत

1	2	3	4
7.	हरियाणा	200 से अधिक	अभियोजन आरंभ
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य
11.	केरल	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	3	जांच के तहत
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	2 अभियोजन आरंभ, 5 अभियोजन शुरू
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	282	नियम 66 (1) के तहत आई/आर के खिलाफ जारी जो छापे के बाद डीआई द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।
19.	पंजाब	513	जांच के तहत
20.	राजस्थान	11	जांच के तहत
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3	जांच के तहत
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	662	एक एनएसओ मामला पंजाब राज्य औषधि नियंत्रक को कार्रवाई के लिए रेफर और अन्य जिला स्तर पर जांचाधीन
25.	पश्चिम बंगाल	0	शून्य
26.	पुदुचेरी	1	आगे के निरीक्षण किए जाते हैं
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	14	जांच के तहत

1	2	3	4
29.	दिल्ली	1	जांच के तहत
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	1	जांच के तहत
34.	झारखंड	शून्य	1 अभियोजन आरंभ
35.	उत्तराखंड	4	2 लाइसेंस रद्द, 8 लाइसेंस निलंबित

[हिन्दी]

नहरों के लिए नाबार्ड सहायता

379. **श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) योजना के अंतर्गत पुलों के निर्माण तथा नहरों की मरम्मत के लिए निधियां मुहैया कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत मुहैया करायी गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत योजनाएं बनाते समय जनप्रतिनिधियों के सुझाव मांगे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) पुलों के निर्माण और सिंचाई (नहरों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण सहित) के लिए मंजूरियों का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूरी के लिए नाबार्ड द्वारा विचार किया जाता है।

विवरण-I

आरआईडीएफ-पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए पुलों के लिए मांगी गयी मंजूरियां

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**आन्ध्र प्रदेश**	9	7.86	69	90.94	58	134.71	17	77.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	अरुणाचल प्रदेश	1	9.74		0	2	9.86	0	0
3	असम	60	109.15	223	199.26	102	121.62	0	0
4	बिहार	25	447.45	40	576.91	47	462.4	42	453.99
5	छत्तीसगढ़				0	0	0	0	0
6	गोवा	3	69.91		0	0	0	0	0
7	गुजरात				0	0	0	0	0
8	हरियाणा			14	38.52	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	27	94.13	22	23.84	14	26.28	12	75.83
10	जम्मू और कश्मीर	128	268.45	1	4.13	0	0	14	51.08
11	झारखंड	181	147.82	153	265.58	69	176.65	0	0
12	कर्नाटक	63	14.98	373	134.05	163	39.49	0	0
13	केरल	20	69.8	8	54.67	16	193.62	7	11.09
14	मध्य प्रदेश	22	95.02	36	84.29	21	69.66	0	0
15	महाराष्ट्र	196	92.71	96	301.39	139	367.99	0	0
16	मणिपुर				0	0	0	0	0
17	मेघालय	1	14.94	14	23.26	0	0	0	0
18	मिजोरम	2	3.03	2	0.74	0	0	0	0
19	नागालैंड	13	69.5	6	20.22	0	0	0	0
20	उड़ीसा	78	271.87	26	244.54	65	352.73	63	106.85
21	पुदुचेरी	1	13.62	2	4.17	1	25.25	0	0
22	पंजाब	9	23.93	4	5.48	0	0	0	0
23	राजस्थान			4	32.17	1	16.67	40	32.56
24	सिक्किम				0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	तमिलनाडु	100	114.11	121	200	68	123.74	122	196
26	त्रिपुरा	30	121.04	12	59.01	15	57.65	0	0
27	उत्तर प्रदेश	25	123.64	59	116.1	46	396.21	0	0
28	उत्तराखंड	52	65.44	76	69.79	18	39.15	0	0
29	पश्चिमी बंगाल	26	74.18	6	51.72	12	21.81	1	3.35
	अखिल भारत कुल योग	1072	2322.32	1367	2600.78	857	2635.49	318	1008.33

विवरण-II

आर आई डी एफ - पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए सिंचाई के लिए की गई मंजूरियां

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	73	569.43	34	349.73	39	668.99	13	64.37
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	2	6.74	0	0	0	0
4	बिहार	922	139.44	2	1.88	167	188.21	0	0
5	छत्तीसगढ़	11	85.57	12	128.84	6	50.27	0	0
6	गोवा	1	64.13	1	57	1	64,12	0	0
7	गुजरात	200	208.31	5302	274.12	3	636.35	3	544.19
8	हरियाणा	512	332.91	8	161.81	156	212.25	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	53	43.82	148	84,85	39	70.17	20	35.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	6	37.34	23	40.71	0	0
11	झारखंड	15	9.9	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	397	158.32	274	144.17	354	114.12	0	0
13	केरल	35	24.08	213	260.55	77	147.29	17	2.46
14	मध्य प्रदेश	2	830.4	3	507.61	7	1141.54	1	69.34
15	महाराष्ट्र	29	302.67	21	336.69	50	324.88	0	0
16	मणिपुर	0	0	87	19.02	0	0	0	0
17	मेघालय	8	12.58	6	9.84	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	12566	185.66	1189	235.51	794	535.88	25187	370.87
21	पुदुचेरी	0	0	7	20.2	1	33.2	0	0
22	पंजाब	281	172.67	27	224.14	788	114	1	185.36
23	राजस्थान	0	0	0	0	7	309.28	0	0
24	सिक्किम	0	0	5	2.36	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	8	81.77	14	101.62	16	109.07	6	91.7
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	103	785.32	8110	422.94	5	421.84	133	1346.23
28	उत्तराखंड	128	39.67	199	138.39	177	210.62	0	0
29	पश्चिमी बंगाल	1286	80.47	3215	143.2	5	291.99	3	22.83
	अखिल भारत कुल योग	16630	4127.12	18885	3668.55	2715	5684.78	25384	2733.07

[अनुवाद]

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

380. **श्री पी. आर. नटराजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सुरक्षित मातृत्व तथा जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में कमी सुनिश्चित करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के नाम से कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हो तथा इस योजना में अब तक शामिल महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक आवंटित और उपयोग की गयी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) भारत सरकार ने सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य पहल के रूप में 1 जून, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की योजना शुरू की थी।

(ख) जन स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन सेक्शन सहित पूर्णता निःशुल्क प्रसव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समग्र छत्रछाया के तहत इस पहल की शुरूआत की गई हैं। इस योजना जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क औषधियां और उपभोज्य प्रदान करना, मुफ्त निदान, आवश्यकता अनुसार रक्त देना तथा सामान्य प्रसव हेतु तीन दिनों और सी सेक्शन हेतु 7 दिनों तक निःशुल्क आहार प्रदान किया जाता है। इस पहल में घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा, रेफरल तथा घर छोड़ने के मामले में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है। जन्म के पश्चात् 30 दिनों तक उपचार हेतु जन स्वास्थ्य संस्थानों तक आने वाले सभी बीमार नवजात को भी यह सुविधा दी जाती है।

(ग) वर्ष 2012-13 से 30 जून, 2012 के लिए जेएसएस के तहत निधियों के उपयोग और आवंटन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2012-13 में जेएसएस के अनुमोदन तथा व्यय

क्र. सं.	राज्य का नाम	ऐसी ही निःशुल्क पात्रताओं के लिए अनुमोदित कुल निधियां (लाख में)	कुल निधियों का व्यय (लाख में)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	91.25	0
2.	आंध्र प्रदेश	5784.61	8.54
3.	अरुणाचल प्रदेश	206.73	0
4.	असम	11394.14	158.56
5.	बिहार	14714.88	0
6.	चंडीगढ़	148.82	0
7.	छत्तीसगढ़	5828.31	138.69
8.	दादरा और नगर हवेली	42.77	4.70
9.	दमन और दीव	77.32	0.05
10.	दिल्ली	3132.99	1.36
11.	गोवा	524.4	8.47
12.	गुजरात	3055.8	8.08
13.	हरियाणा	4109.06	18.83
14.	हिमाचल प्रदेश	3434.41	38.26
15.	जम्मू और कश्मीर	2084.37	715.17
16.	झारखंड	10049.49	148.03
17.	कर्नाटक	8600.131	159.03

1	2	3	4
18.	केरल	5785.05	0
19.	लक्षद्वीप	7.8	0
20.	मध्य प्रदेश	9301.8	12.03
21.	महाराष्ट्र	16135.94	155.58
22.	मणिपुर	676.69	0
23.	मेघालय	1201.4	13.95
24.	मिजोरम	492.94	12.05
25.	नागालैंड	466.98	0
26.	ओडिशा	7217.34	0
27.	पुदुचेरी	467.38	0
28.	पंजाब	5297.49	0
29.	राजस्थान	16093.84	573.20
30.	सिक्किम	141	0.99
31.	तमिलनाडु	19798.87	63.63
32.	त्रिपुरा	1243.75	14.32
33.	उत्तर प्रदेश	37567.28	0
34.	उत्तराखंड	2612.39	228.40
35.	पश्चिम बंगाल	12949	871.66
	कुल भारत (लाख रु. में)	210758.42	3354.71

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

381. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :**

श्री मुरारी लाल सिंह :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) की राज्य-वार तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधियां कतिपय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए 'जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण' की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं की शैक्षिक योग्यताओं, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों तथा बाजार संभावना के आधार पर विभिन्न परंपरागत/आधुनिक व्यवसायों में जनजातीय युवाओं के कौशल का उन्नयन करना है। यह योजना आवश्यकता आधारित तथा मांग संचालित है। जो परियोजनाएं, योजना के दिशानिर्देशों को परिपूर्ण करती हैं और सभी प्रकार से पूर्ण हों, की प्राप्ति पर राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 30,000/-रुपये वित्तीय सहायता स्वीकार्य है, जिसमें शिक्षार्थी को 700/- मासिक वजीफा और कच्चा माल आदि के लिए प्रति शिक्षार्थी प्रतिवर्ष 1600/-रुपये शामिल हैं।

(ख) देश में योजना के तहत समर्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जो प्रस्ताव, सभी प्रकारों से पूर्ण तथा योजना के अनुसार हैं, के लिए राज्य सरकारों को निधियां स्वीकृत एवं निर्मुक्त की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बीटीसी की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

		बीटीसी की सं. तथा प्रशिक्षणार्थियों की सं. जिनके लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है						बीटीसी की सं. तथा प्रशिक्षणार्थियों की सं. जिनके लिए एनजीओ को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है					
		2009-10		2010-11		2011-12		2009-10		2010-11		2011-12	
		केन्द्र	शिक्षार्थी	केन्द्र	शिक्षार्थी	केन्द्र	शिक्षार्थी	केन्द्र	शिक्षार्थी	केन्द्र	शिक्षार्थी	केन्द्र	शिक्षार्थी
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	8	800	-	-	-	-	-	-
2	असम	-	-	10	500	-	-	2	180	1	100	2	200
3	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	11	477	-	-	-	-	-	-
4	गुजरात	-	-	13	1300	-	-	-	-	-	-	-	
5	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	1	100	1	80	-	-
6	मध्य प्रदेश	-	-	10	1000	10	1000	-	-	1	100	-	-
7	मेघालय	-	-	-	-	9	700	1	100	-	-	-	-
8	मिजोरम	-	-	5	500	-	-	-	-	-	-	-	-
9	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	2	200	1	60	1	60
10	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0	0
	कुल	-	-	38	3300	38	2977	6	580	5	440	3	260

[अनुवाद]

मातृत्व मृत्यु दर

382. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हरियाणा सहित देश में राज्य-वार मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) की वर्तमान स्थिति क्या है तथा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की मृत्यु की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) क्या सरकार का विचार एमआरएचएम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को परिवहन या एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने के लिए देशभर में युनिवर्सल टोल फ्री नंबर प्रदान करना प्रस्तावित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन मौतों को नियंत्रित करने के लिए देश में अतिरिक्त ऐसी इकाइयों को स्थापित करने और विद्यमान चिकित्सा प्रणाली के उन्नयन के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट – सादृश्य पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई-आरएस) – 2007-09 में उपलब्ध देश में मातृ-मृत्यु से संबंधित ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का मातृ-मृत्यु अनुपात 100,000 जीवित जन्मे बच्चों में 212 है।

आरजीआई-आरएस में तीन-तीन वर्षों के अंतराल में देश तथा प्रमुख राज्यों की मातृ-मृत्यु दर का उल्लेख है। 2007-09 की अवधि के लिए उपलब्ध हरियाणा सहित राज्य-वार नवीनतम मातृ-मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट – सादृश्य पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई-आरएस) – 2011 में उपलब्ध देश में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में 44 है। 2009, 2010, 2011 की अवधि के लिए उपलब्ध हरियाणा सहित राज्य-वार नवीनतम मातृ-मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र दायरे में भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) का शुभ आरंभ किया जिसमें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रजनन कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसूति की सुविधा दी जाती है।

सरकारी स्वास्थ्य संगठनों में जन्म के 30 दिनों तक उपचार के लिए सभी बीमार नवजात शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा दी गई है।

इस योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य संगठनों में आने वाले सभी गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क औषधियां तथा भोज्य सामग्री, निःशुल्क नैदानिक सुविधा, आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त और सामान्य प्रसूति के लिए 3 दिन तक तथा सी सेक्शन के लिए 7 दिनों तक निःशुल्क आहार की सुविधा दी जाती है। इस प्रयास में रेफरल के मामले में घर से सुविधाओं तथा सुविधा से घर तक निःशुल्क परिवहन का भी प्रावधान है।

जन्म के बाद 30 दिनों तक के बीमार नवजात शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए परिवहन की सुविधा या एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने हेतु अभी तक पूरे देश के लिए सर्वव्यापी निःशुल्क नम्बर का अभी तक प्रस्ताव नहीं किया गया है।

राज्यों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है जिसमें सरकारी निजी भागेदारी के तहत निःशुल्क नम्बर का प्रयोग, सरकारी एम्बुलेन्स और उपलब्ध वाहनों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन उपचार वाहनों के नेटवर्क सहित विभिन्न प्रकार के मॉडल का उपयोग किया जाता है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मौजूदा चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने और मातृ तथा शिशु मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:–

- उत्तम प्रजनन, मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए 16801 प्रसूति केन्द्रों की पहचान करके उन्हें मजबूत बनाया गया।
- जन्म के समय, बुनियादी तथा व्यापक प्रसूति और नवजात परिचर्या, शिशु तथा नवजात परिचर्या में कुशल देखरेख में स्वास्थ्य परिचर्या परदाताओं की क्षमता निर्माण।
- जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से अस्पतालों में प्रसूति का संवर्धन।
- रक्त की कमी की रोकथाम और उपचार के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन

और फौलिक एसिड सम्पूर्ण आहार सहित प्रसवपूर्व, प्रसूति दौरान तथा प्रसूति उपरान्त परिचर्या।

- माताओं और बच्चों के लिए सेवा अदायगी के लिए महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से महिला तथा बाल सुरक्षा कार्ड
- समुदाय द्वारा मांग सर्जन और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 8.71 लाख आशा कर्मियों की तैनाती।
- मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस।
- सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशु पद्धतियों में सुधार करने और बीमार नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाना तथा रेफर करने के लिए आशा के माध्यम से घरों में नवजात परिचर्या (एचबीएनसी)
- सुविधाओं को मजबूत बनाकर नवजात परिचर्या: जन्म के समय अत्यावश्यक नवजात शिशु परिचर्या मुहैया कराने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, जहां प्रसूतियां होती हैं, नवजात शिशु परिचर्या कार्नर (एनबीसीसी) स्थापित किए जा रहे हैं; बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए जिला अस्पतालों में विशेष नवजात शिशु परिचर्या यूनिट और प्रथम रेफरल एकक में नवजात शिशु स्थिरीकरण यूनिट बनाई जा रही है। आज की तारीख में देशभर में 399 विशेष नवजात शिशु परिचर्या यूनिट और 1542 नवजात शिशु स्थिरीकरण यूनिट और 11508 एनबीसीसी कार्य कर रही हैं।
- डायरिया तथा गंभीर श्वसन रोग का शीघ्र पता लगाना और समुचित उपचार।
- शिशुओं और छोटे बच्चों को स्तनपान।
- टीकों द्वारा निदान योग रोगों के लिए टीकाकरण।
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसूति कराने वाली महिलाओं और जन्म के 30 दिन तक उपचार के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाली बीमार नवजात शिशुओं के लिए जेब से होने वाले खर्च को समाप्त करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।

कुपोषण का उपचार कुपोषण, जो बाल मृत्यु का एक महत्वपूर्ण निहित कारक है को कम करने पर बल दिया जा रहा है। गंभीर कुपोषण के उपचार के लिए 647 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। रक्त की कमी की रोकथाम के लिए बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड भी मुहैया कराया जाता है। हाल ही में किशोर बालिकाओं के लिए साप्ताहिक रूप में आयरन और फौलिक एसिड का वितरण प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि स्तनपान कराने से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आती है इसलिए महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने तथा छोटे बच्चों की स्तनपान पद्धतियों का संवर्धन किया जा रहा है।

- **व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम:** व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को 7 रोगों से लड़ने के लिए टीके लगाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा टीके और सिरिंजों के आपूर्ति, कोल्ड चैन उपकरणों और प्रचालन लागत के प्रावधान द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सहायता दी जाती है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं को टीकों से उपचार योग्य 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लगाने का लक्ष्य है। 80 प्रतिशत से अधिक कवरेज वाले 21 राज्यों ने खसरे की द्वितीय खुराक को अपने प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया है। केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में पेन्टावेलेंट टीके प्रारंभ किए गए हैं तथा 6 और राज्यों में इन्हें शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012-13 को नेमि प्रतिरक्षण को तेज करने वाले वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की गई है।
- **मां और बच्चों की ट्रेकिंग प्रणाली:** सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की ट्रेकिंग के लिए वेब आधारित मां और बच्चा ट्रेकिंग प्रणाली प्रारंभ की गई है ताकि उन्हें मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं पर निगरानी रखी जा सके।

विवरण-I

मातृ-मृत्यु अनुपात

भारत और राज्य-वार

[*स्रोत:* आरजीआई, (एसआरआर) 2007-09]

बड़े राज्य	एमएमआर (2007-09)
1	2
भारत कुल	212
असम	390
बिहार/झारखंड	261
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	269
ओडिशा	258
राजस्थान	318
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	359
आंध्र प्रदेश	134
कर्नाटक	178
केरल	81
तमिलनाडु	97
गुजरात	148
हरियाणा	153
महाराष्ट्र	104
पंजाब	172
पश्चिम बंगाल	145
अन्य	160

विवरण-II

नवजात शिशु मृत्यु दर में राज्य-वार प्रवृत्ति

क्र. सं.	राज्य	1000 जीवित जन्मों की दर से नवजात शिशु मृत्यु दर, एस आर एस									
		2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत		**66**	**60**	**58**	**58**	**57**	**55**	**53**	**50**	**47**	**44**
	बड़े राज्य										
1.	आंध्र प्रदेश	66	59	59	57	56	54	52	49	46	43
2.	असम	73	67	66	68	67	66	64	61	58	55
3.	बिहार	62	60	61	61	60	58	56	52	48	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	छत्तीसगढ़	76	70	60	63	61	59	57	54	51	48
5.	दिल्ली	29	28	32	35	37	36	35	33	30	28
6.	गुजरात	60	57	53	54	53	52	50	48	44	41
7.	हरियाणा	65	59	61	60	57	55	54	51	48	44
8.	जम्मू और कश्मीर	48	44	49	50	52	51	49	45	43	41
9.	झारखंड	62	51	49	50	49	48	46	44	42	39
10.	कर्नाटक	58	52	49	50	48	47	45	41	38	35
11.	केरल	11	11	12	14	15	13	12	12	13	12
12.	मध्य प्रदेश	86	82	79	76	74	72	70	67	62	59
13.	महाराष्ट्र	45	42	36	36	35	34	33	31	28	25
14.	ओडिशा	90	83	77	75	73	71	69	65	61	57
15.	पंजाब	51	49	45	44	44	43	41	38	34	30
16.	राजस्थान	79	75	67	68	67	65	63	59	55	52
17.	तमिलनाडु	49	43	41	37	37	35	31	28	24	22
18.	उत्तर प्रदेश	82	76	72	73	71	69	67	63	61	57
19.	पश्चिम बंगाल	51	46	40	38	38	37	35	33	31	32
					छोटे राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	39	34	38	37	40	37	32	32	31	32
2.	गोवा	19	16	17	16	15	13	10	11	10	11
3.	हिमाचल प्रदेश	54	49	51	49	50	47	44	45	40	38
4.	मणिपुर	20	16	14	13	11	12	14	16	14	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	मेघालय	56	57	54	49	53	56	58	59	55	52
6.	मिजोरम	19	16	19	20	25	23	37	36	37	34
7.	नागालैंड	एनए	एनए	17	18	20	21	26	26	23	21
8.	सिक्किम	42	33	32	30	33	34	33	34	30	26
9.	त्रिपुरा	39	32	32	31	36	39	34	31	27	29
10.	उत्तराखंड	48	41	42	42	43	48	44	41	38	36
	संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	18	19	27	31	34	31	27	25	23
2.	चंडीगढ़	24	19	21	19	23	27	28	25	22	20
3.	दादरा और नगर हवेली	58	54	48	42	35	34	34	37	38	35
4.	दमन और दीव	40	39	37	28	28	27	31	24	23	22
5.	लक्षद्वीप	33	26	30	22	25	24	31	25	25	24
6.	पुदुचेरी	22	24	24	28	28	25	25	22	22	19

इस्पात निर्माताओं को सी-टाइप खानों का आबंटन

383. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात निर्माताओं को सी-टाइप खानों के आबंटन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने समाज परिवर्तन समुदाय तथा अन्य के द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) संख्या 562/2009 में अपने अंतरिम आदेशों के तहत कर्नाटक के बेल्लारी, टुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में लौह अयस्क खनन पट्टों में खनन प्रचालनों तथा परिवहन के स्थगन के आदेश दिए थे। उक्त क्षेत्रों में खनन पट्टों में फील्ड सर्वेक्षण हेतु एक संयुक्त दल का गठन किया गया था। इस दल के निष्कर्षों पर एक केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी)

ने विचार-विमर्श किया था। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान खनन पट्टों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया नामत: 'क' (अत्यल्प/बिना अवैधता सहित), 'ख' (पट्टा क्षेत्र में 10 प्रतिशत तक अवैध खनन सहित) तथा 'ग' [पट्टा क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक अवैध खनन और अथवा वन्य (संरक्षण) अधिनियम के घोर उल्लंघन सहित]। सरकार को 'ग' श्रेणी के खानों के आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य सरकार की स्कीम का अनुमोदन

384. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आदिवासियों के लिए प्रारंभ की गयी राज्य सरकारों की स्कीमों का अनुमोदन करती है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित देशभर से प्राप्त अनुमोदित और केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित ऐसी स्कीमों के प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे लंबित स्कीमों के कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् (1) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और (2) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता सहित देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है, जिसके लिए आबंटन का निर्णय वार्षिक आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जाता है। यह राज्य जनजातीय उपयोजना की योगज है। इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अलग-अलग योजनाओं के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं जब उनके प्रस्ताव संगत योजनाओं की पात्र शर्तों को पूरा करते हैं जो निधियों की उपलब्धता तथा विगत निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता के अधीन हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एवं इनकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

एलआईसी प्रीमियम

385. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इस वर्ष जीवन बीमा उद्योग के प्रीमियम संग्रहण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) देश में जीवन बीमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने यह सूचित किया है कि जीवन बीमा उद्योग द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम 30 सितम्बर, 2012 को समाप्त अवधि की तुलना में 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त अवधि के दौरान 2.33% कम हो गया। कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रीमियम संग्रहण में नकारात्मक वृद्धि के कई कारण हैं जो समग्र रूप से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं।

(ग) आईआरडीए ने यह भी सूचित किया है कि प्राधिकरण बीमा व्यवसाय में वृद्धि में सहायता के संभव तरीके की जांच करने हेतु जीवन बीमा कंपनियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श करता है।

विवरण

संग्राहित प्रीमियम का कंपनी-वार ब्यौरा

बीमाकर्त्ता	कुल प्रीमियम (करोड़ रुपये में)		पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
	01.04.2012 से 30.09.2012 तक	01.04.2012 से 30.09.2011 तक	
1	2	3	4
एजोन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	180.99	175.37	3.11
अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	947.11	1042.06	-10.03
बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	2803.54	3066.17	-9.37
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	325.42	349.37	-7.36
बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी	2350.46	2716.1	-15.56
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	909.3	841.2	7.49
डीएलएफ प्रामेरिकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	97.92	67.97	30.59
एडलविश टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	10.53	0.79	92.50
फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	277.45	312.42	-12.60
एचडीआरसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	4348.38	4143.58	4.71
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	5883.15	6037.68	-2.63
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	302.65	318.04	-5.09
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	330.56	369.65	-11.83
आईएनजी वैश्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	723.4	695.03	3.92
कोटेक महिन्द्रा ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	1076.56	1186.66	-10.23
मैक्स इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	2900.88	2872.84	0.97

1	2	3	4
मैटलाइफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	1042.74	990.98	4.96
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	1829.79	2353.49	-28.62
सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	80.68	91.12	-12.94
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	4074.21	5050.86	-23.97
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	266.7	305.64	-14.60
स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	345.64	368.56	.6.63
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	1314.88	1703.47	-29.55
निजी क्षेत्र कुल	32422.94	35059.05	-8.13
भारतीय जीवन बीमा निगम*	87780.71	87937.90	-0.18
उद्योग कुल	120194.49	122996.76	-2.33

*भारतीय जीवन बीमा निगम का सकल प्रीमियम ब्यौरा अनंतिम है।

[हिन्दी]

आईसीडीएस स्कीम में खामियां

386. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) के कार्यक्रम में सुधार करने तथा क्रियान्वयन में खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश/सलाह जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए पांच स्तरीय निगरानी और समीक्षा तंत्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) स्कीम के कार्यकरण में सुधार लाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में कमियों को दूर करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कार्य में सुधार लाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है और जब भी राज्यों के दौरों के दौरान कोई कमियां पाई जाती हैं तो का पत्रों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से समाधान किया जाता है और कमियों को दूर करने और स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए संवीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं।

इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमगत, प्रबंधकीय और संस्थागत सुधारों के लिए तथा प्रशासनिक और परिचालनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने आईसीडीएस को सुदृढ़ी और पुनर्गठित करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। तब इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को प्रशासनिक अनुमोदन भेजा गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तरों पर पांच स्तरीय मानीटरिंग और समीक्षा तंत्र शुरू की है और 31.3.2011 को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य स्तरीय समितियां अन्य बातों के अलावा आईसीडीएस स्कीम के संपूर्ण निष्पादन का मानीटरन और संवीक्षा करेंगी। ये समितियां कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी सुझाव देंगी।

जिला स्तरीय समितियों से अपेक्षा है कि वे राज्य स्तरीय समितियों को सुझाव दें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिकायतों/शिकायत के समाधान और कार्यान्वयन की समस्याएं शामिल होंगी।

इन समितियों में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की सहभागिता से राज्य तथा जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श करना संभव होगा और यह उन्हें प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए मंच प्रदान करेगा।

[अनुवाद]

बच्चों की निगरानी पद्धति

387. श्री गजानन ध. बाबर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की निगरानी पद्धति संस्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित देश में 'बाल खोजी' नामक परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया है। इसका लक्ष्य समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास की सेवा प्राप्त करने वाले सभी बच्चों के अद्यतन आंकड़े रखना है। सॉफ्टवेयर से भी उपरोक्त बच्चों तथा पुलिसथानों में दर्ज किए गए गुमशुदा बच्चों की पहचान का ब्यौरा रखने वाले राष्ट्रीय पोर्टल की स्थापना करने की व्यवस्था होती है। इस पोर्टल से स्कीम के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट किए गए बच्चों के साथ मिलान करना सुसाध्य होगा।

ऋण देने की दरों में कटौती

388. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक कतिपय श्रेणियों में ऋण देने की दरों में कटौती करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं तथा देश के बाजार पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) बैंक की परिसम्पत्ति-देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) अपनी उधार दरों पर राय बनाने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पारिसम्पत्ति-देयता प्रबंध समिति की 18.09.12 को हुई बैठक के उपरांत एसबीआई ने 20.09.12 से अपनी आधार दर को 10% से घटा कर 9.75% और 27.09.12 से बैंक मूल उधार दर को 14.75% से घटा कर 14.5% कर दिया। इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने भी विभिन्न प्रकार के ऋणों पर अपनी उधार दरों को कम कर दिया है। उधार दरों में कमी करने से निवेश में तेजी लाने और अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बाल कलाकार

389. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य के मद्देनजर कि हाल के वर्षों के दौरान बाल कलाकारों की संख्या तेजी से बढ़ी है: बाल कलाकारों के मामलों की जांच करने तथा उनके लिए उभरते हुए क्षेत्रों को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को टीवी रियल्टी शो में भाग लेने के कारण बच्चों पर पड़ने वाले नाकारात्मक प्रभाव की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनसीपीसीआर द्वारा क्या सिफारिशें की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सरकार ने 'बाल कलाकारों' के उभरते हुए क्षेत्रों को विनियमित करने हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने टेलीविजन (टीवी) रियल्टी शो में बच्चों के भाग लेने को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने हेतु एक कार्यदल का गठन किया है। इन दिशा-निर्देशों में उन कार्यक्रमों की सूची है जिसमें बच्चे शामिल हैं जैसे टीवी/रियल्टी शोज में भाग लेने के लिए बच्चों की आयु संबंधी मानकों की परिभाषा, बाल सुरक्षा और निरीक्षण, बच्चों की शारीरिक स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, माता-पिता/संरक्षक की सहमति के लिए निबंधन और शर्तें, भाग ले रहे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना, विनियामक और मॉनीटरन तंत्र की स्थापना; बच्चों को भुगतान और गोपनीयता सुनिश्चित करना शामिल है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय मदों पर राजसहायता में कटौती

390. **श्री एस. सेम्मलई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दी गई कुल राजसहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कतिपय मदों पर दी जा रही राजसहायता में कटौती करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल राजसहायता खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रुपये में)

	वास्तविक 2009-10	वास्तविक 2010-11	संशोधित 2011-12	बजट 2012-13
1	2	3	4	5
राजसहायता	141,351	173,420	216,297	190,015

1	2	3	4	5
जिसमें से				
खाद्य के लिए	58,443	63,844	72,823	75,000
उर्वरक के लिए	61,264	62,301	67,199	60,974
पेट्रोलियम के लिए	14,951	38,371	68,481	43,580
सकल घरेलू उत्पाद	64,57,352	76,74,148	89,12,179	101,59,884
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजसहायता	2.2%	2.3%	2.4%	1.9%

(ख) और (ग) सार्वजनिक खर्च की गुणता में सुधार के लिए सरकार, केन्द्रीय राजसहायता पर व्यय को 2012-13 में जीडीपी के 2 प्रतिशत तक सीमित करने और अगले तीन वर्षों में इसे और कम करके जीडीपी के 1.75 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करेगी।

सभी के लिए मुफ्त दवाएं

391. **श्री पी. कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार सभी के लिए मुफ्त दवाओं की राष्ट्रीय योजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्कीम की विशेषताएं क्या हैं और उपरोक्त स्कीम कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सभी गरीब व्यक्तियों को दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप अध्याय में स्वास्थ्य परिचर्या पर जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए सरकारी सुविधाओं में अत्यावश्यक दवाईयों की मुफ्त सुगमता की लागत के बारे में एक प्रस्ताव है। ऐसी किसी भी योजना के अनिवार्य शर्तों में अत्यावश्यक दवाईयों की सूची तैयार करना, मानक उपचार दिशा-निर्देश तैयार करना, बेहतर प्रापण प्रणालियां, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आपूर्ति शृंखला प्रणाली, औषधियों के गोदाम, गुणवत्ता आश्वासन, निर्देशों की लेखा परीक्षा इत्यादि शामिल होगी।

(ग) और (घ) सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मुफ्त अत्यावश्यक दवाईयां प्रदान करने के लिए कई क्षेत्रों से अनुरोध आए हैं। व्यापक स्वास्थ्य कवरेज पर योजना आयोग द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने मुफ्त अत्यावश्यक दवाईयों के प्रावधान के लिए भी सिफारिश की है। हालांकि औषधियों पर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी व्यय को जीडीपी के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है।

(ङ) एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यों से उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वालों को बेरोकटोक अत्यावश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2012-13 में उन सभी लोगों

के लिए जिनकी पहुंच सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक है मुफ्त जेनेरिक दवाईयां देने के लिए नीतियों के कार्यढांचे और प्रणाली को स्थापित करने के लिए राज्यों को उनके एनआरएचएम परिव्यय में 5 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन शुरू किया गया है।

विदेशी बैंकों को कर रियायत

392. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी बैंकों को कर रियायत देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में विदेशी बैंकों हेतु कोई स्कीम तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 2012 के जरिए वित्त वर्ष 2012-13 से लागू एक नई धारा 115 जेजी आयकर अधिनियम, 1961 में शामिल की गई है। नई धारा 115 जेजी में ऐसी विदेशी कंपनियों के लिए कतिपय कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है जो भारत में स्थित अपनी शाखा, जिसके माध्यम से यह भारत में बैंकिंग के व्यवसाय में शामिल है, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित योजना के अनुसरण में भारतीय सहायक कंपनी में परिवर्तित करती है। कर प्रोत्साहनों में ऐसे परिवर्तन में उत्पन्न पूंजी अभिलाभ के कराधान से छूट तथा विनिर्दिष्ट ढंग से असमाहित मूल्यह्रास एवं अग्रनीत करने और हानियों को प्रतितुलित करने की व्यवस्था शामिल है।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक भारत में विदेशी बैंकों की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है।

एफडी तथा डाक बचत का डीमैट फार्मेट

393. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफडी, डाक बचतों तथा बीमा पत्रों हेतु डीमैट फार्मेट का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बीमा धारकों को बीमा पालिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करने तथा कार्यकुशलता, पारदर्शिता लाने तथा लागत में कमी करने के लिए बीमा पॉलिसी में शीघ्रता तथा शुद्धता से परिवर्तन, संशोधन तथा आशोधन करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार ने बीमा संग्राहकों तथा बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने के संबंध में दिनांक 27.04.2011 को दिशा-निर्देश जारी किया है।

डाक विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि सावधि जमाओं तथा डाक बचतों के डीमैट फार्मेट के संबंध में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता

394. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक केन्द्र सरकार के पास विदेशी सहायता हेतु राज्यों के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विकास स्कीमों हेतु विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं एशियाई विकास बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता का परियोजना-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार की सहायता के निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ङ) उसमें से कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) आर्थिक कार्य विभाग के पास ऐसे कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। तथापि, विदेशी एजेंसियों से सहायता मांगने वाले 16 राज्यों से 28 प्रस्ताव हैं जिन्हें संबंधित एजेंसी-वार रोलिंग योजना/पाइपलाइन में शामिल किया गया है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) रोलिंग योजना/पाइपलाइन में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित विचार-विमर्श किए जाते हैं। किसी प्रस्ताव को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी अंतिम निर्णय विदेशी दाता एजेंसी पर निर्भर करता है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विदेशी सहायता का अनुरोध करने वाले विभिन्न राज्यों के प्रस्ताव जो केन्द्रीय सरकार में आज की तिथि के अनुसार लंबित हैं

क्रम सं.	परियोजना विवरण	राज्य	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
अः जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीआईसीए)			
1	भोपाल की 10 झीलों के परिरक्षण और प्रबंध योजना•	मध्य प्रदेश	216.62
2	आंध्र प्रदेश वन उत्पादकता संवर्धन परियोजना	आंध्र प्रदेश	2308.87
3	उत्तराखंड एनटीएफपी आधारित जीविकोपार्जन उत्पादन परियोजना	उत्तराखंड	657.68
4	जम्मू-कश्मीर में समेकित वन संसाधन प्रबंधन	जम्मू और कश्मीर	1120.5
5	नागालैंड वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना	नागालैंड	339.73
6	लोकतक झील (मणिपुर) का परिरक्षण और सतत विकास	मणिपुर	324.31
7	बरौनी/बिहार • में 2x50 मेगावाट क्षमता की यूनिटों को 1x250 मेगावाट क्षमता में पूर्ण रूप से बदलना	बिहार	1965.65
8	1x600 मेगावाट डीसीआर टीपीपी/हरियाणा	हरियाणा	2707.82
9	बारकेश्वर-6 टीपीपी (1*500 मेगावाट सब क्रिटिकल) डब्ल्यूबीपीडीसीएल	पश्चिम बंगाल	2021.98
10	पश्चिम बंगाल विद्युत पारेषण परियोजना	पश्चिम बंगाल	546
11	400/220 केवी फेडरा और सांखरी उप-केंद्र और संबद्ध लाइनें	गुजरात	470.87

1	2	3	4
12	शहरी क्षेत्रों, पश्चिम गुजरात में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली विज कंपनी लिमिटेड	गुजरात	1968.80
13	हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहरों और आसपास की नगरपालिकाओं के लिए जलापूर्ति और जलमलवहन क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	2221
14	इम्फाल शहर के लिए 45 एमएलडी. (10 मिलियन गैलन प्रतिदिन) के लिए जल आपूर्ति बढ़ाना और थाउबल बांध परियोजना से कच्चे जल की आपूर्ति	मणिपुर	634.53
15	ओडिशा के संबलपुर और बेहरामपुर नगरों के लिए एकीकृत जलमलवहन और स्वच्छता परियोजना	ओडिशा	860
16	उत्तर और दक्षिणी गुवाहाटी जलमलवहन परियोजना	असम	586
17	बंगलोर के 110 गांवों के लिए जलापूर्ति एवं जलमलवहन सुविधाएं	बंगलौर	2023
18	आगरा जलापूर्ति परियोजना (अतिरिक्त ऋण)•	आगरा	695.052
19	पुरुलिया जिले में पाइप द्वारा जलापूर्ति	पश्चिम बंगाल	1276.61
20	रंगाली सिंचाई परियोजना-एलबीसी-II चरण-II•	ओडिशा	1074.36
21	केरल में टेक्नोसिटी परियोजना के लिए अवसंरचना की स्थापना करने के लिए परियोजना प्रस्ताव	केरल	1260
22	कोचीन औद्योगिक जलापूर्ति योजना	केरल	665
23	औद्योगिक विकास जोन, पलक्कड परियोजना के लिए औद्योगिक जलापूर्ति एवं गंदे पानी को साफ करने की परियोजना	केरल	198.3
24	मणिपुर सेरीकल्चर प्रोजेक्ट (चरण-II)	मणिपुर	356
25	माइक्रो ड्रिप सिंचाई द्वारा बागवानी विविधिकरण कार्यक्रम	झारखंड	291.82
26	वृहत जनजातीय विकास परियोजना, व्यानाड•	केरल	1042.5
ब. अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूके			
27	ओडिशा अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों के लिए बालिका स्थितिजन्य प्रोत्साहन कार्यक्रम	ओडिशा	200.00
28	ओडिशा में शहरी अवसंरचना के लिए सहायता	ओडिशा	200.00

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में योजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक/ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उसका उपयोग

परियोजना/राज्य	करार की तारीख	प्राधिकृत धनराशि
1	2	3
क : अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)		
4812 आई एन मिजोरम राज्य सड़क परियोजना के लिए द्वितीय अतिरिक्त वित्तपोषण	22/10/2010	599677.98
4850 आई एन उत्तराखंड विकेंद्रीकृत वाटरशेड विकास पीआर के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	17/03/2011	355622.99
4653 आई एन आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	22/01/2010	7126048.02
4675 आई एन आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	29/12/2009	4640045.76
4802 आई एन बिहार - कोसी बाढ़ रिकवरी परियोजना	12/01/2011	10375823.7
5123 आई एन बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	09/07/2012	5363285.8
4768 आई एन दूसरी कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	17/07/2010	6924188.8
4872 आई एन केरल स्थानीय सरकार और डिलीवरी सेवा परियोजना	04/07/2011	9635574.4
4809 आई एन महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना	02/11/2010	4595206.87
4632 आई एन दूसरी मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	20/07/2009	4765452.4
4787 आई एन बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	21/12/2011	8717900.64
4709 आई एन राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	21/05/2010	864651.98
4859 आई एन राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	24/05/2011	8025884.37
5085 आई एन राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना	13/04/2012	5836516.9
4756 आई एन तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	06/07/2010	5411047.85
4837 आई एन तमिलनाडु अधिकार प्राप्त और गरीबी उन्मूलन 'वझन्दु काद्रूवोम' परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	23/12/2010	6903269.8
4640 आई एन उत्तर प्रदेश सोडिक संबंधी भूमि रिक्लेमेशन-III परियोजना	20/07/2009	9390744.44
5033 आई एन उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना	21/03/2012	7213517.44
4758 आई एन पश्चिम बंगाल संस्थागत ग्राम पंचायत परियोजना के सुदृढ़ीकरण	15/07/2010	9190413.74
5014 आई एन पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास	21/12/2011	5882138.31

2009-2010 में उपयोग की गई राशि	2010-2011 में उपयोग की गई राशि	2011-2012 में उपयोग की गई राशि	2012-2013 तथा 19/11/2012 में उपयोग की राशि
4	5	6	7
0.00	276,348.52	333,167.02	0.00
0.00	0.00	268,383.45	26,769.97
682,950.00	0.00	0.00	56,858.94
454,400.00	1,374,112.70	2,705,480.88	0.00
0.00	898,800.00	46,042,36	344,448.40
0.00	0.00	0.00	69,371.23
0.00	356,359.73	922,026.13	973,098.87
0.00	0.00	1,489,425.64	1,753,399.89
0.00	226,500.00	96,757.90	183,458.58
633,456.17	132,976.36	944,459.28	815,410.15
0.00	0.00	0.00	281,250.00
0.00	0.00	107,734.36	156,688.28
0.00	0.00	589,785.94	12,784.13
0.00	0.00	0.00	5,768.42
0.00	779,129.62	1,415,718.92	654,018.22
0,00	674,100.00	9,979.88	368,134.80
148,224.74	618,958.52	902,478.34	886,640.68
0.00	0.00	0.00	570,900.49
0.00	590,794.20	2,543,939.31	229,136.88
0.00	0.00	572.29	0.00

1	2	3
5062 आई एन असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का अतिरिक्त वित्तपोषण	13/04/2012	2706549.8
5027 आई एन दूसरी केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	15/02/2012	7371477.68
97375 आई एन आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीबों के लिए वित्तीय पहुंच उपयोग में वृद्धि	27/9/2010	86538.08
ख : अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक		
7792 आई एन एपी सड़क क्षेत्र परियोजना	22/01/2010	15187087.04
7816 आई एन एपी नगर विकास परियोजना	22/01/2010	14237894.1
7897 आई एन एपी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	14/08/2010	20523189.37
7748 आई एन हरियाणा पावर सिस्टम सुधार परियोजना	17/08/2009	15661683.51
8022 आई एन दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	30/05/2011	16739647.75
7687 आई एन कोयला चालित उत्पादन पुनर्वास परियोजना	17/12/2009	8542736.46
7818 आई एन सतत शहरी परिवहन परियोजना	02.05.2010	4994178.65
7941 आई एन मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-2क	23/7/2010	19584934.37
7943 आई एन बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	21/12/2011	8369823.88
7865 आई एन तमिलनाडु रोड़ सेक्टर परियोजना	....	2309200.4
8090 आई एन पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास	21/12/2011	5978445.63
8136 आई एन असम राज्य सड़क परियोजना	5.11.2012	17409021.4
टीएफ 0111446 असम पीडब्ल्यूआरडी कम्प्यूटरीकरण परियोजना को बढ़ाना	....	95205.59
टीएफ 094443 वाटरशेड प्रबंधन निदेशालय परियोजना उत्तराखंड	26/08/2009	355472.76
टीएफ 011445 बिहार सड़क निर्माण विभाग परियोजना की सुदृढ़ीकरण क्षमता	22/02/2012	71741.35
टीएफ 096841 बिहार बाढ़ प्रबंधन कार्यान्वयन समर्थन परियोजना-2	31/5/2010	68319.54
टीएफ 09984 कर्नाटक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना	26/7/2011	18303.61
टीएफ 95445 - कर्नाटक शिक्षा शासन सुधार	23/10/2009	23680.66
टीएफ 094676 कोयला चालित पुनर्वास परियोजना	17/12/2009	2154667.97
टीएफ 095549 - सतत शहरी परिवहन परियोजना	....	964854.62
टीएफ 094332 आईडीएफ राजस्थान पीएफएम और खरीद श्मता निर्माण के लिए अनुदान	20/5/2009	23634.9
टीएफ 011450 तमिलनाडु के लिए विकलांगता और विकास कर समर्थन करने के लिए टीएपीजीएम	13/3/2012	133249.03

4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13383	1653.34	0.00
719358	345722.33	731835.11	719929.56
944732.5	8078.78	111768.03	26201.05
0	1840252.61	699151.54	1531689.24
1273831.42	3068210	961890.07	0
0	0	765597.16	336497.62
20448	0	0	0
0	363953.18	276379.47	153614.78
0	47654.75	2482872.76	190738.61
0	0	0	22614.38
0	787143.01	868015.36	130891.63
0	0	15703.13	50969.87
0	0	0	0
0	0	0	16644
32627	110256.56	90004.03	49540.11
0	0	0	10498
0	13961.75	4022.9	9630.3
0	0	1526.93	1205.08
3507.75	503.7	456.15	8947.53
0	0	11100.34	14776.26
0	97603.14	32478.83	14743.05
2326.5	3249.04	3817.26	5951.61
0	0	0	12632.5

1	2	3
ग : एशियाई विकास बैंक (एडीबी)		
2592-आईएनडी असम पावर सेक्टर संवर्धन निवेश कार्यक्रम - परियोजना-1	15/02/2010	2861816.71
2677-आईएनडी असम पावर सेक्टर संवर्धन निवेश कार्यक्रम - परियोजना-2	17/01/2011	4085508.4
2684-आईएनडी असम एकीकृत बाढ़ और रिवरबैंक क्षरण जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम	10/05/2011	2721388.45
2800-आईएनडी असम पावर सेक्टर संवर्धन निवेश कार्यक्रम - (एमएफएफ) परियोजना-3	27/02/2012	2391378.25
2806-आईएनडी असम शहरी अवसंरचना निवेश परियोजना-1	09/03/2012	3874032.77
2596-आईएनडी हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम - परियोजना-2	12/03/2010	2804865.14
2687-आईएनडी हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम - परियोजना-3	17/01/2011	9473642.67
2794 आईएनडी हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा पारेषण निवेश कार्यक्रम - परियोजना-1	15/12/2011	5404514.85
2528-आईएनडी राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्र राजधानी नगर विकास कार्यक्रम - परियोजना-1	04/08/2009	1423789.41
2536-आईएनडी मिजोरम सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	17/09/2009	4461206.82
2537-आईएनडी मिजोरम में सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन परियोजना का विकास	17/09/2009	284757.88
2578-आईएनडी दक्षिण एशिया पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना - भारत भाग	04/10/2010	910927.18
2663-आईएनडी बिहार राज्य राजमार्ग-।। परियोजना	22/12/2010	13663907.7
2681-आईएनडी बिहार पावर सिस्टम सुधार परियोजना	15/06/2011	6322804.09
2594-आईएनडी झारखंड राज्य सड़क परियोजना	16/07/2010	9109271.8
2638-आईएनडी उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश परियोजना-2	16/12/2010	5602202.16
2705-आईएनडी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	20/07/2011	15065683
2837-आईएनडी एग्रीबिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर देव. निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	18/01/2012	1162209.83
2520-आईएनडी एमपी पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम - (परि.5)	27/05/2009	7878301.4
2732-आईएनडी मध्यप्रदेश पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम - (परि.6)	10/05/2011	3300101.99
2736-आईएनडी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परियोजन-।।।	15/06/2011	14348269.5
2764-आईएनडी मध्य प्रदेश ऊर्जा दक्षता सुधार निवेश कार्यक्रम परियोजना	17/08/2011	9565513
2830-आईएनडी मध्य प्रदेश ऊर्जा दक्षता सुधार निवेश कार्यक्रम - परियोजना-2	27/02/2012	9565513
2725-आईएनडी राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम - परियोजना-3	17/03/2011	2869420.62
2669-आईएनडी एग्री बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निवेश कार्यक्रम - परियोजना-1 (बिहार)	....	3677655.78
2778-आईएनडी गुंजरात सौर विद्युत निगम	27/2/2012	4782756.5
2926-आईएनडी पश्चिम बंगाल विकास वित्त कार्यक्रम	....	21761276.8

4	5	6	7
0.00	148,533.92	275,957.13	421,011.86
0.00	0.00	103,852.54	278,022.92
0.00	0.00	14,255.90	108,932.96
0.00	0.00	0.00	99,146.70
0.00	0.00	0.00	25,747.52
0.00	605,679.17	668,303.80	211,630.40
0.00	0.00	2,164,994.39	1,074,415.66
0.00	0.00	0.00	88,144.77
0.00	154,609.86	195,399.75	61,014.07
2,214,640.00	0.00	1,966,400.00	0.00
0.00	0.00	5,709.59	0.00
0.00	0.00	7,317.75	2,198.33
0.00	0.00	1,591,483.98	684,533.82
0.00	0.00	0.00	248,141.55
0.00	830,147.23	241,534.45	1,224,713.28
0.00	0.00	916,668.70	527,146.00
0.00	0.00	460,628.73	420,603.98
0.00	0.00	0.00	5,841.83
268,674.38	1,093,004.05	1,953,524.60	876,121.88
0.00	0.00	232,667.37	317,581.61
0.00	0.00	1,773,650.51	1,577,697.50
0.00	0.00	1,163,017.40	598,843.96
0.00	0.00	0.00	1,267,514.18
0.00	0.00	598,323.98	38,022.38
0.00	0.00	0	0
0.00	0.00	0	0
0.00	0.00	0	0

विवरण-III

विदेशी ऋण की निबंधन और शर्तें

क्रम सं.	देश/संस्था	रियायत की अवधि (वर्षों में)	परिपक्वता (वर्षों में)	ब्याज दर (%)	प्रतिबद्धता प्रभार (%)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	एडीबी	0 से 5	12 से 20	लिबोर + स्प्रेड	0.15	(क) स्प्रेड 30.9.2007 तक 0.40 प्रतिशत, 1.10.2007 से 30.6.2010 तक 0.20 प्रतिशत, 1.7.2010 से 30.6.2011 तक 0.30 प्रतिशत तथा 1.7.2011 के बाद 0.40 प्रतिशत था। (ख) वचनबद्धता प्रभार: (i) 31.12.2006 तक वार्ता किए गए ऋणों के संदर्भ में प्रगामी आधार पर 0.75 प्रतिशत। (ii) असंवितरित परियोजना ऋणों पर 0.35 प्रतिशत तथा 1.1.2007 से 30.09.2007 तक वार्ता किए गए कार्यक्रम ऋणों पर 0.75 प्रतिशत। (iii) 01.10.2007 को या उससे पहले वार्ता किए गए ऋणों के संदर्भ में असंवितरित धनराशि पर 0.15 प्रतिशत।
2.	आई.बी.आर.डी.	5	18 से 30	लिबोर + स्प्रेड	0.75	(क) वचनबद्धता प्रभार (i) 16.05.2007 से पहले हस्ताक्षरित करारों के संबंध में 0.75 प्रतिशत पर असंवितरित ऋण धनराशि पर भुगतान योग्य वचनबद्धता प्रभार। जुलाई, 1991 से बैंक ने 0.50 प्रतिशत की छूट अधिसूचित की है। (ii) 16.05.2007 को अथवा उसके बाद हस्ताक्षरित ऋण करारों पर वचनबद्धता प्रभार लागू नहीं है। (ख) फ्रंट एंड फीस: पंजीकरण आधार पर 16.5.2007 को अथवा उसके बाद हस्ताक्षरित करार पर फ्रंट एंड फीस 0.25 प्रतिशत की दर से ली जाती है। (ग) अमरीकी डालर अस्थिर दर सिंगल करेंसी 15.09.2011 से 14.03.2012 तक ब्याज भुगतान के लिए लागू दर निम्नलिखित हैं:

1	2	3	4	5	6	7
						(i) जहां वार्ता 31.7.1998 से पहले हुई थी, 0.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष (0.28 आधार पर बिन्दुओं की स्प्रेड सहित) (ii) जहां वार्ता 31.7.1998 को या उसके बाद हुई थी और हस्ताक्षर 27.9.2007 से पहले हुए थे, 1.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष (0.53 आधार पर बिन्दुओं की स्प्रेड सहित) (iii) जहां वार्ता 28.9.2007 को या उसके बाद हुई थी जिसकी बातचीत के लिए आमंत्रण 23.7.2009 से पहले जारी कर दिया गया था 0.61 प्रतिशत प्रतिवर्ष (0.09 आधार पर बिन्दुओं की स्प्रेड सहित) (iv) जहां वार्ता 23.07.2009 को या उसके बाद हुई थी, 0.81 प्रतिशत प्रतिवर्ष (0.29 आधार बिन्दुओं की स्प्रेड सहित) (v) दिनांक 30.06.2010 के पश्चात अनुमोदित ऋणों की अलग-अलग स्प्रिेड हैं जो ऋण की औसत अदायगी परिपक्वता के आधार पर निर्धारित की जाती है। उपलब्ध अधिकतम औसत परिपक्वता 18 वर्ष होगी।
3	आईडीए	10	35	0.75	0.50	(क) ब्याज कालम के अंतर्गत दर्शाया गया 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में संदर्भित है। (ख) आईडीए - 16 के अंतर्गत 0.75 प्रतिशत के सेवा प्रभार के अतिरिक्त निम्न ब्याज दर भी प्रयोज्य है। सम्मिश्रित/कठोर शर्तें 5 वर्ष की छूट अवधि और 25 वर्ष की परिपक्वता के साथ 1.25 प्रतशित प्रतिवर्ष। (ग) कठोर आईडीए शर्तों के अंतर्गत - प्रयोज्य ब्याज दर आईबीआरडी ब्याज दरों में से 200 बीपीएस कम करके 5 वर्ष की छूट अवधि और 25 वर्ष की परिपक्वता के साथ 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सेवा प्रभारों के अतिरिक्त है। (घ) पूर्ण माफी के पश्चात 4 वर्षों के लिए (2008-12) अनाहरित ऋण राशि पर देय प्रतिबद्धता प्रभार (विश्व बैंक वित्त वर्ष जुलाई से जून)

(संकेताक्षर : एडीबी : एशियाई विकास बैंक, आईबीआरडी: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विर्माण और विकास बैंक, आईडीए : अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ)

[अनुवाद]

लघु वन उत्पाद

395. **श्री उदय सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन अफसर शाही ने लघु वन उत्पादन व्यापार को जनजातियों की पहुंच से कथित रूप से दूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वन उत्पादों पर जनजातियों के अधिकारों की रक्षा हेतु विद्यमान कानून में संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) से (ङ) यह नोटिस किया गया था कि वन संसाधनों पर स्वामित्व, उपभोग तथा प्रबंधन के वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों को निरुद्ध किया गया था। इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने तथा आवास के लिए या आजीविका हेतु स्व-कृषि के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि को धारण करने तथा वहां रहने के गारंटीयुक्त अधिकारों; अब तक की देशी रियासतों, जमींदारों या ऐसे मध्यस्थ क्षेत्रों में अधिकारी सहित सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार या इसे जिस नाम से भी पुकारा जाए; लघु वन उत्पादों जिन्हें गांव की सीमाओं के अंदर या बाहर परंपरागत रूप से एकत्रित किया गया है, के स्वामित्व, एकत्रित करने, उपयोग करने तथा निपटान तक पहुंच का अधिकार; मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पाद, घुमन्तु और ग्रामीण समुदायों के पशु चराने तथा परंपरागत मौसम के संसाधन तक पहुंच जैसे प्रयोगों या पात्रताओं के अन्य परंपरागत अधिकार; पीटीजी तथा कृषीय पूर्व समुदायों के लिए आवास तथा अधिवास की सामुदायिक कास्तकारी सहित अधिकार; किन्हीं राज्यों जहां दावें विवादस्पद हैं, में किसी नामावली के तहत विवादित भूमियों पर अधिकार; अधिकार पत्रों के लिए वन भूमियों पर किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या अनुदानों के परिवर्तन हेतु अधिकार; सभी वन गांवों, पुराने अधिवासों, असर्वेक्षित गांवों तथा वन में अन्य गांवों जिन्हें राजस्व गांवों में रिकॉर्ड, अधिसूचित किया गया है अथवा नहीं के समायोजन तथा परिवर्तन के अधिकार; किसी सामुदायिक वन संसाधन जिनकी ये सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से सुरक्षा एवं संरक्षण कर रहे हैं, की सुरक्षा, पुन: सृजन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार; वे अधिकार जिन्हें किसी राज्य के कानून या किसी स्वायत्त जिला परिषद् या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के कानूनों के तहत मान्यता दी गई है या जो किसी राज्य की संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या रीति-रिवाज के तहत जनजातीय लोगों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है; जैव-विविधता तक पहुंच के अधिकार तथा बौधिक संपत्ति और जैव-विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के सामुदायिक अधिकार; वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रीति-रिवाज के रूप में प्रयुक्त कोई अन्य परंपरागत अधिकार परन्तु जंगली जानवर की किसी प्रजातियों का शिकार करने या पकड़ने या उनके शरीर के किसी अंग को निकालने के परंपरागत अधिकार को छोड़कर; ऐसे मामले जहां अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को गैर-कानूनी रूप से निष्कासित किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व पुनर्वास के लिए उनकी कानूनी पात्रता प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, में वैकल्पिक भूमि सहित आस-पास पुनर्वास का अधिकार के लिए संघ सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है।

नियमों में 06.08.2012 को उपर्युक्त परिवर्तन किए गए हैं और 12.07.2012 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और रूकावटों को दूर किया जा सके तथा अधिनियम द्वारा पहले से प्रदत्त अधिकारों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

06.09.2012 को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में इन बातों की व्यवस्था है (1) परिवहन के उपयुक्त साधनों के माध्यम से लघु वन उत्पाद को वन क्षेत्र के भीतर और बाहर योजना, (2) लघु वन उत्पाद के परिवहन के संबंध में ट्रैन्जिट परमिट तंत्र में संशोधन और ग्राम सभा द्वारा गठित समिति या ग्राम सभा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ट्रैन्जिट परमिट जारी करना, और (3) लघु वन उत्पाद के एकत्रण को सभी रॉयल्टियों या शुल्क या किसी अन्य प्रभार से मुक्त करना। 12.07.2012 को मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों से यह

सुनिश्चित करने की भी उपेक्षा की जाती है कि लघु वन उत्पाद से संबंधित वन अधिकारों को मान्यता दी जाए और अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के प्रावधानों के समान राज्य की नीतियों को लाया जाए, राज्यों में लघु वन उत्पादों के व्यापार में वन निगमों के एकाधिकार को समाप्त किया जाए, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासियों को आबाध रूप से संपूर्ण अधिकारों को हस्तांतरित करने में सहायक की भूमिका निभाना किन्तु उनके द्वारा एकत्र और संसाधित किए गए लघु वन उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य दिलवाना।

बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर व्यय

396. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या महिला और बाल विकास **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक विकास के बावजूद बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत गत दशक से स्थिर था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कितने प्रतिशत बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय किया जाता है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) पिछले दशक में बच्चों के कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों हेतु बजटीय आवंटन के अनुपात में वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु आवंटन कुल बजटीय आवंटन के अनुपात में बढ़ा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु आवंटन जो वर्ष 2001-02 में क्रमशः 0.33 प्रतिशत एवं 1.37 प्रतिशत था, वह वर्ष 2011-12 के बजट में 1.84 प्रतिशत एवं 2.66 प्रतिशत हो गया।

[हिन्दी]

पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत प्रस्ताव

397. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्य को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कोई निवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है और इसके अनुमोदन में विलंब होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां, सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में निम्नलिखित 7 चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1 श्री वसन्त राव नायक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, यावतमल।

2 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, अकोला।

3 भाउसाहब हायर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, धुले।

4 डा. शनराव चव्हाण चिकित्सा महाविद्यालय तथा गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, नांदेड।

5 डा. वेशमपयन मेमोरियल सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा छत्रपति शिवाजी महाराज सामान्य अस्पताल, शोलापुर।

6 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, लातुर।

7 बी.जे. चिकित्सा महाविद्यालय एवं सासून सामान्य अस्पताल, पुणे।

वर्तमान में, पीएमएसएसवाई के तहत उपर्युक्त संस्थानों के उन्नयन हेतु अनुदान की मंजूरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, केन्द्र सरकार ने पीएमएसएसवाई के पहले चरण में ग्रांट चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई तथा दूसरे चरण में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर का उन्नयन शुरू किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क की बकाया राशि

398. श्री एस. एस. रामासुब्बू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सांविधिक लेखा-परीक्षा में यह इंगित हुआ है कि सरकार को सीमा-शुल्क के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जिसकी विगत कुछ वर्षों के दौरान वसूली नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा शुल्क विभाग विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से पाटन-रोधी शुल्क वसूल करने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी प्रकार के सीमा-शुल्क बकाये की वसूली के लिए कदम उठाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2011-12 के अनुपालन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संख्या 31 के अनुसार लेखा-परीक्षा जांच से पता चला है कि 31 मार्च, 2011 तक आंकलित कुल सीमा शुल्क की राशि, जिनको कि 31 दिसम्बर, 2011 तक वसूला नहीं जा सका था, 9852.29 करोड़ रुपये होती है। इसके अलावा मार्च, 2011 तक मांग किये गये 10074.03 करोड़ रुपये के सीमा-शुल्क राजस्व को भी यह विभाग वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक वसूल नहीं कर पाया था। इनमें से 1466.92 करोड़ रुपये की राशि में कोई विवाद नहीं था। फिर भी इस राशि को भी 5 वर्ष से भी अधिक अवधि तक वसूला नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं, विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (घरेलू टैरिफ क्षेत्र) के लिए क्लियर किये गये माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां, सीमा-शुल्क की वसूली को सख्त और मजबूत बनाने के लिए विभाग ने जो उपाय किये हैं उनमें मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों, को निम्नलिखित कदम उठाने के लिए दिया गया निर्देश भी शामिल है – यथा:–

(i) ऐसे सभी मामलों, जिनमें 50 लाख रुपये से अधिक का राजस्व निहित है, सेस्टेट (CESTAT) के यहां पैरवी करना जिससे कि शीर्ष 25 मामलों में शीघ्र निर्णय हो सके।

(ii) सेस्टेट/न्यायालयों के द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेशों को निरस्त कराना।

(iii) अधिक राजस्व वाले मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए सेस्टेट/न्यायालयों में आवेदन करना।

(iv) सीमा-शुल्क (सरकारी देयों की वसूली के लिए चूकर्ताओं की सम्पत्ति की कुर्की) नियमावली, 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करना।

(v) बीआईएफआर/ऋण वसूली/न्यायधिकरण/सरकारी परिसमापक/ विवाद संबंधी समिति के समक्ष विचाराधीन पड़े मामलों की पैरवी करना।

(vi) आयुक्तों, अपर आयुक्तों एवं संयुक्त आयुक्तों, के स्तर पर विचाराधीन पड़े न्यायनिर्णयन के वादों का निपटान करना।

(vii) अपने पक्ष में आये सेस्टेट/न्यायालयों के आदेशों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(viii) वसूल न किये जा सकने से संबंधित वादों का एक ही समय में समीक्षा करना ताकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा इनको बट्टे खाते में डाला जा सके।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न संगत नहीं है।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा

399. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत-उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देशभर में, विशेषकर राजस्थान में, पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) देश में कुल 18275 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पवन विद्युत से 15000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)
2012-13	2500
2013-14	2750
2014-15	3000
2015-16	3250
2016-17	3500

(घ) सरकार द्वारा पवन विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) के माध्यम से पवन संसाधन मूल्यांकन शुरू किया गया है।

(ङ) अब तक 31 राज्यों में कुल 685 पवन निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। देश में पवन निगरानी केन्द्रों की संख्या की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

राज्यवार पवन विद्युत संस्थापना

राज्य	क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	379
गुजरात	3087
कर्नाटक	2089
केरल	35
मध्य प्रदेश	377
महाराष्ट्र	2,933
राजस्थान	2,220
तमिलनाडु	7,151
अन्य	4
कुल	18,275

विवरण-II

राज्य-वार पवन निगरानी केन्द्र

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए पवन निगरानी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	तमिलनाडु	70
2	गुजरात	69
3	ओडिशा	9
4	महाराष्ट्र	128
5	आंध्र प्रदेश	78

1	2	3
6	राजस्थान	36
7	लक्षद्वीप	9
8	कर्नाटक	59
9	केरल	29
10	छत्तीसगढ़	7
11	मध्य प्रदेश	37
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19
13	उत्तराखंड	13
14	हिमाचल प्रदेश	6
15	पश्चिम बंगाल	10
16	पुदुचेरी	4
17	पंजाब	10
18	जम्मू और कश्मीर	24
19	हरियाणा	6
20	झारखंड	3
21	उत्तर प्रदेश	11
22	गोवा	4
23	बिहार	5
24	अरुणाचल प्रदेश	6
25	असम	6
26	त्रिपुरा	5
27	मणिपुर	8
28	मिजोरम	4
29	सिक्किम	4
30	नागालैंड	3
31	मेघालय	3
	कुल	685

[अनुवाद]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

400. श्री जगदीश ठाकोर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवत्ति के अवसर को केवल भारत में ही अध्ययन करने तथा सीमित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति ऐसे किसी छात्र/छात्रा को नहीं दी जाती जो अपने परिवार सहित हाल ही में किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में चला गया/चली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) जी, हां। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति केवल भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर अध्ययनों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।

(ख) कुछ चिह्नित विषयों में विदेश में उच्चतर अध्ययनों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मंत्रालय "अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति" नामक अन्य योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिनसे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी वास्तविक रूप से संबंधित हैं अर्थात् जहां वे स्थायी रूप से बसे हुए हैं, के

माध्यम से सभी पात्र सुनिश्चित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।

बृहत् पर्यटन परियोजना

401. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री निलेश नारायण राणे :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बृहत् पर्यटन परियोजना के एक भाग के रूप में भारतीय समुद्री तट क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की राशि का निवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यान्वयन संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बृहत् पर्यटन परियोजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में कुछ बड़े पर्यटक-केन्द्रों/सर्किटों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे बड़े पर्यटक-केन्द्रों/सर्किटों हेतु राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक कितनी धनराशि उद्दिष्ट की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों एवं परिपथों की उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत भारतीय समुद्री तट क्षेत्र के विकास की परियोजनाओं सहित पहचाने गए बृहत् गंतव्य एवं बृहत् परिपथ के विकास के लिए क्रमश: 25 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय ने 54 बृहत् गंतव्यों/परिपथों की पहचान की है। पहचान की गई 54 परियोजनाओं में से 40 पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

पहचान किए गए बृहत् पर्यटक गंतव्यों/परिपथों हेतु स्वीकृत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पहचान किए गए बृहत् पर्यटक गंतव्यों/परिपथों हेतु स्वीकृत निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बृहत् परियोजना/परिपथों के नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद का चारमीनार क्षेत्र – गंतव्य	2007-08	994.75
2.		तिरुपति विरासत परिषद्	2008-09	4652.49
3.		कडापा विरासत पर्यटक परिपथ	2008-09	3692.89
4.		नागार्जुनसागर में बृद्धावनम परियोजना का विकास	2012-13	2224.23
5.		'बृहत् परिपथ के रूप में विशाखापत्तनम भीमुनिपत्तनम बीच कॉरीडोर' का विकास	2012-13	पहचान की गई
6.	असम	मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, जोरहाट, सिबसागर एवं माजुली को कवर करने वाला राष्ट्रीय उद्यान बृहत् परिपथ	2010-11	पहचान की गई

1	2	3	4	5
7.	बिहार	बोधगया-राजगीर-नालंदा परिपथ	2006-07	1922.42
8.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर-तीरथगढ़-चित्रकूट-बारसूर-दांतेवाड़ा-तरिथगढ़-परिपथ	2008-09	2347.39
9.	दिल्ली	स्मारकों का प्रदीप्तिकरण-परिपथ	2006-07	2375.09
10.		दिल्ली हाट, जनकपुरी का विकास	2010-11	पहचान की गई
11.	गोवा	गोवा परिपथ के गिरजाघर	2008-09	4309.91
12.	गुजरात	द्वारका-नागेश्वर-बेट द्वारका-परिपथ	2008-09	798.90
13.		शुक्लतीर्थ-कबीरवाड़-मंगलेश्वर-अंगरेश्वर-परिपथ	2011-12	4650.97
14.	हरियाणा	पानीपत-कुरूक्षेत्र-पिंजौर परिपथ	चरण-I 2006-07 (एस-1630.03) (आर-1161.23) चरण-II 2008-09 (एस-1545.22) (आर-35.54)	3175.25
15.	हिमाचल प्रदेश	इको एवं एडवेंचर-परिपथ (कुल्लू-कटरेन-मनाली)	2009-10	पहचान की गई
16.	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	पंचकुला-यमुनानगर (हरियाणा)-पौंटा साहिब	2010-11	3253.06
17.	जम्मू और कश्मीर	मुबारक मंडी विरासत परिसर, जम्मू गंतव्य	2010-11	पहचान की गई
18.		नागर नगर परिपथ (वातलाब वाया हजरतबल, तुलमुल्लाह, मानसबल और वुल्लर झील), श्रीनगर	2011-12	3814.56
19.		बृहत् पर्यटक गंतव्य के रूप में लेह का विकास-लेह, जम्मू और कश्मीर में ट्रांस हिमालयन कल्चरल सेंटर की स्थापना करना	2010-11	2242.95
20.	झारखंड	देवघर में बृहत् गंतव्य	2011-12	2371.19
21.		रांची सराईकेला खारशवान-पश्चिम सिंघभूम, बृहत् परिपथ	2012-13	3812.53

1	2	3	4	5
22.	कर्नाटक	हम्पी परिपथ	2008-09	3283.58
23.		विश्व विरासत स्थल पाटाडकल और बादामी/आईहोल (बागलकोट जिला) में पर्यटन अवसंरचना का विकास	2011-12	पहचान की गई
24.	केरल	कोडुंगल्लूर के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाला मुजीरिस विरासत परिपथ	2010-11	4052.83
25.		केरल में अलाप्पुजा में बैक वॉटर परिपथ का विकास	2011-12	पहचान की गई
26.	मध्य प्रदेश	बृहत् गंतव्य के रूप में चित्रकूट का विकास	2009-10	2401.98
27.		बृहत् परिपथ के रूप में जबलपुर	2012-13	4937.10
28.		टीकमगढ़, दमोह, सागर, छत्तरपुर और पन्ना को शामिल करते हुए बृहत् परिपथ के रूप में बुंदेलखंड	2011-12	पहचान की गई
29.	महाराष्ट्र	विदर्भ विरासत परिपथ	2008-09	3738.19
30.		औरंगाबाद गंतव्य	2008-09	पहचान की गई
31.		बृहत् परिपथ के रूप में माहौर-नांदेड़ विष्णुपुरी-बैक वॉटर कंधार किला	2010-11	4510.99
32.		बृहत परियोजना के रूप में नासिक (गंगापुर डैम, नासिक शहर), गोवर्धन में कलाग्राम (नासिक शहर और गोंडश्वर) का गंतव्य विकास	2011-12	2489.51
33.	मणिपुर	आईएनए मेमोरियल	2010-11	1238.59
34.		एकीकृत बृहत् परिपथ परियोजना — मार्जिंग पोलो काम्प्लेक्स, केइना और खोंगजोम	2011-12	पहचान की गई
35.	मेघालय	बृहत् गंतव्य के रूप में उमियम (बारापानी)	2011-12	पहचान की गई
36.	नागालैंड	दीमापुर में बृहत् गंतव्य का विकास	2011-12	2370.45
37.	ओडिशा	भुवनेश्वर-पुरी-चिल्का परिपथ	2008-09	3022.80

1	2	3	4	5
38.	पुदुचेरी	बृहत् पर्यटन परिपथ के रूप में पुदुचेरी का विकास	2010-11	4511.00
39.	पंजाब	अमतृसर गंतव्य	2008-09	1585.53
40.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर गंतव्य	2008-09	1069.68
41.		मरूभूमि परिपथ (जोधपुर-बीकानेर-जैसलमेर)	2010-11	पहचान की गई
42.	सिक्किम	गंगटोक गंतव्य	2008-09	2390.70
43.	तमिलनाडु	महाबलीपुरम-गंतव्य	2002-03	1039.00
44.		तीर्थ विरासत परिपथ (मदुरई-रामेश्वरम-कन्याकुमारी)	2010-11	3647.95
45.		थंजावुर	2010-11	1475.00
46.	त्रिपुरा	माता बारी सहित बृहत् झील परिपथ	2010-11	पहचान की गई
47.	उत्तराखंड	हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनि की रेती परिपथ	2008-09	4452.22
48.		निर्मल गंगोत्री	2011-12	5000.00
49.	उत्तर प्रदेश	आगरा परिपथ	चरण-I ईस्ट गेट 2005-06 (एच-848.49) (आर-848.49) वेस्ट गेट 2006-07 (एस-933.40) (आर-933.40) चरण-I 2009-10 (एस-1976.44) (आर-988.22)	3758.33
50.		वाराणसी-सारनाथ-रामनगर परिपथ	चरण-I 2006-07 (एस-786.00) (आर-628.80) चरण-II 2008-09 (एस-1416.31) (आर-708.16)	2202.31

1	2	3	4	5
51.		बृहत् गंतव्य के रूप में विश्रामघाट (मथुरा) के जीर्णोद्धार सहित मथुरा-वृंदावन का विकास	2011-12	3178.66
52.	पश्चिम बंगाल	गंगा विरासत नदी क्रूज परिपथ	2008-09	2042.35
53.		दोआर्स (जिला जलपाईगुड़ी)	2012-13	4668.46
54.		कोलकाता विरासत एवं रिवर – फ्रंट बृहत् पर्यटन परियोजना	2011-12	पहचान की गई

[हिन्दी]

एन.आर.एच.एम. में अनियमितताएं

402. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) में अनियमितताओं की बहुत सी घटनाएं और भ्रष्टाचार के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एन.आर.एच.एम. में काफी सारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की घटनाओं के बावजूद सरकार का इसे जारी रखने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनियमितताओं की कुछ घटनाएं और भ्रष्टाचार के मामले भारत सरकार के संज्ञान में आए हैं। यह असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से हैं। प्राप्त शिकायतों को जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

(ग) एनआरएचएम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायत जब भी प्राप्त होती हैं उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल राज्य/संघ क्षेत्र राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाता है।

बेहतर वित्तीय अनुशासन के पालन के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किए गए हैं:

(i) वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षाएं;

(ii) समवर्ती लेखा परीक्षाएं;

(iii) राज्यों द्वारा तिमाही वित्तीय निगरानी रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण;

(iv) आवधिक समीक्षाओं के लिए राज्यों में मंत्रालय के वित्तीय प्रबंधन समूह की टीमों द्वारा दौरा किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त सीएजी ने मौजूदा खामियों की पहचान करने, स्वतंत्र निगरानी एवं समय रहते सुधारात्मक उपायों की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 से सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक लेखा परीक्षा कराने के लिए मंत्रालय के अनुरोध को मान लिया है ताकि राज्य सरकारों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए और एनआरएचएम के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देने के लिए एक गुणवत्तापरक और समय रहते लेखा परीक्षा आकलन उपलब्ध हो सके।

राज्यों में वित्तीय प्रबंधन क्षमताएं विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) उप जिला स्तर के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता पोषण समितियों, उप केन्द्रों, रोगी कल्याण समितियों के लिए वित्त/लेखा कार्मिकों और खण्ड लेखाकारों के लिए मॉडल एकाउंटिंग हैंड बुक तैयारी करके परिचालित कर दी गई हैं।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य, जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर पर अपनाए जाने और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रबंधन पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

(iii) सभी राज्यों में वित्तीय कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए वित्त और लेखा के ई-ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भेज दिए गए हैं।

(iv) देश भर में सभी राज्यों और जिलों के लिए निधियां जारी करने के लिए ई-ट्रांसफरर्स लागू किया जा रहा है।

(v) निधियों को अन्य प्रयोजनों में खर्च न करने और निधियों की उपभोगिता पर राज्यों को दिशानिर्देश व परामर्श भेज दिए गए हैं।

(vi) अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनआरएचएम लेखों के रखरखाव के लिए कस्माइजिड टेली ईआरपी 9 एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है।

(vii) राज्यों में एनआरएचएम के कार्यान्वयन की समीक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त समीक्षा मिशनों, सामान्य समीक्षा मिशनों और आवधिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है। समीक्षाओं के दौरान पाई गई कमियों/गलतियों का सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तत्काल राज्यों के संज्ञान में लाया जाता है।

(viii) निधियां प्रवाह की ट्रेकिंग करने और व्यय पर निगरानी रखने के लिए सीपीएसएमएस प्रणाली लगाई जा रही है।

(घ) और (ङ) एनआरएचएम को जारी रखने का निर्णय मूलतः स्वास्थ्य परिणामों के सुधार करने में कार्यक्रम के समग्र प्रभाव पर निर्भर होगा। सरकार ने इसकी सफलता को देखते हुए एनआरएचएम कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है। एनआरएचएम के चलते आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर की कमी में आई है। एनआरएचएम के मूल्यांकन भी अधिकतर सकारात्मक रहा है।

हालांकि वित्तीय अनियमितताओं की कुछ घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं परन्तु वास्तव में इससे कार्यक्रम को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए उपरोक्त (भाग ग में) में उल्लिखित के अनुसार उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

करों का संग्रह

403. श्री रवनीत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संग्रहीत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत कितना है;

(ख) बजटीय प्राक्कलनों से संग्रहण में अधिकता अथवा कमी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एकत्रित राजस्व व राजकोषीय घाटे की राशि में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संग्रहीत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल संग्रहीत प्रत्यक्ष कर	कुल संग्रहीत अप्रत्यक्ष कर	कुल संग्रहीत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर	प्रत्यक्ष करों का शेयर प्रतिशत	अप्रत्यक्ष करों का शेयर प्रतिशत
2009-10	378063	245367	623430	60.64	39.36
2010-11	446935	345127	792062	56.43	43.57
2011-12*	494799	392273	887072	55.78	44.22

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में संग्रहीत किये गये प्रत्यक्ष करों एवं प्रत्यक्ष करों के विवरण निम्न प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान (प्रत्यक्ष कर)	वास्तविक रूप से संग्रहीत किये गये प्रत्यक्ष कर	बजट अनुमान (अप्रत्यक्ष कर)	वास्तविक रूप से संग्रहीत किये गये अप्रत्यक्ष कर
2009-10	370000	378063	269477	245367
2010-11	430000	446935	315000	345127
2011-12*	532651	494799	397816	392273

*अनंतिम आंकड़े।

उपर्युक्त अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा निम्न प्रकार से है:—

	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये)	418472	373592	509731
सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	6.4	4.7	5.8

[हिन्दी]

वैद्यनाथन समिति

404. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घावधि सहकारिता ऋण ढांचा हेतु पुनरुद्धार पैकेज संबंधी वैद्यनाथन कार्यकारिणी समिति-2 की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) वैद्यनाथन कार्यदल-II की सिफारिशों पर आधारित, दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज सरकार के विचाराधीन है।

बॉटलिंग संयंत्रों में सुरक्षा

405. **श्री के. पी. धनपालन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोच्चि सहित पूरे देश में सभी बॉटलिंग संयंत्रों में दोषरहित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश भर में सभी बॉटलिंग संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती

पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) कोच्चि सहित एलपीजी भरण संयंत्र में पर्याप्त सुरक्षा है। डीजीआर प्रत्यायोजित सुरक्षा एजेंसी के जरिए लगाए गए भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा कर्मिक वहां नियोजित किए गए हैं।

देश भर में भरण संयंत्रों में सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

- स्थल के सभी प्रवेश द्वारों और निकास द्वारा पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है जिसमें फ्रिस्किंग और प्रत्यय-पत्रों की जांच की जाती है।
- स्थल के भीतर किसी भी अप्राधिकृत वाहन को लाने की अनुमति नहीं दी जाती और संयंत्रों के मुख्य द्वार/चारदीवारी के निकट किसी भी अप्राधिकृत वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाती।
- परिसर की दीवार के भीतर उसके साथ-साथ और स्थल के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीसों घंटे गश्त सुनिश्चित की जाती है। स्थानीय पुलिस की मदद से पाइपलाइन के असुरक्षित भाग सहित बाहर आवधिक गश्त आयोजित की जाती है।
- बम की आशंका की कवायद की जाती है और तुरन्त कार्रवाई टीम वहां पहुंचती है।
- अग्नि शमन प्रणाली का रखरखाव किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा प्रणाली अधिकतम चौकस रहती है औचक दौरे/जांच की जाती है।
- परिसरों में लाने से पहले आने वाले सभी सामान की पूरी तरह जांच की जाती है।

घरेलू गैस की बिक्री

406. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाजार गत विकृति को रोकने के लिए घरेलू गैस को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर बेंचने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) व्यवस्था और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं के अन्तर्गत उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के प्रावधानों के तहत संविदाकार संविदा के पक्षकारों को लाभ देने के लिए संविदा क्षेत्र से उत्पादित और बचाई गई पूरी प्राकृतिक गैस और सीबीएम को आर्म्स-लेंथ मूल्यों पर बेचने की कोशिश करेगा। एनईएलपी और सीबीएम संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार सरकार उस फार्मूले अथवा आधार का अनुमोदन करेगी जिस पर प्राकृतिक गैस और सीबीएम गैस मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के अध्यक्ष, डा. सी. रंगराजन, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जिसके विचारार्थ विषय में "घरेलू तौर पर उत्पादित गैस के मूल्य हेतु आधार अथवा फार्मूला निर्धारित करने और वास्तविक मूल्य निर्धारण की निगरानी के लिए दिशानिर्देशों को ढांचा और तत्व" शामिल है जिसकी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2012 तक आने की उम्मीद है।

पवन चक्कियों का अधिष्ठापन

407. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन चक्कियां कतिपय परमाण ऊर्जा संयंत्रों से भी अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकती हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु राज्य में विद्युत के अधिकतम उपभोग-काल के दौरान पवन ऊर्जा, कुल मात्रा में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में पवन ऊर्जा टरबाइनों के अधिष्ठापन के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) जी हां। देश में वर्तमान पवन विद्युत संस्थापित क्षमता 18275 मेगावाट है जबकि नाभिकीय विद्युत संस्थापित क्षमता केवल 4780 मेवा. है। केन्द्रीय विद्युत एजेंसी की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना

के अनुसार, नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं ने अप्रैल-अगस्त, 2012 के दौरान 13.72 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जबकि पवन विद्युत परियोजनाओं ने उसी अवधि के दौरान 18.91 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया।

(ख) तमिलनाडु में कुल 7151 मेवा. की पवन विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं जो 17540 मेवा. की तमिलनाडु की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 41% है। विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों की कार्यशीलता के आधार पर, तमिलनाडु में पीक पवन वाले मौसम के दौरान उत्पादन के संदर्भ में पवन ऊर्जा का योगदान लगभग 30% है।

(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पवन विद्युत के विकास का संवर्धन करने, परिवहन समस्याओं और हवाओं की तेज प्रकृति पर राज्य की नीतियां उपलब्ध न होने के कारण लक्षद्वीप में पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थाओं हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

किंगफिशर एयरलाइंस को ऋण

408. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का बैंक-वार कुल कितना ऋण बकाया है और अभी तक कुल कितनी वसूली की गई है और कितनी धनराशि अभी वसूल की जानी है; और

(ख) विशेष रूप से इसका लाइसेंस रद्द किये जाने के पश्चात सरकार द्वारा ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले सांविधिक उपबंधों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप बैंकों के व्यक्तिगत उधारकर्त्ता के ब्यौरे से संबंधित सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती है।

(ख) बैंक अपने बोर्ड द्वारा संचालित नीतियों से शासित होते हैं और बैंकों द्वारा ऋणों तथा बकायों की वसूली विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बेसल-III मानकों से पूर्व बैंकों की लाभकारिता

409. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेसल-III मानक लागू होने के पूर्व बैंकों से लाभकारिता बढ़ाने को कहा है ताकि उसे उनमें पूंजी कम लगानी पड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2011-12 में अपनी लाभप्रदता में वृद्धि दर्शायी है जो किसी भी वाणिज्यिक कंपनी के लिए वांछनीय है।

कृषकों को ऋण मुहैया कराने के लिए दिशानिर्देश

410. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कृषकों को ऋण मुहैया कराने से संबंधी किन्ही दिशानिर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैठकों को इस संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एक निश्चित सीमा तक कृषकों को ऋण माफ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम संबंधी संशोधित

दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एटीएम सह-डेबिट कार्ड जारी करने, 3.00 लाख रुपए तक कोई प्रक्रमण शुल्क नहीं, पहली बार ऋण लेते समय एक बारगी प्रलेखन और एटीएम/पीओएस/मोबाइल हैंडसेट जैसे आईसीटी संचालित माध्यमों सहित विभिन्न वितरण माध्यमों से ऋण संवितरण के प्रावधान हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बीसीसीआई खाते

411. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर कानून के अंतर्गत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित विभिन्न खेल बोर्डों की निकाय-वार स्थिति क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आज तक ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर देय और प्राप्त आयकर कितना है;

(ख) किए गए निर्धारण तथा हुए विलंब, देय बकाया की राशि तथा उसे वसूल करने के लिए उठाए गए कदमों का बोर्ड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेल बोर्डों की सांविधिक लेखापरीक्षा किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी निकाय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) (i) देश भर में विभिन्न खेल बोर्डों के उनके आयकर से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए इकाई-वार स्थिति के संबंध में केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती है।

(ii) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), जिसका प्रश्न में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, के संबंध में सूचना निम्नवत है। बीसीसीआई ने 1 जून, 2006 से अपने उद्देश्यों में संशोधन किया। बीसीसीआई को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत प्रदान किया गया पंजीकरण 1 जून, 2006 से प्रभावी दिसंबर, 2009 में वापस ले लिया गया। परिणामस्वरूप, कर-निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए इसकी आय पर छूट को नकारा गया और क्रमशः 118.04 करोड़ रुपए, 257.12 करोड़ रुपए तथा 413.59 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई। की गई मांग में से, 682.22 करोड़ रुपए की राशि संग्रहीत की गई और कतिपय परिशोधन के कारण 70.42 करोड़ रुपए बकाया है जिसे कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए प्रतिदाय के प्रति समायोजित किया जा रहा है।

(ख) (i) जैसा कि उपर्युक्त क (i) में बताया गया है, देश भर में विभिन्न खेल बोर्डों के उनके कर-निर्धारण के संबंध में इकाई-वार स्थिति की केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती है।

(ii) तथापि, बीसीसीआई के संबंध में, कर-निर्धारण समय पर पूरा किया गया। बीसीसीआई पर कर-निर्धारण वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2009-10 के लिए 165.55 करोड़ रुपए अदत्त की बकाया मांग है और उसे कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए देय 180 करोड़ रुपए के प्रतिदाय के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(ग) और (घ) (i) खेल बोर्डों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है, जैसा कि उनके मामले में लागू है।

(ii) देश भर में विभिन्न खेल बोर्डों की लेखा-परीक्षा के संबंध में इकाई-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(iii) बीसीसीआई के मामले में, जिसका भाग (क) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट के इसके दावे को प्रमाणित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(ख) के तहत यथा अपेक्षित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ आय की विवरणी दाखिल की गई है। तथापि, आयकर विभाग का कहना है कि अधिनियम की धारा 44कख के तहत यथा अपेक्षित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दाखिल किया जाना चाहिए था। कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दाखिल न करने के लिए धारा 271ख के तहत कर-निर्धारण वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए दांडिक कार्यवाहियां शुरू की गई है।

उपेक्षित ट्रॉपिकल रोग

412. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूद ट्रॉपिकल बीमारियां कौन सी हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में बड़ी संख्या में उपेक्षित ट्रॉपिकल रोगों (एनटीडी) पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में देश में इन बीमारियों के मामलों की तथा इनके कारण हुई मौतों की अनुमानित संख्या राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(घ) देश में इन ट्रॉपिकल बीमारियों के अधिक संख्या में होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपेक्षित ट्रॉपिकल रोगों से लोगों को बचाने तथा इसके लिए नई दवाइयां निदान तथा वैक्सीन विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) उपेक्षित ट्रॉपिकल बीमारियां डेंगू, ट्राइकोमा, कुष्ठ रोग, गिनीवारम, लिम्फेटिक फलेरियसिस, सोयल ट्रांसमीटिड हेलमिनथियासिस, रेबीज, लेसमेनियासिस और कालाजार हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपेक्षित ट्रॉपिकल बीमारियों की व्याप्तता का कारण सामाजिक आर्थिक स्थितियां, मौसम की स्थितियां, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में कमी तथा स्वच्छता और पर्यावरण प्रदूषण है।

(ङ) इन बीमारियों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं:—

1. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम।
3. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
4. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सोयल ट्रांसमीटिड हेलमिनथियासिस की रोकथाम के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अपनी विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों और अपने संस्थानों के माध्यम से विभिन्न उपेक्षित ट्रॉपिकल बीमारियों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

एड्स एवं मलेरिया की रोकथाम

413. श्री नारनभाई कछाड़िया :

श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक्वायर्ड इम्यूनो डेफीशिएन्सी सिन्ड्रोम (एड्स) और मलेरिया की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार पर वर्ष-वार अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को इस मद में कितना अनुदान दिया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान, एड्स तथा मलेरिया की रोकथाम तथा इनके इलाज के उपायों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गयी; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान एच.आई.वी. तथा मलेरिया पिगमेंट सकारात्मक पाये जाने के कितने मामले सामने आए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक्वायर्ड इम्यूनो डेफीशिएन्सी सिन्ड्रोम (एड्स) और मलेरिया की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार पर वर्ष-वार खर्च की गई राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	एड्स	मलेरिया
2009-10	106.16 करोड़ रुपए	11.15 करोड़ रुपए
2010-11	125.43 करोड़ रुपए	07.06 करोड़ रुपए
2011-12	143.69 करोड़ रुपए	07.14 करोड़ रुपए

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को इस मद में दिए गए वर्षवार अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	एड्स*	मलेरिया
2009-10	1,50,000 करोड़ रुपए	311.16 करोड़ रुपए
2010-11	1,00,000 करोड़ रुपए	380.51 करोड़ रुपए
2011-12	50,000 करोड़ रुपए	482.51 करोड़ रुपए

* एड्स की रोकथाम के लिए गैर सरकारी संगठनों को दिया गया केन्द्रीय स्तर का व्यय।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एड्स तथा मलेरिया की रोकथाम तथा इनके इलाज के उपायों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास व्यय की गयी वर्षवार धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	एड्स	मलेरिया
2009-10	11.88 करोड़ रुपए	0.96 करोड़ रुपए
2010-11	14.98 करोड़ रुपए	1.11 करोड़ रुपए
2011-12	16.34 करोड़ रुपए	1.72 करोड़ रुपए

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एच.आई.वी. तथा मलेरिया पिगमेंट सकारात्मक पाये गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	एड्स	मलेरिया
2009-10	3,19,085	15,63,574
2010-11	3,17,336	15,99,986
2011-12	2,85,152	13,10,656

[हिन्दी]

मिट्टी के बर्तन उद्योग हेतु सी.एन.जी.

414. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के खुर्जा स्थित मिट्टी के बर्तनों के उद्योग को सी.एन.जी. की आपूर्ति विषयक कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से खुर्जा पोट्टरी कलस्टर को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए मई, 2011 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा खुर्जा को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। पीएनजीआरबी को खुर्जा भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए मैसर्स अदानी गैस लिमिटेड (एजीएल) से पीएनजीआरबी (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क्स को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार देना), विनियम, 2008 के विनियम 18(1) के तहत एक आवेदन पत्र मिला है। पीएनजीआरबी ने उक्त विनियमों और प्राधिकार को प्रदान करने की शर्तों में एजीएल को प्राधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस बीच, मैसर्स एजीएल ने अपनी खुर्जा सीजीडी परियोजना के लिए गेल की हाजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन (एचवीजे)-दाहेज-विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल)/ डीवीपीएल-गैस पुनर्वास विस्तार परियोजना (जीआरईपी) उन्नयन पाइपलाइन नेटवर्क से संबद्धता के लिए गेल से अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों को घाटा

415. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों को

विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान घाटा होने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों को अपने प्रचालन में सुधार लाने तथा घाटा कम करने के लिए कोई निदेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में इन कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का कर उपरांत मुनाफा/घाटा नीचे दिया गया है:

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां	वित्तीय वर्ष	कर उपरांत लाभ
1	2	3
नैशनल इंश्योरेंस कंपनी	2012-13 (पहली तिमाही तक)	-466500
	2011-12	3252136
	2010-11	748874
	2009-10	2248628
दी न्यू इंडियां इंश्योरेंस कंपनी	2012-13 (पहली तिमाही तक)	-4864370
	2011-12	1793168
	2010-11	-4215605
	2009-10	4046721
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी	2012-13 (पहली तिमाही तक)	1232921
	2011-12	2611593
	2010-11	546153
	2009-10	-442531
यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	2012-13 (पहली तिमाही तक)	1924546
	2011-12	3867897
	2010-11	1305448
	2009-10	7077902

(ग) और (घ) कंपनियों ने, सामान्य तौर पर, बीमा पालिसियों के बीमांकन से संबंधित कार्यनीति अपनाई है। इस कार्यनीति में बीमा पालिसियों में पालिसियों के संयुक्त दावा अनुपातों, अधिग्रहण लागत, डिस्काउंट/दलाली/कमीशन/अन्य प्रभारों के भत्तों के आधार पर प्रीमियम नियत करने के संदर्भ में मानदंड निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार से प्रस्ताव

416. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार राज्य में सौर-ऊर्जा उप-परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय ने बिहार में 100 टेलिकॉम टावरों पर सौर विद्युत संयंत्र, मुख्यमंत्री कैम्प ऑफिस हेतु एक 100 किवा.पी. सौर विद्युत संयंत्र, बिहार

के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों और परीक्षा हॉलों हेतु 8.7 मेगावाट पी. की संचयी क्षमता वाले 4,126 सौर विद्युत संयंत्र, कैमूर जिले में सिंचाई हेतु 560 सौर पंप और 10000 सौर लालटेन लगाने हेतु 85.92 करोड़ रु. की राशि तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की है। वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय ने बिहार से परियोजनाओं हेतु कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की।

कर मुक्त जोन

417. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर मुक्त जोनों का आज की तिथि अनुसार स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कतिपय क्षेत्रों को कर मुक्त जोन घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में घोषणा कब तक होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) इस समय कर-मुक्त जोन जैसी कोई अवधारणा अमल में नहीं है। हालांकि, विशेष आर्थिक जोन(सेज) और निर्यात अभिमुख ईकाई (ई.ओ.यू.) जैसी कुछ योजनाएं हैं, जो कि कर में छूट प्रदान करती हैं। उपर्युक्त दोनों योजनाएं वाणिज्य विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग अपनी औद्योगिक नीति के तहत विशेष श्रेणी वाले राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा) के लिए प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त राज्यों को प्रदत्त प्रोत्साहन पैकेजों में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार विभिन्न कर रियायतें भी शामिल हैं।

(ख) वर्तमान में कतिपय क्षेत्रों को कर मुक्त जोनों के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एकरूप स्वास्थ्य तथा चिकित्सा प्रणाली

418. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग देश में एकरूप स्वास्थ्य तथा चिकित्सा प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बढ़ती चिकित्सा लागतों तथा चिकित्सा व्यवसाय के व्यापारीकरण के कारण भारी विषमता मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी को अमीर-गरीब के भेदभाव के बिना एकरूप स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का स्वास्थ्य सूचक निम्न स्तर का है और उन्हें स्वास्थ्य परिचर्या व्यय को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तथापि, इसे एकरूप स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली की अनुपस्थिति के कारणों से जोड़ना मुश्किल है।

(ग) विगत 15 वर्षों में निजी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में उपचार की लागत काफी बढ़ गई है परन्तु यह बढ़ोत्तरी निजी क्षेत्रों में कहीं अधिक है जहां लागत दोगुनी हो गई है।

(घ) परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे कि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे सरकार के कार्यक्रम अमीरों और गरीबों के बीच बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सशर्त एक शर्तीय नकद अन्तरण योजना में निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आर्थिक स्थिति अथवा अन्य बाहर करने वाले मानदंडों पर ध्यान दिए बिना आबादी के सभी वर्गों की गर्भवती महिलाएं लाभ की पात्र होती हैं। इसी तरह से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को अमीरों अथवा गरीबों के बीच बिना किसी भेदभाव के प्रसव के समय

मुफ्त संस्थागत परिचर्या प्रदान की जाती है। एनआरएचएम के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में और रोगी वाहन प्रणाली समर्थित मामलों में यही रुख अपनाया जाता है जहां अमीरों अथवा गरीबों के बीच बिना किसी भेदभाव के सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

419. **श्री नवीन जिंदल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) समुदाय तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत आशा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक सेवाओं के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने आशा को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों की समीक्षा की है और क्या आशा के लिए न्यूनतम मासिक मानदेय निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या बच्चे के जन्म संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आशा को देय प्रोत्साहन किसी परिवार को परिवार नियोजन के लिए सफलतापूर्वक अपनाने को प्रेरित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन से अधिक है जिससे हितों का टकराव होता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) आशाकर्मी मातृत्व स्वास्थ्य, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण के क्षेत्रों में कई तरह के कार्य करती हैं। चूकि आशाकर्मी एक अवैतनिक स्वयंसवेक हैं वह विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत उसे प्रदत्त कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन की हकदार है। उसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थिति होने, मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य बैठकों में भाग लेने जैसी परिस्थितियों में अपना समय देने के लिए मुआवजा भी दिया जाता है। आशाओं द्वारा प्राप्त सेवाओं के साथ-साथ प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न सेवाओं के लिए आशा कर्मियों को राज्य विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

(ग) सरकार आशा कर्मियों के प्रोत्साहनों की नियमित रूप से समीक्षा करती है। फिलहाल निश्चित न्यूनतम मासिक मानदेय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा कर्मियों को संलग्न विवरण के अनुसार प्रोत्साहन इस प्रकार से वितरित किया जाता है: गर्भवती महिलाओं को किसी अस्पताल में प्रसव कराने हेतु तैयार करने के लिए प्रोत्साहन के तौर 200/- रुपए, गर्भवती महिलाओं परिवहन प्रबंध हेतु 250/- रुपए आदि यदि वह महिला के साथ जाती है। आकस्मिक खर्चों के लिए 150/- रुपए आशा कर्मी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भी विभिन्न प्रोत्साहनों की हकदार हैं। स्थायी परिवार नियोजन पद्धतियों अपनाने के लिए तैयार करने के मामले में वेसकटॉमी के लिए 200/- रुपए, ट्यूबेकटॉमी के लिए 150/- रुपए का प्रोत्साहन है। अधिक ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों (8 अधिकार प्राप्त कार्य समूह वाले राज्यों, सिक्किम समेत 8 पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात और हरियाणा में) आशा कर्मियों को (क) विवाह के बाद पहले जन्म में कम से कम 2 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए 500/- रुपए (ख) पहले बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 3 वर्षों का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए 500/- रुपए (ख) पहले बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 3 वर्षों का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए 500/ रुपए और (ग) यदि दंपत्ति अधिकतम दो बच्चों के बाद स्थायी पद्धति का विकल्प चुनते हैं, तो 1,000/- रुपए का भी भुगतान किया जाता है।

ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मौजूद प्रोत्साहन की अवसंरचना परिवार के बड़े आकार को बढ़ावा देती है। वास्तव में साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि आशा कर्मी परिवार नियोजन पद्धतियों को बढ़ावा देने में सक्रिय हैं।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कर्मियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों सहित आशा कर्मियों द्वारा दी गई सेवाएं

क्र.सं.	मुआवजे का शीर्ष	धनराशि/मामला
1	2	3
I	**मातृत्व स्वास्थ्य**	
	जेएसवाई वित्तीय पैकेज	
1.	शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा केन्द्र में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए सुनिश्चित प्रसव-पूर्व परिचर्या	200/ रुपए-सभी राज्यों में
2	परिवहन का प्रबंध करने के लिए और संस्थानों तक/परिवार के सदस्यों के साथ जाने के लिए	250/- रुपए - सिर्फ पूर्वोत्तर और अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों और अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्यों के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र
3.	यदि आशा कर्मी गर्भवती महिला के साथ जाती है और अस्पताल में उसके साथ रहती है तो व्यवहारिक लागत के तौर पर	150/ रुपए - सिर्फ पूर्वोत्तर और अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों और अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्यों के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र
II.	**बाल स्वास्थ्य**	
1.	नवजात तथा प्रसवोपरांत माता की परिचर्या के लिए 6 (संस्थागत प्रसवों के मामले में) और 7 (घर में प्रसव के लिए) घरों के दौरों के लिए	250/ रुपए
III.	रोग प्रतिरक्षण	
1.	वीएचएनडी के दौरान रोग प्रतिरक्षण हेतु बच्चों का सामाजिक एकत्रीकरण	150/ रुपए प्रति सत्र
2.	एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए संपूर्ण प्रतिरक्षण	100/ रुपए
3.	2 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए संपूरण प्रतिरक्षण (एक वर्ष के बाद संपूरण प्रतिरक्षण पूरा करने के बाद पहले और दूसरे वर्ष के बीच प्राप्त सभी टीके)	50/ रुपए

1	2	3
4.	पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत ओपीवी प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को इकट्ठा करने के लिए	75/ रुपए प्रतिदिन
IV	**परिवार नियोजन**	
1.	विवाह के बाद 2 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए	500/ रुपए
2.	पहले बच्चे के जन्म के बाद तीन वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए	500/ रुपए
3.	दो बच्चों के बाद दंपत्तियों द्वारा स्थायी परिवार नियोजन पद्धति का विकल्प चुनने का सुनिश्चित करने के लिए	1000/ रुपए
4.	ट्यूबेकटॉमी के लिए मामलों पर परामर्श, प्रोत्साहन और बाद में देखभाल के लिए	150/ रुपए
5.	वेसेकटॉमी/एनएसवी के लिए मामलों पर परामर्श, प्रोत्साहन और बाद में देखभाल के लिए	200/ रुपए
6.	गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन-आशा कर्मियों के जरिए घर पर सुपुदर्गी के तौर पर	3 कंडोम के पैके के लिए 1/- रुपए ओसीपी के एक चक्र के लिए 1/- रुपए इसीपी के पैक के लिए 2/- रुपए
V.	**किशोर स्वास्थ्य**	
	किशोरियों को सेनिटरी नेपकिन वितरित करने के लिए	1/- रुप्ए 6 सेनिटरी नेपकिनों के पैक के लिए
	माहवारी से संबंधित किशोरियों के लिए मासिक बैठकों का आयोजन करने के लिए	50/- रुपए प्रति बैठक
VI.	**निर्मल ग्राम पंचायत कार्यक्रम**	
	टायलेट के निर्माण और उपयोग के लिए परिवारों को तैयार करने के लिए	75/ रुपए प्रति निर्मित टॉयलेट के लिएं
VII.	**ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति**	
	वीएचएसएनसी की मासिक बैठकों के बाद महिलाओं के साथ बैठकों का आयोजन करने के लिए	150/ रुपए प्रति बैठक

1	2	3
VIII.	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	
	डॉटस प्रदाता के तौर पर कार्य करने के लिए (उपचार पूरा करने के पश्चात ही)	250/ रुपए
IX.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	
1.	पाउसी बेसिलरी में पूरे उपचार के लिए रेफरल और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए	300 रुपए
2.	मल्टी बेसिलरी में पूरे उपचार के लिए रेफरल x. और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए	500/ रुपए
X.	राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
1.	ब्लड स्लाइड्स तैयार करने के लिए	5/- रुपए प्रति स्लाइड्स
2.	आरडीटी पॉजीटिव पीएफ मामलों का पूरा उपचार देने के लिए	20 रुपए
3.	ड्रग रेजिमेन के अनुसार ब्लड स्लाइड द्वारा पता लगाए गए पॉजीटिव प्लासमोडियम फाल्सीपारम और प्लासमोडियम विवाक्स मामलों को पूरा रेडिकल उपचार देने के लिए	50 रुपए

संपार्श्विक-मुक्त ऋण

420. श्री मानिक टैगोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण के उपबंध के बावजूद ऋण प्राप्त करते समय बैंकों के विरुद्ध लघु उद्यमियों से कोई शिकायतें केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में लघु उद्योगों और उद्यमियों के सुरक्षोपाय तथा संरक्षण हेतु की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार की शिकायत प्रबंधन प्रणाली [केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)] में संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रस्तावों को अस्वीकार करने के संबंध में बैंकों के विरुद्ध लघु उद्यमियों से प्राप्त शिकायतों से संबंधित डाटा स्वीकार नहीं किया जाता है। तथापि, इस संबंध में बैंक, सिडबी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में प्राप्त शिकायतों पर आरबीआई के ग्राहक सेवा दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ग) बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) को अधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करने और बैंकों में जोखिम की अवधारणा की समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने सिडबी के साथ जुलाई, 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्योगों (सीजीटीएमएसई) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की स्थापना की जो एमएसई को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये 1 करोड़ रुपए तक के सम्पार्श्विक मुक्त/अन्य पक्ष गारंटी मुक्त ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करता है। संचयी रूप से 31 अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार कुल 9.33 लाख खातों को 45,190 करोड़ रुपए के

लिए गारंटी का अनुमोदन दिया गया है जिसमें से 89% गारंटी (8.31 लाख) 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए दी गयी है।

पवन ऊर्जा

421. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पवन ऊर्जा/अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या पवन ऊर्जा उत्पादन बाजार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई प्रोत्साहन नीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) सरकार द्वारा तटवर्ती (आन-शोर) पवन विद्युत विकास को निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने वाली एक कल्याणकारी नीतिगत व्यवस्था के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। अपतटीय पवन विद्युत विकास को एक संकेन्द्रित प्रणाली में प्रारंभ करने हेतु कार्य प्रणालियां तैयार करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों का मसौदा प्रस्तावित करने के लिए एक उप-समिति भी गठित की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार पवन विद्युत जनरेटरों के कुछ घटकों पर रियायती आयात-शुल्क, विनिर्माताओं को उत्पाद-शुल्क से छूट जैसे राजकोषीय एवं संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर 10 वर्षों का करावकाश भी उपलब्ध है। पवन चक्कियों की संस्थापना करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी उपलब्ध हैं। पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चैन्नई द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, संभाव्यता वाले राज्यों में अधिमान्य शुल्क-दर प्रदान की जा रही है।

बीपीएल रोगियों को निःशुल्क उपचार

422. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**

डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मधुमेह, मानसिक रोगों तथा अन्य रोगों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) मरीजों की अनुमानित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे रोगियों को निःशुल्क उपचार/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है अथवा प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा प्रयुक्त की गई और इससे कितने बीपीएल रोगी लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों जो बड़े जानलेवा रोगों से पीड़ित हैं, को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने बाबत् वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1997 में राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) का सृजन किया है ऐसे रोगियों को एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी की जाती है जहां उपचार लिया जा रहा है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा स्थापित राज्य रुग्णता सहायता निधियों के लिए राज्य निधियों में उनके अंशदान के 50 प्रतिशत तक की सहायता अनुदान भी प्रदान करता है।

राज्य रुग्णता सहायता निधि को दिए जाने वाली केन्द्र सरकार के अंशदान की अधिकतम सीमा में बड़ी संख्या तथा प्रतिशत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राज्यों के लिए 5.00 करोड़ रुपए और विधानमंडल वाले अन्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए के अध्यधीन है बशर्ते की संसाधनों की पूरी उपलब्धता हो।

किसी व्यक्तिगत मामले में 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय मामले में 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहयता उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोगियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर रुग्णता सहायता निधि जारी करती है और जहां कहीं भी वित्तीय सहायता की मात्रा 1.5 लाख रुपए से अधिक होती है, ऐसे सभी मामले आरएएन को भेजती है।

राज्य सरकारों को सहायता अनुदान कुछेक शर्तों को पूरा करने पर समय-समय पर प्रदान किया जाता है नामत: उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, प्रत्येक मामले में रोग व मंजूर धनराशि आदि को दर्शाती लाभार्थियों की सूची, संबंधित राज्य सरकार के महालेखाकार द्वारा दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट इत्यादि।

(घ) राज्य रुग्णता सहायता निधि के लिए जारी निधियों व लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-2012 और 2012 तथा 2013 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत आबंटित जारी की गई निधियां

वर्ष	आबंटित धनराशि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धनराशि	लाभान्वित राज्यों की संख्या
1	2	3	4	5
2009-2010	5.00	पश्चिम बंगाल	2.1556	1194
		छत्तीसगढ़	1.8750	*
		हरियाणा	0.25	98
2010-2011	5.00	तमिलनाडु	2.50	389
		गोवा	0.25	113
		मणिपुर	0.75	*
		हरियाणा	0.25	218
		पश्चिम बंगाल	1.25	2058
2011-2012	8.00	मणिपुर	1.25	*
		हरियाणा	0.25	318
		झारखंड	0.6375	*
		पश्चिम बंगाल	3.8378	*
		तमिलनाडु	1.27	*

1	2	3	4	5
2012-2013	7.20	तमिलनाडु	1.23	*
		हरियाणा	0.25	*
		असम	1.50	*
		अरुणाचल प्रदेश	0.50	*
		ओडिशा	3.72	*

*वित्तीय सहायता के अनुरोध के समय राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराई गई है।

महाराष्ट्र में तेल डिपो

423. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मराठवाड़ा क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में आज की तिथि के अनुसार स्थान-वार कितने तेल डिपो हैं;

(ख) क्या सरकार का विचारा मराठवाड़ा क्षेत्र में एक नया तेल डिपो स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा इस प्रयोजन के लिए कराए गए सर्वेक्षण का, यदि हो, तो ब्यौरा क्या है और इस बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में तेल डिपुओं से पेट्रोल पंप तक के मार्ग में तेल की चोरी रोकने के लिए वर्तमान या प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) डिपुओं/टर्मिनल का कंपनी-वार और स्थल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

आईओसीएल		बीपीसीएल		एचपीसीएल	
क्र.सं.	स्थल	क्र.सं.	स्थल	क्र.सं.	स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	वाडला	1.	गैगोन	1.	सेवरी-वाडला
2.	वाशी	2.	सेवरी	2.	वाशी
3.	सेवरी (I एवं II)	3.	बोरखेड़ी	3.	लोनी
4.	बेसिन	4.	पानेवाड़ी	4.	माहुल
5.	मनमाड़	5.	मिराज	5.	अकोला
6.	जेएनपीटी	6.	पकनी	6.	मनमाड़
7.	पुणे	7.	अकोलनरे	7.	मिराज

1	2	3	4	5	6
8.	चन्द्रपुर			8.	नागपुर
9.	धुले			9.	सोलापुर
10.	शोलापुर				
11.	मिराज				
12.	खापरी				
13.	अकोला				
14.	अहमद नगर				

(ख) एचपीसीएल ने इस क्षेत्र, खासतौर से औरंगाबाद में और इसके आस-पास एक नया पेट्रोल डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में एचपीसीएल ने मराठवाड़ा क्षेत्र में नया पेट्रोल डिपो चालू करने के लिए भूमि के आबंटन हेतु महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन (एमआईडीसी) से अनुरोध किया है।

(ग) उपर्युक्त भूमि के आबंटन के बाद ही सर्वेक्षण किया जा सकता है।

(घ) ओएमसीज ने मार्ग में चोरी को रोकने के लिए छेड़छाड़रोधी टैंक ट्रक लॉकिंग सिस्टम और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) शुरू किया है।

बैंकों को आरबीआई के दिशा-निर्देश

424. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
डॉ. संजय सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संचालनात्मक अनियमितताओं/धोखाधड़ियों को रोकने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाने हेतु तंत्र बनाने के लिए अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में बैंकों द्वारा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सूचित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध सरकार/आरबीआई द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) "धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग" संबंधी मास्टर परिपत्र आरबीआई. डीबीएस. एफआरएमसी. बीसी. नं. 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई, 2012 के अनुसार बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों (सीएमडी)/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) को "धोखाधड़ी निवारण एवं प्रबंधन प्रकार्य" पर अवश्य ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी के मामलों की प्रभावी पड़ताल किए जाने और उनकी भारतीय रिजर्व बैंक सहित उपयुक्त विनियामकीय एवं कानून का पालन करवाने वाले प्राधिकारियों को तत्परतापूर्वक एवं ठीक-ठीक रिपोर्टिंग किए जाने में सक्षम हुआ जा सके। इसके अलावा धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी निगरानी और धोखाधड़ी अन्वेषण प्रकार्य की जिम्मेदारी, कम से कम बड़े पैमाने (मूल्य) की धोखाधड़ियों में, बैंक के सीईओ, निदेशक-मंडल की लेखा-परीक्षा समिति और निदेशक-मंडल की विशेष समिति द्वारा ली जानी चाहिए। बैंकों के लिए अपने संबंधित

निदेशक-मंडलों के अनुमोदन से यह किया जाना अपेक्षित है कि वे प्रकार्य की जिम्मेदारी और अपने बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के ठीक तरीके से काम न करने के लिए जवाबदेही से संबंधित अभिशासन मानकों के आधार पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एवं धोखाधड़ी अन्वेषण प्रकार्य के लिए आंतरिक नीति बनाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया के भाग के रूप में निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं:—

(i) "संगामी लेखापरीक्षा की प्रभावोत्पादकता" पर परिपत्र सं. डीबीएस. सी.ओ. बीसी. नं. 11/23.04.001/2010-11 दिनांक 30 जून, 2011

(ii) "न्यायालयिक अध्ययन के निष्कर्ष धोखाधड़ियों के निवारण के लिए दिशा-निर्देश" पर परिपत्र सं. डीबीएस. सी.ओ. एफआरएमसी.द बीसी. नं. 11/23.04.001/2010-11 दिनांक 31 मई, 2011

(iii) "रिटेल ऋणों में धोखाधड़ी-थोक प्रस्तावों की संस्वीकृति" पर परिपत्र सं. डीबीएस. सी.ओ. एफआरएमसी. बीसी. नं. 14119/23.04.001/2010-11 दिनांक 5 अप्रैल, 2011

(ग) से (ङ) धोखाधड़ियां निर्धारित कार्यविधियों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों को लागू करने के संबंध में विनियामक और उनके संबंधित निदेशक-मंडलों द्वारा निर्धारित मानदंडों का कतिपय उल्लंघन किए जाने की वजह से होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी/धन शोधक निवारक (एएलएम) मानकों पर आरबीआई द्वारा 24 नवंबर, 2004 को जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियामन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ख) के उपबंध के अंतर्गत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2010-2011 में आईसीआईसीआई बैंक लि. पर पांच लाख रुपए मात्र का और वर्ष 2011-2012 में सिटी बैंक एनए पर पच्चीस लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया है। आरबीआई ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया है।

बच्चों का शोषण

425. डॉ. रत्ना डे : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में बच्चों के यौन/शारीरिक शोषण/अनाचार के वर्ष-वार/राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए और सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया;

(ख) इनमें से कितने मामले परिवार के सदस्यों द्वारा यौन शोषण से संबंधित थे;

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों के यौन शोषण के मामलों से और प्रभावी रूप से निपटाने के लिए वर्तमान कानूनों तथा प्रक्रियाओं में कोई सुधार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में कौन से अन्य उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) बच्चों के यौन/शारीरिक-शोषण/अनाचार के मामलों की संख्या का डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में दिया जाता है। अद्यतन उपलब्ध रिपोर्ट वर्ष 2011 की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान देश में बच्चों के बलात्कार के मामलों की कुल संख्या क्रमशः 5368, 5484 तथा 7112 मामले दर्ज किए गए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के कौटुम्बिक-बलात्कार (रक्त से संबंधित द्वारा बलात्कार) के मामलों की कुल संख्या क्रमशः 131, 168 और 170 सूचित की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) बाल यौन दुर्व्यवहार के मामलों पर अधिक प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए सरकार एक विशेष कानून यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' लाया है। यह अधिनियम, उसके तहत तैयार किए गए नियमों के साथ 14 नवम्बर, 2012 से लागू हो गया है।

सरकार, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तथा असुरक्षित बच्चों के लिए समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस), 24 घंटे बालक हैल्प-लाइन-1098 तथा अवैध व्यापार को रोकने और बचाव, पुनर्वास तथा व्यावसायिक लैंगिक शोषण के लिए अवैध व्यापार के पीड़ितों के पुनर्संघटन तथा देश-प्रत्यावर्तन के लिए 'उज्जवला' का भी क्रियान्वित कर रही है।

विवरण-I

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के बलात्कार के तहत दर्ज मामलों, दी गई चार्जशीट के मामलों(सीएस) दोषसिद्ध मामलों (सीवी) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) चार्जशीट किए गए व्यक्तियों (पीसीएस) तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) के मामले

क्र.सं.	राज्य	2009							
		दर्ज मामले	चार्जशीट के मामले	सिद्धदोष मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चार्जशीट किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध किए गए	दर्ज मामले	चार्जशीट के मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	416	344	25	492	426	36	446	453
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	0	15	16	0	12	15
3.	असम	10	7	1	11	17	1	39	19
4.	बिहार	63	67	3	66	75	8	114	75
5.	छत्तीसगढ़	394	396	96	431	426	87	382	361
6.	गोवा	30	18	6	38	33	6	23	33
7.	गुजरात	91	88	4	118	114	5	102	100
8.	हरियाणा	116	107	32	115	116	57	107	93
9.	हिमाचल प्रदेश	83	80	11	90	83	12	72	76
10.	जम्मू और कश्मीर	4	6	0	6	6	0	8	5
11.	झारखंड	8	8	3	23	11	14	0	4
12.	कर्नाटक	104	105	7	135	141	5	108	98
13.	केरल	235	243	16	315	305	19	208	276
14.	मध्य प्रदेश	1071	1040	223	1331	1324	304	1182	1168
15.	महाराष्ट्र	612	617	44	797	819	49	747	614
16.	मणिपुर	12	1	0	6	0	0	11	1
17.	मेघालय	60	22	0	48	25	0	91	36

2010				2011					
सिद्धदोष मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चार्जशीट किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध किए गए	दर्ज मामले	चार्जशीट के मामले	सिद्धदोष मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चार्जशीट किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध किए गए
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	559	564	30	646	468	37	720	561	55
0	14	13	0	20	19	2	20	19	2
1	24	13	4	40	28	1	40	24	1
5	112	98	2	91	84	10	93	99	12
103	426	430	89	477	446	63	555	552	78
2	35	51	2	20	24	4	21	29	4
5	137	141	6	130	121	5	166	164	5
24	121	117	27	66	62	27	73	78	28
8	107	115	11	72	70	11	83	81	8
0	5	5	0	9	7	0	8	8	0
0	0	15	0	16	14	1	16	14	2
14	104	112	9	97	96	13	147	147	16
18	240	323	18	423	265	16	570	281	14
228	1410	1390	291	1262	1248	245	1524	1520	324
40	936	873	55	818	720	48	1053	971	61
0	6	1	0	19	0	0	5	0	0
2	64	47	1	66	32	0	48	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	11	9	0	11	9	0	42	39
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	3	2
20.	ओडिशा	87	78	3	88	90	3	74	80
21.	पंजाब	210	135	47	259	207	56	144	124
22.	राजस्थान	371	279	60	318	316	44	369	219
23.	सिक्किम	14	18	2	14	20	2	14	39
24.	तमिलनाडु	182	182	10	199	193	16	203	177
25.	त्रिपुरा	83	51	11	52	38	1	107	95
26.	उत्तर प्रदेश	625	506	242	817	724	369	451	390
27.	उत्तराखंड	7	6	5	5	7	17	10	10
28.	पश्चिम बंगाल	109	44	3	68	61	6	73	57
	कुल राज्य	5024	4473	854	5868	5602	1117	5142	4659
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	10	1	28	21	1	15	8
30.	चंडीगढ़	21	8	5	20	9	7	16	21
31.	दादरा और नगर हवेली	2	3	1	3	4	1	3	3
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0	1	1
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	307	263	80	387	385	104	304	277
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	5	3	1	4	6	3	2
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	344	290	90	440	424	119	342	312
	कुल अखिल भारत	5368	4763	944	6308	6026	1236	5484	4971

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की सूचना में पिछले वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	42	39	30	40	36	18	41	37	18
1	3	2	1	15	0	1	15	0	1
7	91	92	7	165	150	11	150	150	13
47	184	167	59	166	148	40	172	182	52
46	277	282	63	394	272	61	328	326	68
0	11	39	0	11	12	12	12	12	12
30	208	188	31	271	175	22	263	192	26
12	93	96	10	45	85	14	144	96	18
266	678	598	404	1088	934	405	1573	1328	548
8	11	11	30	23	21	7	25	25	5
4	94	69	5	252	108	7	182	115	6
916	5992	5891	1185	6742	5645	1081	8047	7032	1377
0	23	8	0	9	19	0	15	43	0
6	27	26	8	15	11	7	17	22	8
2	1	1	2	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
92	349	419	172	339	322	108	402	349	127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	2	1	6	4	0	17	16	0
101	406	457	183	370	357	115	452	431	135
1017	6398	6348	1368	7112	6002	1196	8499	7463	1512

विवरण-II

वर्ष 2009-2011 के दौरान बच्चों के कौटुम्बिक बलात्कार (रक्त संबंधितों द्वारा बलात्कार) के अंतर्गत पंजीकृत मामले

क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	2	2
5.	छत्तीसगढ़	11	5	34
6.	गोवा	1	2	1
7.	गुजरात	6	3	0
8.	हरियाणा	4	2	2
9.	हिमाचल प्रदेश	8	5	5
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0
11.	झारखंड	0	0	5
12.	कर्नाटक	0	0	1
13.	केरल	13	12	30
14.	मध्य प्रदेश	11	13	4
15.	महाराष्ट्र	27	25	29
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	4	7	6
18.	मिजोरम	3	3	3
19.	नागालैंड	0	1	7
20.	ओडिशा	1	35	0
21.	पंजाब	5	12	2
22.	राजस्थान	12	10	7
23.	सिक्किम	0	2	1
24.	तमिलनाडु	4	0	1
25.	त्रिपुरा	0	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	2	3	1
27.	उत्तराखंड	4	5	4
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	7
	कुल राज्य	120	148	153
29.	अंडमान और द्वीपसमूह द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	11	20	17
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	11	20	17
	कुल अखिल भारत	131	168	170

स्रोत: भारत में अपराध

बैंकों द्वारा ऋण का वितरण

426. **श्री शिवकुमार उदासी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित व्यावसायिक बैंक पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित कर पाए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में लक्ष्य अर्जित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सामान्य तौर पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को उधार देने के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य तय नहीं करता है। हालांकि, मौजूदा आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40% या तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर, इनमें से जो भी अधिक हो, के क्रमशः 18% और 10% के लक्ष्य हैं। विदेशी बैंकों के लिए समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य एएनबीसी का 32% या तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, है। इस लक्ष्य के भीतर एमएसई और निर्यात क्षेत्रों को उधार देने के लिए क्रमशः 10% और 12% के लक्ष्य हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए ऐसे लक्ष्य 3 से भी अधिक वर्षों से रहे हैं।

ओईसीडी नियमों में संशोधन

427. **श्री वैजयंत पांडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ने भागीदार देशों द्वारा गोपनीय कर सूचना की साझेदारी को नियमित करने वाले अपने नियमों को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को इस छूट से किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन **(ओईसीडी) ने आय पर तथा पूंजी पर मॉडल कर अभिसमय तथा** इसकी व्याख्या को जुलाई, 2010 में अद्यतन किया है। इसके अलावा ओईसीडी ने ओईसीडी मॉडल कर अभिसमय के सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद 26 तथा इसकी व्याख्या को अद्यतन के अनुसार, एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है और आपूर्तिकर्त्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 26 की व्याख्या का 'पूर्वाभाषी संदर्भ' के मानक की व्याख्या को विकसित करने के लिए विस्तार किया गया है ताकि, उदाहरण स्वरूप, करदाताओं के समूह पर सूचना अनुरोधों को शामिल किया जा सके। अद्यतन व्याख्या में समय सीमाओं के वैकल्पिक चूक मानक का भी प्रावधान है जिसके भीतर सूचना प्रदान की जानी पड़ती है जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अलग करार नहीं कर दिया गया है।

(ग) यदि भारत द्वारा किये गये दोहरे कराधान परिहार करारों (डीटीएए) में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित उपबंध ओईसीडी मॉडल अनुच्छेद 26 के समान है तो डीटीएए के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना का प्रयोग कर संबंधी प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, यदि आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करता है। इसके अलावा, व्याख्या में किये गये परिवर्तनों से भारतीय कर प्राधिकारियों को करदाताओं के समूह के संबंध में सूचना का अनुरोध करने के लिए सुविधा प्राप्त होगी। व्याख्या में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए समय-सीमा के मानकों को उपबंध के फलस्वरूप संधि भागीदारों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में तेजी आयेगी।

[हिन्दी]

एम्स जैसे अस्पताल

428. **श्री हर्षवर्धन :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत स्थापित/शामिल/उन्नयन के लिए प्रस्तावित अस्पतालों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा नाम क्या हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे अस्पतालों की संख्या और नाम क्या हैं जिनके बारे में पीएमएसएसवाई के दूसरे चरण में उन्नयन हेतु योजना आयोग की सहमति ली जा चुकी है और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) एम्स की तर्ज पर नए अस्पतालों की स्थापना तथा विद्यमान अस्पतालों के उन्नयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) पीएमएसएसवाई के अंतर्गत एम्स जैसे अस्पताल कब तक स्थापित या उन्नयन किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) एम्स की तर्ज पर अस्पतालों की स्थापना तथा पी एम एस एस वाई के पहले और दूसरे चरण में मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थानों के उन्नयन तथा प्रत्येक परियोजनाओं में प्रगति से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पीएमएसएसवाई के पहले चरण में उन्नयन के लिए प्रयासरत 13 संस्थानों में से, 6 चिकित्सा महाविद्यालयों, नामतः तिरुवनंतपुरम मेडिकल कालेज, सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, सरकारी मेडिकल कालेज, बंगलौर, एनआईएमएस, लखनऊ तथा जम्मू मेडिकल कालेज सिविल कार्य पूरा हो चुका है।

पीएमएसएसवाई के दूसरे चरण में उन्नयन के लिए प्रयासरत 6 मेडिकल कालेजों में से, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अमृतसर, राजेन्द्र प्रसाद सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़ तथा पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक में सिविल कार्य पहले से ही शुरू है। नागपुर चिकित्सा महाविद्यालय, जहां केवल चिकित्सा उपकरण का अधिप्रापण शामिल हैं, अधिप्रापण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। मदुरई चिकित्सा महाविद्यालय के नक्शे/डिजाइन में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप संशोधन किया गया था।

(ग) और (घ) सभी 6 संस्थानों के लिए एकल परियोजना परामर्श के चयन हेतु 2006 में शुरू की गई बोली प्रक्रिया की विफलता तथा बोलीदाता द्वारा लगाई गई अत्यधिक बोली लगाने के कारण वास्तु डिजाइन हेतु बोलियों की अस्वीकृति के फलस्वरूप, संपूर्ण प्रक्रिया नये सिरे की जानी है।

तदनुसार, जनवरी, 2007 में यह निर्णय किया गया था कि सभी 6 एम्स को साथ जोड़ने की बजाय प्रत्येक एम्स साइट को एक पृथक और स्वतंत्र परियोजना माना जाना चाहिए तथा हाउसिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण को अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज से अलग किया जाना चाहिए ताकि उसका निर्माण बाद में किया जा सके।

कुछेक परिवर्तनों के संजोजन तथा भवन के डिजाइन में ग्रीन बिल्डिंग कॉनसेप्ट आदि कुछ अतिरिक्त विशेषताओं को भी शामिल करने के फलस्वरूप मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पताल कॉम्पलेक्सों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में भी देरी हुई है।

इसके अलावा, भुवनेश्वर साइट पर उत्पन्न स्थानीय समस्याओं ऋषिकेश की साइट पर भवन के मूल डिजाइन में परिवर्तन, पटना तथा रायपुर साइट अपेक्षाओं के चलते मूल स्तर पर डिजाइन में संशोधन, जोधपुर साइट आदि पर परियोजना परामर्श द्वारा खामीपूर्ण सेवाओं के कारण भी 6 एम्स परियोजनाओं पर कार्य में देरी हुई है। पीएमएसएसवाई के पहले चरण में सभी 6 एम्स सरीखे संस्थानों को वर्ष 2013-14 तक चालू किए जाने की उम्मीद है।

पीएमएसएसवाई के पहले चरण में शेष 7 उन्नयन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुछेक साइट परिस्थितियों/स्थानीय मुद्दों आदि के कारण देरी हुई है तथा मार्च, 2013 तक पूरे होने की उम्मीद है।

अमृतसर मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मेडिकल कालेज तथा पीजीआईएमएस, रोहतक में सिविल कार्य शुरू हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। नागपुर मेडिकल कालेज में जहां केवल चिकित्सा उपकरणों का अधिप्रापण शामिल है, अधिप्रापण का कार्य राज्य सरकार/संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मदुरई मेडिकल कालेज में राज्य सरकार/संस्थान प्राधिकारी द्वारा स्थान के परिवर्तन के कारण कनसेप्ट योजना/डिजाइन में संशोधन किया गया है।

विवरण

(i) एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना

संख्या	राज्य का नाम		कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)				
			मेडिकल कॉलेज	हॉस्पिटल	आवासीय कॉम्पलेक्स	विद्युत सेवाएं	संपदा सेवाएं
1	मध्य प्रदेश	भोपाल	79.18	52.34	97.92	23.50	10.20
2	उड़ीसा	भुवनेश्वर	84.00	65.00	65.00	24.00	11.00
3	राजस्थान	जोधपुर	84.00	77.10	77.10	45.00	8.00
4	बिहार	पटना	90.00	48.12	48.12	79.45	10.50
5	छत्तीसगढ़	रायपुर	61.00	51.81	51.81	51.28	9.63
6	उत्तराखंड	ऋषिकेश	71.45	75.16	75.16	44.00	शून्य

पीएमएसएसवाई चरण-I के तहत सभी 6 एम्स में मेडिकल कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र का सितम्बर, 2012 से 50 एमबीबीएस सीटों समेत शुरू किया गया है।

(ii) मेडिकल कालेज संस्थानों का उन्नयन

क्रम संख्या	राज्य	संस्थान का नाम	प्रगति (प्रतिशत)
1	2	3	4
पहला चरण			
1	आंध्र प्रदेश	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद	पूरा हो गया है।
		श्री वेंक्टेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तिरूपति	87 प्रतिशत
2	गुजरात	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	91 प्रतिशत
3	जम्मू और कश्मीर	सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू	पूरा हो गया है।
		सरकारी मेडिकल कालेज, कश्मीर	पूरा हो गया है।
4	झारखंड	राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रांची	92.5 प्रतिशत
5	कर्नाटक	सरकारी मेडिकल कालेज, बंगलौर	पूरा हो गया है।
6	केरल	सरकारी मेडिकल कालेज, तिरूवनंतपुरम	पूरा हो गया है।

1	2	3	4
7	तमिलनाडु	सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सेलम	पूरा हो गया है।
8	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ	पूरा हो गया है।
		संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी	93 प्रतिशत
9	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता	ओपीडी और एकेडमिक ब्लॉक पूरा हो चुका है और सुपर स्पेशियलिटी काम्पलेक्स
10	महाराष्ट्र	ग्रांट मेडिकल कालेज, मुंबई	84 प्रतिशत
द्वितीय चरण			
1	महाराष्ट्र	सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर	10 प्रतिशत
2	पंजाब	सरकारी मेडिकल कालेज, अमृतसर	30 प्रतिशत
3	हिमाचल प्रदेश	आर पी सरकारी मेडिकल कालेज, टंडा	30 प्रतिशत
4	उत्तर प्रदेश	जेएनएमसी, अलीगढ़	20 प्रतिशत
5	हरियाणा	पीजीआईएमएस, रोहतक	कार्य शुरू किया गया है।
6	तमिलनाडु	सरकारी मेडिकल कालेज, मदुरई	

[अनुवाद]

कृषि ऋण

429. **श्री एम. के. राघवन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने कृषि ऋण के भुगतान के संबंध में अधिस्थगन की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) **क्या अधिकांश किसान** अभी तक अपने कृषि ऋणों का भुगतान नहीं कर पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत शामिल करने तथा उनके ऋण माफ करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) **केरल ने यह**

सूचित किया है कि राज्य सरकार ने मुख्य कृषि जिन्सों जैसे- कॉफी, मिर्च, केला, अदरक, सब्जी आदि के मूल्य में गिरावट के कारण वायनाड को कृषि के दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त जिला घोषित किया है। राज्य सरकार ने एसएलबीसी से वायनाद के लिए कृषि ऋणों की वसूली पर अधिस्थगन घोषित करते हुए एक बैंकर्स पेकेज तैयार करने का अनुरोध किया है। तदनुसार एक वर्ष का अधिस्थगन घोषित किया गया था। यह छूट सम्बद्ध कार्यकलापों के अलावा सभी कृषि ऋणों के लिए 30.12.2011 से लागू है बशर्ते कि उधारकर्ता एसएलबीसी अनुमोदित वायनाड पैकेज की शर्तों को पूरा कर रहे हों।

(ग) और (घ) एसएलबीसी केरल ने यह सूचित किया है कि उन्हें राज्य में किसी ऐसी स्थिति का पता नहीं चला है जिसमें राज्य के किसान लिए गए कृषि ऋणों को चुकाने में अक्षम हों।

(ङ) और (च) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए मधुमेह का उपचार

430. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में मधुमेह के मामले कई गुना बढ़ गए हैं जिससे देश में मधुमेह के रोगियों में अन्य दीर्घावधि चिकित्सीय जटिलताएं आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा देश में मधुमेह के रोगियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार द्वारा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) लाभार्थियों को सभी सूचीबद्ध अस्पतालों से उपचार प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए कोई कदम उठाया है/प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए किसी भी बीमारी के लिए सभी निजी सूचीबद्ध अस्पतालों से नकदी रहित उपचार की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुधमेह फेडरेशन का अनुमान है कि भारत में 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में वर्ष 2009 में अनुमानित 51 मिलियन व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2011 में 61.3 मिलियन व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित थे। मधुमेह से प्रभावित लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

मधुमेह के बढ़ते हुए मामलों को शहरीकरण, प्रभाव व जीवनचर्या परिवर्तनों, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और आबादी की बढ़ती उम्र से जोड़ा जा सकता है।

(ग) मेडिकल कालेजों, अस्पतालों में मधुमेह की पहचान और उसे विशिष्ट उपचार के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला एवं उप जिला स्तर पर मधुमेह के निदान व उपचार की सुविधाएं बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों और आघात की रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने डायबिटिज मिलेट्स जैसे पुरानी बीमारियों के नियमित परामर्श और उपचार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किसी भी निजी अस्पताल को सूचीबद्ध नहीं किया है। उन्हें सरकारी विशेषज्ञ से रेफरल करने पर और सीजीएचएस वेलनेस केन्द्र के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने पर विशिष्ट चिकित्सीय उपचार देने के लिए अनुमोदित किया गया है। ऐसे मामलों में सूचीबद्ध निजी अस्पताल सीजीएचएस के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थी को नकदीरहित सुविधा प्रदान करते हैं।

बीमा कंपनियों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

431. श्री कीर्ति आजाद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा कंपनियों (जीआईसी) ने सरकार से पुनरुद्धार पैकेज की मांग/अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कमीशन के भुगतान के लिए नियत मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञापन/प्रचार/व्यवसाय संवर्धन/आईटी सेवाओं के नाम पर एजेंटों/कॉर्पोरेट एजेन्टों/दलालों को अधिक कमीशन के भुगतान की घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सीईओ तथा उच्च प्रबंधन के वेतन/प्रोत्साहन राशि की बड़ी राशियों के भुगतान के परिणामस्वरूप आम आदमी को अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा एजेन्टों/दलालों/कॉर्पोरेट एजेंटों को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं और विगत में राशि की वसूली में विफलता, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) से (घ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40क के उपबंधों के अनुसार, बीमा एजेंटों को दिया जाने वाला अधिकतम कमीशन 15% से अधिक नहीं होगा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42ङ के अनुसार बीमा मध्यवर्तियों को अधिकतम 30% तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें यह प्रावधान है कि प्राधिकरण, कमीशन, शुल्क अथवा मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के पारिश्रमिक अथवा बीमा कारोबार के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग राशि विनिर्दिष्ट कर सकता है। कुछ कंपनियों के मामलों, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने यह पाया है कि विज्ञापन/प्रचार इत्यादि के नाम पर अधिक भुगतान किया गया है। इस संबंध में, आईआरडीए ने वर्ष 2010-11 में मैसर्स चोलामंडलम जेनरल इंश्योरेंस और वर्ष 2011-12 में इंडोसिंध बैंक (कॉरपोरेट एजेंट) पर जुर्माना लगाया है।

(ङ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40ग, सामान्य बीमा कारोबार हासिल करने के लिए कमीशन अथवा पारिश्रमिक सहित प्रबंधन खर्च संबंधी सीमा निर्धारित करती है। बीमा विनियमावली 1939 के नियम 17ङ में विहित प्रबंधन की व्यय सीमा, कमीशन और परिचालन व्यय संबंधी सीमा निर्धारित करने का तरीका और राशि निर्धारित करता हैं इस तरह से विहित सीमाओं से अधिक खर्च की गई राशि का संबंध यद्यपि परिचालन व्यय, वेतन, प्रोत्साहनों, इत्यादि से हो सकता है, परंतु इसे केवल वेतनों से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मुख्य कार्यकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों का 1.5 करोड़ रुपए तक के पारिश्रमिक का वहन पॉलिसीधारकों के खाते से किया जाना है और इस सीमा से अधिक के किसी भुगतान का वहन शेयर धारकों के खाते से किया जाना है। आईआरडीए ने पॉलिसीधारक के खाते से 1.5 करोड़ रुपए की सीमा तय करके पॉलिसीधारकों पर वित्तीय भार को सीमित किया है।

(च) न तो बीमा अधिनियम और न ही आईआरडीए के किसी विनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान है जो लाइसेंसधारी निकायों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली विहित करता हो। तथापि, इस तरह का कोई मामला पाये जाने पर आईआरडीए, कमीशन के भुगतान की सीमा के संबंध में प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लाइसेंसधारी निकायों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों के आबंटन में भ्रष्टाचार

432. डॉ. संजय सिंह :
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री हरीश चौधरी :
श्री एस. अलागिरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों के आबंटन की प्रक्रिया क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा देश में पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसियां भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को आबंटित की गई हैं और वर्तमान वर्ष के अंत तक उन्हें कितनी एजेंसियां आबंटित करने का विचार है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों के आबंटन में प्रबंधन, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के कतिपय अधिकारियों के संलिप्त होने के मामले सूचित/जानकारी में आए/पता चले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ओएमसी-वार ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए प्रक्रिया बदल कर लाटरी के द्वारा चयन करना है ताकि पारदर्शिता में सुधार किया जा सके और चयन प्रक्रिया में विवेकाधिकार को समाप्त किया जा सके।

वर्तमान प्रणाली में उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता मानदंड (i) उपयुक्त भूमि (ii) वित्त (iii) आयु और (iv) शिक्षा, पूरा करना होता है। फिर पात्र उम्मीदवारों की लाटरी निकाली जाती है, लाटरी की समस्त कार्रवाई वीडियोग्राफ की जाती है।

01.10.2012 की स्थिति के अनुसार, देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास ग्रामीण आरओज सहित 43567 आरओ थे और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीएलवीवाई) सहित 11323 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थे। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) इनमें से भूतपूर्व सैनिकों और इनके आश्रितों को 712 आरओज और 595 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित किए गए हैं और 57 आरओज और 15 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) ओएमसीज को पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आबंटन में कुप्रबंधन, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता का कोई सिद्ध मामला नहीं मिला है।

विवरण-I

दिनांक 01.10.2012 की स्थिति के अनुसार देश में आरओ डीलरशिप्स की तेल विपणन कंपनी-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1713	1027	1230	3970
अरुणाचल प्रदेश	48	4	72	52
असम	474	91	72	637
बिहार	1100	499	344	1943
छत्तीसगढ़	295	216	246	757
दिल्ली	201	110	97	408
गोवा	27	43	34	104

1	2	3	4	5
गुजरात	1033	536	580	2149
हरियाणा	1067	336	552	1955
हिमाचल प्रदेश	197	56	99	352
जम्मू और कश्मीर	206	116	119	441
झारखंड	423	238	225	886
कर्नाटक	1481	749	774	3004
केरल	785	444	544	1773
मध्य प्रदेश	941	685	594	2220
महाराष्ट्र	1433	1303	1261	3997
मणिपुर	56	6	0	62
मेघालय	105	27	19	151
मिजोरम	23	0	3	26
नागालैंड	46	6	3	55
ओडिशा	607	341	247	1195
पंजाब	1580	594	814	2988
राजस्थान	1286	669	820	2775
सिक्किम	13	15	6	34
तमिलनाडु	1747	1080	1039	3866
त्रिपुरा	44	0	0	44
उत्तराखंड	210	93	141	444
उत्तर प्रदेश	2805	1109	1184	5098
पश्चिम बंगाल	1041	479	437	1957
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	0	0	9

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	20	10	11	41
दादरा और नगर हवेली	9	1	6	16
दमन और दीव	11	3	7	21
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुदुचेरी	75	24	38	137
समग्र योग	21111	10910	11546	43567

विवरण-II

दिनांक 01.10.2012 की स्थिति के अनुसार देश में एलपीजी डीलरशिप्स की तेल विपणन कंपनी-वार और राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या

राज्य	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	18	4	5	27
दिल्ली	192	76	48	316
हरियाणा	157	89	74	320
हिमाचल प्रदेश	104	12	18	134
जम्मू और कश्मीर	84	17	65	
पंजाब	290	111	91	492
राजस्थान	310	168	189	667
उत्तर प्रदेश	875	348	299	1522
उत्तरांचल	138	28	19	185
अंडमान और निकोबार	5	0	0	5
अरुणाचल प्रदेश	33	1	0	34
असम	147	28	19	194

1	2	3	4	5
बिहार	279	150	135	564
झारखंड	119	51	55	225
मणिपुर	43	0	0	43
मेघालय	35	1	0	0
मिजोरम	36	0	0	0
नागालैंड	32	1	0	0
ओडिशा	124	56	110	290
सिक्किम	8	0	0	0
त्रिपुरा	37	0	0	0
पश्चिम बंगाल	373	105	138	616
छत्तीसगढ़	102	31	65	198
दादरा और नगर हवेली	0	0	2	2
दमन और दीव	0	0	2	2
गोवा	7	17	29	53
गुजरात	329	120	133	582
मध्य प्रदेश	353	157	168	678
महाराष्ट्र	304	461	500	1265
आंध्र प्रदेश	523	281	403	1207
कर्नाटक	257	133	195	585
केरल	227	113	91	431
पुदुचेरी	0	4	7	11
तमिलनाडु	0	187	171	358
लक्षद्वीप	1	0	0	1
समग्र योग	5542	2750	3031	11323

[अनुवाद]

मातृ मृत्यु-दर

433. **श्री विभू प्रसाद तराई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई हिस्सों में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में अपने पहले प्रसव के दौरान बहुत-सी महिलाएं मर जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान में सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में हुई ऐसी मौतों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) में शामिल नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या **कारण** हैं और सरकार द्वारा पहले प्रसव के दौरान महिलाओं की **मृत्यु**-दर को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) देश में मातृ मृत्यु-दर संबंधी आंकड़े भारत के महापंजीयक की नवीनतम रिपोर्ट नमूना पंजीकरण प्रणाली-2007-09 से उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 2004-06 से 2007-09 की अवधि के दौरान 100,000 जीवित जन्में बच्चों पर 254 से घटकर 212 रह गया है। इस रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहले प्रसव के समय में मातृ मृत्यु संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

आरजीआई-एसआरएस में 3 वर्षों के अन्तराल में राज्यवार एमएमआर का उल्लेख है जिसमें प्रमुख राज्यों के वर्ष 2007-09 की अवधि के लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं जिनके ब्यौरें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सभी गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना द्वारा कवर नहीं की जाती। इस योजना के तहत राज्यों को संस्थागत प्रसव दरों के आधार पर कम निष्पादन वाले राज्यों तथा अधिक निष्पादन वाले राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, असम तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों जहां संस्थागत प्रसव की दर कम है, को कार्यक्रम निष्पादन वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों, जहां संस्थागत प्रसव की दरों का स्तर संतोषजनक है को अधिक निष्पादन वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एलपीएस में जेएसवाई के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को कवर किया गया है। तथापि, एचपीएस में जेएसवाई के लाभ बीपीएल/एससी/एसटी परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए ही उपलब्ध है जिसकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है तथा केवल दो जीवित जन्में बच्चे हैं।

जननी शिशु कार्यक्रम योजना में पूर्णतः निशुल्क तथा प्रसव जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित सुविधा दी गई है और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को कवर किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए किए गए मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं:

- जननी सुरक्षा योजना द्वारा अस्पतालों में प्रसवों का संवर्धन।
- मूल तथा व्यापक आबस्ट्रेटिक परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं का क्षमता निर्माण।
- 24x7 मूल तथा व्यापक आबस्ट्रेटिक परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए उप केन्द्रों, समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों का प्रचालन।
- प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव उपरांत परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं को सक्षम नाम आधारित वेब ट्रेकिंग शुरू की गई है।
- माताओं तथा बच्चों के लिए सेवा वितरण की निगरानी हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग के साथ माता तथा शिशु सुरक्षा कार्ड।
- एनीमिया के नियंत्रण तथा उपचार के लिए गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव उपरांत परिचर्या समेत आयरन तथा फॉलिक एसिड संपूरक प्रदान करना।
- मांग उत्पन्न करने के लिए 8.71 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य सुधारकों का समाधान तथा समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को **सुविधाजनक बनाया जाना है।**

- मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान हेतु आउटरीच गतिविधि के रूप में ग्रामीण स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस।
- आहार विविधीकरण, लोह और फोलेटयुक्त भोजन के समावेश के साथ-साथ आयरन अवशोषण वाले खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।
- जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए आवधिक व्यय तथा जन्म पश्चात 30 दिनों तक उपचार हेतु जन स्वास्थ्य संस्थानों की बीमार नवजातों की पहुंच के लिए 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विवरण

मातृ मृत्यु दर: भारत और राज्यवार

(स्रोत:आरजीआई (एस.आर.एस) 2007-09)

प्रमुख राज्य	एम.एम.आर (2007-09)
1	2
भारत कुल	212
असम	390
बिहार/झारखंड	261
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	269
ओडिशा	258
राजस्थान	318
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	359
ईएजी और असम उप-योग	308
आन्ध्र प्रदेश	134
कर्नाटक	178
केरल	81
तमिलनाडु	97
दक्षिण उप-योग	127
गुजरात	148
हरियाणा	153
महाराष्ट्र	104
पंजाब	172
पश्चिम बंगाल	145
अन्य	160
अन्य उप-योग	149

[हिन्दी]

जैव-ईंधन का विकास

434. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति में जैव-ईंधन का संवर्धन तथा विकास पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जैव-ईंधन कार्यक्रमों के समन्वय, कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु कोई उच्चस्तरीय राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय बायोईंधन नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं:-

- बायोडीजल का उत्पादन बंजर तथा अवक्रमित और गैर-वन भूमियों पर उगने वाले तिलहनों से होता है।
- वर्ष 2017 तक पेट्रोल और डीजल के साथ क्रमशः बायोइथानॉल और बायोडीजल के 20% मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य।
- आवधिक संशोधन हेतु प्रावधान के साथ अखाद्य तेल बीजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी।
- बायो-इथानॉल और बायो-डीजल की खरीद हेतु न्यूनतम खरीद मूल्य का निर्धारण।
- द्वितीयक नवउत्पाद बायोईंधनों सहित बायोधनों के अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन पर मुख्य बल।

(ग) और (घ) सरकार के पेट्रोल के साथ 5% बायोइथानॉल मिश्रित करने की योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2010 में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा इथानॉल के प्रापण हेतु प्रति लीटर 27 रु. का तदर्थ एक्स फैक्टरी मूल्य अनुमोदित किया गया। दिनांक 01.09.2010 से तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथानॉल का प्रापण और इथानॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति प्रगति पर है। बायो-डीजल उद्योग अब भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है और उच्च गति वाले डीजल के साथ उसका मिश्रण अब तक शुरू नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) बायोईंधन विकास, संवर्धन और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर समन्वयन और नीतिगत मार्गदर्शन/समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय बायोईंधन समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्यों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त, कृषि मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और वन मंत्री शामिल हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इस समिति के संयोजक हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

435. श्री यशवीर सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री जी. एम. सिद्देश्वर :
श्री नीरज शेखर :
प्रो. सौगत राय :
श्री ए. के. एस. विजयन :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का मद-वार ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने या गरीब लोगों पर वृद्धि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए डीजल तथा एलपीजी की कीमतों को वापिस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुरूप दैनिक आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को और संशोधित करने पर विचार कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर निगरानी रखने और तदनुसार भारतीय बाजार में मूल्य वृद्धि संस्तुत करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में देश में पेट्रोल और डीजल की वर्तमान कीमतें क्या हैं और इस अंतर के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) दिनांक 01.04.2010 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) में संशोधन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने दिनांक 26.06.2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार-निर्धारित कर दिया है। **इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की**

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। बाजार निर्धारित मूल्य प्रणाली लागू होने के बाद भी, कई बार ओएमसीज अल्प-वसूली का एक भाग स्वयं वहन करते हुए, सुरक्षित ढंग से पेट्रोल का मूल्य संशोधन कर रही हैं।

तथापि, अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि के स्फीतिकारी प्रभाव से तथा घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को लगातार आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है। दिनांक 14.09.2012 से डीजल के मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद, वर्तमान में ओएमसीज को 16.11.2012 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य के अनुसार, डीजल पर 9.06 रुपए प्रति लीटर की अल्प-वसूली हो रही है।

इसके अलावा, दिनांक 25.06.2011 से पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू राजसहायता प्राप्त एलपीजी के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है और केवल 14.09.2012 से प्रत्येक उपभोक्ता के लिए प्रति वर्ष 6 सिलिंडरों की सीमा निर्धारित की गई है। दिनांक 01.11.2012 से प्रभावी आरजीपी के आधार पर ओएमसीज पीडीएस मिट्टी तेल पर 31.30 रुपए प्रति लीटर तथा 14.2 कि.ग्रा. के राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 478.50 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूली उठा रही हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य की तुलना में पड़ोसी देशों के मूल्य नीचे दिए गए हैं:—

(भारतीय रुपए/लीटर)

	भारत	पाकिस्तान	बंग्लादेश	श्रीलंका	नेपाल
पेट्रोल	67.24	59.61	60.21	61.09	77.87
डीजल	47.15	64.91	40.57	48.14	60.58

नोट:— पड़ोसी देशों के लिए मूल्य 01.09.2012 की स्थिति के अनुसार हैं, जो सितम्बर, 2012 के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल आईटी विवरण के अनुसार हैं। भारत में पेट्रोल का मूल्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अनुसार हैं।

अन्य देशों के पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य निर्धारण व्यवस्था के संबंध में सूचना सरकार के पास नहीं है।

विवरण

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के आरएसपीज में संशोधन

संशोधन की	पेट्रोल	डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी	कारण
		रुपए प्रति लीटर		रुपए प्रति सिलिंडर	
1	2	3	4	5	6
01.04.2010	47.93	38.10	9.32	310.35	01.04.2010 को आरएसपी
26.06.2010	51.43	40.10	12.32	345.35	मूल मूल्य में वृद्धि
01.07.2010	51.45	40.12			साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
20.07.2010		37.62			दिल्ली में वैट में छूट

1	2	3	4	5	6
08.09.2010	51.56	37.71			डीलर कमीशन में वृद्धि
21.09.2010	51.83				मूल्यों में वृद्धि
17.10.2010	52.55				मूल्यों में वृद्धि
02.11.2010	52.59	37.75			साइडिंग/शंटिंग प्रभारों/डीलर कमीशन में वृद्धि
09.11.2010	52.91				मूल्यों में वृद्धि
16.12.2010	55.87				मूल्यों में वृद्धि
15.01.2011	58.37				मूल्यों में वृद्धि
18.01.2011			12.73		परिवहन प्रभारों में वृद्धि
15.05.2011	63.37				मूल्यों में वृद्धि
25.06.2011		41.12	14.83	395.35	मूल्यों में वृद्धि
01.07.2011	63.70	41.29		399.00	साइडिंग/शंटिंग प्रभारों/डीलर कमीशन में वृद्धि
16.09.2011	66.84				मूल्यों में वृद्धि
01.10.2011		40.91			दिल्ली में डीजल पर 0.38 रुपए प्रति लीटर वैट की छूट
04.11.2011	68.64				मूल्यों में वृद्धि
16.11.2011	66.42				मूल्यों में कमी
01.12.2011	65.64				मूल्यों में कमी
24.05.2012	73.18				मूल्यों में वृद्धि
03.06.2012	71.16				मूल्यों में कमी
18.06.2012	70.24	41.29			दिल्ली में वैट छूट (डीजल) पर वापिस लेना/छूट (पेट्रोल)
29.06.2012	67.78				मूल्यों में कमी
24.07.2012	68.48				मूल्य में वृद्धि

1	2	3	4	5	6
01.08.2012	68.46	41.32			साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में संशोधन
14.09.2012		46.95			मूल्यों में वृद्धि
07.10.2012				410.50	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में वृद्धि
09.10.2012	67.90				मूल्यों में कमी
03.10.2012			14.79		साइडिंग प्रभारों में संशोधन
27.10.2012	68.19	47.15			डीलर कमीशन में वृद्धि
16.11.2012	67.24				मूल्यों में कमी
	67.24	47.15	14.79	410.50	16.11.2012 की स्थिति के अनुसार आरएसपी

नोट— 26.06.2010 से आगे पेट्रोल का मूल्य आईओसीएल के अनुसार

[हिन्दी]

संदूषित शहद

436. **श्री कपिल मुनि करवारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एंटीबायोटिक्स तथा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की मिलावट वाले शहद के उत्पादन तथा विपणन के बारे में कतिपय अध्ययनों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) शहद तथा ऐसे अन्य पदार्थों के लिए विहित मानक क्या हैं और इस बारे में भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को दिए गए अधिकार क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में एंटीबायोटिक तथा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की अत्यधिक मात्रा वाले आयातित तथा घरेलू शहद के ब्रांड तथा ऐसे अन्य खाद्य वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) देश में ऐसे मिलावटी शहद ब्रांडों की बिक्री की अनुमति देने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) शहद में एंटीबायोटिक्स अवशिष्ट पर वर्ष 2010 में एक एनजीओ द्वारा कराए गए एक अध्ययन में जानकारी दी गई थी कि शहद के नमूनों में एंटीबायोटिक्स होता है।

(ग) खाद्य सुरक्षा तथा मानक (खाद्य पदार्थ मानक व खाद्ययोजक) विनियमन, 2011 में शहद के मानक निर्धारित किए गए हैं जहां शहद में एंटीबायोटिक्स मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) खाद्य विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर कड़ी निगरानी रखने और जहां कहीं भी एंटीबायोटिक्स/संदूषण की वजह से नमूनों में अपमिश्रण पाया जाता है, वहां दंडात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

जनसंख्या स्थिरीकरण

437. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :**

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

श्री जगदीश ठाकोर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या स्थिरीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई तथा कार्यान्वित की गई योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए/हो रहे हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार का एक मुख्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। भारत ने 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2012 तक उर्वरता के स्तरों का प्रतिस्थापन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण की नीति अवसंरचना की तर्ज पर परिवार नियोजन हेतु अपूरित आवश्यकता को पूरा करने के लिए मजबूत सेवा वितरण तंत्र को बनाने में सहायता देकर वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को जोश खरोश के साथ कार्यान्वित करती आ रही है।

भारत सरकार ने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का समाधान किया है जिसमें महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण तथा सही आयु में विवाह शामिल हैं। देश भर में मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन से संबंधित कमजोर स्वास्थ्य संकतकों वाले 264 अधिक जोखिम वाले जिलों को अधिक ध्यान देने तथा सहायक पर्यवेक्षण हेतु पहचान की गई है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य-कलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- लाभार्थियों के घर-घर जाकर निरोधकों की उपलब्ध कराने के लिए आशा कर्मियों की सेवाओं का उपयोग लेने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। योजना को 17 राज्यों के 233 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- विवाह के पश्चात तथा पहले और दूसरे शिशु के जन्म में अंतराल को सुनिश्चित करने के मद्देनजर विवाह पश्चात 2 सालों तक अंतराल तथा 1 शिशु के जन्म में तीन साल का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए नवविवाहित युगलों को परामर्श देने हेतु आशा की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। यह योजना उत्तर-पूर्वी राज्यों, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में संचालित है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत अल्पावधि आई यू सी डी (5 वर्षों तक प्रभावकारी), सी यू आई यू सी डी 375 की शुरूआत की है।

- सरकार द्वारा आई यू सी डी प्रविष्टि (प्रसवोत्तर आई यू सी डी प्रविष्टि) का एक नयी प्रणाली शुरू की है। पी पी आई यू सी टी सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के मद्देनजर अधिक जोखिम वाले राज्यों में 276 जिला अस्पतालों को कवर किया गया है।

- समर्पित परिवार नियोजन परामर्शदाताओं तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण के प्लेसमेंट द्वारा जिला अस्पतालों में प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं को प्रोत्साहित करना।

- जनसंख्या स्थिरता कोश की प्रेरणा नीति (जिम्मेदारी पितृत्व प्रथाओं ने) कन्याओं के बीच विवाह में देरी को प्रोत्साहित द्वारा (कानूनी आयु के पश्चात), कानूनन आयु के बाद विवाह करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत और सम्मान द्वारा तथा अपने बच्चों के जन्म में उचित अंतराल को सुनिश्चित करने जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित किया है।

- जे एस के की संतुष्टि कार्यनीति में निजी क्षेत्र गायनोकोलॉजिस्ट तथा वासेक्टॉमी सर्जनों को सरकारी निजी साझेदारी में नसबंदी ऑपरेशन को आयोजित करने के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं।

- नसबंदी के लिए मुआवजा पैकेज के अंतर्गत सभी राज्यों में सभी वर्गों के लिए वासेक्टॉमी के प्रत्येक मामले हेतु 1500 रुपये की धनराशि तथा अधिक जोखिम वाले राज्यों में सभी श्रेणियों को ट्यूबेकटॉमी हेतु और जन स्वास्थ्य सुविधाओं में गैर अधिक जोखिम वाले राज्यों में बी पी एल/एस सी/एस सी जनसंख्या को 1000/-रुपये की राशि प्रदान की गई है। गैर उच्च जोखिम वाले राज्यों में ए पी एल वर्गो के लिए, केवल जन स्वास्थ्य सुविधाओं में ट्यूबेक्टॉमी हेतु 650 रुपये का एक पैकेज प्रदान कर रही है।
- नसबंदी सेवाओं के स्वीकारकर्त्ताओं और प्रदायकों हेतु मुआवजा पैकेज में वृद्धि।
- नसबंदी के कारण होने वाली किसी भी आपत्ति को कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन इंश्योरेंस योजना।
- अंतराल प्रक्रिया के रूप में दीर्घकालिक आई यू डी 350-ए का संवर्धन।
- गैर स्कालपेल वासक्टॉमी प्रणाली के माध्यम से पुरुष भागीदारी का संवर्धन।
- नसबंदी सेवाओं के प्रावधान में वृद्धि के लिए निजी प्रदायकों की सूचीबद्धता।

कुल उर्वरता दर 1951 में 60 से घटकर 2010 में 25 आ गई है। जबकि 21 राज्यों तथा संघ शासित राज्यों ने उर्वरता के प्रतिस्थापन्न स्तर को पहले ही प्राप्त कर लिया है, 7 राज्यों का टी आर एफ 231 तथा 30 के बीच का है और 7 राज्यों का टी आर एफ 3 से अधिक है। राज्य/संघ शासित राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) परिवार नियोजन/जनसंख्या स्थिरीकरण आर सी एच फेज II परियोजना का एक अभिन्न अंग था, जिसको किसी हद तक वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। आर सी एच परियोजना के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा कुल 245 मिलियन एस डी आर की प्रतिपूर्ति की गई थी जिसमें परिवार नियोजन/जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधित कार्यक्रम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

विवरण

कुल उर्वरता दर

राज्य	टी.एफ.आर.	स्रोत
1	2	3
बिहार	3.7	एस.आर.एस.-2010
उत्तर प्रदेश	3.5	एस.आर.एस.-2010
मध्य प्रदेश	3.2	एस.आर.एस.-2010
राजस्थान	3.1	एस.आर.एस.-2010
डी.एन.एच.	3.3	एस.आर.एस.-2007
झारखंड	3.0	एस.आर.एस.-2010
मेघालय	3.1	एस.आर.एस.-2007
छत्तीसगढ़	2.8	एस.आर.एस.-2010
अरुणाचल प्रदेश	2.7	एस.आर.एस.-2007
असम	2.5	एस.आर.एस.-2010
आल इंडिया	2.5	एस.आर.एस.-2010
गुजरात	2.5	एस.आर.एस.-2010
हरियाणा	2.3	एस.आर.एस.-2010
ओडिशा	2.3	एस.आर.एस.-2010
जम्मू और कश्मीर	2.0	एस.आर.एस.-2010
लक्षद्वीप	2.1	एस.आर.एस.-2007
सिक्किम	2.0	एस.आर.एस.-2007
कर्नाटक	2.0	एस.आर.एस.-2010
मिज़ोरम	2.0	एस.आर.एस.-2007
नागालैंड	2.0	एस.आर.एस.-2007

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.8	एस.आर.एस.-2010
हिमाचल प्रदेश	1.8	एस.आर.एस.-2010
पश्चिम बंगाल	1.8	एस.आर.एस.-2010
पंजाब	1.8	एस.आर.एस.-2010
दिल्ली	1.9	एस.आर.एस.-2010
महाराष्ट्र	1.9	एस.आर.एस.-2010
दमन और दीव	1.9	एस.आर.एस.-2007
चंडीगढ़	1.8	एस.आर.एस.-2007
तमिलनाडु	1.7	एस.आर.एस.-2010
केरल	1.8	एस.आर.एस.-2010
त्रिपुरा	1.7	एस.आर.एस.-2007
गोवा	1.6	एस.आर.एस.-2007
पुदुचेरी	1.6	एस.आर.एस.-2007
मणिपुर	1.6	एस.आर.एस.-2007
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.5	एस.आर.एस.-2007

[अनुवाद]

चिकित्सकों का पलायन

438. श्री जगदानंद सिंह :
श्री बाल कुमार पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय आर्थिक सहयोग (ओईसीडी) देशों के संगठन में पलायन करने वाले चिकित्सक मूल देशों में शीर्ष स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में अन्य देशों को पलायन करने वाले चिकित्सकों की संख्या कितनी है और देश में एक एमबीबीएस चिकित्सक तैयार करने की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने और ऐसे चिकित्सकों को वापस लाने के लिए किसी प्रोत्साहन की घोषणा के लिए कतिपय उपाय किए हैं/ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में यूरोपियन इकोनोमिक कॉरपोरेशन (ओईसीडी) देशों संगठन बाबत ऐसे आंकडें नहीं रखे जाते है। तथापि, पेरिस में भारतीय दूतावास ने बनाया है कि ओईसीडी ने "इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ हेल्थ वर्क्स" को लेकर फरवरी, 2010 में नीतिगत सारांश प्रकाशित किए हैं जिनमें उल्लेख है कि मूल देशों में स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं में प्रवासन के ओईसीडी देशों के बीच समेत ओईसीडी/डब्ल्यू एच ओ में उजागर मुख्य निष्कर्षों में से एक है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओईसीडी देशों में होता है हालांकि ज्यादातर प्रवसन प्रगतिशील तथा उभरते हुए देशों से उत्पन्न हो रहा है। वर्ष 2000 के दौरान आसपास, ओईसीडी में आप्रवासी स्वास्थ्य कार्यबल का बढ़ा हिस्सा फलीपिन्स में जन्मी नर्सें तथा भारत में जन्मे डाक्टर हैं। इसके अलावा, बड़े मूल देशों जैसे भारत और रूस से आने वाले स्वास्थ्य कार्मिक हालांकि पूर्ण रूप से अधिक अपने कुल कार्यबल के आकार तुलना में कम है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत डाक्टर, जो पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने अथवा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, उन्हें एमसीआई से उत्तम स्थायी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पड़ते हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एमसीआई द्वारा जारी उत्तम स्थायी प्रमाण-पत्र का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	उत्तम स्थायी प्रमाण-पत्र की संख्या
1	2
2009	1386

1	2
2010	1264
2011	1368
2012	709

(दिनांक 16.8.2012 तक)

देश में एमबीबीएस डाक्टर तैयार करने की लागत अध्यायन लागत तथा रोगियों को सेवा प्रदनगी जैसे कारको पर निर्भर होगी और राज्य दर राज्य और सरकारी क्षेत्र और निजी सेक्टर में चिकित्सा महाविद्यालयों के बीच भिन्न होगी और इस प्रकार की लागत का साझा आकलन उपलब्ध नहीं होगा।

(घ) और (ङ) सरकार में कार्यरत डाक्टरों के बीच इस प्रथा को हतोप्रोत्साहित करने के मद्देनजर, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:-

(i) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पश्चात् डाक्टरों के वेतन और भत्तों में काफी हद तक वृद्धि की गई है।

(ii) केन्द्रीय सरकारी चिकित्सा संस्थानों के संकाय की सेवा निवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक कर दिया गया है।

(iii) केन्द्रीय सरकारी संस्थानों के संकाय हेतु निश्चित पदोन्नति योजना को अधिक लाभदायी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

(iv) संकाय को उपलब्ध विभिन्न भत्ते जैसे गैर अभ्यासी भत्ता, परिवहन भत्ता लर्गिंग संसाधन भत्ता आदि में काफी हद तक वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

वाटर पंपिंग हेतु सौर ऊर्जा

439. **श्री संजय दिना पाटील : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों द्वारा वाटर पंपिंग हेतु सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने की काफी संभावनाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या योजनाएं बनाई हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) सिंचाई और अन्य उपयोगों हेतु सौर पंपन प्रणालियों का उपयोग करने की महत्वपूर्ण संभाव्यता वहां मौजूद है जहां वाटर टेबल भूमि के नीचे 5 मीटर और 10 मीटर के बीच है।

(ख) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत मंत्रालय सिंचाई हेतु किसानों सहित सभी श्रेणी के उपयोगकर्त्ताओं को 57/- रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित, 5 किवा.पी. की मॉड्यूल क्षमता वाली सौर जल पंपन प्रणाली की संस्थापना लागत की 30% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराता है। स्कीम के तहत, मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 5323 सौर जल पंपन प्रणालियां मंजूर की हैं।

नालको की वित्तीय स्थिति

440. **श्री एस. आर. जेयदुरई : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लि. (नाल्को) के टर्नओवर और निवल लाभ में प्रत्येक वर्ष कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नालको ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितना निवल लाभ अर्जित किया/घाटा उठाया;

(ग) सरकार ने इसके टर्नओवर और निवल लाभ में सुधार लाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का नालको में अपनी कुछ इक्विटी विनिवेश करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) कंपनी के टर्नओवर में 2009-10 से 2011-12 के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है लेकिन विगत वर्षों में शुद्ध लाभ में उतार-चढ़ाव आया है। नालको को 2009-10 से 2011-12 के दौरान और वर्तमान वर्ष के सितंबर, 2012 तक का टर्नओवर और शुद्ध लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए मे)

वर्ष	टर्नओवर (सकल बिक्री)	शुद्ध लाभ
2009-10	5310	814
2010-11	6370	1069
2011-2012	6927	850
2012-13 (सितम्बर, 2012 तक)*	3532	228

अनंतिम (अलेखापरीक्षित)

टर्नओवर में वृद्धि मुख्य रूप से विस्तारित क्षमता से उत्पन्न उच्चतर वाल्यूम के कारण हुई है। तथापि, विगत वर्षों में लाभ में गिरावट मुख्य रूप से लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में धातु की कीमतों के गिरने, प्रमुख खनिजों की कीमतों में वृद्धि होने, महंगी ई-नीलामी अपनाने और आयातित कोयला तथा वेतन परिशोधन से कर्मचारी व्यय में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) जी हां। नालको के लाभ के कम होने की प्रवृत्ति को सरकार ने गंभीरता से लिया है और निष्पादन में सुधार लाने के लिए निष्पादन समीक्षा के उपरांत मंत्रालय द्वारा कंपनी के प्रबंधन को उपयुक्त निदेश दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार ने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) में भारत सरकार द्वारा धारित शेष 87.15% कुल प्रदत्त पूंजी में से 12.15% प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

एनआरएचएम के तहत चिकित्सा सुविधाएं

441. **श्री प्रेमदास :**
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में गरीबों को कोई छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मिशन के तहत आंध्रप्रदेश सहित राज्य-वार कितनी ग्रामीण आबादी कवर की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में गरीबों के लिए दवाओं और अन्य चिकित्सा लाभों, जो ग्रामीण गरीबों की पहुंच से बाहर हो, प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्य-वार कोई राशि/वित्तीय पैकेज दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) गरीब जनसंख्या विशेष रूप से समाज के पिछड़े हिस्सों को सुगम, वहनीय और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वियन योजनाओं के रूप में आपके प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इनकी समीक्षा की जाती है और भारत सरकार प्रत्येक राज्य के लिए कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना अनुमोदित करती है। भारत सरकार निशुल्क दवाइयां, जांच, रोगी परिवहन आदि जैसी स्वास्थ्य परिचर्या के लिए गरीब लोगों को छूट प्रदान करने के राज्य सरकारों की पहलों का समर्थन करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को कवर करता है।

(ग) से (ङ) जननी सुरक्षा योजना, जो संस्थागत प्रसव मुहैया कराने वाली एक सर्शत नकद हस्तांतरण योजना है, के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की गर्भवती महिलाएं ही आंध्र प्रदेश जैसे अधिक कार्य निष्पादन वाले राज्यों में लाभ की पात्र हैं हालाकि अन्य सभी राज्यों में सभी को यह लाभ उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने

वाले वित्तीय पैकेज के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है कि जन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय निःशुल्क और कैशलैस संस्थागत परिचर्या प्राप्त हो। इसी प्रकार रोगी को अस्पताल पहुंचाने हेतु निःशुल्क यातायात प्रदान करने के लिए रोगी परिवहन प्रणाली के लिए राज्यों को सहायता भी दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष में निःशुल्क औषधियों के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वियन योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना के लिए आबंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य				
1	बिहार	229.96	249.97	250.85
2	छत्तीसगढ़	57.4	74.67	68.85
3	हिमाचल प्रदेश	1.01	2.18	1.9
4	जम्मू और कश्मीर	27.81	26.25	21.93
5	झारखंड	57.69	70.22	69.7
6	मध्य प्रदेश	248.32	200.78	188.08
7	उड़ीसा	104.44	121.17	108.31
8	राजस्थान	140.01	143	184.06
9	उत्तर प्रदेश	310.28	399.38	475.33
10	उत्तराखंड	13.5	20.31	15.12
पूर्वोत्तर राज्य				
11	अरुणाचल प्रदेश	1.6	1.64	1.41
12	असम	92.83	101.5	93.39
13	मणिपुर	1.18	1.32	2.2
14	मेघालय	1.96	2.28	1.28
15	मिजोरम	1.47	1.66	1.78
16	नागालैंड	2.36	3.66	2.73
17	सिक्किम	0.22	0.53	0.59
18	त्रिपुरा	2.29	3.17	3.36
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य				
19	आंध्र प्रदेश	45.5	50.36	32.88
20	गोवा	0.08	0.1	0.1
21	गुजरात	16.1	22.38	21
22	हरियाणा	6	6.99	6.6
23	कर्नाटक	27.4	46.03	38.54
24	केरल	14.79	9.66	13.55
25	महाराष्ट्र	28.9	22.59	35.28
26	पंजाब	4.9	6.12	6.46
27	तमिलनाडु	31.68	35.3	34.52
28	प. बंगाल	43.39	43.3	58.37
छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.11	0.12	0.06

1	2	3	4	5
30	चंडीगढ़	0.08	0.08	0.08
31	दादरा और नगर हवेली	0.14	0.14	0.15
32	दमन एवं दीव	0	0	0
33	दिल्ली	1.69	3.18	2.18
34	लक्षद्वीप	0.09	0.05	0.07
35	पुदुचेरी	0.23	0.33	0.34
	कुल	1515.4	1670.39	1741.05

विवरण-II

वर्ष 2012-13 में औषधियों के प्रापण के लिए एनआरएचएम के तहत अनुमोदित राज्यवार राशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित कुल राशि (रुपए लाख में)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	187
आंध्र प्रदेश	3658
अरुणाचल प्रदेश	284
असम	11618
बिहार	8409
चंडीगढ़	109
छत्तीसगढ़	893
दादरा और नगर हवेली	67
दमन और दीव	15
दिल्ली	1737
गोवा	197
गुजरात	2317
हरियाणा	2265
हिमाचल प्रदेश	489
जम्मू और कश्मीर	968
झारखंड	3548
कर्नाटक	5657
केरल	3122
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	8040
महाराष्ट्र	19241
मणिपुर	409
मेघालय	826
मिजोरम	523
नागालैण्ड	793
उड़ीसा	5482
पुदुचेरी	252
पंजाब	4788
राजस्थान	5067
सिक्किम	225
तमिलनाडु	7504
त्रिपुरा	633
उत्तर प्रदेश	14148

1	2
उत्तराखंड	665
पश्चिम बंगाल	15888
कुल	130026

बलात्कार/एसिड हमले की पीड़ितों का पुनर्वास

442. श्री गणेश सिंह :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बलात्कार, जलाए जाने और 'तेजाब डाले जाने' से पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास हेतु एक कोष स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बलात्कार पीड़ितों को उक्त कोष से कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त कोष कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के अनुसार केन्द्र सरकार के समन्वय से अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने की स्कीम बनाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

(ख) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में अपने दिनांक 19.10.1994 के निर्णय में बलात्कार की पीड़ितों के पुनर्वास हेतु निर्देश दिए हैं। तथापि, इस प्रयोजनार्थ कोष की स्थापना के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कोई सुझाव नहीं दिया।

[अनुवाद]

मरीजों की सुरक्षा और दवा का पता लगाए जाने संबंधी प्रौद्योगिकी

443. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मरीजों की सुरक्षा और दवा का पता लगाए जाने संबंधी प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राज्यीय कार्यशाला आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यशाला के उद्देश्य किस स्तर तक पूरे किए जा चुके है;

(घ) क्या सरकार देश में दवा विनियमन से संबंधित नीतियों को सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) मरीजों की सुरक्षा और दवा का पता लगाने जाने संबंधी प्रौद्योगिकी पर 10-11 सितम्बर, 2012 को इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए पता लगाने और निवारक प्रौद्योगिकियों के समुचित प्रयोग पर जानकारी को साझा करने और औषधि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से संबंधित व्यापक सहयोग पर चर्चा करने की यह एक पहल थी। सरकार ने भी इसमें भाग लिया था।

(घ) और (ङ) नीतियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना एक सतत और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

थर्मल स्टेशनों के निकट कैंसर का खतरा

444. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अभी हाल ही में किए गए एक

अध्ययन की ओर गया है जिसके अनुसार दिल्ली में थर्मल स्टेशनों, विशेषरूप से राजघाट, बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ स्टेशनों के निकट उगाई गई प्रदूषित सब्जियां खाने से उपभोक्ताओं को जीवनभर कैंसर का जोखिम रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने बताया है कि वर्तमान में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, तीन थर्मल पावर प्लांट के आस-पास है तथा दिल्ली में एक पृष्ठभूमि स्थल पर उगाई गई छः अलग-अलग सब्जियों में पोलीआरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा मेटल को बहुत अधिक स्तर की जानकारी मिली है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के सदन पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय लड़कियों की साक्षरता-दर

445. **श्री पूर्णमासी राम :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय महिलाओं और लड़कियों की राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान साक्षरता दर क्या है;

(ख) क्या जनजातीय लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भागीदारी और इसके लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी साक्षरता-दर में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है;

(ग) देश में आम महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर में अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) जनजातीय लड़कियों के शत-प्रतिशत दाखिला और शिक्षा हेतु अपेक्षित वातावरण तैयार करके प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आऊट' दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) देश में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए सामान्य आरक्षण के अलावा अनुसूचित जनजातीय समुदायों से संबंधित महिला विद्यार्थियों के साक्षरता स्तर में सुधार करने तथा अंतर को दूर करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय अनेक शिक्षा उन्मुख योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। यह मंत्रालय 54 चिन्हित जिलों में, जहां अनुसूचित जनजातीय महिला साक्षरता दर 35% से कम है तथा अनुसूचित जनजातीय आबादी 25% से अधिक है, अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए एक विशेष योजना - 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के बीच शिक्षा का सशक्तीकरण' कार्यान्वित कर रहा है। इस मंत्रालय की अन्य योजनाएं जो अनुसूचित जनजातीय बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, ये हैं:— "अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण", "जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना", "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन", "विदेश में उच्च अध्ययन (एनओएस) के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना", और "अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा"।

विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र-वार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर (जनगणना 2001)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल महिला	ग्रामीण महिला	शहरी महिला
1	2	3	4	5
01.	आन्ध्र प्रदेश	26.11	24.48	45.99
02.	अरुणाचल प्रदेश	40.56	35.83	69.05
03.	असम	52.44	51.04	80.62
04.	बिहार	15.54	13.3	55.28
05.	छत्तीसगढ़	39.35	38.21	59.77

1	2	3	4	5
06.	गोवा	47.32	31.43	54.55
07.	गुजरात	36.02	34.6	51.78
08.	हरियाणा	—	—	—
09.	हिमाचल प्रदेश	53.32	52.5	81.15
10.	जम्मू और कश्मीर	25.51	23.88	59.34
11.	झारखंड	27.21	24.38	57.38
12	कर्नाटक	36.57	33.32	54.34
13	केरल	58.11	57.28	77.7
14	मध्य प्रदेश	28.44	27.24	45.89
15	महाराष्ट्र	43.08	39.88	64.7
16	मणिपुर	58.42	57.58	74.28
17.	मेघालय	59.2	53.97	84.58
18.	मिजोरम	86.95	77.71	96.01
19.	नागालैंड	61.35	57.72	85.6
20.	ओडिशा	23.37	22.07	45.77
21.	पंजाब	—	—	—
22.	राजस्थान	26.16	25.22	42.97
23.	सिक्किम	60.16	58.03	80.59
24.	तमिलनाडु	32.78	29.48	50.68
25.	त्रिपुरा	44.6	43.35	89.26
26.	उत्तर प्रदेश	20.7	18.34	39.54
27.	उत्तराखंड	49.37	47.36	79.48
28.	पश्चिम बंगाल	29.15	27.88	48.2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	59.58	58.62	89.49
30.	चंडीगढ़	—	—	—
31.	दादरा और नगर हवेली	26.99	24.6	56.73
32.	दमन और दीव	51.93	51.05	55.4
33.	दिल्ली	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	80.18	78.18	82.64
35.	पुदुचेरी	-	-	-
	भारत	34.76	32.44	59.87

स्रोतः भारत के महापंजीयक, जनगणना 2001

आर्थिक विकास

446. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री जोस के. मणि :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आज तक वास्तव में हुए आर्थिक विकास के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चालू वर्ष हेतु एजेंसी-वार रैंकिंग और विकास अनुमान का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत वर्षों में रैंकिंग में गिरावट और विकास-दर की प्राप्ति में कमी के कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर, जो कि स्थिर मूल्यों (2004-05)

की घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में मापी जाती है, वर्ष 2011-12 में 6.5 प्रतिशत रही। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2012-13 की पहली तिमाही में मापित विकास दर स्थिर मूल्यों (2004-05) की घटक लागत पर सकल घेरलू उत्पाद के संदर्भ में 5.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के एजेंसीवार अद्यतन अनुमान नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका: 2012-13 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान (प्रतिशत में)

एजेंसी	पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक	5.8
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	6.0
आईएमएफ*	4.9
विश्व बैंक	6.0
एशियन विकास बैंक	5.6

*कैलेंडर वर्ष 2012 के लिए बाजार मूल्य पर स.घ.उ.।

स्रोत; प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एवं भारतीय रिजर्व बैंक।

(ख) 2011-12 में अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में कमी, मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट होने तथा कृषि क्षेत्र में दर्ज अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण हुई है। विकास दर में इस गिरावट के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों ही कारक उत्तरदायी हैं। वैश्विक कारकों में, विशेष रूप से, यूरो क्षेत्रों में आर्थिक संकट और यूरोप में व्याप्त मंदी जैसे हालात; अनेक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी विकास दर; कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बढ़ना आदि शामिल हैं। घरेलू कारकों में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने के परिणामस्वरूप, अन्य के साथ-साथ विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, निवेश तथा विकास दर में गिरावट आई है।

(ग) अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु बेहतर पहुंच, विद्युत, पेट्रोलियम एवं गैस, सड़क, कोयला के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन, खाद्य मुद्रास्फीति कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग करना, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर की अस्थिरता में कमी लाना आदि शामिल हैं। उच्च विकास प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र के अधिक विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरूआत आदि। राजकोषीय समेकन को सुसाध्य बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में किए गए उपायों में डीजल पर सब्सिडी कम करना, कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की घोषणा, निवेश के माहौल (मल्टी-ब्रांड खुदरा, विमानन, प्रसारण में एफडीआई का उदारीकरण) को मजबूत बनाने के उपाय शामिल हैं। इन से बाजार में फिर से विश्वास बढ़ने तथा विकास गति के बहाल होने की आशा हैं।

पर्यटन संबंधी विजन दस्तावेज

447. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन संबंधी विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों को कोई विशेष निदेश दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में राज्य सरकारों का क्या रुझान है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) और (ख) फरवरी 2011 में पर्यटन मंत्रालय ने एक नीतिगत कार्य

योजना तैयार की जिसमें भारत में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए मंत्रालय के विजन, मिशन, उद्देश्यों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। यह नीतिगत कार्य योजना पर्यटन के माध्यम से भारत के नागरिकों के लिए एक बेहतर स्तर के जीवन की कल्पना करती है, जो शारीरिक बल, मानसिक जीवंतता, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक विलक्षण अवसर प्रदान करेगी।

(ग) से (ङ) जी नहीं। पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, घरेलू एवं विदेशी बाजारों में प्रचार और संवर्धनात्मक उपाय तथा आतिथ्य एवं यात्रा क्षेत्र में मानव संसाधन और कौशल विकास के द्वारा उनके प्रयासों में सहायता करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम द्वारा भूमि अर्जन

448. श्री हरीश चौधरी :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम (पीएसयू) अपनी परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सीधे बातचीत के जरिए भूमि अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष स्थान-वार और पीएसयू-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रभावित लोगों को कितना मुआवजा दिया गया अथवा कितनों को रोजगार दिया गया;

(घ) क्या प्रभावित लोगों को दिया गया मुआवजा बहुत कम था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तीन प्रमुख तेल पीएसयूज आयल इंडिया लि. (ओआईएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएन) ने सूचित किया है कि वे सीधी बातचीत के जरिए भू-स्वामियों/कब्जा धारकों से भूमि अर्जित कर रहे हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बातचीत में रोजगार शामिल नहीं था।

(घ) और (ङ) जैसा उपर्युक्त तेल पीएसयूज ने सूचित किया है, मुआवजे का भुगतान या तो जिला राजस्व प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार या भू-स्वामियों के साथ बातचीत के दौरान पारस्परिक सहमति के अनुसार किया गया था।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (ओपीएसयूज) द्वारा अर्जित विभिन्न श्रेणियों की भूमि

(1) आयल इंडिया लि. (ओआईएल)

वित्त वर्ष	क्षेत्र बी-के-एल	मुआवजे की धनराशि (लाख रुपए में)
2009-10	495-2-07	525.00
2010-11	680-1-06	488.00
2011-12	605-4-13	801.00

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

वित्त वर्ष	क्षेत्र (एकड़)		मुआवजे की धनराशि (लाख रुपए में)
	स्थान	क्षेत्र	
1	2		3
2009-10	पंजाब	0.60	7.20
	हरियाणा	2.699	52.75875

1	2	3
2010-11	शून्य	शून्य
2011-12	शून्य	शून्य

(3) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.

वित्त वर्ष	क्षेत्र (एकड़)		मुआवजे की धनराशि
	स्थान	क्षेत्र	(लाख रुपए में)
2009-10	नई दिल्ली	0.0005	3.75
	हरियाणा	0.037	4.23
2010-11	गुजरात	0.848	7.26
	ओडिशा	4.665	48.71
	असम (एओडी) (2008-2011)	22.12	259.00
2011-12	गुजरात	1.570	41.20
	राजस्थान	0.568	11.35
	ओडिशा	4.99	65.75
	झारखंड	1.102	10.12
	छत्तीसगढ़	0.779	11.85

(4) गेल

वित्त वर्ष	क्षेत्र (एकड़)		मुआवजे की धनराशि
	स्थान	क्षेत्र	(लाख रुपए में)
1	2		3
2009-10	उत्तर प्रदेश	0.654	51.96
	हरियाणा	7.41	43.02
	गुजरात	0.393	1.51
	मध्य प्रदेश	31.261	360.49
2010-11	उत्तर प्रदेश	3.089	236.05
	हरियाणा	0.700	47.05
	गुजरात	0.741	11.41
	मध्य प्रदेश	0.136	0.198
	राजस्थान	0.516	2.02
2011-12	उत्तर प्रदेश	0.395	7.90
	राजस्थान	1.12	35.72
	पंजाब	6.721	383.09
	उत्तराखंड	2.795	189.29

ईंधन सब्सिडी संबंधी अनुरोध

449. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री एम. आनंदन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए ईंधन सब्सिडी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इतनी भारी राशि ईंधन सब्सिडी के रूप में मांगने के क्या कारण हैं और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने आम आदमी तक इस राजसहायता का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा**

संवेदनशील तेल उत्पादों की बिक्री पर घाटे के संबंध में तेल विपणन कंपनियों को क्षतिपूर्ति के लिए वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमानों के समय 105,525 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्यों और अमरीकी डालर के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के लिए सब्सिडी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। यह सब्सिडी भार भारत सरकार, अपस्ट्रीम कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) सरकार ईंधन पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी किफायती मूल्य पर जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके और मूल्यों में उतार-चढ़ाव से उसे आंशिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

केरोसीन कोटा

450. **श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत केरोसीन के /आबंटन हेतु कोई नीति तैयार कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केरोसीन के आबंटन और प्रति व्यक्ति एसकेओ की उपलब्धता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति पीडीएस एसकेओ की उपलब्धता में भिन्नता के कारण क्या हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने केरोसीन कोटे को बहाल करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, सरकार इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई कर रही है और हिमाचल की भौगोलिक स्थितियों तथा वहां पर लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध के मद्देनजर उक्त राज्य को अधिक एलपीजी सिलिंडर देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों प्रदेशों को सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का आबंटन विद्यमान आबंटनों के आधार पर किया जाता है जिसमें एलपीजी की कवरेज, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तर पूर्वी राज्यों, द्वीप समूह राज्यों और आवाजाही की बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर) के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का प्रति व्यक्ति आबंटन के राष्ट्रीय औसत को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, इस कोटे की वह मात्रा जिसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं उठाया गया, अगले वर्ष के आबंटन से कम कर दी जाती है।

(ख) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2012-13 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन और पीडीएस मिट्टी तेल का प्रति व्यक्ति आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत में किया गया पीडीएस मिट्टी तेल का ऐतिहासिक आबंटन तथा अन्य कारणों के साथ-साथ एलपीजी कवरेज समायोजन और कुछ राज्यों में संभारतंत्रीय बाधाओं का आबंटन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस मिट्टी तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। एसकेओ वितरण का विस्तार राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल के युक्तिकरण के उपरांत उसका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन करती है। जब विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके मिट्टी तेल के कोटे को पुनः बहाल करने का अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका तो सरकार ने विशेष आवश्यकताओं के लिए वर्ष 2012-13 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गैर-राजसहायता दरों पर पीडीएस मिट्टी तेल का एक महीने का कोटा प्राप्त करने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्रों को अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश में एलपीजी

की कोई कमी नहीं है और एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आयात के माध्यम से ओएमसीज द्वारा वितरकों को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का दिसम्बर तक (2012-13) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एसकेओ का आवंटन (कि.ली. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13 (तीसरी तिमाही तक)	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5424	7248	7248	7272
2	आंध्र प्रदेश	349488	530808	595800	664476
3	अरुणाचल प्रदेश	8678	11628	11736	11783
4	असम	246096	330708	331176	331393
5	बिहार	612900	820320	824760	827265
6	चंडीगढ़	3000	7332	9168	9228
7	छत्तीसगढ़	139680	186600	186972	187381
8	दादरा और नगर हवेली	1692	2484	3036	3579
9	दमन और दीव	684	2016	2328	2664
10	दिल्ली	40464	61380	138900	173777
11	गोवा	4140	19776	22680	24684
12	गुजरात	505188	673584	920556	954328
13	हरियाणा	72252	157260	172632	186107
14	हिमाचल प्रदेश	18960	32472	40260	58424
15	जम्मू और कश्मीर	63048	95082	95082	96794
16	झारखंड	202500	270276	270852	271089
17	कर्नाटक	392148	539544	562812	592822

1	2	3	4	5	6
18	केरल	95148	197124	225096	277958
19	लक्षद्वीप	1008	1020	1020	1022
20	मध्य प्रदेश	469476	626412	626412	626881
21	महाराष्ट्र	718740	1258812	1564176	1640416
22	मणिपुर	19008	25344	25344	25370
23	मेघालय	19440	26064	26136	26161
24	मिजोरम	5868	7836	7920	7943
25	नागालैंड	12816	17100	17100	17114
26	ओडिसा	299808	400944	403140	403919
27	पुदुचेरी	3540	10440	15732	15740
28	पंजाब	78960	272556	285396	301590
29	राजस्थान	383220	511404	511644	511984
30	सिक्किम	4752	6588	6600	7152
31	तमिलनाडु	363954	551352	633648	717580
32	त्रिपुरा	29376	39264	39300	39501
33	उत्तर प्रदेश	1194120	1592700	1593768	1594414
34	उत्तराखंड	28836	107520	111060	115451
35	पश्चिमी बंगाल	723348	964728	965388	965724
	कुल आबंटन	7117758	10365726	11254878	11698982

राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पीडीएस मिट्टी तेल का प्रति व्यक्ति आबंटन (लीटर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2012-13 पीसीए	2011-12 पीसीए	2010-11 पीसीए	2009-10 पीसीए
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.04	19.08	19.08	19.14

1	2	3	4	5	6
2	आंध्र प्रदेश	5.50	6.27	7.04	7.85
3	अरुणाचल प्रदेश	8.36	8.41	8.49	8.52
4	असम	10.53	10.61	10.63	10.63
5	बिहार	7.87	7.90	7.95	7.97
6	चंडीगढ़	3.75	6.95	8.69	8.75
7	छत्तीसगढ़	7.29	7.31	7.32	7.34
8	दादरा और नगर हवेली	6.65	7.25	8.86	10.44
9	दमन और दीव	3.75	8.30	9.58	10.97
10	दिल्ली	3.22	3.66	8.29	10.37
11	गोवा	375	13.57	15.56	16.93
12	गुजरात	11.16	11.16	15.25	15.80
13	हरियाणा	3.75	6.20	6.81	7.34
14	हिमाचल प्रदेश	3.67	4.74	5.87	8.52
15	जम्मू और कश्मीर	7.55	7.58	7.58	7.71
16	झारखंड	8.19	8.20	8.22	8.22
17	कर्नाटक	8.55	8.83	9.21	9.70
18	केरल	3.75	5.90	6.74	8.33
19	लक्षद्वीप	15.65	15.83	15.83	15.86
20	मध्य प्रदेश	8.62	8.63	8.63	8.64
21	महाराष्ट्र	8.42	11.20	13.92	14.60
22	मणिपुर	9.31	9.31	9.31	9.32
23	मेघालय	8.75	8.79	8.82	8.83
24	मिजोरम	7.18	7.18	7.26	7.28

1	2	3	4	5	6
25	नागालैंड	8.63	8.63	8.63	8.64
26	ओडिसा	9.53	9.56	9.61	9.63
27	पुदुचेरी	3.75	8.39	12.64	12.65
28	पंजाब	3.75	9.84	10.30	10.89
29	राजस्थान	7.45	7.45	7.46	7.46
30	सिक्किम	10.45	10.84	10.86	11.77
31	तमिलनाडु	6.68	7.64	8.78	9.95
32	त्रिपुरा	10.67	10.70	10.71	10.76
33	उत्तर प्रदेश	7.98	7.98	7.99	7.99
34	उत्तराखंड	3.75	10.63	10.98	11.41
35	पश्चिमी बंगाल	10.56	10.56	10.57	10.57
	योग	7.83	8.57	9.30	9.67

गैस कनेक्शन हेतु सांसदों की सिफारिशें

451. डॉ. बलीराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने जून/जुलाई 2012 में प्राथमिकता के आधार पर गैस कनैक्शन दिए जाने हेतु संसद सदस्यों/मंत्रियों के सिफारिशी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो जून 2012 से उत्तर प्रदेश के बारे में भेजे गए सिफारिशी आवेदनों और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिफारिश किए गए इन लोगों को कब तक गैस कनेक्शन दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) आईओसी द्वारा जून, 2012 से अक्तूबर, 2012 तक माननीय मंत्रियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य के संसद सदस्यों की ओर 4547 नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त किए हैं और इन्हें प्रचलित नीति के अनुसार नए कनेक्शनों को देने के लिए प्राथमिकता पत्रों के जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालयों को भेज दिए गए हैं।

आईओसी के क्षेत्र कार्यालय द्वारा भावी ग्राहकों को माननीय मंत्रियों/संसद सदस्यों की सिफारिशों के अनुसार नए एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के लिए प्राथमिकता पत्र जारी किए जा रहे हैं। भावी ग्राहकों को सलाह दी गई है कि नीति के अनुसार नए कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने के लिए वे संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप से संपर्क करें।

यह भी स्पष्ट किया गया कि समय-समय पर अपेक्षित

औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर भावी ग्राहकों को नया एलपीजी कनेक्शन जारी करेगा।

बहुमूल्य धातुओं के मूल्य

452. **श्री के.डी. देशमुख :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक मंदी के इस चरण और देश में गिरती हुई आर्थिक वृद्धि के समय स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त स्थिति में कब तक सुधार होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) जहां तक सोने तथा चांदी का संबंध है, भारत निवल आयातक है तथा इन कीमती धातुओं के मूल्य इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करते हैं। भारत में सोने और चांदी के मूल्यों में अस्थिरता मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता के कारण है।

[अनुवाद]

राज्यों की सकल घेरलू उत्पाद वृद्धि दर

453. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात सहित विभिन्न राज्यों की राज्य-वार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर क्या रही;

(ख) क्या उक्त अवधि में किसी राज्य की वृद्धि दर भिन्नता/गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात विभिन्न राज्यों के लिए वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की संवृद्धि दर संलग्न विवरण में दी गई है। जैसाकि सारणी में निर्दिष्ट है 2009-10 और 2011-12 की अवधि में समस्त राज्यों की संवृद्धि दरों में खासा अंतर है। राज्यों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दरों में विविधता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें संसाधन जुटाना, विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अवसंरचना और विभिन्न अन्य राज्यों के विशिष्ट कारक शामिल हैं। सरकार ने देश में सभी जगह संवृद्धि दर निष्पादन में संतुलित तरीके से सुधार लाने के लिए उपाय किए हैं। इस संबंध में नीतिगत साधनों में केंद्र से अल्प विकसित राज्यों को किए गए संसाधनों के योजना और योजना-भिन्न अंतरण, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगों के गठन के लिए कर-प्रोत्साहन आदि शामिल है। कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और राज्य विशिष्ट योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिससे विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी की संवृद्धि दर बढ़ने की संभावना है।

विवरण

*वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि *(प्रतिशत में)*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14.91	20.10	14.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.58	16.20	13.65
3.	असम	14.39	12.16	10.95

1	2	3	4	5
4.	बिहार	15.13	23.23	25.19
5.	झारखंड	14.61	14.82	12.96
6.	गोवा	14.61	11.80	36.54
7.	गुजरात	16.21	20.03	उपलब्ध नहीं
8.	हरियाणा	22.52	18.07	17.03
9.	हिमाचल प्रदेश	16.17	16.46	12.85
10.	जम्मू और कश्मीर	14.34	14.60	14.69
11.	कर्नाटक	8.77	18.32	14.91
12.	केरल	14.60	19.20	17.94
13.	मध्य प्रदेश	15.57	14.22	21.11
14.	छत्तीसगढ़	2.36	18.44	15.28
15.	महाराष्ट्र	15.11	23.10	16.86
16.	मणिपुर	12.37	10.63	10.76
17.	मेघालय	9.40	10.83	12.84
18.	मिजोरम	14.92	15.17	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	11.35	6.50	8.44
20.	ओडिशा	10.26	19.12	16.00
21.	पंजाब	13.99	13.40	10.37
22.	राजस्थान	13.99	22.95	13.79
23.	सिक्किम	89.93	16.50	17.56
24.	तमिलनाडु	19.53	18.07	12.82
25.	त्रिपुरा	13.08	13.29	13.48
26.	उत्तर प्रदेश	17.65	15.68	13.65

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	26.47	16.38	15.45
28.	पश्चिम बंगाल	16.67	17.17	15.87
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.48	10.43	10.39
30.	चंडीगढ़	14.63	16.59	14.03
31.	दिल्ली	18.06	18.21	18.69
32.	पुदुचेरी	12.88	13.97	6.15

*14.08.2012 की स्थिति के अनुसार स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। उ.न. उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

मुद्रा नोटों की कमी

454. श्री जगदीश शर्मा :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज तक भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने राज्य-वार, बैंक-वार, मूल्य-वार कितनी मात्रा में नोट जारी किए;

(ख) क्या छोटे मूल्य के नोट देश भर में समान रूप से आबंटित किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/आरबीआई को देश के कतिपय राज्यों/क्षेत्रों/बैंकों में छोटे मूल्य के नोटों की कमी की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा छोटे मूल्य के नोटों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर विभाग द्वारा तलाशी

455. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कितनी बार तलाशी अभियान चलाए गए और किन-किन राज्यों में छापे मारे गए; और

(ख) चूककर्ताओं के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) आयकर विभाग 'व्यक्तियों' पर विश्वसनीय सूचना के आधार पर तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाहियां करता है जिसमें व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), फर्म, कंपनियां, व्यक्तियों का संघ (एओपी), व्यष्टियों का निकाय (बीओआई), स्थानीय प्राधिकरण तथा कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल है, जिसके पास ऐसा कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण, दस्तावेज या कोई अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज होती है जो व्यक्ति की अघोषित आय का प्रतिनिधित्व करती है। ये देश भर में फैले विभिन्न प्रकार के व्यवसायों/पेशों में शामिल व्यक्तियों के मामलों में की जाती हैं। आयकर विभाग ऐसी कार्यवाहियों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, क्षेत्राधिकारी आयकर महानिदेशालय (जांच) के संदर्भ में ब्यौरा निम्नवत है:

आयकर महानिदेशालय (जांच)	तलाशी वारंटों की संख्या			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (30 सितम्बर 2012 तक)
अहमदाबाद	466	585	699	296
बंगलौर	160	282	272	41
भोपाल	295	197	254	122
चंडीगढ़	241	390	406	146
चेन्नई	98	262	332	138
आयकर महानिदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक जांच), नई दिल्ली	50	86	128	8
हैदराबाद	139	180	207	81
जयपुर	181	152	152	58
कोच्ची	84	65	196	17
कोलकाता	422	424	318	171
लखनऊ	254	474	536	137
मुंबई	334	736	758	28
नई दिल्ली	276	606	590	199
पटना	159	72	165	24
पूना	295	341	247	74
कुल	3454	4852	5260	1540

(ख) तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान एकत्रित साक्ष्यों को ऐसे व्यक्तियों की आय के निर्धारण और पुनर्निधारण में प्रयोग किया जाता है। समुचित मामलों में प्रत्यक्ष कर कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया जाता है।

[अनुवाद]

किशोर गृहों में अत्याचार

456. श्री अब्दुल रहमान : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न किशोर गृहों में रहने वालों के साथ यौन शोषण, उनकी कड़ी पिटाई और अन्य अत्याचारों के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के दलों द्वारा समय-समय पर किए गए दौरों तथा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बाल शोषण एवं दुर्व्यवहार की कुछ घटनाओं का पता चला है। गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निपटाई गई ऐसी शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसे मामलों को उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विभिन्न गृहों में निपटान की गई शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (21.11.2012 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	0	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	0	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	1	0	1
5.	बिहार	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	1	0	1
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	2	3	2	1	8
11.	गोवा	1	0	0	0	1
12.	गुजरात	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
13.	हरियाणा	0	1	0	4	5
14.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1
15.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	1
16.	झारखंड	1	0	0	2	3
17.	कर्नाटक	0	0	0	1	1
18.	केरल	0	0	1	0	1
19.	लक्षद्वीप	0	0	1	0	1
20.	मध्य प्रदेश	0	1	1	2	4
21.	महाराष्ट्र	1	1	0	0	2
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	2	2
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	4	3	2	0	9
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	1	0	0	1	2
29.	राजस्थान	0	2	0	0	2
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	1	1	1	4	7
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	1	1	2	2	6
34.	उत्तराखंड	0	0	0	2	2
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	14	14	13	21	62

समान चिकित्सा प्रवेश परीक्षा

457. **श्री एल. राजगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने देश में 2013-14 से चिकित्सा में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समान प्रवेश परीक्षा नामत: राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) अधिसूचित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अगले शिक्षा सत्र अर्थात 2013-14 से एनईईटी लागू करने से छूट हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों और इस मामले में अन्य हितधारकों की शंकाओं और चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने देश में 2013-14 से चिकित्सा में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा नामत: राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित करने के लिए अपने विनियमों में संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। स्नातक (यूजी) बाबत एनईईटी आयोजित करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की पहचान की गई है।

(ग) से (ङ) अधिकतर राज्यों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है परन्तु कई राज्यों ने पाठ्यक्रम, परीक्षा के माध्यम, आरक्षण नीति आदि को लेकर इस प्रस्तावित एनईईटी के बारे में आशंका जताई है। अधिकांश का निराकरण कर दिया गया है। एनईईटी के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में स्पष्ट उल्लेख हैं कि राज्यों की वर्तमान आरक्षण नीति में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एनईईटी-यूजी का आयोजन हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती, बंगाली, तमिल, मराठी, तेलुगू और असमिया आदि छह क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। कुछ मेडिकल कालेजों और राज्य सरकारों ने एनईईटी से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दर्ज कराई है। ऐसी 26 से अधिक रिट याचिकाओं को माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है और अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और किसी प्रकार की छूट लम्बित स्थानांतरित याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

एम्स में मरीजों की मृत्यु

458. **श्री ए. टी. नाना पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्स के आंकड़ों से पता चला है कि इस वर्ष संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स में आईसीयू तथा अन्य वार्डों में बेहतर स्वच्छता की जरूरत महसूस की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्य-योजना तैयार की जा रही है;

(ङ) क्या इस संकट का सामना करने के लिए एक पृथक ओपीडी खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान संक्रमण के कारण मौत की कोई शिकायत/घटना नहीं हुई है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में अस्पताल की सफाई और स्वच्छता की एक नियमित रखरखाव प्रणाली है। गहन परिचर्या क्षेत्रों अर्थात् आईसीयू और एम्स के अन्य वार्डों में भरसक सफाई रखी जाती है। सफाई सेवाएं सीधे सफाई अधिकारी की देखरेख में होती हैं और सफाई पर वार्ड सिस्टर इनचार्ज और नर्सिंग अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाती है। रेजीडेंट अस्पताल प्रशासक भी वार्ड के अपने दौरों के दौरान अस्पताल

की सफाई की निगरानी करते हैं। अस्पताल के सभी क्षेत्रों का कम से कम एक बार संकाय अस्पताल प्रशासन प्रभारी, चिकित्सा अधीक्षक या उसके विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(ङ) और (च) झज्झर, हरियाणा में शीघ्र ही एक आउटरीच ओ पी डी आरंभ होने वाली है। एम्स में एक पृथक ओपीडी केन्द्र का एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

एमएसएमई का पुनरुद्धार

459. **श्री भक्त चरण दास : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में अपने पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ओडिशा सहित राज्य-वार रिकॉर्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसी रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु पुनर्वास कोष स्थापित करने की कोई स्कीम/योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में रुग्णता के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकलित किए जाते हैं। मार्च, 2012 के अंत में, देश में 85,591 रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) थे, जिनमें से 5,899 रुग्ण एमएसई ओडिशा राज्य में थे। मार्च, 2012 के अंत में रुग्ण एमएसई के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए नये ऋण पुनर्संरचना द्वारा वित्तीय सहायता वाणिज्यिक बैंक सहित प्राथमिक उधारदात्री संस्थाओं (पीएलआई) द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो एमएसई को ऋण प्रदान करती हैं। आरबीआई ने इस संबंध में बैंकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं:

(i) अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश (अगस्त 2008)

(ii) एमएसई क्षेत्र के लिए गैर-विवेकाधीन एकबारगी निपटान (ओटीएस) सहित पुनर्संरचना/पुनर्वास नीति (मई 2009) और

(iii) रुग्ण एमएसई के पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश (नवंबर 2012) इसका ब्यौरा www.rbi.org.in, www.sidbi.com पर देखा जा सकता है।

विवरण

मार्च, 2012 के अंत तक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) बीमार लघु उद्योगों की राज्य-वार अर्थक्षम स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संभावित अर्थक्षम		अनअर्थक्षम		जिनकी अर्थक्षमता निर्धारित की जानी है		कुल बीमार इकाई		उपचाराधीन इकाईयां	
	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्वी क्षेत्र										
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	8	0.26	0	0.00	8	0.26	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
असम	242	3.19	327	90.59	29	0.03	598	104.81	124	1.00
बिहार	732	16.66	4867	68.21	34	0.65	5633	85.52	40	0.47
झारखंड	481	78.36	1661	53.13	59	6.56	2201	138.05	459	20.85
मणिपुर	45	0.54	98	1.13	0	0.00	143	1.67	0	0.00
मेघालय	4	0.13	14	12.96	0	0.00	18	13.09	4	0.13
मिजोरम	0	0.00	38	61.00	0	0.00	38	61.00	0	0.00
नागालैंड	0	0.00	7	2.78	1	0.37	8	3.15	0	0.00
ओडिशा	616	21.52	5264	95.30	19	12.91	5899	129.73	163	3.69
सिक्किम	0	0.00	38	1.10	0	0.00	38	1.10	0	0.00
त्रिपुरा	0	0	12	5	0	0	12	5	0	0
पश्चिम बंगाल	957	113.31	7756	472.90	103	38.45	8816	624.66	855	49.87
उपयोग	3077	233.71	20090	864.45	245	69.97	23412	1168.13	1645	76.01
उत्तरी क्षेत्र										
चंडीगढ़	0	0	55	22	0	0	55	22	0	0
दिल्ली	83	75.79	859	294.98	208	23.17	1150	393.94	115	24.12
हरियाणा	43	5	631	28	38	13	712	46	26	1
हिमाचल प्रदेश	128	47	2643	99	9	7	2780	153	31	2
जम्मू और कश्मीर	52	11.67	1148	68.69	2	2.34	1202	82.70	46	3.59
पंजाब	209	267.11	1367	185.26	21	19.81	1597	472.18	167	12.63
राजस्थान	130	14.67	4818	49.65	240	35.61	5188	99.93	213	7.80
उत्तर प्रदेश	1702	105.18	3549	135.70	115	22.21	5366	263.09	1467	36.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तराखंड	76	3.23	227	3.76	2	1.15	305	8.14	19	0.04
उप-योग	2423	529.72	15297	887.47	635	123.74	18355	1540.93	2084	87.72
पश्चिमी क्षेत्र										
छत्तीसगढ़	62	7.04	476	17.05	56	2.57	594	26.66	38	7.02
दादरा और नगर हवेली	0	0.00	1	0.00	0	0	1	0.00	0	0.00
दमन ओर दीव	0	0.00	17	0.21	0	0	17	0.21	0	0.00
गोवा	15	12.54	78	1.91	16	2.77	109	17.22	13	12.53
गुजरात	405	107.40	5737	207.99	115	36.55	6257	351.94	348	51.04
मध्य प्रदेश	394	43.92	2805	176.18	132	5.15	3331	225.25	399	9.68
महाराष्ट्र	473	174.53	6828	806.97	2835	153.53	10136	1135.02	424	125.02
उप-योग	1349	345.43	15942	1210.31	3154	200.57	20445	1756.30	1222	205.29
दक्षिणी क्षेत्र										
आन्ध्र प्रदेश	351	33.30	3394	312.79	103	25.18	3848	371.27	79	6.65
कर्नाटक	1606	50.30	3234	249.79	815	30.68	5655	330.77	1300	17.08
केरल	438	33.92	4253	126.99	734	16.38	5425	177.29	48	23.65
पुदुचेरी	20	0.11	130	6.21	0	0.00	150	6.32	1	0.00
तमिलनाडु	1051	494.70	6902	912.91	348	31.63	8301	1439.24	269	51.85
उप-योग	3466	612.33	17913	1608.69	2000	103.87	23379	2324.89	1697	99.23
कुल योग	10315	1721.19	69242	4570.92	6034	498.15	85591	6790.25	6648	468.25

[हिन्दी]

पेंट में जहरीले पदार्थ

460. श्री सज्जन वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय विकसित आई विकासशील देशों में मानदण्डों के अनुरूप भारत में विनिर्मित और बेचे जा रहे पेंट में सीसे तथा अन्य विषाक्त पदार्थों के अधिकतम अनुमत स्तर के संवंधों में कोई उपाबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या देश में अनुमत से अधिक सीसे तथा अन्य जहरीले पदार्थों वाले पेंट के विनिर्माण और विपणन के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आए इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग ने बताया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने पेंट्स में भारतीय मानकों की विशिष्टता की पहचान के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। **श्रीमती पनबाका लक्ष्मी।**

अपराह्न 12.01/4 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री सुल्तान अहमद, शेख नूरूल इस्लाम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

(एक) का.आ. 2350(अ) जो 1 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक का आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में विलय किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7484/15/12]

(दो) का.आ. 2386(अ) जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सतपुरा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में विलय किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7485/15/12]

(तीन) का.आ. 2496(अ) जो 15 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में विलय किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7486/15/12]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मैं दिनांक 9 अगस्त, 2012 को सभा को सूचित करने के पश्चात् 15वीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012; और

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, 'गलौर विधेयक, 2012

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2012 और;

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7487/15/12]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं—एक मूल्यांकन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी कृषि संबंधी स्थायी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) 60वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चंपारण) : राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक, 2011 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 60वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

(दो) साक्ष्य

डॉ. संजय जायसवाल : मैं राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक, 2011 के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य तथा 60वें प्रतिवेदन को आंतरिक सत्रावधि के दौरान राज्य सभा के सभापति के निर्देशों के दिनांक 17.01.1996 के निर्देशों के अंतर्गत 30 अक्तूबर, 2012 को राज्य सभा के सभापति को प्रस्तुत कर दिया गया और सभापति द्वारा इसके मुद्रण, प्रकाशन और वितरण हेतु आदेश दिए गए। उक्त प्रतिवेदन और साक्ष्य की एक प्रति लोक सभा के अध्यक्ष को भेज दी गई।

...(व्यवधान)

*प्रतिवेदन 30 अक्तूबर, 2012 को राज्य सभा के सभापति को प्रस्तुत किया गया और इसे उसी दिन लोक सभा अध्यक्ष को भेज दिया गया।

अपराह्न 12.04 बजे

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पयवेक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पयवेक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा सोमवार 26 नवम्बर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे **पुनः** समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 26 नवम्बर, 2012/ 5 अग्रहायण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अशोक कुमार रावत श्री के.डी. देशमुख	21
2.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	22
3.	श्रीमती सुप्रिया सुले श्री खगेन दास	23
4.	श्री अवतार सिंह भडाना श्री नित्यानंद प्रधान	24
5.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री के.पी. धनपालन	25
6.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री रतन सिंह	26
7.	डॉ. रत्ना डे श्री जगदीश ठाकोर	27
8.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री अनंत कुमार हेगड़े	28
9.	श्री मानिक टैगोर श्री गजानन ध. बाबर	29
10.	श्री शिवकुमार उदासी	30
11.	श्री सुरेश कलमाड़ी	31
12.	श्री आर. थामराईसेलवन श्री अर्जुन राम मेघवाल	32
13.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	33
14.	श्री वैजयंत पांडा	34
15.	श्री हर्षवर्धन श्री एस. सेम्मलई	35
16.	श्री पी. कुमार श्री सी. शिवासामी	36
17.	श्री एम.के. राघवन डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	37
18.	श्री उदय सिंह श्री आर. ध्रुवनारायण	38
19.	श्री सज्जन वर्मा श्री एस. पक्कीरप्पा	39
20.	श्री सुशील कुमार सिंह	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	267
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	262, 356, 435
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	343, 345, 369, 371, 375
4.	श्री आनंदराव अडसुल	343, 369, 371, 375
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	279, 320, 370, 417, 446
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	297, 328, 432
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	355, 356, 402

1	2	3
8.	श्री एम. आनंदन	307, 356, 377, 449
9.	श्री सुरेश अंगड़ी	307, 356, 377, 449
10.	श्री घनश्याम अनुरागी	353
11.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	354, 364
12.	श्री कीर्ति आजाद	232, 431
13.	श्री गजानन ध. बाबर	343, 345, 369, 387
14.	श्री रमेश बैस	284, 288
15.	श्री कामेश्वर बैठा	257, 441
16.	डॉ. बलीराम	310, 451
17.	श्री अवतार सिंह भडाना	358
18.	श्री ताराचन्द भगोरा	260
19.	श्री संजय भोई	303, 356, 357, 373, 375
20.	श्री सी. शिवासामी	314, 332
21.	श्री हरीश चौधरी	306, 424, 432, 448
22.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	252, 378, 394
23.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	231, 354, 370, 381, 435
24.	श्री भूदेव चौधरी	333, 356
25.	श्रीमती श्रुति चौधरी	233, 382, 388
26.	श्री भक्त चरण दास	459
27.	श्री खगेन दास	356
28.	श्री राम सुन्दर दास	247
29.	श्री गुरुदास दासगुप्त	348, 378

1	2	3
30.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	297, 305
31.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	421
32.	श्री के.डी. देशमुख	356, 452
33.	श्रीमती रमा देवी	291
34.	श्री के.पी. धनपालन	354, 405
35.	श्री आर. ध्रुवनारायण	383
36.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	275, 308, 354, 401, 413
37.	श्री चार्ल्स डिएस	311, 344
38.	श्री निशिकांत दुबे	346, 356, 365, 378
39.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	311
40.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	303, 356, 357, 373, 446
41.	श्रीमती मेनका गांधी	300, 356, 444
42.	श्री ए. गणेशमूर्ति	337, 356, 362
43.	श्री एल. राजगोपाल	317, 457
44.	श्री शिवराम गौडा	236, 311, 354
45.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	293, 296, 318, 356, 370
46.	शेख सैदुल हक	368
47.	श्री महेश्वर हजारी	238, 284, 354, 356, 366
48.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	278, 334, 354, 416
49.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	359, 424
50.	श्री बलीराम जाधव	330

1	2	3
51.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	293, 307, 327, 432
52.	श्री बद्रीराम जाखड़	258, 360, 376, 399
53.	श्रीमती दर्शना जरदोश	249, 356, 455
54.	श्री नवीन जिन्दल	283, 419
55.	श्री महेश जोशी	320
56.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	360, 361
57.	श्री प्रहलाद जोशी	302
58.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	351
59.	श्री कपिल मुनि करवारिया	247, 280, 436
60.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	253, 305, 376, 447
61.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	329
62.	श्री चंद्रकांत खैरे	356, 365, 423, 435
63.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	325, 344, 354, 368
64.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	255, 397
65.	श्री अजय कुमार	356
66.	श्री पी. कुमार	391
67.	श्री यशवंत लागुरी	242, 363, 376
68.	श्री पी. लिंगम	348, 378
69.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	312, 315, 453
70.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	245, 329, 450
71.	श्री नरहरि महतो	246, 372, 389
72.	श्री प्रदीप माझी	299, 350, 443
73.	श्री मंगनी लाल मंडल	355

1	2	3
74.	श्री जोस के. मणि	293, 370, 446
75.	श्री हरि मांझी	284, 288, 319
76.	श्री दत्ता मेघे	356
77.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	356, 365, 379
78.	श्री महाबल मिश्रा	356
79.	श्री सोमेन मित्रा	356
80.	श्री विलास मुत्तेमवार	315, 334, 454
81.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	276, 354, 414, 437, 446
82.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	295, 357, 422
83.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	354, 365
84.	श्री नारनभाई कछाड़िया	275, 307, 308, 336, 413
85.	श्री संजय निरुपम	335
86.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	271, 370, 408
87.	श्री पी.आर. नटराजन	235, 380
88.	श्री वैजयंत पांडा	427
89.	श्री प्रबोध पांडा	304, 375
90.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	294
91.	कुमारी सरोज पाण्डेय	265, 284, 354, 446
92	श्री जयराम पांगी	250
93.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	303, 356, 357, 373, 374
94.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	243, 450

1	2	3
95.	श्री बाल कुमार पटेल	363, 438
96.	श्री किसनभाई वी. पटेल	299, 350, 443
97.	श्री संजय दिना पाटील	295, 439
98.	श्री ए.टी. नाना पाटील	282, 315, 355, 458
99.	श्रीमती भावना पाटील गवली	349
100.	श्री सी.आर. पाटिल	261, 370
101.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	303, 356, 357, 374, 375
102.	श्रीमती कमला देवी पटले	239, 376, 384, 450
103.	श्री पोन्नम प्रभाकर	251, 393
104.	श्री नित्यानंद प्रधान	382
105.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	342, 354
106.	श्री प्रेमदास	297, 441
107.	श्री पन्ना लाल पुनिया	293, 341, 347
108.	श्री एम.के. राघवन	429
109.	श्री अब्दुल रहमान	316, 370, 456
110.	श्री सी. राजेन्द्रन	237, 314
111.	श्री एम.बी. राजेश	248
112.	श्री पूर्णमासी राम	301, 445
113.	श्री रामकिशुन	329
114.	श्री निलेश नारायण राणे	274, 401
115.	श्री रायापति सांबासिवा राव	259, 401
116.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	322
117.	श्री रामसिंह राठवा	254, 396
118.	डॉ. रत्ना डे	354, 425
119.	श्री अशोक कुमार रावत	354
120	श्री अर्जुन राय	313
121.	श्री रुद्रमाधव राव	321, 355, 356
122.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	240, 385
123.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	410, 441
124.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	336
125.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	246, 372, 389
126.	श्री महेन्द्र कुमार राय	356
127.	प्रो. सौगत राय	264, 356, 435
128.	श्री एस. अलागिरी	285, 354, 367, **432**, 448
129.	श्री एस. सेम्मलई	356, 390
130.	श्री एस. पक्कीरप्पा	342, 356, 412
131	श्री एस.आर. जेयदुरई	296, 356, 440
132.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	256, 356, 398
133.	डॉ. अनूप कुमार साहा	356
134.	श्रीमती सुशीला सरोज	238, 284, 356, 366
135.	श्री हमदुल्लाह सईद	270, 341, 407
136.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	268, 356, 404
137.	श्री अर्जुन चरण सेठी	287, 368
138.	श्री जगदीश शर्मा	314, 315, 334, **454**

1	2	3
139.	श्री नीरज शेखर	290, 356, 358, 435
140.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	272, 351, 409
141.	श्री राजू शेट्टी	323, 357
142.	श्री एंटो एंटोनी	326, 370
143.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	263, 341, 354, 435
144.	डॉ. भोला सिंह	341
145.	श्री भूपेन्द्र सिंह	241, 356, 363, 386
146.	श्री गणेश सिंह	298, 354, 442
147.	श्री इज्यराज सिंह	293, 334
148.	श्री जगदानंद सिंह	293, 365, 438
149.	श्री महाबली सिंह	339
150.	श्री मुरारी लाल सिंह	381
151.	श्री राधा मोहन सिंह	288, 331
152.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	428
153.	श्री रतन सिंह	306
154.	श्री रवनीत सिंह	266, 403
155.	श्री सुशील कुमार सिंह	430
156.	श्री उदय सिंह	395
157.	श्री यशवीर सिंह	290, 356, 358, 435
158.	चौधरी लाल सिंह	309, 356
159.	श्री धनंजय सिंह	338
160.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	360
161.	राजकुमारी रत्ना सिंह	334, 354, 359, 363
162.	डॉ. संजय सिंह	285, 354, 367, 424, 432
163.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	234
164.	श्री ई.जी. सुगावनम	277, 356, 415, 428, 435
165.	श्री के. सुगुमार	244, 293, 314, 377
166.	श्रीमती सुप्रिया सुले	357, 422
167.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	269, 346, 378, 406
168.	श्री मानिक टैगोर	362, 420
169.	श्री बिभू प्रसाद तराई	286, 368, 433
170.	श्री जगदीश ठाकोर	400, 437
171.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	281, 418, 450
172.	श्री आर. थामराईसेलवन	363, 392,
173.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	340, 442
174.	श्री पी.टी. थॉमस	314, 332, 428
175.	श्री मनोहर तिकरी	246, 327, 389
176.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	289, 370, 434
177.	श्री जोसेफ टोप्पो	364
178.	श्री शिवकुमार उदासी	426
179.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	238, 284, 356, 366
180.	श्री हर्ष वर्धन	428
181.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	376, 450

1	2	3
182.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	314, 324, 356, 362
183.	श्री सज्जन वर्मा	364, 460
184.	श्रीमती ऊषा वर्मा	238, 284, 356, 366
185.	श्री वीरेन्द्र कुमार	344, 370
186.	श्री पी. विश्वनाथन	273, 370, 411
187.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	292, 432, 437
188.	श्री धर्मेन्द्र यादव	343, 345, 369, 370, 371
189.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	361
190.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	356
191.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	352
192.	श्री मधु गौड यास्खी	370, 371

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	22, 26, 28, 38
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	24, 27, 31, 32, 34, 36, 37
खान	:	35
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	23
पंचायती राज	:	39
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	21, 25, 29, 30
पर्यटन	:	33
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	40

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	231, 233, 234, 243, 247, 248, 256, 259, 260, 265, 267, 268, 271, 272, 274, 276, 277, 279, 282, 285, 289, 291, 300, 303, 306, 309, 313, 321, 322, 323, 326, 329, 330, 333, 334, 335, 337, 339, 343, 345, 348, 350, 351, 353, 359, 361, 365, 367, 379, 385, 388, 390, 392, 393, 394, 398, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 415, 417, 420, 424, 426, 427, 429, 431, 446, 449, 452, 453, 454, 455, 459
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	232, 235, 236, 237, 238, 240, 252, 253, 262, 264, 266, 280, 283, 288, 297, 298, 301, 302, 305, 310, 314, 315, 327, 331, 332, 340, 341, 344, 356, 357, 358, 362, 364, 366, 369, 370, 373, 378, 380, 382, 391, 397, 402, 412, 413, 418, 419, 422, 428, 430, 433, 436, 437, 438, 441, 443, 444, 457, 458, 460
खान	:	254, 290, 296, 308, 316, 318, 346, 383, 440
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	278, 311, 312, 399, 407, 416, 421, 434, 439
पंचायती राज	:	

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	241, 244, 249, 250, 251, 261, 263, 273, 284, 293, 295, 304, 317, 319, 320, 324, 325, 336, 342, 347, 352, 355, 360, 363, 371, 374, 375, 377, 405, 406, 414, 423, 432, 435, 448, 450, 451
पर्यटन	:	328, 354, 401, 447
जनजातीय कार्य	:	255, 257, 258, 275, 286, 287, 294, 299, 368, 376, 381, 384, 395, 400, 445
महिला और बाल विकास	:	239, 242, 245, 246, 269, 270, 281, 292, 307, 338, 349, 372, 386, 387, 389, 396, 425, 442, 456

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.– 48/29/2/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।